छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा — अष्टम् सत्र

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026

(फाल्गुन 19, शक सम्वत् 1947)

[अंक 07]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत् हुई

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरा सन्नाटा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- आवत हे, आवत हे।

श्री भूपेश बघेल :- आवत हे, आवत हे। मतलब कहां आवत हे?

श्री गजेन्द्र यादव :- साय जी पहुंच गे हे।

श्री भूपेश बघेल :- कोनो सांय-सांय नहीं आवत हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक अकेला संसदीय कार्य मंत्री सब पर भारी।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल खाली।

<u>जन्मदिन की बधाई</u>

<u>माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी</u>

सभापति महोदय :- आज सदन के माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं कामना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्न रहें।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, बधाई लेने वाले कहां है? (हंसी)

सभापति महोदय :- आ रहे हैं। वह आ जायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह कहीं पर जन्मदिन मना रहे होंगे।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ हेतु भवन का निर्माण

[सहकारिता]

1. (*क्र. 1103) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा दिनांक 24.08.2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई? यदि हां तो कितनी राशि स्वीकृत की गयी? (ख) क्या इस संबंध में पूर्व विधान सभा प्रश्न के उत्तर में भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया था? यदि हां तो क्या उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया? यदि नहीं तो कब तक अतिक्रमण मुक्त कराकर भवन निर्माण कराया जावेगा? (ग) क्या वर्तमान में बैंक किराया के भवन में संचालित किया जा रहा है? यदि हां तो मासिक किराया कितना है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- (क) जी हां। राशि रूपये 39.00 लाख की स्वीकृति दी गई। (ख) जी हां, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव द्वारा भूमि उपयुक्त प्रतीत नहीं होने एवं वर्तमान में उक्त भूमि में अतिक्रमण होने के कारण शाखा भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि आबंटित करने हेतु कलेक्टर, जिला राजनांदगांव से मांग किया गया है। भूमि आवंटन होने पर भबन निर्माण कार्य कराया जायेगा। (ग) जी हां। मासिक किराया राशि रूपये 19,400/- है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के ऊपर एक प्रश्न है, जिसमें आदरणीय मंत्री जी द्वारा मुझको जवाब भी मिला चुका है, लेकिन यह संतोषप्रद नहीं है। जैसे इसमें मेरा सवाल था कि क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा दिनांक 24/08/2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई है? उन्होंने जवाब में कहां 'जी हाँ'। यदि हाँ तो कितनी राशि की स्वीकृति की गई? तो उन्होंने जवाब में कहा है कि राशि रूपये 39.00 लाख की स्वीकृति दी गई। उस जगह पर अतिक्रमण है तो उसे क्यों नहीं हटाया गया है? यह भी मेरा प्रश्न था। माननीय मंत्री जी द्वारा उसका भी जवाब आया है कि उक्त भूमि में अतिक्रमण होने के कारण शाखा भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि आवंटित करने हेतु कलेक्टर, जिला राजनांदगांव से मांग किया गया है और वह जमीन को नहीं हटाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव शाखा द्वारा इस अतिक्रमण वाली जगह के लिए कितनी भू-भाटक राशि पटायी गयी थी? और जब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी तो कितनी राशि पटायी गयी है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के संदर्भ में जानकारी चाही है और मैंने उसकी पूरी जानकारी दी है। जो जमीन है, वह अतिक्रमण पर है और उसके लिए लगातार हम पत्राचार कर रहे थे, ताकि जमीन को कब्जा से मुक्त कराया जा सके। वर्तमान में वहां पर जमीन उपलब्धता की दृष्टि से हमारी कोशिश जारी है, ताकि जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो सके और वहां के लोगों को सुविधाएं मिल सके। पूर्व में जो जमीन दी गयी थी, वहां पर जो अध्यक्ष रहे हैं, उनकी ही जमीन के नजदीक में वह जमीन भी आवंटित की गयी थी। वहां पर पार्किंग की सुविधा और बाकी सुविधाएं व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी। इसलिए अभी हम इसके लिए लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बैंक का मामला है, इसलिए उनके सुविधा के हिसाब से वहां तत्काल जमीन उपलब्ध कराने का हमने निर्णय भी लिया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति महोदय, जो डोंगरगढ़ की भूमि है, जिस जगह पर भू-अर्जन के लिए भू-भाटक राशि की प्रक्रिया होती है, उसकी भू-भाटक राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव शाखा के द्वारा दी गई। उसके बाद उसका आज भूमि पूजन हो चुका है, उसका टेंडर भी जारी हो चुका है, उसके बाद आज जब आदेश प्रक्रिया के तहत वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वह जमीन सही नहीं है। पिछले समय में भूमि पूजन हो चुका है और दो साल की अवधि में वहां एक-दो ठेले हैं, उसको आप हटवा नहीं पाए हैं? (शेम-शेम की आवाज) मतलब सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अतिक्रमण नहीं हटवा कर आप वहां पर बैंक को, जो सीधे-सीधे किसान का बैंक है, उसे आप नहीं बनवाना चाह रहे हैं। जिसकी राशि 39 लाख की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जो आप ही ने कहा है। अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया है? क्यों आज तक यह मामला लंबित है?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, जो राशि की स्वीकृति है, वह लगभग वर्ष 2023 का है और इसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी। वर्तमान में वहां पर जो स्थल है, वह पार्किंग और अन्य सुविधाएं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए जहां पर अच्छी जमीन हो, उसके संदर्भ में हम कलेक्टर से चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय बार-बार पार्किंग की सुविधा के बारे में कह रहे हैं, इन चीजों को पहले देखा गया, तभी वहां पर वर्क आर्डर निकला और टेंडर हुआ और इसके बाद भूमि पूजन हुआ । अब यह सब होने के बाद आज वह किरराये से संचालित है और वह भी एक [XX] [1] के नेता के रिश्तेदार के घर पर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह आपत्तिजनक है । [XX] शब्द आपत्तिजनक है ।

सभापति महोदय :- इसको विलोपित कर दीजिए ।

---

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :-सभापति महोदय, आप कहें तो मैं पटल पर रख सकती हूँ । यह वर्क आर्डर है और इसकी कॉपी मेरे पास है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन किरायेदार है और कौन क्या है, कौन किसकी संबद्धता है ? सुनिये, आप नई सदस्य हैं, नाम लेने के पहले प्रमाण रखिये ? इसे प्रक्रिया में करिये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैंने अभी नाम नहीं लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने किसी पार्टी का उल्लेख कैसे कर दिया है ? यह आरोप है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जो प्रक्रिया यहां पर हुई है, मैं वह बता रही हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- यह बता दीजिए कि किसका कब्जा है ? मंत्री जी तो बतायेंगे ही, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ । हॉ-हॉ, ठीक है सुधार दिये ना ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- स्मार्ट है और बढ़िया प्रश्न कर रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे ख्याल से आपके मदद की उसको जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- उनको बोलने दीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल माननीय भूपेश बघेल जी के पूछने के कारण और बहिगर्मन के कारण विद्यावती जी का प्रश्न लेप्स हो गया । पूरा टाईम ले लेते हैं, कांग्रेस के सदस्य इससे बहुत असंतुष्ट हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- आप टाईम नहीं लेते हैं, टाईम बाकी लोग सब लेते हैं । पूरा सदन में आप ही का टाईम चल रहा है ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने यही कहा है कि जब वर्क आर्डर हो चुका था, टेण्डर लग चुका था, उसके बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद भी यह कार्य संपन्न नहीं है और आज भी अतिक्रमण की बात बार-बार करके दो साल से इसे किराये पर चलाया जा रहा है। जब सामने यह बात आई और मेरा ध्यानाकर्षण लगा...।

सभापति महोदय :- प्रश्न करें ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी, मैं कर रही हूँ, जब ध्यानाकर्षण लगा उसके बाद पता चला कि यह एक निजी व्यक्ति को सीधे लाभ देने के लिये सरकार इसे किराये पर चला रही है । सभापति महोदय, मेरा यह सवाल था कि यह बैंक जो किसानों के लिये बनाया जाता था, बैंक का भूमि पूजन कराया गया, वह आवंटित भी हो गया, यह आज काहे के लिये लंबित है ? मैं यही जानना चाहती हूँ ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा है कि जो जमीन है वहां पर पर्याप्त पार्किंग और अन्य सुविधायें हैं ..।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- फिर वर्क आर्डर और भूमि पूजन कैसे हुआ ?

श्री केदार कश्यप :- मेरी बात तो पहले सुन लीजिए ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- बैंक की शाखाओं के अधिकारियों के द्वारा इसकी पूरी जांच हुई होगी, तभी इसका वर्क आर्डर निकला होगा । तभी इसमें भूमि पूजन हुआ होगा । क्या उस समय इन सारी चीजों को देखा नहीं गया था ?

श्री केदार कश्यप :- तब वहां पर जो जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से वहां पर प्रक्रिया चलती थी और उनके ऊपर क्या-क्या मामले हैं वह भी आपको मालूम है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यहां पर दो साल से जो काम होना था, वह लंबित है, दो साल के बाद आज भी कलेक्टर साहब ने कोई भी जगह आवंटन नहीं किया । यह किराये से चलाया जा रहा है, जबकि इसमें राशि सेंक्शन है ।

श्री केदार कश्यप :- जब भवन नहीं है तो किराये से चलायेंगे ही ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप दो साल में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा पाये हैं । कोई जगह आवंटित नहीं किया ।

श्री केदार कश्यप :- अब आप कहेंगी कि किराये में भी मत चलाईये ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मेरा तो सवाल वही है मंत्री जी । मेरा यही सवाल है कि दो साल में आपने उस जगह का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया ? आप या तो उस जगह का अतिक्रमण हटाते और कोई भी जगह कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन कर दिया जाता ? लेकिन ना ही जगह का आवंटन हुआ है और ना ही वहां से अतिक्रमण हटा है । सभापति महोदय, इसमें सीधी-सीधी बात सामने आ रही है, मैंने कहा है कि [XX][2] के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिये हुआ है।

श्री केदार कश्यप :- यह गलत बात है, आखिर कोई न कोई, किसी न किसी का रिश्तेदार होगा ही ? जो नियम के तहत है, वह किया जा रहा है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति जी, पार्टी का नाम आया है ?

सभापति महोदय :- मैंने उसको विलोपित करने के लिये पहले बोल दिया है ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी, मैं बार-बार इसी बात को कहना चाहूँगी कि किसानों के शेयर से जिस तरह से सहकारी बैंकों का संचालन होता है, उसके बाद उसका भवन निर्माण किया जाता ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो । अब बैंक जब उस जगह को खरीद चुकी है, उसके बाद हम उस जगह को यह कह रहे हैं कि वहां पर पार्किंग की सुविधा नहीं है और उसके बाद

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है, यह कैसी बात हुई ? सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि अतिक्रमण कब तक हटेगा और कब तक नया भवन बन जायेगा ?

श्री केदार कश्यप :- सम्माननीय सभापति महोदय, जल्द से जल्द बनेगा।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मंत्री जी, आप मुझे समय बताईए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपको बैंक बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और पार्किंग के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और वहां पर आपको कितना जमीन अलॉट हुआ है? आप जो पार्किंग के लिए कमी बता रहे हैं तो सवाल इस बात का है कि आपकी जमीन कितने की है, आवश्यकता कितने की है और कितना अलॉटमेंट हुआ है और अतिक्रमण कितने में है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो जमीन अलॉट हुआ है वह लगभग 2200 वर्गमीटर आवंटित हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- जी 2200 ?

श्री केदार कश्यप :- 2200 वर्ग मीटर और अभी उससे बड़ी जमीन हम तलाश रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, सवाल इस बात का है, आपके पास 2200 वर्ग मीटर है तो बिल्डिंग कितने में बनेगा और कितने पार्किंग की आवश्यकता है? क्या अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं? खाली है, कितना है? आपको पार्किंग के लिए कितनी जमीन की जरूरत है और बिल्डिंग कितने में बनेगा?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, उसमें 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें वहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएंगे।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत सुंदर, 3000 वर्ग फीट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास 2200 वर्ग मीटर है। 2200 वर्ग मीटर मतलब कितना हुआ? 22000 वर्ग फीट हो गया। आपको जरूरत 3000 वर्गफीट का है, इसका मतलब ये है कि आपका 19000 वर्ग फीट जमीन खाली है। आपके पास जमीन पर्याप्त है, आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है इसलिए आप हटाना चाहते हैं और माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि अतिक्रमण है और अतिक्रमण आपके किसी चहेते का है, इस कारण से हटाना नहीं चाहते। आप कृपा करके उस अतिक्रमण को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द वह अतिक्रमण हटेगा, ऐसा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो जमीन की उपलब्धता है, वहां पर 2200 वर्ग मीटर की अभी जमीन है और लगभग 3000 वर्ग मीटर

जमीन हम और देख रहे हैं ताकि वहां पर सर्व सुविधा युक्त पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके ऐसी जमीन की उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय सभापति जी...।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट, एक मिनट।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, अभी आपने 3000 वर्ग फीट की बात कही, अभी आप 3000 वर्ग मीटर की बात कह रहे हैं। पहले आप 22000 वर्ग मीटर की बात कह रहे थे तो आप कौन सी बात सही बोल रहे हैं? पर्ची मँगवा लीजिए, थोड़ा दूर हो गया है, ये पर्ची दौड़ने वाला थोड़ा आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, आप वहां बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण हटाएंगे, कब तक हटाएंगे? क्योंकि दो साल हो गया, ढाई साल हो गया, 2023 का मामला है, 2026 आ गया है, तीन साल हो गया। आप अतिक्रमण कब तक हटाएंगे? समय बताईए। कलेक्टर को निर्देश करेंगे या कलेक्टर को निर्देश भी नहीं कर सकते, जैसे देवांगन जी ने कहा, हम कलेक्टर को आदेश नहीं कर सकते। यहां आप उसी प्रकार के जवाब देंगे, आप हटवा रहे हैं और कब तक हटवाएंगे तिथि बताइए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, तिथि मैं अभी सुनिश्चित नहीं कर सकता लेकिन जल्द से जल्द हटवाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय :- श्री तुलेश्वर सिंह।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि सदन में मामला आया है और अतिक्रमण हटाने की बात है, जहां आप दूसरी जगह बुलडोजर चलाते हैं, यहां कब बुलडोजर भेजेंगे? ये अतिक्रमण कब हटाएंगे? यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है, कल अफीम में तो कम से कम बुलडोजर चला है, लेकिन इसमें बुलडोजर कब चलेगा?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, किसानों के बैंक बनाने के लिए जगह है, उसके बाद किसानों के लिए बैंक नहीं बनाया जा रहा है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, आप अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना बंद करिए। हम इसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय :
11.34 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का जो बहिर्गमन है, वह एक नाटक है, वे समय पास कर रहे हैं कि पांच नंबर का प्रश्न मत लगे। National Herald का प्रश्न मत आए, इसके लिए ये समय पास कर रहे थे, इसमें कोई गंभीरता नहीं है।

सभापति महोदय :- तुलेश्वर सिंह।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

बिगड़े वनों की सुधार की योजना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (*क्र. 122) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वनमंडल कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 से 30 जनवरी,2026 तक किन-किन परिक्षेत्र में कितनी-कितनी लागत से बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कितने-कितने पौधे कितने-कितने रकबा में, किस-किस प्रजाति के लगाए गए हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार, स्वीकृत राशि एवम् व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** की अवधि में रोपे गये कितने प्रतिशत पौधे सुरक्षित हैं? वर्षवार, वन परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वनमंडल कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 से 30 जनवरी 2026 तक बिगड़े वनों की सुधार योजना के अंतर्गत कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है । अतः जानकारी निरंक है । **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं वन मंत्री से जानना चाहता हूं कि वनमंडल कटघोरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 से 2025-26 तक वन परिक्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार योजना अंतर्गत वृक्षारोपण की गई। माननीय मंत्री जी का जवाब इसमें आ चुका है कि तीन साल में वृक्षारोपण नहीं किया गया। यदि वृक्षारोपण नहीं किया गया तो क्या भविष्य में वृक्षारोपण करने की कोई योजना है या फिर किसी अन्य मद से वृक्षारोपण किया जा रहा है या फिर कौन-कौन से ऐसे मद हैं, जिसमें बिगड़े वन के सुधार की योजना चलाई जाती है?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो उस अवधि में बिगड़े वनों के सुधार के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई और न कोई कार्य हुआ है। अन्य योजना के तहत वहां पर कार्य किया गया है, जो हमारी रूटीन का प्रक्रिया होती है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम उसकी पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा देंगे कि किस तरीके से वहां पर इस अवधि में लगभग डेढ़ लाख वृक्षों का रोपण किया गया है।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि वह कौन सी योजना है, कौन सा मद है, जिससे वृक्षारोपण किया गया?

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, कैम्पा मद के तहत वहां पर इस अवधि में वृक्षारोपण किया गया है।

श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम :- धन्यवाद, सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- श्री ओंकार साहू।

फिटनेस, परमिट एवं ओवरलोडिंग संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही

[परिवहन]

3. (*क्र. 1565) श्री ओंकार साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं? जिला-वार विवरण दें? (ख) उक्त अवधि में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बनाए गए तथा कितनी राशि वसूल की गई?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) निरंक। बिना भौतिक परीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है। शेष प्रश्नांष उपस्थित नही होता। (ख) उक्त अवधि में ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाये जाने पर 77810 प्रकरण बनाये गये है तथा उनसे रूपये 42,79,05,300/- की वसूली की गई है।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैंने मंत्री जी से फिटनेस परमिट एवं ओवरलोड से संबंधित प्रकरणों की कार्रवाई के बारे में जानकारी चाही है और उत्तर में निरंक आया है कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण किये फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन 'ख' नंबर में मैंने जानकारी चाही है कि ओवरलोडिंग के कितने प्रकरण हैं? चूंकि मंत्री महोदय के द्वारा जानकारी मिली है कि 77,810 प्रकरण हैं, लेकिन मैंने प्वाइंट टू प्वाइंट जानकारी मांगी है तो क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि ओवरलोडिंग के कितने प्रकरण हैं?

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी इनको दी है, इसके तहत माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी और ओवरलोड के।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, दौड़ लगाओ। आप उधर दौड़ लगाएं। इसमें तीन ही तो प्रश्न हैं कि ओवरलोडिंग के कितने प्रकरण हैं, बिना परमिट के कितने प्रकरण हैं तथा बिना बीमा के कितने प्रकरण हैं? केवल तीन प्रश्न हैं और वह लिखित में हैं। वह केवल अलग-अलग पूछ रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभाति महोदय, उन्होंने मुझसे मुख्य रूप से फिटनेस की जानकारी मांगी थी। उन्होंने बहुत लंबी जानकारी मांगी थी, इसलिए मैंने कहा कि फिटनेस और ओवरलोडिंग की जानकारी को मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। मैंने फिटनेस का अभी रखा हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, कोई लंबी जानकारी नहीं है। भाई, इसमें लिखित में उत्तर है। ओवरलोडिंग के कितने प्रकरण हैं, बिना परमिट के कितने प्रकरण हैं तथा बिना बीमा के कितने प्रकरण हैं। यह तो लिखित में प्रश्न है और आपने एक्जाई उत्तर दे दिया कि 78 हजार प्रकरण हैं। कुल 77 हजार 810 प्रकरण हैं, लेकिन अलग-अलग कितने प्रकरण हैं? आपके पास तो आंकड़े होंगे। इधर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई दौड़ नहीं लगा रहा है? परिवहन विभाग बिल्कुल ढीला हो गया है।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैं इसकी अलग से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी लिखित उत्तर नहीं दे रहे हैं या तो फिर आप इसके लिए अलग समय निर्धारित कर दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी एक्जाई करके दी है। इन्होंने अलग से प्रश्न पूछा है कि ओवरलोडिंग के कितने मामले हैं, फिटनेस के कितने मामले हैं?

श्री ओंकार साहू :- सभापति महोदय, मैंने तो पूरे प्रदेश की जानकारी चाही है। आपको जिलावार जानकारी देनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो जवाब में कुछ आया नहीं है। अभी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं है। यदि आपके पास जानकारी हो तो आप बिना परमिट वाले प्रकरण की जानकारी दे दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री जी की तैयारी पूरी नहीं है। आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मंत्री जी कुछ बता ही नहीं रहे हैं। न प्रश्न 'क' का उत्तर आ रहा है और न प्रश्न 'ख' का उत्तर आ रहा है। भाई, बिना व्यावसायिक वाहन के, बिना भौतिक परीक्षण के तथा बिना फिटनेस के कितने प्रकरण हैं? वह तो पूछा ही नहीं है। उसके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं है। मतलब, उन्होंने जितने आंकड़े दिये हैं, वे सब फिटनेस वाले हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने फिटनेस की जानकारी मांगी थी तो मैंने उनको फिटनेस की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, जानकारी निरंक है।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, मेरे पास पूरा डाटा है।

श्री भूपेश बघेल :- आपने "क" में तो निरंक बता दिया। मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, वह पूरी फिट है।

श्री केदार कश्यप :- मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2023 में टोटल 88,096 फिटनेस किये गये हैं और उसमें लगभग 87,946 वाहन पास हुए हैं। वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख 02 हजार फिटनेस किये गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अब यह बताईये कि आपने जो निरंक कहा वह सही है कि अभी जो बता रहे हैं वह सही है ? सभापति महोदय, उत्तर ठीक नहीं आया है। इसको दूसरे दिन के लिए रख दीजिये। आधे घण्टे की चर्चा में रख दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- मैंने फिटनेस का डाटा बताया है।

श्री भूपेश बघेल :- आप किसी भी चीज में रख लीजिए क्योंकि उत्तर तो नहीं आ रहा है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- नहीं, निरंक वाले में सही जवाब दिये हैं। आप उसको ठीक से पढ़िये।

श्री भूपेश बघेल :- आप माननीय सदस्य से पूछे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उसमें केवल भौतिक परीक्षण का लिखे हैं, भौतिक परीक्षण कराकर फिटनेस जारी हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, वह सक्षम मंत्री हैं और आपसे सीनियर भी हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप गलत पूछ रहे हैं ना।

श्री भूपेश बघेल :- मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो उनको समय दे रहा हूं ताकि तब तक विभाग से पर्ची आ जाये। विभाग के लोग प्रश्नकाल में चुपचाप बैठे रहते हैं और अभी तक उत्तर भी नहीं दिये हैं। अब पर्ची आ गई। यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत धीमी गति से चल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- अमेरिका से आता है, वैसे ही आ गया।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इसमें सख्ती करिये।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, गाड़ी धीमी नहीं चल रही है, सरपट दौड़ रही है।

श्री दिलीप लहरिया :- बीच में एक्सीडेंट हो जायेगा तो कौन जिम्मेदार है ?

श्री केदार कश्यप :- इसकी पूरी जानकारी निरंक है।

श्री भूपेश बघेल :- लीजिये, अब सुन लीजिये। श्याम लाल जी, सुन लीजिये। पहले आंकड़े दे रहे थे। मतलब कुल मिलाकर तैयारी नहीं है और बिना तैयारी के विभाग ने कुछ भी उत्तर दे दिया है या तो इसको दूसरे दिन के लिए रखा जाये नहीं तो हम इसका बॉयकॉट करते हैं।

श्री केदार कश्यप :- किस बात के लिए ?

श्री भूपेश बघेल :- आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं।

श्री केदार कश्यप :- आपने जो जानकारी मांगी, उसके लिए मैंने बोला कि अलग से उपलब्ध करा दूंगा। यदि ओव्हरलोडिंग का मामला है तो मैं ओव्हरलोडिंग की जानकारी अलग से दे दूंगा कि कितने वाहनों पर कार्रवाई की गयी है।

श्री भूपेश बघेल :- अलग से क्यों ? आपसे लिखित उत्तर मांगा गया है।

श्री केदार कश्यप :- मैं जानकारी दे दूंगा। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- कब जानकारी देंगे ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलग से समय निर्धारित किया जाये। सभापति महोदय, इसके लिए अलग से समय निर्धारित किया जाये।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- कैसे उपलब्ध होगा ? यह तो लिखित उत्तर है। इस विभाग को तो प्रताड़ित करना चाहिए। इनके पास कोई काम ही नहीं है। यह एक आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री केदार कश्यप :- बिल्कुल, बिल्कुल।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैंने लिखित में जानकारी मांगी है तो मुझे लिखित में ही जानकारी मिलनी चाहिए। यह विभाग की जो तैयारी है, वह बहुत शून्य है। क्योंकि सब चीज में जानकारी में निरंक दिया गया है। मैंने “क” को तो छोड़ दिया है लेकिन “ख” में आपका जो जवाब है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अगले दिन के लिए आगे बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, यह आपका प्रश्न है, आप देखिये। आपने उसमें पूछा है कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओव्हरलोडिंग, बिना परमिट संचालन तथा बिना बीमा पाये जाने पर कितने प्रकरण बनाये गये तथा कितनी राशि वसूल की गयी। अब उसका जो जवाब दिया गया है कि उक्त अवधि में ओव्हरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाये जाने पर 77,810 प्रकरण बनाये गये हैं। आपको लिखित उत्तर दे दिया गया है। अब आप उसमें यह चाह रहे हैं कि मंत्री जी उसको अलग-अलग बताये। उसके लिए मंत्री जी आपको पृथकत: जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री ओंकार साहू :- मुझे जिलेवार जानकारी चाहिए।

सभापति महोदय :- वह जिलेवार ही उपलब्ध करा देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत मुश्किल से प्रश्न लगता है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पढ़ लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत मुश्किल से प्रश्न लगता है उसके बाद तो प्रश्न उद्भूत होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी को प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन धमकाने का अधिकार नहीं है। आप धमका रहे थे कि मैं बहिष्कार करूंगा। आप मंत्री जी को बॉयकॉट करेंगे कहकर धमका रहे थे। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- कौन धमका रहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह आपसे बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मैंने सिर्फ बॉयकॉट करेंगे बोला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा नहीं पूछते। प्रश्नकाल ऐसा नहीं चलता है। आपकी मर्जी से प्रश्नकाल नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वे धमका नहीं रहे हैं, वे अपनी बात रखे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- डरात हस का ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी धमकी नहीं चलेगी। आपने धमकाया है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हमने आपका बॉयकॉट किया था। आपको याद है ? हम इनका भी बॉयकॉट कर सकते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम धमका नहीं रहे हैं। हम सिर्फ मंत्री जी से उत्तर मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने धमकी दी है। आपने अभी धमकी दी है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमने धमकी नहीं दी। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने धमकी दी कि (व्यवधान)।

श्री भूपेश बघेल :- कोई धमकी नहीं दी है। (व्यवधार्न)।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मंत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी मर्जी से प्रश्नकाल नहीं चलता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप भी बैठिये और आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- सवाल करना हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आपको कौन-सी जानकारी चाहिए ?

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जब आप अध्यक्ष थे तब अजय जी मंत्री थे, तब हमने उनका बॉयकॉट किया था। आप भूल गये ? (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- क्या प्रश्नकाल में मौन धारण होगा ? मंत्री जी, जवाब नहीं दे रहे हैं तो मौन धारण जैसा सूना-सूना लग रहा है तो बॉयकॉट नहीं होगा तो क्या होगा ?

सभापति महोदय :- कुछ नहीं लग रहा है। आप बैठिये। माननीय सदस्य आप भी बैठिये। आपने जो पूछा है, उसको मैंने आपको पढ़कर बताया है। आप जो लिखित में बोल रहे हैं, उसका जवाब लिखित में ही आया है और मैंने आपको पढ़कर बताया है। आपने जो प्रश्न किया है, उसको पढ़ लीजिये। आपने उसमे पृथकत: जानकारी नहीं मागी है। आपने जो जानकारी मागी है, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। मैं यही आपको बोला हूं। इसलिए उसमें अंतिम प्रश्न कुछ और करना है तो कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

श्री ओंकार साहू :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैंने प्वाईंट टू प्वाईंट जानकारी मांगी है।

सभापति महोदय :- आप पढ़िये। प्वाईंट टू प्वाईंट मैं पढ़ देता हूं। एक बार मैं पढ़ देता हूं। (ख) उक्त अवधि में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बनाए गए तथा कितनी राशि वसूल की गई? अब आप (ख) उत्तर पढ़िये- उक्त अवधि में ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाये जाने पर 77810 प्रकरण बनाये गये है तथा उनसे रूपये 42,79,05,300/- की वसूली की गई है। आपने जो पूछा है माननीय मंत्री जी ने वही जवाब दिया है। आप मेरे को यह बताईये कि आप जो अभी प्रश्न पूछे तो मैंने माननीय मंत्री जी को कहा कि जानकारी ले करके आपको उपलब्ध करायें।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इनको जानकारी पृथक करके देना है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं होता है। .. (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- इसमें पूरे प्रदेश की जानकारी दी गई है कि 77810 प्रकरण बनाये गये हैं। .. (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। मंत्री जी का विभाग में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक के उत्तर नहीं आ पाया है और उत्तर नहीं आ पाया है, इसलिए हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय
11.26 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।

(डॉ. चरणदास मंहत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति जी, ये सब क्या बात करेंगे, ये सब रणछोड़दास हैं।

श्री कुवर सिंह निषाद :- मोर चालू होत न।

श्री रामविचार नेताम :- चाहूं छोड़, तहूं ता भई, तोर बहिर्गमन में नाम जाही तो टिकट कट जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- टिकट पानी है तो नेता ही के पीछे रहो। बहिर्गमन करो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जेन ला चिंता होई न, तेन ला पाछू-पाछू घूमे। मोला अपन करम पे भरोसा हे।

श्री रामविचार नेताम :- ठीक है, धीरे-धीरे ओमन के निपटाओ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

जिला कांकेर में गोदावरी इस्पात कंपनी लिमिटेड को आयरन ओर खनन की अनुमति

[खनिज साधन]

4. (*क्र. 1592) श्री कुंवर सिंह निषाद :- क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कांकेर के आरीडोंगरी में गोदावरी इस्पात कंपनी लिमिटेड को पूर्व में आयरन ओर खनन के लिए कितनी जमीन शासन द्वारा प्रदान की गई थी एवं वर्तमान में उक्त कंपनी को किस नियम/शर्तों के आधार पर 74.08 हेक्टेयर जमीन उत्खनन के लिए प्रदाय की गई है ? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार उक्त जमीन खनन के लिए किस प्रकार की निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? खनन की जाँच के लिए किस एजेंसी को नियुक्त किया गया था ? (ग) जनसुनवाई के दौरान किस प्रकार का वाद विषय संज्ञान में आया था तथा क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- (क) जिला कांकेर, तहसील भानुप्रतापपुर, ग्राम कच्चे-आरीडोंगरी में मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड को रकबा 138.96 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनिपट्टा स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए प्रदान नहीं की गई है अपितु वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर स्थित गैर-खनिजयुक्त 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खनिपट्टा में शामिल करने हेतु खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा सशर्त आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार गैर-खनिजयुक्त 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पर खनन की अनुमति नहीं दी गई है अपितु वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डम्प किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर अतिरिक्त क्षेत्र को खनिपट्टा में शामिल करने हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया है। अतः शेष प्रश्न

उद्भूत नहीं होता है। (ग) जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा क्षेत्र के विकास, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार, खनिज परिवहन में भागीदारी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मूलभूत सुविधाओं का विकास, अप्रेंटिस को बढ़ावा, सड़कों का संधारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षकों-स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति एवं लाल पानी की समस्या के निराकरण के संबंध में प्रस्तुत विचार/सुझाव/आपत्तियों पर परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को प्रेषित किया गया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का सौभाग्य मिला है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पेसीफिक प्रश्न किया है। जिला कांकेर, तहसील भानुप्रतापुर के ग्राम कच्चे-आरीडोंगरी में मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड जो माईंस संचालित हो रहा है। जैसा कि जवाब में आया है उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर मतलब लगभग पौने दो सौ एकड़ जमीन खनन के लिये नहीं, अपितु किस वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डंप किये जाने हेतु खनिपट्टा क्षेत्र से लगकर गैर खनिज युक्त अतिरिक्त क्षेत्र को दिया गया है। चूंकि वह जमीन एक रिजर्व एरिया में है। अब सवाल यह उठता है कि किस विभाग या किस अधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि वह जमीन गैर खनिज युक्त है, जबकि वह जमीन पूर्व में आबंटित 138.96 हेक्टेयर की जमीन से लगी हुई है। यह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल कर रहा हूं और इसका जवाब चाहता हूं।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड को खसरा नंबर 188 रकबा 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्व नियमों के तहत रिजेक्ट ओवरबर्डन के निस्तारण हेतु स्वत: अधिकार दिया गया। इसी प्रकार आपकी ही सरकार में दिनांक 04/08/2023 को 61.41 हेक्टेयर भूमि को रिजेक्ट ओवरबर्डन निस्तारण के लिये आवंटन किया गया। लेकिन इस पर नियम कानून को ताक में रखकर ये सब दिया गया। जबिक हम लोग जो 74.05 हेक्टेयर लगी हुई जमीन है, उसको पूरे विधि विधान के साथ जो भारत सरकार का खनिज नियम है, उसके अनुसार उनको ओवरबर्डन डंप के लिये दिये हैं। वैसे नहीं दिये हैं, उसके लिये मेसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एण्ड माइनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से उसकी जांच कराई गई है और जी.एस.आई. से भी जांच कराई गई है। उसके नीचे कोई मिनरल्स नहीं है। इसलिए ओवरबर्डन डम्पिंग के लिये ये दिया गया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जांच करायी गयी है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के बाद राजस्व बढ़ाने के लिये शासन द्वारा ऑनलाईन टेंडर की एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी गयी है जिसमें पारदर्शी भी बनी रहे और राज्य की आमदनी भी बढ़े । यह हुआ भी है चाहे सरकार किसी की भी रहे लेकिन अभी जो

टेंडर हुआ है, 11 साल में पहली बार यह प्रक्रिया हुई कि इस नियम को पहले बिना निविदा के पीछे दरवाजे से सीधा फर्म को दिया गया है और मैं तो सीधा-सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि आप बड़े उदार हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं । आपके नाक के नीचे यह जो काम हो रहा है निश्चित ही यह सोचने वाली बात है । सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाईन टेंडर की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया नहीं हो पायी है और आपने जो कहा है कि दिनांक 23.05.2025 में जी.एस.आई. के माध्यम से सशर्त हमने यह टेंडर किया है तो आप यह बता दें कि जी.एस.आई. के माध्यम से जो हुआ है तो आपने किस आधार पर सहमति दी है ? और यदि आपने यह सशर्त आदेश जारी किया है तो उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें ।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 28.11.2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्र से लगकर गैर खनिज युक्त भूमि पर नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह पौने दो सौ एकड़ जमीन का मामला है जहां पर आपके खनन चल रहे हैं उससे लगी हुई जमीन है । क्या किसी कंपनी को उसी आधार पर दे दिया जायेगा कि वह वहां पर माल को डंप करे ? माननीय सभापति महोदय, उसके दूर में भी तो और जमीन है उसे भी दिया जा सकता था लेकिन इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं पर एक बड़ा ही मामला दिखता है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि क्या एक-बार फिर इस पर पुनर्विचार करेंगे या जांच कराकर जो जी.एस.आई. का Geological Survey of India है उसके आधार पर यह मापदंड तय करेंगे कि जो वैज्ञानिक पद्धति आपने कही है और किस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आपने उस जमीन का आवंटन वहां पर किया है ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता चुका हूं कि इसमें नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है और इसको जो लगी हुई भूमि आवंटित किये हैं 74.05 हैक्टेयर उससे उसकी माईनिंग क्षमता बढ़ी है, 2.35 मिलियन टन से 6 मिलियन टन उसका उत्पादन होगा जिससे प्रतिवर्ष 190 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश को मिलेगा और इतना ही नहीं, 57 करोड़ डी.एम.एफ. में, 5.7 करोड़ एन.एम.ई.टी. में तथा 13.80 लाख पर्यावरण अधोसंरचना उपकर की प्राप्ति होगी, इससे राज्य सरकार को राजस्व में लाभ होगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, वह जमीन जो डंप करने के लिये आवंटित की गयी है, उससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है ? मैं आपसे बस यह जानना चाहता हूं कि क्या उसे Geological Survey of India इस एजेंसी से जांच करवायेंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- अभी हमने आपको बताया न कि इससे यह लाभ हो रहा है और जी.एस.आई. से और प्राईवेट एजेंसी से जांच करवा चुके हैं, उसमें नीचे कोई मिनरल्स नहीं है ।

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न 1635...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा । बहुत थोड़ा सा है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है और इसमें यह 74.05 हैक्टेयर अतिरिक्त आपने दिया है ।

श्री सुनील सोनी :- भैया, आगे बढ़ गये हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया है और मैं निवेदन करके ही पूछ रहा हूं भई ।

श्री सुनील सोनी :- नहीं, नाम ले चुके हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- नाम ले चुके हैं उसके बाद आसंदी से अनुमति मिल गयी न ।

श्री सुनील सोनी :- उन्होंने सुशांत शुक्ला जी का नाम ले चुके हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ गयी है ।

श्री भूपेश बघेल :- आसंदी से अनुमति मिल गयी । मैंने आसंदी से रिक्वेस्ट की और इस कारण से मुझे अनुमति मिली है । मेरा एक छोटा प्रश्न यह है कि आपने यह उत्तर दिया है कि इस जमीन के नीचे कोई खनिज नहीं है । ठीक है, लेकिन यह जमीन राजस्व की है या वन विभाग की है और यदि वन विभाग की है तो इसके आवंटन करने की क्या प्रक्रिया है, उसका पालन हुआ या नहीं हुआ ?

श्री विष्णु देव साय :- बिल्कुल, उसका पालन हुआ है।

श्री भूपेश बघेल :- यह कौन से विभाग का है और जमीन किसकी है ? यह जमीन वन विभाग की है या राजस्व विभाग की है ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, यह जमीन राजस्व विभाग की है।

<u>National Herald समाचार पत्र एवं Navsrijan Magazine को दिए गए विज्ञापनों हेतु प्रदाय राशि</u>

[जनसंपर्क]

5. (*क्र. 1635) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा (i) National Herald समाचार पत्र तथा (ii) Navsrijan Magazine को विज्ञापन मद में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्रदान/भुगतान की गई है? (ख) National Herald समाचार पत्र एवं Navsrijan Magazine का मुख्यालय/प्रकाशन स्थल कहाँ स्थित है? इन दोनों मीडिया संस्थानों के स्वामी/प्रबंधनकर्ता

(Owner / Trust / Company) कौन हैं?क्या ये संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य से प्रकाशित/संचालित होते हैं या किसी अन्य राज्य से?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा (i) National Herald समाचार पत्र को विज्ञापन मद में वर्षवार भुगतान निम्नापनुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई राशि
2019-20	0.34
2020-21	0.58
2021-22	0.68
2022-23	1.28
2023-24	1.36
2024-25	निरंक
2025-26	निरंक

(ii) Navsrijan Magazineको उक्तर अवधि में भुगतान नहीं किया गया है । (ख) National Herald के तात्कानलिक मीडिया प्रबंधनकर्ता श्री पवन कुमार बंसल है। इसका प्रकाशन स्थ ल दिल्ली है। Navsrijan Magazine के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केन्द्र रखते हुए, चलने वाली पत्रिका जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रश्न पर लिपकिय त्रुटि हो गयी है, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि उसको सुधारें। उसकी संडे नवजीवन भी हिन्दी एडिशन है और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रूपया डिजिटल एडिशन के रूप में भुगतान किया गया, चूंकि त्रुटि हो गयी थी तो संडे नवजीवन का विवरण नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने संडे नवजीवन को जो भुगतान किया गया है, उसकी जानकारी चाही है । संडे नवजीवन को वर्ष 2029-2020 से लेकर वर्ष 2023-2024 तक कुल 3 करोड़ 6 लाख रूपये का विज्ञापन दिया गया है और उसे उतना भुगतान किया गया है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न में पूछा था कि संबंधित दोनों मीडिया संस्थानों के स्वामी/प्रबंधनकर्त्ता (Owner / Trust / Company) कौन हैं? इसके विवरण के रूप में सिर्फ एक नाम मीडिया प्रबंधकर्त्ता के रूप में जवाब में आया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या शासन के पास संबंधित प्रकाशन के स्वामित्व, ट्रस्ट या उससे अन्य जानकारी उपलब्ध है क्या ? अगर वह जानकारी है तो मुझे दे दें।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय,यह दोनों अखबार के प्रबंधकर्त्ता तात्कालीन समय में एसोसियेट जनरर्ल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन बंसल हैं बाकी यह दोनों पेपर किसके मुखपत्र है इसको पूरा देश जानता है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूँ कि इसका प्रकाशन वर्ष 2008 से बंद हो चुका है। वर्ष 2017 में इसके हिन्दी एडिशन के रूप में सप्ताहिक अखबार चालू किया गया। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली संस्था एसोसियेट जनरर्ल्स लिमिटेड ने अपने कार्य में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया है कि कांग्रेस की नीतियों के आधार पर प्रकाश करेंगे तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के मुखपत्र को भी विज्ञापन जारी करती है ? या उसके कोई अलग से प्रावधान हैं तो आप बता दें ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, अब अपने समय में तो ऐसा नहीं है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यहीं पर एक विषय है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि संबंधित तात्कालीन समय में ऐसे समाचार पत्र जो किसी राजनीतिक दल की विचारधाराओं पर आधारित प्रकाशन करते हैं, उसको राशि आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप शुरू करेंगे तो सबका होगा। सबकी जांच करवा दें, यह बढ़िया है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वरिष्ठ सदस्य बैठकर बोल रहे हैं और वह जिस संस्था का नाम ले रहे हैं। मैं इस सदन में चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि वह किसी राजनीतिक दल का मुखपत्र नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कागज है, वह किसी एक राजनीतिक दल के संस्था के द्वारा प्रकाशित मुखपत्र है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नेशनल हेराल्ड के जिस भी एडिशन को चाहे वह डिजिटल एडिशन को दिया गया या प्रिंट एडिशन को दिया गया। यह छत्तीसगढ़ से प्रकाशित नहीं होती है। तात्कालीन समय में जिसका वर्ष 2019-2020-, 202-2021, 2022-2023, 2023-2024 तक जो उत्तर में आया है। छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी एडिशन, चाहे वह कितनी भी प्रति में निकलता था

और उसमें हम अधिकतम कितने पैसे दे सकते थे, उसम समय में इसके संबंध में डिजिटल एडिशन और प्रिंट एडिशन के लिए कौन सी नीति थी, डिजिटल एडिशन को दिया गया या प्रिंट एडिशन को दिया गया है और वह भुगतान नियमत: है या नियम विपरीत है ? उस समय जो भी विज्ञापन नीति रही होगी, वह नीति के अनुकूल है या विपरीत है ?

श्री विष्णु देव साय :- सभापति महोदय, उस समय उक्त दोनों पेपर को 8 लाख रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से भुगतान किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने यह पूछा है कि 4 करोड़ 24 लाख रूपए मैं सोचता हूं कि किसी और पत्र-पत्रिका को नहीं दिया गया होगा, पर मैं यह पूछ रहा हूं कि विज्ञापन की जो नीति थी, उसके तहत डिजीटल को या प्रिंट मीडिया को जितना पैसा दिया गया है, वह नियम या नीति के अनुकूल था या विपरीत था ? यिद विपरीत था, यदि उल्लंघन किया गया है तो फिर दोषी कौन थे, यह आप बता दीजिए । यदि नियम के अनुकूल था तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री विष्णु देव साय :- सभापति महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपके परीक्षण करा लेंगे, कहने के बाद और नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि यह विज्ञापन नियम के विपरीत दिए गए हैं, जो आपने विज्ञापन की नीति बनाई है।

सभापति महोदय :- उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया है । उसका परीक्षण करा लेंगे और फिर उसमें जानकारी आ जाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि परीक्षण की जगह में इसकी जांच एक समयावधि में करवा दें, यह मेरा आग्रह है, ताकि भविष्य में चाहे वह राजनीतिक दल के हों, चाहे प्रदेश के बाहर के हों, किसी के स्वामित्व के हों, एसोसिएट प्रेस के हों, चाहे उसका मुकदमा चल रहा हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति जुड़े हों, ऐसी चीजों से आत्मप्रचार के लिए, व्यक्ति प्रचार के लिए हमारे प्रदेश के धन का दुरूपयोग न हो सके । जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर स्पष्ट नीति बनेगी । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि परीक्षण की बजाय उसकी जांच करवाएं, ताकि उसके लिए स्पष्ट नीति बने और इस तरह की घटनाएं न हों ।

श्री विष्णु देव साय :- सभापति महोदय, विज्ञापन नियमावली 2019 की कंडिका 16 के अनुसार एवं वित्तीय अधिकार पुस्तिका में निहित सत्यों के अनुसार किसी भी समाचार पत्र, पत्रिकाओं में उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां प्रशासकीय विभाग को है । पूर्व सरकार के समय से यह नियम प्रचलन में है । उक्त समाचार पत्र आर.एन.आई. भारत सरकार के पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत है ।

विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में संचालित क्रेशरों की जांच

[खनिज साधन]

6. (*क्र. 1513) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत दिनांक 11-02-2026 की स्थिति में कितने-कितने क्रेशर किन-किन ग्रामों में किनके-किनके द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ? विकासखण्डवार संचालकों के नाम सहित विवरण प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कौन-कौन से क्रेशर उत्खननपट्टा खदान क्षेत्र भीतर एवं कौन-कौन से क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित किये जा रहे हैं ? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार उत्खननपट्टा खदान क्षेत्र भीतर संचालित क्रेशरों की जांच विभाग द्वारा कब-कब और किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई ? क्या जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो खनन हेतु तय सीमा का आंकलन एवं भण्डारण की जांच में क्या प्रतिवेदन दिये गये?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत दिनांक 11.02.2026 की स्थिति में संचालित क्रेशरों की ग्रामवार, विकासखण्डवार एवं संचालनकर्ता की जानकारी संलग्न 'प्रपत्र-अ'[3] अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर एवं क्रेशर भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर संचालित क्रेशरों की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-अ' के कॉलम नंबर-8** पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार उत्खनिपट्टा खदान क्षेत्र के भीतर संचालित क्रेशरों की खनिज विभाग द्वारा किये गए जांच की तिथि, जांचकर्ता अधिकारी, पायी गई अनियमितता की जानकारी **संलग्न 'प्रपत्र-ब'** अनुसार है। "परिशिष्ट - एक"

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार, आपने अवसर दिया । मैंने आपके माध्यम से धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में संचालित क्रेशर मशीनों की जांच के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जानकारी चाही थी । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन क्रेशर मशीन की जांच का क्या नियम है, कब-कब किया जाना चाहिए ? जांच के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय सभापति महोदय, जब-जब शिकायत मिली है तो भंडारण नियम, 2009 के तहत जांच की जाती है और माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र से पिछले दो वर्षों में कुल 7 शिकायतें मिली है और सबकी जांच माईनिंग विभाग से हुई है और उन पर कार्रवाई हुई है ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर 2018 से लेकर 2026 तक 10 बार जांच की गई है और इस 10 बार की जांच में 6 जांच ऐसी पाई गई, जिसमें कोई अनियमितता नहीं थी, केवल चार संस्थाओं के विरूद्ध कार्रवाई हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है, जिसमें सरकारी

[3] परिशिष्ट "एक"

खजाने की बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितने की अनुमति होती है, जितने का बिजली बिल आता है, जितने का उत्खनन होता है, उतने की रायल्टी नहीं पटाई जाती है, जिससे प्रदेश के खजाने में बहुत बड़ा नुकसान होता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और उनसे एक मांग करता हूं कि क्या जिस अनुपात में बिजली का बिल उन संस्थानों में आया है, जिस अनुपात में माईनिंग की गई हैं और जिस अनुपात में रायल्टी पटाई गई है, उसके आधार पर जांच करायेंगे क्या ? मैं बता भी देता हूं कि ऐसे एक नहीं, कई संस्थान हैं, जिसकी शिकायत आई है। ओसियान, आंत्रोस दोन्देकला, बालाजी स्टोन क्रेशर दोन्देकला, मोहन स्टोन लालपुर, विनायक मायनिंग मटिया, भावना स्टोन सेरीखेड़ी, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि. देवरी, दीपक अग्रवाल देवरी, ऐसी संस्थानों की पूरी लाईन है, जिसकी शिकायत आईं हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जितनी मायनिंग की परमिशन थी, जितनी मायनिंग हुई है, जितना बिजली का बिल आया है और कितना रायल्टी पटा है, इस आधार पर जांच की घोषणा करेंगे क्या ?

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि जहां से भी शिकायत आई है, उस पर जांच हुई है। जो जांच सही पाया गया है, उन पर कार्रवाईयां हुई हैं और उनसे समझौता राशि भी वसूल किया गया है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें 6 सालों में अभी तक सिर्फ 2 लाख 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना आग्रह है क्योंकि इसमें प्रदेश के खजाने में रायल्टी का पैसा आना है। यह रायल्टी की चोरी का मामला है। आप क्या बिजली बिल के अनुपात में जितना उत्खनन हुआ है, उस आधार पर जांच करायेंगे ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग कर रहा हूं, बस आप उसके आधार पर जांच की घोषणा कर दें।

श्री विष्णुदेव साय :- माननीय सभापति महोदय, आपकी कोई विशेष शिकायत है तो आप लिखकर दे दीजिये। जांच करा लेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- जी। आभार।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय भूपेश बघेल जी के बार-बार बहिर्गमन से नेता प्रतिपक्ष जी थक गये हैं, नाराज हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं या सदन से चले गये हैं ? आप एक व्यवस्था दे दीजिये कि प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्यमंत्री का इस विषय में वक्तव्य दें। सदन चिंतित है कि नेता प्रतिपक्ष जी बार-बार परेशान हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, नेता जी न थके हैं और न ही परेशान हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस पर एक व्यवस्था दे दीजिये कि संसदीय कार्यमंत्री जी का बयान आये। आखिर नेता प्रतिपक्ष जी कहां हैं ? नाराज होकर गये हैं। सदन चल रहा है, उनको बार-बार चला देते हैं। जबर्दस्ती ले जाते हैं। सदन में इस पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, समय की कमी है।

श्री भूपेश बघेल :- यह समय खराब कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य समय खराब कर रहे हैं। मुझे समय चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप कृपया शासन को निर्देशित कर दीजिये कि प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष की स्थिति के बारे में वक्तव्य आ जाये।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि आज 3 प्रश्न में ही सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई है। इस कारण से आपको मोर्चा संभालना पड़ रहा है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सब को नेता प्रतिपक्ष जी पर पूरा विश्वास है और नेता जी की चिंता हम सबको है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको इससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी का इस पर वक्तव्य आना चाहिए। आखिर नेता प्रतिपक्ष जी को परेशान किया जा रहा है। कहां हैं ? नाराज होकर चले गये हैं। थक गये हैं या क्या है ? (व्यवधान) उस पर बयान आना चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- नेता प्रतिपक्ष जी दबाव महसूस कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री और संसदीय कार्यमंत्री को पूरा बायकाट किए हैं। आप वित्त मंत्री जी को देख लीजिये और गृह मंत्री जी को देख लीजिये, दोनों गायब हैं। वह प्रश्नकाल आए ही नहीं हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आपला कुछ मिलने वाला नइ हे, बाबा जी के ठुल्लू मिलही।

<u>शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र. 1614) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं नगरीय निकायों की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण किये जाने के कितने शिकायती आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं या विभाग के संज्ञान में आये हैं?

विकासखण्डवार ग्राम/नगर के नाम सहित खसरा, रकबा व अतिक्रमणकर्ता के नाम व पता सहित जानकारी देवें? (ख) कण्डिका 'क' की अवधि में मान. न्यायालय के द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अवैध कब्जा/अतिक्रमण/अवैध निर्माण आदि का निर्णय पारित किये जाने के परिणामस्वारूप इसके परिपालन में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन-किन अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में वारंट जारी किया गया है तथा इनमें से किन-किन अतिक्रमणकारियों पर बेदखली की कार्यवाही कर शासकीय भूमि को उनसे कब्जामुक्त कराया गया है एवं किन-किन पर किन कारणों से अभी तक बेदखली की कार्रवाई नहीं की गयी है? नाम, पता सहित खसरा व रकबा की जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) बालोद जिलामें प्रश्नाधीन अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों एवं नगरीय निकायों कीशासकीय भूमि पर अतिक्रमणतथाअवैध निर्माण किये जाने के संबंध में तहसील बालोद में कुल 22 प्रकरण दर्ज किये गये है जिसमें 21 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र एवं 01 प्रकरण नगरीय क्षेत्र के दर्ज किये गये है। तहसील गुरूर के अंतर्गत कुल 238 प्रकरण में से 75 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र एवं 163 प्रकरण नगरीय क्षेत्र के है। इस तरह संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 260 अतिक्रमण प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्तृतजानकारी संलग्नप्रपत्र अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन-किन अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किए जाने के सम्बन्ध में वारंट जारी किया गया है ? इसी में एक दूसरा प्रश्न है कि अभी किन कारणों से बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं हाजिर हूं भाई। चन्द्राकर जी, मैं हाजिर हूं। आप चिंता न करें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र संजारी बालोद के अतिक्रमण के सम्बन्ध में 01 जनवरी, 2023 से लेकर 31 जनवरी, 2026 तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकायों के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण की शिकायत के सम्बन्ध में बहुत विस्तार से जानकारी चाही है। मैं बताना चाहूंगा कि संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय निकायों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण के सम्बन्ध में बालोद में कुल 22 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 21 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का यह उत्तर मेरे पास है। सभापति महोदय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी आपसे जानकारी छिपाये हैं। क्या प्रदीप साहू का प्रकरण आपके पास नहीं है ? मेरे पास उत्तर में जवाब आया है कि नहीं है। एक प्रदीप साहू का प्रकरण है, जो तहसीलदार गुरूर द्वारा बेदखली का दिनांक 17/09/2025 को वारंट

जारी किया गया है। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी में दूसरा, जो दुर्गानंद साहू पर तहसीलदार गुरूर द्वारा दिनांक 11/12/2025 को बेदखली वारंट जारी किया गया । इसका यहां पर कहीं पर जिक्र नहीं है। सभापति महोदय जी, आपके अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। सभापति महोदय जी, इसी में, जो दो प्रकरण में तोड़ा गया है, मतलब दो तोड़ा गया है, दिनांक 12/07/2024 को बाजार चौक गुरूर में, 50 दुकान को सबेरे 5 बजे आकर तोड़ा गया, इसमें उत्तर में उसकी भी कोई जानकारी नहीं है । सभापति महोदय जी, इसी में दिनांक 29/10/2025 को बरही स्थित रिसोर्ट को तोड़ा गया है, अतिक्रमण, उसकी भी जानकारी नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि इन सब प्रकरण का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जानकारी आपके पास क्यों नहीं है?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है और न ही हम जानकारी छिपा रहे हैं। इन्होंने जिस प्रश्नावधि में हमसे प्रश्न किये हैं, स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि 1 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2026 तक के अतिक्रमण, अवैध कब्जा के संबंध में जानकारी चाही गई है। हम वही जानकारी बता रहे हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए थी तो जो पुराने प्रकरण आप बता रहे थे कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 से, जो जानकारी चाहिए थी, आपने जिस अवधि की हमसे जानकारी चाही है, वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मैं घटनाक्रम बता रही हूं, वह दिनांक 17/09/2025 का ही वारंट जारी हुआ है। मेरे पास तहसीलदार की आदेश कॉपी है, एस.डी.एम. की आदेश कॉपी है, कलेक्टर की आदेश कॉपी है, कमिश्नर की आदेश कॉपी है, बेदखली वारंट का मैं सभी चीज लाई हूं। सभापति महोदय जी, ये आपका तहसीलदार की वारंट कॉपी है। ये जितने भी हैं, मैं सब आपके पास रखूंगी। सभापति महोदय जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके जो अधिकारी हैं, वे आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और आप मुझे ही नहीं, आपके अधिकारी मंत्री जी को ही नहीं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, मैं सबसे पहले उस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करती हूं। आप उस पर कार्रवाई कीजिये।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि 31 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2026 तक हमारे पास अतिक्रमणकारियों की पूरी सूची है और जैसा माननीय विधायक बता रहे हैं कि वर्ष 2025 की ही घटना है और यदि यह हमारे सूची में नहीं आया है, तो जो नाम आप दे रहे हैं, उसको मैं चेक कराउंगा, जांच कराउंगा। अगर हमारी सूची में सम्मिलित नहीं है तो क्यों सूची में सम्मिलित नहीं है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। यदि सूची में शामिल नहीं है और इस बीच की घटना का है, 1 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2026 तक के बीच की घटना

है, जो आप बता रहे हैं, वह अगर हमारी सूची में शामिल नहीं है और आप बता रहे हैं कि वह है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे कि यह सूची में शामिल क्यों नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिए। श्री राजेश मूणत जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी...।

सभापति महोदय :- हो गया संगीता जी, और क्या है? जांच करा देंगे, कार्रवाई कर देंगे, क्या बचा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं है मैं मानने को तैयार हूं। ये दोनों प्रकरणों को अवैध वालों को कब तक तोड़ देंगे? वारंट जारी हो चुका है। सभी कॉपी मेरे पास है। सभी कॉपी मैं आपके पटल पर रख दूंगी। आप उसको कब तक तोड़वाएंगे, उसको आदेश कीजिये। कार्रवाई करेंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जितने भी अतिक्रमण के प्रकरण हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपके संजारी बालोद विधान सभा में ही कुल 260 प्रकरण दर्ज किये गए थे...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी..।

श्री टंक राम वर्मा :- मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं उसी में आउंगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, समय कम है। मैं समय की सीमा को देखते हुए मांग कर रही हूं।

श्री टंक राम वर्मा :- इसमें समय सीमा बताई नहीं जा सकती। प्रकरण चल रहा है। कई को नोटिस दिए हैं, हटाने का वारंट जारी किये हैं, और 113 अतिक्रमण हटाए भी हैं, और 111 प्रक्रियाधीन हैं और 36 प्रकरण जो हैं, वह न्यायालय में प्रक्रियाधीन हैं। जितनी जल्दी हो सके, हम अतिक्रमणकारी को या अवैध कब्जा को हम उसको मुक्त कराएंगे, हटाएंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- समय सीमा बता दीजिये।

सभापति महोदय :- राजेश मूणत जी।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, और न्यायालयीन प्रक्रिया में समय सीमा बताना संभव नहीं होता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मेरे पास बेदखली का वारंट कॉपी है।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत। श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मेरे पास वारंट कॉपी, सब कुछ है।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, इसमें निवेदन है प्लीज।

प्रश्न संख्या 08 :- xx xx

<u>शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना जिला महासमुंद हेतु भवन निर्माण</u>

[उच्च शिक्षा]

9. (*क्र. 1575) श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत भवनविहीन शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना हेतु वर्ष 2022-23 में नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित व स्वीकृत राशि क्या थी? स्वीकृति का मद व उस पर की गई कार्यवाही बताएं? (ख) उक्त नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार बताएं? वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना, जिला-महासमुंद के भवन निर्माण की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ कारण सहित बताएं? (ग) शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना जिला महासमुंद के महाविद्यालय भवन निर्माण की पूर्णता हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- (क) प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत भवनविहीन शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना के लिए वर्ष 2022-23 में नवीन भवन निर्माण हेतु प्रावधानित राशि रू. 125.00 लाख व स्वीकृत राशि रू. 465.84 लाख थी। उक्त स्वीकृति नाबार्ड पोषित योजनांतर्गत मद में की गई थी। की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसार है। (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्तमान में शासकीय नवीन महाविद्यालय तेंदुकोना, जिला- महासमुंद के भवन निर्माण की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ होने का कारण नाबार्ड द्वारा राशि स्वीकृत न होना है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि महासमुंद जिला के अंतर्गत नवीन महाविद्यालय तेंदूकोना हेतु भवन की स्वीकृति हुई है। उसके लिए दो बार स्वीकृत हुई थी। माननीय मंत्री जी, आखिरी में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने तेंदूकोना महाविद्यालय की दो बार स्वीकृति के बाद भी आप तीसरी बार निरस्त करते हैं। इस प्रश्न के जवाब में आया है कि अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है। यह अपरिहार्य कारण क्या है?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पहले मैं माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं कि आपके महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु टेण्डर जारी भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है, लेकिन भवन निर्माण में विलंब क्यों हुआ, उसके बारे में मैं जानकारी बता देता हूं।

---

[4]परिशिष्ट "चार"

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, Tender open हो गया है तो आप Date बता दीजिए और टेण्डर कब लगा है, आप यह बता दीजिए?

श्री टंकराम वर्मा :- आपको बता देते हैं, बता देते हैं। माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग कार्यपालन अभियंता के द्वारा इनकी टेण्डर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यह दिनांक 06/02/2026 को संबंधित ठेकेदार अशोक चंद्राकर जी हैं, उनको...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, समय कम है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं क्योंकि वह टेण्डर निरस्त हो चुका है। क्या आप गलत जानकारी के लिए कार्यवाही करेंगे? (शेम-शेम की आवाज) अशोक चंद्राकर का टेण्डर निरस्त हो चुका है। क्या आप गलत जानकारी के लिए कार्यवाही करेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- आय-बाय साय हर कइसे चलही?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या इसकी जांच कराएंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- इसका हम परीक्षण करेंगे, उसके बाद...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं। अगर टेण्डर निरस्त हो गया है तो आप कार्यवाही का आश्वासन दीजिए। क्या आप कार्यवाही करेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- ये आय-बाय साय हर कइसे चलही?

श्री टंकराम वर्मा :- यह टेण्डर Latest में लोक निर्माण से दिनांक 06/02/2026 को जारी हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अशोक चंद्राकर का टेण्डर निरस्त हो चुका है, जिसको आप टेण्डर दिया गया बता रहे हैं।

सभापति महोदय :- अभी 06/02/2026 को बता दीजिए ना।

श्री टंकराम वर्मा :- मैं वही बता रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, आप उस जानकारी को बताइए ना।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप सुनिए तो। आपका कॉलेज बनना चाहिए ना? अब 06/02/2026 की जानकारी बता रहे हैं तो आप उनको बताने दीजिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं इसमें कार्यवाही का आश्वासन चाहूंगा। शिलान्यास की नीति क्या है? शिलान्यास में किनको-किनको बुलाया गया था? जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वह 4 करोड़ के बिल्डिंग के शिलालेख में उनका नाम अंकित हो रहा है। पूर्व में प्रोटोकॉल नियमानुसार क्षेत्रीय विधायक को बुलाया जाता था। वर्तमान में वह नियम है या नहीं है, यह आप बताइए?

श्री रामकुमार यादव :- ये [xx] हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वहां प्रोटोकॉल नियम का पालन नहीं हुआ है तो क्या आप कार्यवाही करेंगे? (शेम-शेम की आवाज)

श्री टंकराम वर्मा :- इनके लिए मैंने कोई ऐसी नियमावली नहीं पढ़ी है कि शिलान्यास और लोकार्पण के लिए किसको-किसको बुलाना चाहिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसका निमय बिल्कुल है। माननीय मंत्री जी, आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। आप सामान्य प्रशासन से नियम मंगाइये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, इही हर डबल इंजन हे। चुने हुए जनप्रतिनिधिला ला ताक मा रख कर के जो गांव में हार के किंदरत-फिरत हे, ओखर फोटो छपत हावय अऊ विधायक के अपमान होत हे। ये डबल इंजन हे, ये आप मन के कथनी-करनी के फरक हे। लोकतंत्र ला, बाबा साहब के कानून ला आप मन नहीं मानत हौ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मेरा दो ही सवाल हैं। गलत जानकारी दी गयी है, टेण्डर निरस्त हो गया है, जिसको आप टेण्डर मिला है बता रहे हैं। दूसरा, वहां प्रोटोकॉल की पालन नहीं किया गया है, उस अधिकारी के ऊपर क्या आप कार्यवाही करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। उस संबंध में पूर्व की सरकार में भी इस तरह की घटना घटित हुई है, जहाँ पर सत्तापक्ष द्वारा विपक्ष के विधायक को नहीं बुलाया गया था।

श्री विक्रम मण्डावी :- मंत्री जी, अभी तो आप सत्तापक्ष में हैं, इसलिए आप बताइए ना। आप पूर्व क्यों जा रहे हैं? आप वर्तमान का बताइए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, टेण्डर की गलत जानकारी आई है, उसमें क्या आप कार्यवाही करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- ये अभी 06 फरवरी का टेण्डर है। टेण्डर निरस्त हो गया है..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं। मंत्री जी, सदन के रिकॉर्ड में हैं। आपने स्वयं बताया है कि ठेकेदार अशोक चंद्राकर को टेण्डर मिला है।

श्री टंकराम वर्मा :- हां, मैं वही बता रहा हूं। ठेकेदार अशोक चंद्राकर जी को वर्क ऑर्डर जारी हुआ है और इनको 12 महीने में पूरा करने का अनुबंध हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं कह रहा हूं कि आप जिस ठेकेदार का आप नाम ले रहे हैं, उसका टेण्डर निरस्त हो चुका है।

श्री टंकराम वर्मा :- आप निरस्त होने की जानकारी दे रहे हैं तो हम एक बार इसको जांच करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं आपको पेपर उपलब्ध करा दूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- हाँ जी, धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे?

श्री टंकराम वर्मा :- जी, हम परीक्षण करेंगे, कार्यवाही करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धन्यवाद, सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- समाप्त प्रश्नकाल।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:00 बजे

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल :- आज तो विभाग की जानकारी न केदार कश्यप जी के तरफ से आया है और न ही आपके तरफ से आया है । कार्यवाही तो होना चाहिये ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- आदरणीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ के लाखों अन्नदाताओं ने बहुत मेहनत करके धान का फसल लिया और जो उसकी गुणवत्ता है जिसे अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में अलग-अलग बोला जाता है तथा छत्तीसगढ़ी में खासकर इसे थिन्ना धान कहा जाता है और हम रखरखाव में भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाये । लाखों किसानों के मेहनत की कमाई पर आप इस तरह से अव्यवस्था फैलाये हुये हैं, अगर मैं कहूँ कि जब से साय साहब की सरकार आई है, तब से देख रहे हैं कि संग्रहण केन्द्रों में भारी मात्रा में धान की कमी आ रही है और हरेक पत्र-पत्रिकाओं में इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है । माननीय सभापति महोदय, अभी आपने वर्ष 2024-2025 में आंकड़ा देखा होगा, यहां 22 लाख क्विंटल धान को चूहों ने खा दिया । (शेम-शेम की आवाज) क्या आप समझते हैं कि क्या 22 लाख क्विंटल धान को चूहे खा सकते हैं ? एक चूहा अगर 10 ग्राम भी धान खाता है तो आपको 60 करोड़ चूहे लाने पड़ेंगे । सभापति महोदय, यह चूहे डबल इंजिन सरकार के है कि साय साहब के स्पेशल चूहे बनाये है, ऐसा कौन सा चूहा है जो छत्तीसगढ़ का बजट भी खाता है और गरीबों की थाली भी चांट जाता है ? (शेम-शेम की आवाज)सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसमें आपकी सरकार ने चूहों का आऊटसोर्सिंग किया है या आफिस में बैठा रखे हैं, वह आदमी के रूप में है, वह आफिसर के रूप में है, किस रूप के चूहे हैं जो 22 लाख क्विंटल धान को खा गये हैं ? इस बारे में छत्तीसगढ़ के किसानों को चिन्ता है, पत्र-पत्रिकाओं को चिन्ता है, हम सब को चिन्ता है । मैं इसका पूरा विवरण लेकर आया हूँ, हमारे सभी साथी यहां तैयार बैठे हैं । मुझे अगर समय दिया जाता है, अगर आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके जानकारी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथी इसको बतायेंगे ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरा ही प्रश्न किसी सत्र में लगा हुआ था । अकलतरा के अमलताल में 48,895 सरकार की जांच रिपोर्ट है, जिसमें धान कम पाया गया है । वहां पर इतने क्विंटल धान उपलब्ध नहीं है । जो 12,190 क्विंटल वहां पर उपलब्ध है, उसका भी SAQ सही नहीं है । वहां पर पूरा भूसा भरा हुआ है, यह सरकार की रिपोर्ट है और उसको बोरों में भरा जा रहा है। वहां पर सारा धान बेच दिया गया है और जितना कचरा व भूसा वहां पर पड़ा हुआ है, उसको धान की बोरी में भरा जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर समस्या है, यह पूरे स्टेट की समस्या है, कृपया इसे ग्राह्य करके चर्चा कराये ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह जो अलग-अलग जिलों लगातार अलग-अलग डाटा आ रहे हैं चाहे कवर्धा हो, चाहे बेमेतरा हो, सभी जगह मुसवा की बात रही है । यह मुसवा कितना बड़ा है, इतना बड़ा हो सकता है, कहां से आ रहा है, क्या मालूम कहां बैठता है, कहीं वह मंत्रालय में तो नहीं बैठता है, पता नहीं किस तरह का है, लेकिन यह तो हमारी कल्पना से ऊपर है । अब सवाल यह है कि उसको हम किस नजर से देखें ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह चाहूँगा कि इस पर सघन चर्चा करायें ताकि पूरा डाटा आपके सामने प्रस्तुत करे और मैं तो ट्रेजरी बैंच से भी निवेदन करूँगा कि इस पर चर्चा करायें । इस प्रकार के भ्रष्ट्राचार को छत्तीसगढ़ में रोका जाना चाहिये ।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की जो धान खरीदी केन्द्र है, वहां पर अलग-अलग केन्द्रों में बहुत सारे किसानों के धान को मुसवा खा गया या कोई और खाकर चला गया। धान कहां चला गया ? हमारी सरकार को बहुत नुकसान हुआ है। साहब, डबल इंजन की सरकार है साहब, मोदी की गारंटी की सरकार है। आज किसानों की फसल को नुकसान हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान धान का पैसा लेने गया था, वहां उसकी मृत्यु भी हो गई। (शेम-शेम की आवाज) इस तरह से बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है, यह हमारे अन्नदाताओं की मेहनत की कमाई है, हमारे छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, इस स्थगन पर चर्चा कराई जाए। धन्यवाद।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई परेशान हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, वह भी गणेश भगवान की सवारी जिसकी हम पूजा करते हैं, मुसवा को बदनाम किया जा रहा है। पूरा देश में, छत्तीसगढ़ में हल्ला है। इस स्थगन प्रस्ताव में चर्चा की जाए। मैं यह कहना चाहूंगा,

चला देखे ला जाबो जी, मुसवा होगे बदनाम।

साय सरकार मां घोटाला होवत हे, अउ मुड़ धरे रोवए मोर किसान

चला देखे ला जाबो जी, मुसवा होगे बदनाम।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- लहरिया जी, ओ खाए वाला मुसवा के बाद पीये वाला मुसवा के ला भी बतईहा तब तो काम बनही।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, एक चीज है, अभी मुसवा बदनाम हुए हैं, आप लोग बाद में घोटाले में छुछवा का नाम लेंगे। (हंसी) ये बहुत दुख की बात है। इसको ग्राहय किया जाए और इस स्थगन में चर्चा की जाए। तभी स्पष्ट होगा। नहीं तो आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कभी बघवा का नाम लेंगे, कभी हाथी का नाम लेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाथे, किसान मन इतना मेहनत से धान ला उगाथे, ओला किसान मन जानथे, ये डबल इंजन की सरकार है, ऐमे मुसवा कहां ले आ गे, मुसवा ला बदनाम करत हे। एमे चर्चा होना चाहिए। मैं मांग करत हंव, मोरो विधान सभा में बहुत ज्यादा चूहा मुसवा हावए। वहां सारंगढ़ के धान ला भी खा चुके हे।

श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- सभापति महोदय, आज यहां किसान के मुद्दे को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्तुत किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान आज बहुत परेशान हैं। मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था कि हमारे विधानसभा में किसान पिछले वर्ष के प्रति कितना क्विंटल धान बेचे हैं और कितने किसानों का धान बच गया है, कितने किसानों का टोकन नहीं कटा है। मुझे उत्तर में मिला कि 7,000 किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है। हमारे किसान भाइयों की यह स्थिति है। आज मैं यहां सदन में कहना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा में जिन किसानों का धान नहीं बिका है, वे किसान अब क्या करेंगे? आप किसान को न्याय दीजिए। विधानसभा में मुसवा के प्रति चर्चा चल रही है, बदनाम किया जा रहा है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि उस मुसवा को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता जी ने आज किसानों की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया है। केवल बिलासपुर जिले में 35,000 किसानों की त्रुटि पाई गई और उनको लगातार परेशान किया गया। परेशान होने के बाद पैसे लेकर 31,000 किसानों की त्रुटि को सुधारा गया, 4,000 किसान अभी भी बचे हैं। सभापति महोदय, जब हम छोटे थे तो हम समर्पण सुनते थे कि डाकू मलखान सिंह, डाकू माधव सिंह का समर्पण हुआ, फूलन देवी का समर्पण हुआ। यह कैसा समर्पण है कि किसानों को डाकू बनाकर आप उनका रकबा समर्पण करा रहे हैं? यह छत्तीसगढ़ की पहली सरकार है जो किसानों को चोर समझ रही है और उनसे रकबा समर्पण करा रही है। इसलिए स्थगन को ग्राह्य किया जाए।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति जी, धान उपार्जन के समय नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। वर्ष 24-25 में धान उपार्जन से मिलिंग में जाना, मिलिंग से संग्रहण केंद्र में जाना, इसमें विपणन संघ, केंद्रीय सहकारी बैंक और सहकारिता तीनों का एक अनुबंध होना चाहिए था। किसी प्रकार से इस नियम का पालन नहीं होने से यह चूहा वाला घोटाला हुआ है और जो सूखत का प्रतिशत का भाग बढ़ता है, वह इसी कारण से हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि धान उपार्जन केंद्र के तहत आपने जो नियमावली बनायी है, उसके कितने नियमों को आपने फॉलो किया तथा कौन से जिला के कलेक्टर ने उसको फॉलो किया?

सभापति महोदय :- लखेश्वर बघेल जी और उसके बाद भूपेश बघेल जी। मेरा सभी माननीय सदस्यों को अवसर देने का प्रयास होता है, लेकिन आप चाहेंगे कि पर डे सबको अवसर मिले। आपको

बजट में भी चर्चा करनी है। समय की मर्यादा भी है, इसलिए मैं आप लोगों को पर्याप्त अवसर दे रहा हूं। यदि सभी सदस्य बोलेंगे तो संभव नहीं होगा। आपने जो स्थगन दिया है, उसको मैं अभी पढ़कर बताऊंगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी बात बालोद जिला की है। बालोद जिला के जगतरा और धोबनपुरी में 10 करोड़ रूपये के धान के शॉर्टेज का मामला आया था। अभी फुंडा और मालीघौरी की अमूमन यही स्थिति है और आपके ही विभाग के माध्यम से आरंग में जिस हिसाब से धान खरीदी केंद्र में धान को पानी से भिगोया जा रहा था और जिसके चार कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं तो अमूमन पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मैं चाहता हूं कि इस स्थगन की सूचना को ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराई जाए। मुसवा ला बदनाम कर डारे हे तो मुसवा ला कम से कम न्याय मिले।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय सभापति महोदय, हम लगातार पिछले दो वर्षों से देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के संबंध में धान उठाव नहीं होना जैसी अन्य समस्या हो रही है। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रोज दिखाई पड़ता है और पूरे प्रदेश की बदनामी हो रही है। हर साल 8-8, 10-10 हजार करोड़ रूपये का धान खरीदी में नुकसान होने से हम पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने आज यह स्थगन लाया है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करवाइये।

सभापति महोदय :- माननीय भूपेश बघेल जी।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली विष्णु देव साय जी की सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 में धान खरीदी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो पुरानी नीतियों। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके बात कर रहा हूं और अजय जी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और सुनने भी नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि इयर फोन उधर नहीं है।

सभापति महोदय :- अजय जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, नीति बदलने के कारण से धान संग्रहण केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में और राइस मिलों को सही समय में धान नहीं देने के कारण से मिलिंग भी प्रभावित हुआ, धान उठाव भी प्रभावित हुआ, डी.ओ. नहीं कटा और उसके कारण से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 4,600 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, यह जो लाखों टन धान का घाटा हुआ है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 22 लाख 71 हजार क्विंटल धान की कमी दिखाई दे रही है तो यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार यह स्वयं स्वीकार कर रही है कि 22 लाख 71 हजार क्विंटल धान का शॉर्टेज है। उसी प्रकार से राइस मिलर को जो धान दिया गया था और अभी तक एफ.सी.आई. में वह जमा नहीं हुआ है, जबकि वह नवंबर के पहले जमा हो जाना चाहिए था और नवंबर निकलकर आज यह मार्च एंडिंग में आ गया है, उसके बाद भी राइस मिलर के पास धान जमा है, वह चावल जमा नहीं हुआ है। उसके

कारण से करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है। साथ ही इस पूरी अफरा-तफरी में हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में हमने स्थगन लाया है तो इसे स्वीकार करके चर्चा कराएं ताकि यह जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बारे में हमारे सभी सदस्यों ने कहा कि मुसवा को बदनाम किया जा रहा है। जिस प्रकार से शासकीय कर्मचारी जवाब दे रहे हैं कि धान का शॉर्टेज हुआ है तो यह शॉर्टेज नहीं हुआ है, बल्कि इसे मुसवा खा गया है। यह मुसवा द्वारा धान खाने की कार्यवाही कवर्धा में भी, महासमुंद में भी, कुनकुरी में भी, जशपुर में भी और सब जगह सुनाई दे रही है कि मुसवा का इतना व्यापक असर हो गया है कि सभी जिलों में मुख्यमंत्री जी के जिले में, उप मुख्यमंत्री जी के जिले में, सब जगह मुसवा इतना प्रभावशाली हो गया है कि पूरा धान गायब हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, अब वह अफीम का कटोरा बनने जा रहा है। हमने इसमें स्थगन लाया है। आप कृपा करके सारे कामों को रोककर इसमें चर्चा करायें, हमारा आपसे यही निवेदन है।

समय:
12.16 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में करोड़ों रूपये की क्षति होने के संबंध में</u>

सभापति महोदय :- मेरे पास प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में करोड़ों रूपये की क्षति होने के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि डॉ. चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

शासन में व्याप्त घोर कुशासन, भ्रष्टाचार, घोर कुप्रबंधनों, निष्ठा के अभाव, अक्षमताओं तथा अयोग्यताओं के कारण समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजनांतर्गत एक वर्ष में कम से कम 4,600 करोड़ रूपयों की क्षति हुई है। प्रदेश के अन्नदाताओं के द्वारा कठोर परिश्रम से उत्पादित धान में से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान 149 लाख 25 हजार 32 मीट्रिक टन धान में से अनिराकृत धान की कुल मात्रा आज भी 22 लाख 71 हजार क्विंटल विभाग के सिटीजन रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। वास्तव में इसमें से एक दाना भी धान भौतिक रूप से फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं है। 22 लाख 71 हजार क्विंटल धान में से 16 लाख 3 हजार 158 क्विंटल धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र में तथा 6 लाख 67 हजार 873 क्विंटल धान खरीदी केन्द्रों में कम है। जो चूहों (मुसवा) आदि के द्वारा खा लिया गया है, कुछ धान भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा बेच दिया गया है, तो बड़ी मात्रा में धान उचित सुरक्षा और रख-रखाव के अभाव में सड़कर नष्ट हो चुका है। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के समस्त अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल में लेने से इंकार कर दिया है। जिसके कारण 1 करोड़ 83 लाख 56 हजार 264 क्विंटल धान लागत से 50 प्रतिशत कम मूल्य में बेचना पड़ा। 2024-25 में कस्टम मिलर्स को कुल 128 लाख 61 हजार 882 मीट्रिक टन धान दिया गया था, इसके एवज में जमा चावल

की मात्रा 79 लाख 69 हजार मीट्रिक टन ही है, इस प्रकार 6 लाख 48 हजार मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हुआ, जिसके धान की मात्रा 9 लाख 67 हजार मीट्रिक टन है, जिसका लागत मूल्य 3,869 करोड़ है। आज किसी भी राईस मिलर के पास 2024-25 का धान शेष नहीं है। इन सभी कारणों से राज्य को कम से कम 8,500 करोड़ रूपयों की क्षति हो चुकी है। इस क्षति में से 4,600 करोड़ रूपयों की पूर्ति खाद्य विभाग के बजट में प्रावधान करके की जाएगी। धान खरीदे जाने के बाद उसकी सुरक्षा और रख-रखाव करने में सरकार असफल रही है। यह सरकार धान की सुरक्षा करने में असमर्थ है। 8,500 करोड़ रूपयों की क्षति असाधारण क्षति है, इसका पूरा भार राज्य की जनता पर आएगा। इतनी बड़ी मात्रा में चूहों के द्वारा धान खाया जाना तथा अन्यान्य कारणों से हजारों करोड़ की क्षति के अत्यधिक गंभीर मामले की जांच कराई जानी चाहिए तथा दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए परंतु सरकार इतने बड़े मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। सरकार ने जनता के विश्वास को खंडित किया है।

अत: इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की अनुमति दी जाये। इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- यह कहना सही नहीं है कि शासन में व्याप्त घोर कुशासन, भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधनों के कारण समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजनांतर्गत एक वर्ष में करोड़ों रूपये की क्षति हुई है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर 25.49 लाख किसानों से 149.25 लाख टन धान की खरीदी कर समर्थन मूल्य की राशि 34,349 करोड़ रूपये एवं कृषक उन्नति योजना की राशि 11,928 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल 46,277 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़, देश के समर्थन मूल्य पर एवं बोनस मिलाकर प्रति क्विंटल 3100 रुपये धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला एवं किसानों के हक की चिंता करने वाला पहला राज्य है। वर्ष 2024-25 हेतु धान के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है इस प्रकार निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण हेतु शासन द्वारा समुचित उपाय किये गये हैं। खरीदी केन्द्रों में उपार्जित धान 149.25 लाख टन में से दिनांक 10 मार्च, 2026 की स्थिति में मिलर द्वारा 128.62 लाख टन धान कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किया गया है। शासन द्वारा अतिशेष धान के निराकरण हेतु ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से 18.36 लाख टन धान का निराकरण किया गया है। वर्तमान में सग्रहण केन्द्रों में 1.60 लाख टन धान निराकरण हेतु शेष है एवं 67 हजार टन धान उपार्जन केन्द्र में शेष है जो कि कुल खरीदी का 3 प्रतिशत से भी कम है। खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा धान निराकरण की समयावधि दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक निर्धारित की गई है। धान निराकरण का

कार्य प्रचलित है। यह कहना सही नहीं है कि इस धान को चूहों आदि द्वारा खा लिया गया है अथवा भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा बेच दिया गया है अपितु सत्यता यह है कि यह धान को उचित सुरक्षा एवं रखरखाव के साथ संग्रहित रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्षों में संग्रहण केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 1.86 प्रतिशत, 2019-20 में 6.32 प्रतिशत, 2020-21 में 4.17 प्रतिशत एवं 2021-22 में 2.78 प्रतिखत सूखत आया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 मे संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था यथा कैप कवर, कीटनाशक आदि सुरक्षा व्यवस्था विपणन संघ के द्वारा किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संचालित 2739 उपार्जन केन्द्रों में से 2728 उपार्जन केन्द्रों का मिलान कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 11 उपार्जन केन्द्रों का मिलान कार्य प्रचलित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आई सूखत के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में 78 संग्रहण केन्द्र प्रभारियों तथा संबंधित जिला विपणन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं 02 संग्रहण केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, 01 संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं एक जिला विपणन अधिकारी को भी निलंबित किया गया है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आई सूखत के संबंध में खाद्य संचालनालय द्वारा जिले के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संपादित अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से हुई हानि राशि रुपये लगभग 1920 करोड़ अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भी 8.97 लाख टन धान आनलाईन नीलामी की गई थी जिसमें राशि रुपये 556.19 करोड़ रुपये हानि अनुमानित है।

खाद्य विभाग, भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 78 लाख टन चावल उपार्जन किये जाने का लक्ष्य प्रदाय किया गया है एवं राज्य पूल अंतर्गत 9.71 लाख टन चावल का उपार्जन किये जाने का लक्ष्य है। यह कहना भी सही नहीं है कि आज किसी भी राईस मिलर के पास 2024-25 का धान शेष नहीं है। अपितु वस्तुस्थिति यह है कि राईस मिलर के द्वारा मिलिंग हेतु उठाये गये धान के मिलिंग करते हुए चावल जमा करने का कार्य किया जा रहा है।

दिनांक 10 मार्च, 2026 की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम में 62.28 लाख टन के विरूद्ध 54.56 लाख टन एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 25.43 लाख टन के विरूद्ध 25.28 लाख टन चावल का उपार्जन हुआ है । इस प्रकार कुल चावल उपार्जन लक्ष्य 87.71 लाख टन में से 79.84 लाख टन चावल का उपार्जन हो चुका है । वर्तमान में 7.87 लाख टन चावल उपार्जन का कार्य शेष है । कस्टम

मिलिंग चावल जमा का कार्य वर्तमान में प्रचलित है । खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में धान निराकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वास्तविक सूखत एवं हानि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी ।

अत: राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के रखरखाव एवं निराकरण हेतु समुचित प्रबंध किया गया है ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जो आरोप हमने लगाया था, हमने जो तथ्य दिये थे वह शासन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया । हमने क्विंटल में कहा, इन्होंने टन में कहा । 1 लाख 60,000 मीट्रिक टन धान, धान संग्रहण केंद्रों में...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण की सूचना । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा मामला है । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इनके इसमें हो रहा है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ऐमन करथे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने प्रश्न भी लगाया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, इसका जवाब दिया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री विक्रम मण्डावी :- यह भ्रष्टाचार है । (व्यवधान)

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजनअवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किये)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर (व्यवधान) पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें । (व्यवधान) श्री अजय चंद्राकर । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारे लगाये गये)(व्यवधान)

समय :

12.27 बजे **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन**

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़ करके गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं ।

01. डॉ. चरणदास महंत
02. श्री भूपेश बघेल
03. श्रीमती अनिला भेंड़िया
04. श्री उमेश पटेल
05. श्री लखेश्वर बघेल
06. श्री दलेश्वर साहू
07. श्री लालजीत सिंह राठिया
08. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
09. श्री दिलीप लहरिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्री द्वारिकाधीश यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा
16. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
17. श्री विक्रम मंडावी
18. श्रीमती विद्यावती सिदार
19. श्री फूलसिंह राठिया
20. श्री अटल श्रीवास्तव
21. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
22. श्री ब्यास कश्यप
23. श्री बालेश्वर साहू

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

24. श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्रीमती चातुरी नंद
26. श्रीमती कविता प्राण लहरे
27. श्री इंद्र साव
28. श्री जनक ध्रुव
29. श्री ओंकार साहू
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह मूसवा जो है, वह पहले पीता है । उसके बाद खाता है, वह कितना पीया है उसको पहले बतायें ।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य लोग पूछ रहे हैं कि कितने मूसवा थे तो 34 मूसवा थे।

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, इन्हीं के कार्यकाल का मूसवा है। वर्ष 2020-2021 में आपके यहां कितना मूसवा धान खाया था। सबसे ज्यादा तो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। पहले मूसवा पीता है और कब से जे.सी.जे. के समर्थन में आ गया, यह मूसवा तो वहां से निकला है। आप कब से समर्थन में आ गये हो ?

समय :
12:31 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) रायपुर स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता किया जाना

श्री अजय चन्द्राकर(कुरूद) श्री धरमलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश की पहचान और शहर का गौरव कहा जाने वाला बूढ़ातालाब आज प्रशासनिक अनदेखी और तकनीकी भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने मिलकर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रूपये तो खर्च कर दिए, लेकिन धरातल पर जो काम हुआ है, उसकी गुणवत्ता ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। प्रदेश के राजधानी में बूढ़ातालाब के चारों ओर बनाई गई बाउन्ड्रीवाल में कुछ ही महीनों के भीतर गहरी दरारें आ गई हैं, तथा करोड़ों की लागत से बने फुटपाथ बारिश के दिनों में उखड़ गए और पेवर ब्लॉक तालाब में बह गए। जिस गार्डन का काम पूरा दिखाया गया है वहां बच्चों के झूले और फिसलपट्टीयां टूटी पड़ी हैं। जनता के पैसे से बनी सुविधाओं का

लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। निर्माण पूरा होने से पहले ही टूट-फूट हो जाना एक बड़ी अनियमितता की ओर इशारा करता है। वहीं झीरम घाटी हमले के शहीद विद्याचरण शुक्ल जी की स्कृति में बने चौक का सौंदर्यीकरण 30.29 लाख रूपये से किया जा रहा है। पर मौके पर स्थिति जस की तस बदहाल है। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत बनाये गये हेल्दी हार्ट टैक बुजुर्गों के घुटनों का ख्याल रखने के नाम पर 1.42 करोड़ खर्च हुए, फिर दोबारा 2.50 करोड़ का नया बजट बना दिया गया। वहीं शहीद स्मारक चौपाटी, छत पर टाइल्स और ग्रीन कारपेट बिछाने में 03 करोड़ रूपये स्वाहा कर दिए गए जो आज तक जनता के उपयोग में नहीं आ सका। स्मार्ट टॉयलेट और एसी बस स्टॉप लाखों की लागत से बने ये स्टॉप आज या तो बंद हैं या असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके हैं। शहर को रोशन करने का दावा करने वाली स्मार्ट लाइटों का डिब्बा आज गुल है। साइकिल और पंप ट्रैक गौरव पथ, मोतीबाग और अन्य ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहीं प्रशासन की चुप्पी और जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक ना करना बड़ी वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य एजेंसी और प्रशासन द्वारा ही इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके कारण राजधानी की जनता में प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय
12.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)</u>

उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि, प्रदेश की पहचान और शहर का गौरव कहा जाने वाला बूढ़ातालाब आज प्रशासनिक अनदेखी और तकनीकी भ्रष्टाचार का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बूढ़ातालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य अप्रैल 2023 तक कराया गया था। अतः यह कहना सही नहीं है कि बाउण्ड्रीवाल में कुछ ही महीनों के भीतर गहरी दरारें आ गई हैं। वर्तमान में

बाउण्ड्रीवॉल का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है. बूढ़ातालाब तालाब परिसर वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड रायपुर को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संधारण का कार्य नहीं किया गया हैं। यह भी सत्य नहीं है कि फुटपाथ बारिश के दिनों में उखड़ गये और पेवर ब्लॉक तालाब में बह गये है, अपितु वर्तमान में पाथवे की स्थिति संतोषजनक हैं।

बूढ़ातालाब परिसर में निर्मित गार्डन अंतर्गत बच्चों के झूले एवं फिसल-पट्टी स्थापना का कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण किया गया है, जिनका निरंतर लाभ शहरवासियों द्वारा लिया जा रहा है। समय-समय पर टूट-फूट होने पर संधारण की आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकतानुसार संधारण कार्य संपादित किया जायेगा। अतः यह कहना गलत है कि जनता को सुविधाओं का लाभ मिलने से पहले ही निर्माण कार्य जर्जर हो चुके हैं एवं निर्माण पूरा होने से पहले ही टूट-फूट हो जाना एक बड़े अनियमितता की ओर इशारा करता है।

झीरम घाटी हमले के शहीद स्व. विद्याचरण शुक्ल जी की स्मृति में चौक का निर्माण फरवरी 2021 में पूर्ण किया जा चुका है। चौक में स्थापित लाईट का संधारण, चौक की साफ-सफाई, पौधों की कटाई-छटाई का कार्य समय-समय पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अतएव यह कथन असत्य है कि चौक की स्थिति बदहाल है।

सप्रे शाला के बाजू में स्थित ग्राउण्ड में हेल्दी हार्ट ट्रैक का निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में पूर्ण किया गया था। वर्ष 2022 में उक्त ट्रैक के संधारण तथा मरम्मत के दृष्टिकोण से पेवर ब्लॉक लगाकर नगर निगम मैदान का जीर्णोद्वार कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राउण्ड का समतलीकरण कार्य कर फुटबाल ग्राउण्ड तथा अन्य खेल संबंधी निर्माण कार्य संपादित किये गये हैं, जिसका उपयोग खिलाड़ियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। अतः यह कहना सही नहीं है कि यह पैसों की खुली बर्बादी है।

शहीद स्मारक परिसर का पुनर्विकास एवं उन्नयन कार्य मार्च 2023 में पूर्ण किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रवेश द्वार तथा प्रवेश मार्ग पुनर्विकास कार्य, पार्किंग में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य, दुकानों का मरम्मत एवं संधारण कार्य, नाली निर्माण इत्यादि कार्य किये गये है। भवन का निरंतर उपयोग आम नागरिकों एवं शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु किया जा रहा है एवं शुल्क के रूप में रायपुर नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू 16.32 लाख की आय प्राप्त हुई है जिसका उपयोग नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा भवन के संधारण हेतु किया जाता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि शहीद स्मारक चौपाटी में 3 करोड़ रूपये स्वाहा कर दिये गए जो जनता के उपयोग में नहीं आ सका।

रायपुर शहर के 06 स्थानों पर स्थापित ई-टॉयलेट का संचालन, संधारण नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में सभी टॉयलेट उपयोगी है, एसी

बस स्टॉप का निर्माण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नहीं किया गया है। असामाजिक तत्वों से सुरक्षा हेतु समय-समय पर पुलिस की सहायता ली जाती है।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न मार्गो पर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाईट पोल स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में सभी मार्गो के स्ट्रीट लाईट चालू अवस्था में है तथा आवश्यकता अनुसार समय-समय पर स्ट्रीट लाईटों का संधारण कार्य किया जाता है, जो कि निरंतर प्रक्रिया है। अतः यह कथन सत्य नहीं है कि शहर को रोशन करने का दावा करने वाली स्मार्ट लाईटों का डिब्बा गुल है।

गौरव पथ में निर्मित साइकल ट्रैक का कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण किया गया था. जिसका उपयोग नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। मोतीबाग उद्यान का सौंदर्यीकरण कार्य जनवरी 2021 में पूर्ण किया गया है। वर्तमान में गार्डन की साफ-सफाई, पेड़ों की छटाई, पौधों मे सिंचाई, लाईटिंग एवं अन्य संधारण कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। गार्डन का उपयोग आम नागरिकों द्वारा सुबह एवं शाम को किया जाता है। अतः यह कहना सत्य नहीं है कि साईकल और पंप ट्रैक गौरव पथ, मोतीबाग और अन्य ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं।

उपरोक्तानुसार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित समस्त जन उपयोगी अधोसरंचनाओं का उपयोग आम नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। कार्यपूर्णता उपरांत नियमित उपयोग होने से समय-समय पर संधारण की आवश्यकता होती है, जो कि एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका संधारण कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर पालिक निगम रायपुर एवं अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अतः यह आक्षेप गलत है कि कार्य एजेंसी एवं प्रशासन की सांठ गांठ के कारण वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रकार राजधानी की जनता में प्रशासन के विरूद्ध किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछने के पहले माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप आखिरी पैरा पढ़िये। अत: यह आक्षेप गलत है। पहली बात, यह भाषा असंसदीय है। आप मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हैं ? इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें लिखा जाता है कि यह कहना सही नहीं है। आक्षेप कहना सही नहीं है, मुझे कोई भी आदमी बिना चर्चा के गलत नहीं बोल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आपने जितनी चीजों की जानकारी उत्तर में दी है, मैं उन सब जगहों को घूमा हूं। मैं किसलिए घूमा हूं, मेरे साथ कौन-कौन थे, उसका यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जितनी चीजों का उल्लेख किया है, मैंने उसको प्रत्यक्ष: देखा है कि कौन सी चीज किस स्थिति में है और

कौन सी स्थिति में नहीं है। मेरा छोटा-छोटा प्रश्न है। आप यह बताईये कि बूढ़ा तालाब में कौन-कौन सी एजेंसियों के द्वारा कौन-कौन से कार्यों के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बूढ़ा तालाब में थ्री डी आर्ट पेंटिंग वर्क्स मेसर्स अभय, माध्या स्वाति इस एजेंसी ने किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बीच में बोल रहा हूं इसलिए आपको sorry, sorry बोल देता हूं। सभापति महोदय, काम करवाने वाले एजेंसी के बारे में जानने की मेरी कोई रूचि नहीं है। आपने काम करवाया, जिससे भी काम करवाया। एजेंसी का मतलब विभाग से है, यह मुझको सुधारना है। कौन-कौन से विभाग मसलन पर्यटन विभाग के द्वारा, मसलन नगर निगम के द्वारा, मसलन स्मार्ट सिटी के द्वारा मसलन डी.एम.एफ. के द्वारा करवाया या और इस तरह की कौन-कौन से विभाग की राशि बूढ़ा तालाब या विवेकानंद सरोवर में किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय की गई ? यह मेरा प्रश्न है। सर, एजेंसी-वेजेंसी में अपनी कहां रूचि रहेगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बूढ़ा तालाब के लिए नाव प्रदाय का कार्य टूरिजम बोर्ड के द्वारा किया गया है। बूढ़ा तालाब में बैम्बू हट निर्माण का कार्य वन विकास निगम के द्वारा किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपने पूछा है, लेकिन मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूं। पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम, डी.एम.एफ., स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कितने विभागों द्वारा कौन-कौन से कार्यों के लिए उसमें कितनी राशि व्यय की गई है ? अब चूंकि आपने दूसरे विभाग का नाम लिया है, इसलिए अपने उत्तर में कहा भी है कि तालाब हस्तान्तरण की कार्यवाही चल रही है। आप पहले वह बता दें, फिर मैं आपसे वह पूछ लूंगा। आप उसको क्लीयर कर दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मेयर इन कौंसिल नगर पालिक निगम द्वारा दिनांक 04.09.2006 को स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर के साथ महाराजबंद तालाब, नरहेश्वर तालाब को 10 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ टूरिजम बोर्ड को दिए जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके पालन में आयुक्त नगर निगम रायपुर के पत्र दिनांक 10.10.2006 द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा 3 तालाबों को 10 वर्ष की अवधि के लिए पर्यटन कार्य हेतु सौंपने का निर्णय लिए जाने की सूचना देते हुए पर्यटन मण्डल को आधिपत्य प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र में जो शर्तें थीं, उनका उल्लेख है। फिर सन् 2006 से 2016 तक विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर का आधिपत्य छत्तीसगढ़ टूरिजम बोर्ड को दिया गया था। छत्तीसगढ़ टूरिजम बोर्ड के पत्र दिनांक 08.01.2016 द्वारा स्वामी विवेकानंद सरोवर रायपुर में पब्लिक सुविधाओं, वाटर स्पोर्ट का विकास एवं उसके संचालन आदि कार्य निजी भागीदारी से कराया जाना प्रस्तावित होने का उल्लेख करते

हुए नगर निगम रायपुर से वाटर बॉडी एवं पाथ वे के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। बूढ़ातालाब में जन-सुविधाओं के संचालन, संधारण एवं मनोरंजन सुविधाओं के विकास हेतु मेयर इन काउंसिल में पारित संकल्प दिनांक 05/08/2017 के अनुसार किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करने तथा तालाब का क्षेत्रफल कम नहीं किए जाने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई। स्वामी विवेकानंद सरोवर में 30 वर्ष की अवधि के लिए पब्लिक सुविधाओं, वाटर स्पोर्ट्स का विकास एवं उसके संचालन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा एम.एम.पी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 25/10/2016 को लीज पर 10 लाख रुपये वार्षिक एवं प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त पर लीज प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग के पत्र दिनांक 26/06/2000 द्वारा अनुबंध को विधिसम्मत नहीं होने का उल्लेख करते हुए टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एम.एम.पी. वाटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के साथ विवेकानंद सरोवर, रायपुर में जनसुविधाओं का विकास, संचालन, रख-रखाव एवं मनोरंजन की सुविधाओं के विकास हेतु संपादित अनुबंध दिनांक 25/10/2016 एवं संशोधित अधिनियम दिनांक 08/05/2017 को निरस्त कर दिया गया। एम.एम.पी. वाटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा उक्त निरस्तीकरण...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मैं थोड़ा interrupt करूं सर? माननीय सभापति महोदय, आप यदि सुन रहे होंगे तो मूल जो ध्यानाकर्षण का उत्तर है, उससे ज्यादा उत्तर मेरे पूरक प्रश्न में आ रहा है। मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न किया है। विभिन्न विभागों द्वारा बूढ़ा तालाब में किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय की गई? बिंदुवार इतना लंबा कब स्थानांतरित हुआ, कौन सी एजेंसी ने किया, किस उपयोग के लिए किया, यह मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय यह है कि किन-किन विभागों ने नाम ले देता हूं, स्थानीय शासन अर्थात् नगर निगम, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पर्यटन विभाग, वन विभाग, डी.एम.एफ. या अन्य कोई मद जिससे बूढ़ा तालाब के इन-इन कार्यों के लिए उस राशि का उपयोग किया गया, इस अवधि में?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण की सूचना, जानकारी क्या चाहता है? स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने मिलकर सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो खर्च किए गए हैं, उसकी जानकारी चाही गई है, उसकी स्थिति चाही गई है, वह जानकारी माननीय सदस्य को विस्तार से उपलब्ध कराई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, यदि इतनी तकनीकी है तो फिर बहस तकनीकी हो जाए । मैंने पूछा नहीं है किसकी मिल्कियत में है। उसका उत्तर यदि आपने दिया है तो उद्भूत होगा ही और उद्भूत होगा तो मैं पूछूंगा ही। अब उद्भूत होने का मेरे ऊपर यदि आक्षेप है तो उसको पूछता हूं फिर, जो उद्भूत हो रहा है । छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संधारण कार्य नहीं किया गया है। मैंने तो यह नहीं पूछा है कि पर्यटन को स्थानांतरित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपने उत्तर दिया है। अब मुझे आप इसमें बता दें कि यह

प्रक्रिया कब से चल रही है और कब तक, सुनिए-सुनिए पूरा प्रश्न आ जाने दीजिए न। स्थानांतरण की प्रक्रिया कब से चल रही है, केवल तारीख बताइएगा और कब तक वह प्रक्रिया संपादित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और बिना स्थानांतरण के, जितने नियम का आप हवाला दे रहे हैं, क्या वह विभाग उसमें राशि खर्च कर सकती है, जिसको आप बता नहीं रहे हैं? या नहीं की गई है, यह बता दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही चीज स्पष्ट कर रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण के आदेश को निरस्त किया है। अब वह हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, हमने टूरिज्म बोर्ड को पत्र लिखा है, स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने और टूरिज्म बोर्ड उस पर कुछ क्वेरी कर रही है तो वह प्रक्रियाधीन है, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 07/04/2022 को...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अब माननीय मंत्री जी को मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं। पर्यटन विभाग को हस्तांतरित नहीं है। पर्यटन विभाग के द्वारा वहां राशि खर्च की गई । अब मैं यह जानना चाहता हूं जो आ नहीं रहा है कि उसी काम के लिए, उसी तरह के तरीके के लिए दूसरे विभाग ने खर्च की या नहीं की? अब दूसरा प्रश्न कर देता हूं, इसका उत्तर नहीं आया। मैं वह कौन सी प्रक्रिया, कौन से है, उसमें मेरी रुचि नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह पूरे प्रकरण की कभी जांच कराई गई है क्या? यदि जांच कराई गई है तो किसके द्वारा कराई गई है और उसको सार्वजनिक करेंगे क्या?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण की सूचना में 9 तरह के कामों का उल्लेख है। इन 9 तरह के कामों के विषय में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिये। यदि उसका उल्लेख नहीं है तो आप उत्तर मत दीजिये। आप किसको संरक्षण देना चाहते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं और ना ही मैं कुछ बोलूँगा। अब जिसका उल्लेख है, उसी को मैं पढ़ देता हूँ। जिसका उल्लेख है, मैं उसमें छोटा-छोटा प्रश्न पूछ लेता हूँ। शहीद स्मारक चौपाटी टेरेस, एक। दूसरा, ए.सी. बस स्टॉप लिख देता हूँ। यह टेरेस किसके द्वारा बनाई गई? मुझको एजेंसी का नाम नहीं चाहिए, मुझे एजेंसी का नाम जानने में बिल्कुल रुचि नहीं रहती है। उसको किस उपयोग के लिए बनाया गया है? इसमें कितनी राशि उपयोग किया गया है? और इसका अभी क्या उपयोग हो रहा है, एक? दूसरा, रायपुर में सिटी बस का संचालन नहीं होता है। शहर अंदर यात्री बस नहीं रुकती है। ए.सी. बस स्टॉप कौन से मद से, कितनी संख्या में बनाया गया है और अभी वर्तमान में वह किस स्थिति में हैं? उसकी गारंटी पीरियड कितनी थी?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, शहीद स्मारक सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार का काम दो चरणों में हुआ है। पहले चरण में दिनांक 25/06/2018 को 2 करोड़ 85 लाख रुपये का कार्यादेश जारी किया गया और दूसरे चरण में दिनांक 08/03/2019 को 2.40 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है,

जिस पर 1.44 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। शहीद स्मारक का पुनर्विकास और उन्नयन का कार्य दिनांक 31/03/2023 को पूर्ण किया जा चुका है। भवन का उपयोग, संचालन नगर निगम रायपुर के माध्यम से किया जाता है। विगत् वित्तीय वर्ष 2024-25 में किराये से कुल 16 लाख 32 हज़ार की आय हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मैंने शहीद स्मारक चौपाटी टेरेस के संबंध में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि उसको क्यों बनाया गया है? किसलिए बनाया गया है? वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है? उसका उपयोग कौन कर रहा है? और उसमें कितनी बार कितनी राशि व्यय हुई है? लेकिन आप दूसरी ओर बढ़ गए। दूसरा, मैंने ए.सी. बस स्टॉप का स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि उसको किस मद से बनाया गया है और क्यों बनाया गया है? मैंने इसलिए क्यों बनाया गया पूछा है क्योंकि सिटी बस रायपुर में नहीं चल रही है। जहाँ पर उसका स्टॉपेज बनाए गए हैं, उन जगहों पर यात्री बस नहीं नहीं रुकती है। कई जगहों पर उसका स्टॉपेज नहीं है। जो बस स्टैंड से जिसकी बस चलती है, उसको परिवहन विभाग से मँगाकर स्टॉपेज का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि उसको क्यों बनाया गया है? उसको किसके द्वारा बनाया गया है? और अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? यह दोनों का स्पेसिफिक जवाब बताइएगा।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्य की एक पद्धति होती है। ए.सी. बस स्टॉप रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे रायपुर नगर निगम द्वारा बनाया गया है। कुल मिलाकर 13 बस स्टॉप संचालित हैं। आपने जो छह स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के विषय में पूछा है, उसके संबंध में मैंने आपको बताया है कि यह छह स्थानों पर बनाई गई हैं। इसका संचालन एवं संधारण का कार्य मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में नागरिकों द्वारा उस टॉयलेट का उपयोग किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर जी, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। आपको बताना होगा तो बता दीजिएगा, भैया। नहीं तो मत बताइएगा। मैं फिर से उसी को दोहरा देता हूँ। शहीद स्मारक चौपाटी टेरेस मेरे ध्यानाकर्षण में उल्लेखित है। वह कब बनाया गया है? उसमें कितनी लागत आई है? वर्तमान में उसका क्या उपयोग हो रहा है? उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जब आपने मुझे ध्यानाकर्षण की सूचना पर केंद्रित रहने के लिए कहा है, इसलिए मैं उसी पर केंद्रित हूँ। कृपया आपसे आग्रह है कि आप मुझे उसी का उत्तर दीजिए। दूसरा, मैंने ए.सी. बस स्टॉप का स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, लेकिन आप मुझे दूसरी ओर टॉयलेट की ओर ले गये। ए.सी. बस स्टॉप कितनी लागत से बनी? क्यों बनाया गया? मैंने इसलिए पूछा है, उसको स्पष्ट कर देता हूँ। शहर में सिटी बस चलती नहीं है, वहाँ बस का स्टॉपेज है नहीं तो आज वर्तमान में उसकी दशा क्या है? यदि निरुपयोग राशि का दुरुपयोग किया गया है तो क्या उसकी जाँच होगी?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बस सेंटर बनाये गये हैं, उसके लिये राशि खर्च हुआ है और वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है । विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से निर्मित है, जो काम हुआ है, यह सच्चाई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप मुझे निर्देश दे दीजिए या उत्तर नहीं दिलवाऊंगा बोल दीजिए । न मैं परेशान करूँगा और न प्रश्न करूँगा । मैंने बार-बार पूछा है, शहीद स्मारक चौपाटी टैरेस का उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं भी कह रहा हूँ कि काम हो रहे हैं, अनुपयोगी काम जो किया जा रहा है, जहां लोक धन का दुरूपयोग करे उसमें जांच होती है कि नहीं होती है ? आज उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । जब सिटी बस नहीं चलती है, यात्री बस वहां नहीं रूकती है, यह सबको मालूम है तो उसे क्यों बनाया गया है ? यदि गलत बनाया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिये । सभापति महोदय, मैं शहीद स्मारक चौपाटी टैरेस फिर बोल रहा हूँ कि क्यों बनाया गया, उसका क्या उपयोग है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, उसका उपयोग कौन कर रहा है ? यदि उत्तर है तो ठीक है और नहीं तो बाद में देंगे तो बाद में और नहीं देना है तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ । मैं बाकी इसे आपके ऊपर छोड़ दूँगा ।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, हम रायपुर मे जानते हैं कि शहीद स्मारक भवन बहुत लम्बे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यह ऐतिहासिक धरोहर की तरह रहा है । वह मेंटेन रहे, उसका रखरखाव बनी रहे, उसका उपयोग सतत रूप से चलता रहे, इसलिये इस तरह से उसे ज्यादा उपयोगी बनाने के लिये उसके सौंदर्यीकरण के काम हुये हैं और आज उसका उपयोग किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, माननीय सभापति महोदय जी, मैं नहीं पुछूँगा । आपको बता देता हूँ कि एक तो वह शहीद स्मारक ऐतिहासिक नहीं है और वह नई बनी हुई संरचना है और उसमें बार-बार खर्च करना एक फैशन है । शहीद स्मारक के नाम पर लोक धन का दुरूपयोग किया जा रहा है । दूसरी बात, ए.सी. बस स्टॉप जांच का विषय है । उसका कोई उपयोग नहीं होता है, वह लोक धन का दुरूपयोग है। कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है और दोनों का कोई उपयोग नहीं है, आप चाहे तो मौके पर देख सकते हैं । मैं जांच की मांग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ । मैं तो यह कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने खर्च किया है, वर्तमान में खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही या जांच करेंगे क्या और नहीं करेंगे तो कोई बात नही है ? चलिये, आगे आप पूछ लीजिए ।

सभापति महोदय :- इसी प्रश्न में धरमलाल कौशिक जी भी हैं ।

श्री सुनील सोनी :- मैं ध्यानाकर्षण पर ही बोल रहा हूँ भईया ।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी के बाद सुनील जी आप बोल लीजिएगा और माननीय मंत्री जी आप एक साथ जो भी चीजें आयेंगी, उसका जवाब देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अजय जी के द्वारा बहुत सारे प्रश्न का जवाब चाह रहे थे, लेकिन कुछ का जवाब आया और कुछ का नहीं आया है । मैं प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह हेल्दी हार्ट ट्रैक बूढ़ा तालाब के वाकिंग ट्रैक जो 1 करोड़ 42 लाख में बनाये हैं, उसको कब बनाये और ऐसी नौबत फिर क्यों आ गई कि 2 करोड़ 50 लाख का प्रस्ताव पुन: लाना पड़ा ? यह थोड़ा समयावधि भी बतायेंगे और उसका कारण भी बतायेंगे । यदि उसका उपयोग नहीं था तो 1 करोड़ 42 लाख रूपये में बनाने की आवश्यकता नहीं थी, यदि बनाया है तो इतनी जल्दी उसको लाने की आवश्यकता नहीं थी । इसे किस अधिकारी के निर्देश पर बनाया गया है और इसके लिये जवाबदार कौन है, उसके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, एक तो माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने पूछा था कि ए.सी. बस स्टॉप का निर्माण किसने किया तो न तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की राशि से खर्च हुआ है और न नगर निगम से पी.पी. मोड पर काम कराया गया है । माननीय धरमलाल कौशिक जी ने जो प्रश्न किया है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत सप्रे ग्राउँड में हेल्दी हार्ट ट्रैक का निर्माण किया गया है । प्रारंभिक चरण में 28-2-2017 के कार्य आदेश के द्वारा 89 लाख 59 हजार रूपया व्यय करके यह काम किया गया । सप्रे शाला मैदान में लाइटिंग कार्य, दर्शक दीर्घा के बैठने के लिये पैवेलियन, मैदान के किनारे पाथ वे और किनारे में हैजेस लगाने का कार्य किया गया । बाद में 19.10.2020 को नगर निगम गार्डन के नवीनीकरण का एक कार्य और कराया गया, इस पर 2 करोड़ 44 लाख 85 हजार रूपए व्यय किया गया, जिसमें मैदान समतलीकरण, नाली निर्माण का कार्य, पाथवे का जीर्णोद्धार कार्य, दर्शक दीर्घा के बैठने वाले स्थान का एक्सटेंशन, टेन्स फैब्रिक कैनोपी लगाने का कार्य, हाई मास्ट लाइट की स्थापना कार्य और नेटबॉल ग्राउंड का निर्माण दूसरी बार में किया गया है और इसलिए कुल मिलाकर ये राशि खर्च हुई है।

समय :
1.00 बजे

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, ये जो स्मार्ट टॉयलेट है, इसमें देखने में आया है कि बना तो दिए हैं लेकिन बनाने के बाद ये चालू नहीं हुआ है, वह बंद पड़ा हुआ है, रखरखाव भी नहीं है। इसका बनाने का क्या औचित्य था? आज उसकी कितनी उपयोगिता है, वह चालू है या बंद है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया कि उसका संचालन और संधारण सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है और वह चालू हालात में है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक अंतिम प्रश्न है, ये जो साइकिल ट्रैक बनाई गई, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों बनाया गया ?

श्री सुनील सोनी :- क्या वह अभी है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं वहीं तो पूछ रहा हूं। उसमें चार-पांच करोड़ रुपये खर्च कर दिए, वह चलने लायक है या नहीं, उसमें कितने लोग चल रहे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है? उसकी क्या उपयोगिता है, उसको क्यों बनाया गया? बनाने के बाद उसका संधारण और आज किस स्थिति में है?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने लिखित वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, वह निर्मित है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं।

श्री सुनील सोनी :- सभापति जी, धन्यवाद। मेरा प्रश्न स्मार्ट सिटी के लिए है। मैं एक ही संस्था की बात कर रहा हूं। स्मार्ट सिटी के माध्यम से बूढ़ा तालाब में कितना खर्च किया गया? वहां पर तीन बार टेंडर हुआ, मैं उसमें नहीं जाता। वहां लगभग 5 करोड़ रुपये का फाउंटेन लगाया गया है। आज वह किस स्थिति में है और जब वह लगा था उसके बाद कितने दिन चला ?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा 2019 से 2025 तक कुल 24 कार्य कराए गए हैं, जिसके लिए 34.01 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, जिसमें 29.72 करोड़ व्यय किया गया है। जो निर्माण के काम हुए हैं, उसका मैंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, वहां पर लगभग 5 करोड़ रूपए का फाउंटेन लगाया गया, जिसके लिए आपने पवेलियन बनाया, स्टेप्स बनाया, वहां आकर देखेंगे और आपका जितना पैसा 34 करोड़ जो खर्च हुआ है, उसी के लिए हुआ है और किसी के लिए नहीं हुआ है। मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं। इसके अंदर कितने करोड़ का फाउंटेन लगा, वह फाउंटेन लगने के बाद कितने दिन चला और आज क्या स्थिति है?

सभापति महोदय :- स्पेसिफिक वॉटर फाउंटेन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सुनील सोनी :- हां।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, बूढ़ा तालाब परिसर में 5 वर्ष संधारण और संचालन सहित म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित किया गया है। उसके लिए 5 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि व्यय हुई है और वर्तमान में जैसे मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि ये म्यूजिकल फाउंटेन मार्च 2021 में पूर्ण हुआ था, 2026 तक संधारण में है। अभी बंद है, कुछ समय में चालू हो जाएगा।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति जी, वह फाउंटेन 5 करोड़ 24 लाख रुपये में बना और 5 दिन भी नहीं चला। मुझे इस बात का दु:ख होता है कि स्मार्ट सिटी के पैसे भारत सरकार ने आपको लूटने के लिए नहीं दिये थे। उस फाउंटेन के नोजल गायब हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ऐसा आश्वासन मत दीजिए। वह चालू नहीं हो सकता है और जिन अधिकारियों ने इसके अंदर में बदमाशी की है। मैं जानता हूं कि यह शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी इसके अंदर भ्रष्ट आचरण अपनाया है, क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, इन कामों का सी.ए.जी. ऑडिट वर्ष 2017-2023 के बीच हो चुका है। भारत सरकार की संस्था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जांच की जा चुकी है और प्राक्कलन समिति ने भी भौतिक रूप से निरीक्षण किया है। यदि किसी तरह की कोई स्पेसिफिक गड़बड़ी की बात होगी, कमी की बात होगी तो निश्चित रूप से हम उसका परीक्षण करा लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न किसी को बचाने का कोई इरादा है और जो अनियमितता करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं है। यह विष्णु देव साय जी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सोनी जी, मंत्री जी का जवाब आ गया है।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि एक तो उसके अंदर उप मुख्यमंत्री जी को गलत जानकारी दी गई है और दूसरा, भारत सरकार के द्वारा उसकी जांच कराई गई। उस जांच की मांग मैंने ही की थी। उस समय मैं स्टैंडिंग कमेटी में था और जांच हुई है। 100 स्मार्ट सिटी में केवल एक ही रायपुर है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उस जांच रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनको मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से कहा है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कहा है कि यदि आवश्यक होगा तो उसका परीक्षण कराकर कार्रवाई करेंगे।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, मैं आगे प्रश्न नहीं करूंगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उसकी जांच को दबा दिया गया है। आपके पास वह नहीं है। जितनी मेरे पास जानकारी है कि उस समय भारत सरकार ने लगभग 18 लाख रुपये खर्च करके जांच करवायी थी। अब मैं आपको नहीं बोलता, लेकिन मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आप उस जांच रिपोर्ट को जरूर मंगवाइये।

श्री अरूण साव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की बात पर निश्चित रूप से विचार होगा और यदि किसी स्पेसिफिक बात को लेकर कोई शिकायत होगी, कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से हम उसका परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे और यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी।

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी।

(2) सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय एवं संचालन व्यवस्था में अनियमितता की जाना.

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा अनेक धार्मिक/पर्यटन स्थलों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनियमितता एवं घोर अव्यवस्था दिखाई दे रही है। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर में अयोजित सिरपुर महोत्सव (दिनांक 1 फरवरी 2026 से 03 फरवरी 2026 तक) में भी यही अव्यवस्था एवं अनियमितता तथा क्षेत्रीय मान्यताओं की अवहेलना के कारण क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है। उक्त कार्यक्रम में तीन दिवस तक आयोजित आयोजनों में प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय भुगतान में अपारदर्शिता रही है तथा शासन द्वारा स्वीकृत एवं प्रदत्त राशि में अनियमितता की गई है। सिरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध सिरपुर महोत्सव में स्थानीय त्योहार एवं परंपराओं की अनदेखी की गई है। सिरपुर महोत्सव में कलाकारों एवं अन्य मदों में किए गए व्यय तथा व्यय हेतु प्राप्त आय (स्वीकृत राशि) में घोर असमानता एवं अनियमितता पाई गई है। जिसकी सममुचित जांच कर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही कर क्षेत्र की जनता के असंतोष को समाप्त किया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र की परंपराओं एवं त्योहारों की अनदेखी भी असंतोष का प्रमुख कारण है सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय एवं संचालन व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण क्षेत्र के लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक लोक कला महोत्सव एवं अन्य उत्सवों के आयोजन जैसे-बस्तर पण्डूम, माता कौशल्या महोत्सव, चक्रधर महोत्सव, राजिम कुंभ (कल्प), शिवरीनारायण महोत्सव में राज्य की संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई है। महासमुन्द जिले में स्थित सिरपुर में आयोजित सिरपुर महोत्सव प्रति वर्ष की भांति (दिनांक 01 फरवरी 2026 से 03 फरवरी 2026 तक) क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुरूप गरिमा व सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा 15 लाख रूपये का आवंटन दिया गया। उक्त राशि का उपयोग कलाकारों के मानदेय, लाईट, माईक, टेण्ट हेतु अन्य आकस्मिक व्यय स्वल्पाहार, आमंत्रण पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल-श्रीफल, स्टेशनरी, फलैक्स, फोटोग्राफी हेतु व्यय किया गया है। कलाकारों के मानदेय हेतु संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में उपलब्ध कलाकारों का चयन समिति द्वारा चयन कर भुगतान की कार्यवाही की गई है। पर्यटन विभाग द्वारा 10 लाख रूपये प्रचार-प्रसार हेतु आबंटित किया गया है।

परंपराओं के अनुरूप श्रद्धालुओं के पुन्नी स्नान हेतु नदी में जल की व्यवस्था की गई तथा गंधेश्वर मंदिर के निकट तीनों दिवस गंगा आरती का आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कला-संस्कृति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के कलाकारों का लोककला मंच के द्वारा प्रस्तुती दी गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहार से संबंधित प्रस्तुति भी दी गई। अतः सिरपुर महोत्सव में स्थानीय त्यौहार एवं परंपराओं की अनदेखी किसी भी प्रकार नहीं की गई है।

सिरपुर महोत्सव के पूर्व बैठक आयोजित कर समस्त जनप्रतिनिधियों से भी सलाह लेकर सिरपुर महोत्सव के आयोजन हेतु रूप-रेखा तैयार की गयी। अतः यह कहना उचित नहीं कि सिरपुर महोत्सव में

क्षेत्र की परंपरा एवं त्यौहारों की अनदेखी की गई है एवं निराधार है। सिरपुर महोत्सव के पूर्ण व्यय शासन के नियमानुसार किया गया है। इस प्रकार सिरपुर महोत्सव के आयोजन में किसी प्रकार की शिकायत एवं कोई असंतोष नहीं है तथा कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीनों दिन किन-किन कलाकारों को बुलाया गया और उन कलाकारों को कितनी राशि भुगतान की गयी है ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, संस्कृति विभाग के द्वारा महादेव हिरवानी को 1 लाख 20 हजार रूपये, पुष्कर दिनकर को 50 हजार रूपये, हिमानी वासनिक को 25 हजार रूपये, सुनील तिवारी को 1 लाख 20 हजार रूपये, टीकम पटेल को 25 हजार रूपये, मनप्रीत कौर को 35 हजार रूपये, पुष्पा साहू को 80 हजार रूपये, रोहित कोसिए को 25 हजार रूपये, योगराज चौहान को 25 हजार रूपये, निजाम सिंह दीवान को 40 हजार रूपये, सावित्री कहार को 70 हजार रूपये दिये गये हैं और कुल 6 लाख 15 हजार रूपये का भुगतान संस्कृति विभाग के माध्यम से हुआ है। पेमेंट कलेक्टर जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा साडा के द्वारा अलग से कलाकारों को भुगतान किया गया है। जिसमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ को 5,91,920 रूपये, सुश्री रेखा कामले को द्रुपद प्रस्तुति के लिए 50,000 रूपये, सुश्री हुसत इकबाल खान को सूफी के लिए 1,48,500 रूपये, श्री अरुण कुमार गोयल को 50,000 रूपये, श्री मीर रज्जाक को 50,000 रूपये, श्री शास्वत कार्नर को 25,000 रूपये, श्री दीपक व्यास को 25,000 रूपये, श्री नवल किशोर श्रीमाली को 25,000 रूपये, मधुरिमा मानस मंडली को 40,095 रूपये, ऐसे कुल 10,05,515 रूपये का भुगतान साडा के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त बाहर से जो कलाकार आये थे, उसमें पहले दिन हंसराज रघुवंशी जी, दूसरे दिन नितिन कुमार, वैशाली रैकवार, नचिकेत लेले और तीसरे दिन मीत ब्रदर्स को स्पांसरशिप के माध्यम से बुलाया गया था और इनको कोई शासकीय भुगतान नहीं किया गया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी बात को जानना चाह रहा था। मंत्री जी, आपने बाद में जिन तीन कलाकारों के नाम बताये हैं, जिनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है, यही गलत है। मंत्री जी, वह पार्टी कितनी राशि में आती है, वह मैं सदन को और आपको बताना चाहता हूं। पहला हंसराज रघुवंशी, यह कोई भी कार्यक्रम बिना।

श्री अजय चन्द्राकर :- मामा, छोड़िये न। आप मन कहा लगे हस। अतका बढ़िया कार्यक्रम होईस हे आप मन ला कहां शिकायत हो गे हे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सुनिये, मैं आपका वक्तव्य कितने प्रेम से सुनता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमन ला अगली बार तोर बर कार्यक्रम करवा देबो। आप दोनों यादव मन बर अगली बार कार्यक्रम करवा देबो।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा जी, आपके समय में पूरा सुना हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- जहां लग रहा है कि फंसने की बारी आ रही है, आप उंगली कर देते हैं तो यह दिक्कत है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप उनका इतना संरक्षण करते हैं।

श्री राजेश अग्रवाल :- दलेश्वर भैया, कहीं फंसने की बारी नहीं है। आप प्रश्न पूछिये, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हटा ममा तैंहा, फालतू लफड़ा में मत पड़।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, एक दिन के कार्यक्रम के 60 लाख रुपये संबंधित पहले दिन वाला लेता है। लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि वह बगैर भुगतान के आये हैं। आप इसी बात की जांच करवा दीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, शासन द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, वह स्पांसरशिप के माध्यम से आया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह फीस क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप थोड़ा हिन्दी में बता दीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- बाहरी कोई भी व्यक्ति अपने कलाकार बुलाकर वह विज्ञापन लगाया होगा, अपना भुगतान किया होगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मैं इसी बात की तो जांच की मांग कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आपको जांच कराने में क्या परेशानी है?

श्री राजेश अग्रवाल :- आप प्रमाण दे दीजिए न कि शासकीय भुगतान हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप यह स्वीकार कर लिये हैं कि शासकीय आयोजन मे कार्यक्रम हुआ है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप बैठिये, आप सवाल कर लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, सरकारी आयोजन है।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप लोग मंत्री जी के साथ सीधे बातचीत न करें, आप इधर देखकर प्रश्न कीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ठीक है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का यह जवाब है कि किसी दूसरे के द्वारा कराया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि उसको प्रशासन के द्वारा ऑन द रिकार्ड भुगतान किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं कि वह धनराशि कहां से आई, आप उसकी जांच

तो करवाईये ? एक 60 लाख रुपये, एक 10 लाख रुपये, एक 20 लाख रुपये का कार्यक्रम है। माननीय मंत्री जी आपको जांच कराने में क्या समस्या है ?

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि शासकीय धन जिन्होंने खर्च किया है, उसका पूरा विवरण, पूरी रिपोर्ट उन्होंने पढ़कर बताया है। वह शासकीय तौर पर खर्च बता चुके हैं। आप जिस बात को कह रहे हैं, उनका कहना है कि उसमें शासकीय रूप से खर्च नहीं हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, खर्च नहीं हुआ है, लेकिन वह कार्यक्रम तो आयोजित हुआ है। कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसको तो माननीय मंत्री जी स्वीकार किये हैं न।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उसमें शासकीय धन का उपयोग नहीं हुआ है। प्राइवेट व्यक्तियों ने अपने धन से उसको खर्च किया है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी, सवाल उस बात का नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह तो प्रश्न है, चलिये किसी तीसरे के द्वारा वह कार्यक्रम कराया गया है तो वह कार्यक्रम किसने कराया, उसका नाम बता दीजिए ? अगर तीसरे व्यक्ति ने भुगतान गया है तो भुगतानकर्ता का नाम बता दीजिए ?

श्री राजेश अग्रवाल :- देखिये, संस्कृति विभाग के द्वारा 15 लाख रुपये कलेक्टर को दिया गया जिसमें 45 प्रतिशत 6 लाख 75 हजार रुपये कलाकारों के लिये..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं तो कलेक्टर के भुगतान में जा ही नहीं रहा हूं। आप जो पढ़े हैं, उससे मैं सहमत हूं, उसमे मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आप फिर पीछे क्यों ले जा रहे हैं ? मैं उसमें प्रश्न कर ही नहीं रहा हूं। मेरा सिर्फ यह प्रश्न है कि यह 03 दिन जो कार्यक्रम हुआ है, इसका भुगतान आपके विभाग या कलेक्टर के द्वारा नहीं किया गया है। आप फिर बोलते हैं कि किसी तीसरे के द्वारा कराया गया है तो वह कौन व्यक्ति है जो इसका भुगतान किया है, उसका नाम बता दीजिए ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, संस्कृति विभाग के द्वारा मात्र 15 लाख रुपये कलेक्टर को पेमेंट किया गया है जिसमें 45 प्रतिशत कलाकारों के लिये, 40 प्रतिशत माईक, टेंट, लाइट के लिये, 15 प्रतिशत अन्य खर्चों के लिये है, जिसकी हमने उस खर्चे की रिपोर्ट ले ली है। चूंकि आपने कलाकारों के पेमेंट का पूछा था, साडा ने जो कलाकार बुलाये थे, उनका उन्होंने जो पेमेंट किया, उसकी भी जानकारी ले ली। ये जो बाकी के कलाकार हैं, इसकी जानकारी यही मिली है कि ये स्पांसरशिप के माध्यम से आये थे जिसका शासकीय भुगतान नहीं किया गया है। अगर आपको अन्य कोई उसमें शंका है तो आप मेरे को लिखकर देंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप वही तो बता दीजिए कि किनके द्वारा आये थे? मैं सदन में वही जानना चाहता हूं कि किनके द्वारा आये थे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- संस्कृति विभाग के द्वारा नहीं आये हैं। आप लिखकर दे दीजिए मैं उसकी जांच करवाकर आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिनके द्वारा लाया गया है, उनका नाम बता दीजिए। यही तो जांच का विषय है। आप जो जवाब में दे रहे हैं, वह हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है।

श्री राजेश अग्रवाल :- सभापति महोदय, संस्कृति विभाग के द्वारा नहीं कराया गया है, कहीं से अगर कराया गया है, अगर आपको डाउट है तो आप लिखकर दे दीजिए, मैं उसकी जांच कराकर आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुझे डाउट नहीं है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी कह रहे हैं न कि जांच करा देंगे ।

श्री राजेश अग्रवाल :- जांच करा देंगे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां, यह हो गया ।

सभापति महोदय :- कहां-कहां खर्च हुआ, आप लिखकर दे दीजिये । मंत्री जी जांच करायेंगे, वह बोल रहे हैं ।

श्री राजेश अग्रवाल :- बिल्कुल ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राजिम को महाकुंभ का दर्जा आपकी ही सरकार में दिये । इस समय राजिम की पूरे देश के अंदर जो बदनामी हुई, आज तक कभी नहीं हुई । साधु-संतों को भोजन नहीं मिला, कलाकारों को भोजन नहीं मिला । रहने की व्यवस्था नहीं, लगातार अखबारों में आया और इस बात के लिये राजिम के आपके ही दल के विधायक भी...।

श्री अजय चंद्राकर :- ममा, तें हा अइसे कलाकार जानथस जेकर कार्यक्रम में लाठीचार्ज होथे, भगदड़ होथे, मारपीट होथे, दंगा होथे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहे हो ।

श्री अजय चंद्राकर :- वो दे बइठे हे, कांग्रेस के पास ओतका बड़ कलाकार हे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, संस्कृति विभाग का कोई कार्यक्रम ही नहीं दे रहे हैं । माननीय मंत्री जी, मेरा यह कहना है कि राजिम में जो अव्यवस्था हुई है, व्यापक रूप से हुई है और उसका प्रमाण आपके ही दल के राजिम के लोकप्रिय विधायक उन्होंने व्यवस्था सुधारने का पर्याप्त प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद वहां के जो नोडल कहीं

पर कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो क्या राजिम महोत्सव में जो अव्यवस्था हुई है उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- देखिये, मैं स्वयं प्रतिदिन राजिम में रहा हूं । बाहर से जितने साधु-संत आये थे, सब बड़े खुश होकर गये हैं । किसी भी प्रकार के आवास की, भोजन की कहीं दिक्कत नहीं थी और आप जानकारी ले लीजियेगा कि हर वर्ष से ज्यादा संख्या में वहां पर दर्शनार्थी आये हैं, पर्यटक आये हैं, इस वर्ष सौभाग्य की बात है कि 200 से ज्यादा संख्या में तो विदेशी पर्यटक भी राजिम में आये हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, उनका ध्यानाकर्षण है । आप बीच में मत बोलिये ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा । द्वारिकाधीश जी, यह पहली बार ऐसा होगा कि मंत्री जी खुद 15 दिन पूरी व्यवस्था सुधारने नागा साधुओं के साथ वहां बैठे थे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय पर बोल रही हूं कि जब सब व्यवस्था थी तो आपके ही विधायक वहां पर नाराज क्यों हुए ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- नागा साधु भाग क्यों गये भई ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप सदन में जो बात बोल रहे हैं, यह सत्य है कि आपके ही दल के विधायक का जो वीडियो वॉयरल हो रहा है वह सही है या तो आप बोलिये कि विधायक के द्वारा गलत वीडियो जारी किया गया है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह गलत हैं या आप ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, संगीता जी यह ध्यानाकर्षण सूचना सिरपुर महोत्सव के लिये आपने दिया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं । राजिम का भी उल्लेख है, उनके जवाब में भी राजिम का उल्लेख किये हैं । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में राजिम का उल्लेख किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- का होगे ममा, बइठ न चल ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं भी उस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं नइ करउं का ओ जिला के प्रतिनिधित्व ?

श्री जनक ध्रुव :- नहीं, आप भी करते हैं लेकिन आप कभी नहीं दिखे ।

श्री अजय चंद्राकर :- त्रिवेणी संगम मोरे विधानसभा में है न । वह करते हैं ।

श्री जनक ध्रुव :- नहीं, लेकिन यह व्यवस्था माननीय सदस्य जी बता रहे हैं । इस बात पर सच्चाई है और इसी कारण...।

श्री अजय चंद्राकर :- राजिम मेला से ओखर कोई संबंध नहीं हे । समझ गेच न ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, यह सच्चाई है, जो माननीय सदस्य बता रहे हैं ।

सभापति महोदय :- उनका सवाल है, वह पूछने के लिये खड़े हैं । आप सीधे सवाल कर रहे हैं । आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिये लेकिन मैं आपका पढ़ रहा था, आपने जो पढ़ा है । वह केवल सिरपुर महोत्सव का है, 1 फरवरी, 2026 से 3 फरवरी, 2026 तक के लिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, प्रदेश का भी उल्लेख है और चूंकि माननीय मंत्री जी के जवाब में खुद राजिम आया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप एकाध पूछ लीजिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, मैं केवल यह बोल रहा हूं । मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूं और न ही कुछ बोल रहा हूं । राजिम महोत्सव में जो अव्यवस्था हुई है, जिसका जिम्मेदार वहां का नोडल अधिकारी है, क्या नोडल के ऊपर जांच करवायेंगे, कार्रवाई करेंगे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि मैं लगातार राजिम कुंभ में खुद रहा हूं, वहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं थी। साधु-संत अंतिम समय तक जो बीच-बीच में आते हैं वह वापस गये हैं । बाकी अभी कोई बोल रहे थे कि नागा साधु सब चले गये थे, मैंने वहां नागा साधुओं के साथ स्नान भी किया है । (हंसी) कोई नागा साधु वहां से वापस नहीं गये थे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, आपने स्नान किया । वहां तक ठीक है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं-नहीं, स्नान का मेटर नहीं है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं उसमें नहीं जा रहा हूं न भई ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- स्नान के बाद नागा साधु भाग क्यों गये ?

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं-नहीं, कोई नागा साधु भागा नहीं है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नहीं, जब आप उनके साथ नहाये तो वह भाग गये । (हंसी)

श्री राजेश अग्रवाल :- नहीं-नहीं, उनकी वापसी ही उसी समय होती है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, अव्यवस्था का सवाल वहां के स्थानीय विधायक ने उठाया है अगर वह सच है तो आप जांच की घोषणा कर दीजिए या तो आप सदन में इस बात को बोलिए कि राजिम के विधायक के द्वारा गलत आरोप लगाया गया है। आप ऐसा बोलिए कि उनका आरोप सत्य नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, अगर विधायक अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहते हैं राजिम के विधायक महोदय सक्षम हैं उन्हें आपकी सहायता या सलाह की जरूरत नहीं है। कृपया मेरा निवेदन है कि..(व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव:- माननीय सभापति महोदय, मैडम सवाल इस बात का नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, जो राजिम का विषय आएगा। राजिम के विधायक महोदय सक्षम हैं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके भी सलाह की जरूरत नहीं है, वह स्वयं बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव:- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल खल्लारी विधान सभा का सदस्य नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ विधान सभा का सदस्य हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, वह राजिम के जनप्रतिनिधि हैं। माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक यहां सदन में उपस्थित हैं। उनको भी आपके सलाह की जरूरत नहीं है। वह भी बोल सकते हैं। अपनी बात रख सकते हैं।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। राजिम विधायक महोदय जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, राजिम के विधायक महोदय जी अपनी बात रखने के लिए सक्षम हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, वह अपनी बात को स्वयं रखेंगे। आपके भी सलाह की जरूरत नहीं है। राजिम के विधायक महोदय स्वयं सक्षम हैं।

सभापति महोदय :- राजिम विधाय महोदय जी बोल रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, राजिम विधायक महोदय अपनी बात रखने के लिए सक्षम हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- वह अपनी बात स्वयं रखेंगे। आपके भी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- उन्हें विपक्षी सदस्यों से तो बिल्कुल सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- आप अपने हाथ को छाती में रखकर अपनी बात कहेंगे।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य इस बीच में राजिम के संबंध में बोल रहे हैं। राजिम कुम्भ में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही सुन्दर ढंग से राजिम कुम्भ की व्यवस्था की थी और कहीं अधिकारियों की कुछ कमीबेसी में कुछ रहा। मैंने उस संबंध में वहां आवाज भी उठायी, उस पर निर्देश भी दिया, उसके बाद उसमें सुधार भी हुआ है। तो कहीं कमीबेसी होती है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जिम्मेदारी है अगर कहीं कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें निर्देश करने का हमारा अधिकार है और उस अधिकार के तहत हमने बात भी की। हमने अधिकारी, कलेक्टर, सी.ई.ओ. और जो नोडल अधिकारी हैं तो उसके बाद उसकी व्यवस्था भी सुधार ली गयी। वहां साधु-संत महात्माओं का इस समय कहना चाहूंगा कि

राजिम कुम्भ में इतने वर्षों में जितने वर्ष आयोजन हुआ होगा, उसमें कहीं ज्यादा व्यवस्था और वहां जनता जनार्दन की शानदार उपस्थिति रही है। हर साल से ज्यादा साधु-संत महात्माओं की उपस्थिति रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कुम्भ कल्प का पूरे देश दुनिया में एक पहचान बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी आप जिनकी बात बोल रहे थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दे भी दिया है, उन्होंने बोल भी दिया है और माननीय मंत्री जी ने भी...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आपके दल के विधायक सदन में भी बोल रहे हैं कि राजिम कुम्भ में कुछ-कुछ अव्यवस्था हुई थी। कलेक्टर से बात हुई है, नोडल अधिकारी से बात कर रहा हूँ । एक तरफ आप बोलते हैं कि वहां कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय मंत्री जी ने द्वारिकाधीश यादव जी को अच्छे से निमंत्रण नहीं दिया था। अगली बार उन्हें याद से बुलवा लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें उसी बात की नाराजगी है।

श्री रोहित साहू :- माननीय द्वारिकाधीश भईया, माननीय सदस्य जी आप नागा साधुओं की जो बात कर रहे हैं उनके साथ हमारे धर्मस्व मंत्री जी ने भी स्नान किया है और हम लोगों ने भी स्थान किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वह भगे-वगे नहीं थे। उन्होंने नहाने के बाद कपड़ा पहन लिया था। वह नागा नहीं रहे, उन्होंने नहाने के बाद कपड़ा पहन लिया था। (हंसी)

श्री रोहित साहू :- द्वारिकाधीश भईया, आने वाले समय में आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। आप भी स्नान करने आईयेगा।

समय
1.27 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं</u>

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 267 क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा। निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
3. डॉ. चरणदास महंत
4. श्री बालेश्वर साहू

5. श्रीमती अंबिका मरकाम

समय
1.28 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसवां, इकतीसवां, बत्तीसवां,तैंतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चौवालीसवां एवं पैंतालीसवां प्रतिवेदन

सभापति (श्री अमर अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसवां, इकतीसवां, बत्तीसवां,तैंतीसवां, चौतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां, इकतालीसवां, बयालीसवां, तिरालीसवां, चौवालीसवां एवं पैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समय
1.29 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

1. श्रीमती शेषराज हरवंश
2. श्रीमती अंबिका मरकाम
3. श्री संदीप साहू

समय :-
1:30 बजे **वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा**

मांग संख्या	**3**	**पुलिस**
मांग संख्या	**4**	**गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
मांग संख्या	**5**	**जेल**
मांग संख्या	**30**	**पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**46**	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

उप मुख्यमंत्री, गृह (श्री विजय शर्मा) :- सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	3	पुलिस के लिये - आठ हजार एक सौ नवासी करोड़, नौ लाख,चौंसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	4	गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक सौ नवासी करोड़, चौवालीस लाख, छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	5	जेल के लिये - दो सौ छियासठ करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये-आठ हजार चार सौ बीस करोड़, चार लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये - दो सौ पच्चीस करोड़ रूपये तथा
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- तीन हजार एक सौ बयालीस करोड़, इकतालीस लाख, पन्चानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-3

पुलिस

1. श्री भूपेश बघेल	1
2. श्री कवासी लखमा	2
3. श्री उमेश पटेल	3

4. श्री लखेश्वर बघेल	5
5 श्री दिलीप लहरिया	1
6. श्रीमती शेषराज हरवंश	2
7. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2

मांग संख्या-4

गृह विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री भूपेश बघेल	2
2. श्री लखेश्वर बघेल	2
3. श्री द्वारिकाधीश यादव	1
4. श्रीमती शेषराज हरवंश	2
5. श्री ओंकार साहू	1
6. श्रीमती चातुरी नंद	1

मांग संख्या-5

जेल

1. श्री भूपेश बघेल	1
2. श्रीमती शेषराज हरवंश	2

मांग संख्या-30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री भूपेश बघेल	1
2. श्री उमेश पटेल	3
3. श्री लखेश्वर बघेल	11
4. श्री दलेश्वर साहू	1
5. श्री दिलीप लहरिया	14
6. श्रीमती शेषराज हरवंश	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

7. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह 2
8. श्री द्वारिकाधीश यादव 2
9. श्री जनक ध्रुव 1
10. श्रीमती चातुरी नंद 1
11. श्री ओंकार साहू 1

मांग संख्या-46

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. श्रीमती शेषराज हरवंश 1

मांग संख्या-80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1. श्री भूपेश बघेल 1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री दलेश्वर साहू ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मांग संख्या-3 पुलिस, मांग संख्या-4 गृह विभाग, मांग संख्या-5 जेल, मांग संख्या-30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मांग संख्या-46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मांग संख्या-80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के बजट में अपनी बात रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात आवास से शुरू करूंगा । प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, नियद नेल्लानार योजना और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी ग्रामी अभियान के तहत पूरे प्रदेश को कवर करने का आपका प्रयास रहा, आपने उस प्रयास में पूरी तनमयता से, पुरजोर के साथ किया। मैं इस आवास के बारे में बहुत सारे ध्यानाकर्षण, प्रश्न लगाता रहा। आपने वादा भी किया था, मैं उसकी गहराई में जाना चाहूंगा। आवास स्वीकृति को 3 बिन्दुओं पर केन्द्रित करने की कोशिश की गई है। 1. सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय जनगणना एस.आई.सी.सी. 2011, 2. आवास + सर्वेक्षण 2018 3. आवास+2.0 सर्वेक्षण 2024, आपने इसी के तहत कुछ मात्रा में आवास निर्माण को कव्हर करने का

प्रयास किया है। सभापति महोदय, मैं इसमें बताना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण का लक्ष्य 11 लाख 50 हजार 315 था, जिसके विरूद्ध आपने 9 लाख 96 हजार आवास स्वीकृत कर पाये। 2024-25 तक 1 लाख 93 हजार 478 आवास शेष रहा है। सभापति महोदय, अब हम वर्ष 2025-26 में चलते हैं। यह 3 पाईंट पर है, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत आवास वाले में, आवास+सर्वेक्षण तथा आवास +2.0 सर्वेक्षण के आकड़ें बता रहा हूं। वर्ष 2025-26 में 3 लाख 766 आवास निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें आपने 2 लाख 65 हजार 575 आवास निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति कर पाये तथा 35,191 आवास शेष रहा। वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में भी लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई और अपने लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं कर पाये।

सभापति महोदय 'नियद नेल्लानार योजना' के तहत लक्ष्य प्राप्ति हेतु खानापूर्ति का प्रयास रहा है। वर्ष 2025-26 में 15 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य था। 15 हजार आवास में से 3,351 आवास निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति कर पाये तथा 11 हजार 649 आवास शेष रहा। हम आपको किस बात के लिए पैसा देंगे ? आपके पास पैसा होते हुए लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। आवास निर्माण शेष होने का क्या कारण है ? क्या आपको समीक्षा के दौरान आपके अधिकारियों ने अवगत कराया ? 'नियत नेल्लानार योजना' के आकड़ें हैं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 2025-26 में 35,234 आवास का लक्ष्य था, परन्तु आपने 17,147 आवास निर्माण लक्ष्य तक पहुंच पाये एवं 16,087 आवास शेष है। आपको किस बात के लिए पैसा दें ? आपको पैसा दे रहे हैं, आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। ये अधिकृत आकड़ें हैं, मैं किसी चलचले या पेपर के माध्यम से ज्ञात आकड़ें नहीं हैं। मैं आपको वास्तविक आकड़ें के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं।

सभापति महोदय, उपरोक्त उन लक्ष्यों की पूर्ति एवं शेष आवास निर्माण के बारे में पूरा बताया है। कुल 14 लाख 99 हजार 315 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख 72 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति कर पाये तथा 2 लाख 16 हजार 405 आवास नहीं बना पाये। आवास निर्माण नहीं करा पाये, इसके क्या कारण हैं ? मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा आगाह करना चाहूंगा। जॉब कार्ड डिलीट हो जाने का क्या कारण है ? किसी का एक किश्त, किसी का दूसरा किश्त मिला है। आपने जॉब कार्ड डिलीट हो जाने के कारण आज भी गरीब तबके के लोग आवास के लिए भटक रहे हैं। आपने उनके आवास भी स्वीकृत कर दिए। आप एक बार चिंतन करें, मनन करें और समीक्षा करें। मैंने उसमें प्रश्न लगाया था कि कितने लोगों का जॉब कार्ड डिलीट हो जाने के कारण एक ही किश्त दे पाये हो, आप दूसरा और तीसरा किश्त नहीं दे पा रहे हो। वर्क लोड जनरेट नहीं होने के कारण, सभापति महोदय, जब हम लोग अपने ईलाकें में जाते हैं तो लोग बताते हैं कि एक ही किश्त मिला है। जब उनका आवास स्वीकृत हो गया है तो उनका दूसरा किश्त भी मिल जाना चाहिए, तीसरा किश्त भी मिल जाना

चाहिए। जमीन आवंटन के कारण से अगर आपको नहीं मिल रही है, वह अलग चीज होती है, पर यह दो मुख्य कारण हैं। माननीय मंत्री जी को भी मैं इस पर इशारा करना चाहूंगा कि आपके जॉब कार्ड डिलीट हो जाने के कारण वर्क लोड जनरेट नहीं होने के कारण कई अन्य कारणों से कम से कम प्रदेश की संख्या, प्रदेश का अगर आप फिगर देखोगे तो कम से कम लाखों के ऊपर आवास प्लस का पहली किश्त, दूसरी किश्त, जो भी हो। पहली किश्त चले जाने के बाद दूसरी किश्त हम नहीं दे पाए हैं, सभापति महोदय, यह आवास की समस्या है। मनरेगा में चलते हैं । मनरेगा का तो नाम बदल दिया गया है, पर मजदूरी भुगतान लंबित। वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ 44 लाख 29 हजार। वर्ष 2024-25 में 42 करोड़ 14 लाख का है, यह सिर्फ आपका मजदूरी भुगतान है। सभापति महोदय, सामग्री का भुगतान वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 55 लाख 7 हजार। वर्ष 2024-25 में 41 करोड़ 30 लाख 34 हजार। तो किस बात का पैसा? मजदूरी भुगतान को तो कम से कम नहीं रोकना चाहिए । सभापति महोदय, और सामग्री का एक बार तो चले कि थोड़ा ऊंच-नीच हुआ तो मजदूरी का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी, हम लोग भी अवलोकन करते हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और चिंतन भी करते हैं और समीक्षा भी करते हैं। पर छोटी-छोटी चूक हम देख नहीं पाते और ऐसा लगता है कि हम आगे पाठ पीछे सपाट। मैं आपकी जगह रहता तो हर चीज में चर्चा कराता। किसी भी मुद्दे को लेकर हम लोग विपक्ष के हैं, आईना की तरह हैं और आईना जब तक दिखाएंगे नहीं तो समीक्षा कैसे करेंगे? अधिकारी तो अपने हिसाब से फिगर देते हैं, आपकी किताबी कलम करके देखते हैं और जैसे आपने कहा कि जॉब कार्ड डिलीट, वर्क लोड जनरेट, यह छोटी-मोटी बात नहीं है और कई सालों से आप अपने अधिकारी से पूछिएगा और इस पर समीक्षा चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसका निदान आप कर सकते हो, आप सक्षम हो। मनरेगा का मैंने बता दिया कि आपका भुगतान, सामग्री का भुगतान भी लंबित है और मजदूरी का भुगतान लंबित है। सभापति महोदय, हम स्वच्छ भारत मिशन पर चलते हैं फेज-2 घटकवार। जिसमें ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, व्हीकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्रचार-प्रसार प्रशासनिक मद। आप सिर्फ प्रशासनिक मद में 83% खर्च किए हो, बाकी में 4%, किसी में 8%, किसी में 12%, 4%। सिर्फ प्रशासनिक मद है, जिसमें आपने 83% किए हैं। इतनी बढ़िया योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे पैसे को हम खर्च नहीं करेंगे तो किस बात का पैसा देंगे ? सभापति महोदय, किस बात का अनुमोदन करेंगे? तो इस पर भी आपको समीक्षा की आवश्यकता है । कुल मिलाकर पूरा एवरेज देखा जाए तो आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सिर्फ 6% प्रोग्रेस है। साल गुजर गया है, जब प्रतिवेदन को पढ़ोगे तो दिसंबर की बात करते हैं । सभापति महोदय, फरवरी में चर्चा कर रहे हैं, पूरे एक महीने से क्वेश्चन-आंसर की तैयारी करते हैं तो प्रतिवेदन भी हमारा लेटेस्ट प्रतिवेदन आना चाहिए । सारे विभागों की यही स्थिति है । कई विभाग तो आय-व्यय पर जानकारी भी नहीं दिए हैं, उनका भी आएगा तो हम बारी से बताएंगे। आपके विभाग की 15 दिसंबर तक की जानकारी

आपके प्रतिवेदन में आयी है । प्रतिवेदन को भी सुधारना चाहिए । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आपने बजट डालने का प्रयास किया और इस समय भी थोड़े से गंभीरतापूर्वक लिए हैं सभापति महोदय, इसमें नो डाउट। पर कितना हमको आवश्यकता है, कितना हमको वार्षिक संधारण करना है, कितना रिपेयरिंग करना है, इस बात का उस हिसाब से बजट आपको रखना चाहिए, पर आप नहीं कर पाये। इसी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। चूंकि मेरा मेरा पर्सनल गांव आलिवारा है, उसमें जब पहला रेलवे का एक लाइन बना, उसके बाद सेकंड बना, अब थर्ड बन रहा है। उसके साथ-साथ वहां पर ओव्हरब्रिज भी बन रहा है। मेरे बेटे की शादी थी। मैंने सी.ई.ओ. को request किया कि आप कम से कम मेरे मेहमान लोगों की आने-जाने की समस्या को दूर कर दीजिये। मेरा भीम सिंह जी से भी मिलने का प्रयास रहा। मैं मंत्रालय जाता था, लेकिन उनसे मिलने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। एक-दो बार ऐसी-ऐसी शादी आ गयी तो मैं personally telephone से बात किया था। आज आप उस गांव का प्रधानमंत्री सड़क को देखिए। मैंने लेटर देकर भी प्रयास किया। मैंने प्रश्न के माध्यम से ध्यानाकर्षण भी कराया था। कलेक्टर ने भी पत्र जारी किया था। रेलवे विभाग को पत्र कलेक्टर ने लिखा था, लेकिन विभाग की जो Responsibility होनी चाहिए, वह उनके पास नहीं है। वहां लगातार हाईवा चल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो फोर लेन सड़क नहीं बन सकता। आज आप देखिएगा कि मैं कैसे आता हूं और कैसे जाता हूं। आज इस पर दो प्रश्न लगे और उसके उत्तर में गैर जिम्मेदारी से जवाब देना कि समय-सीमा बताया नहीं जा सकता। हमने प्रयास किया और लेटर का उल्लेख भी किया, पत्र क्रमांक का भी उल्लेख किया। अगर मैं कुछ करता हूं, वहां बैठता हूं तो वह फोर लेन बनेगा भी नहीं, लेकिन आप आश्वासन भी दे देते कि हम तत्काल उसको बनवायेंगे। हमने प्रशासनिक तौर पर पूरा प्रयास किया। हालांकि, मैं मंत्री जी से मुलाकात नहीं किया हूं, लेकिन वह प्रधानमंत्री सड़क है इसलिए मैंने कह दिया था। अब मैं मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना की जो परिकल्पना है, वह बहुत शानदार है। No doubt. जिसने भी इस योजना की शुरुआत की है। जब किसी योजना की शुरुआत होती है। मैंने पिछले समय भी इसका बड़ा उल्लेख किया है कि लेवी वाय होगा। जहां मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू होगी, वहां यात्री प्रतीक्षालय बनेंगे, वहां पर बोर की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कोई रोड बन रही है और वह रोड रोड जिस गांव से गुजरेगी, उस गांव के हर गली में सी.सी. रोड बनाने का भी प्रावधान था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक बाजू वाले सड़क की लोक निर्माण से स्वीकृति हो गई थी। मैंने कहा कि ना-ना, मैं मुख्यमंत्री सड़क योजना से स्वीकृति करवाऊंगा। मैंने उसको निरस्त करा कर मुख्यमंत्री सड़क योजना से स्वीकृति कराया। उस समय हमारे अजय चंद्राकर जी मंत्री थी। ओ चंद्राकर जी, आपको याद है? जब आप मंत्री थे, तब मैं मुख्यमंत्री सड़क योजना के विषय में गर्भगृह में घुस गया था और मुझे सदन से बाहर जाना पड़ा था। आज फोर लेन सड़क बनने के बाद..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपका सम्मान किया या नहीं किया, यह बताइये?

श्री दलेश्वर साहू :- लेकिन आपने सिर्फ आवेदन, निवेदन, पत्राचार में नहीं किया। मुझे अकेले अपने दल को छोड़कर गर्भगृह में जाना पड़ा था। आज फिर वही स्थिति बन रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज फिर से वही स्थिति आ गई है कि फोर लेन सड़क बनने के बाद मेरे गांव का एक बार निरीक्षण करा लिया जाए, परीक्षण करवा कर वहां जाकर देखिये कि वहां की कैसी स्थिति है? वहां कैसे गड्ढे हो गये हैं? मैंने अपने बेटे की शादी को कैसे निपटाया है, वह मैं ही जानता हूं। यह मुख्यमंत्री सड़क योजना की कल्पना जहां का तहां हो गया। अब उसी मुख्यमंत्री सड़क में डामर की जगह में एल.पी.जी. गैस का बिल बनाकर प्लेसमेंट के माध्यम से लाखों रुपए हड़प लिया गया था। यहां इतना अंधेर नगरी है। वह जो भी होगा, उसमें किसका राज था, यह मैं नहीं बताना चाहूंगा। उस समय मंत्री अजय चंद्राकर जी ही थे, सभापति महोदय। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए आपने वर्ष 2024-25 में 92 करोड़ रूपये का आवंटन दिया, उसमें आपने सिर्फ 41 करोड़ खर्च कर पाया है। शेष 51 करोड़ रूपये बच गया। यह सिर्फ 44% आपका प्रोग्रेस रहा। मंत्री जी, आपने वर्ष 2024, 2025, 2026 में 93 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया था, जिसमें आपने 23 करोड़ 94 लाख 62 हजार ही व्यय कर पाय है और आपके पास 69 करोड़ 5 लाख 38 हजार शेष है। यह 26% आपका प्रोग्रेस है। वर्ष 2024-2025 में आपका प्रोग्रेस 44% है और 2025-2026 में आपका प्रोग्रेस 26% है। हम नई-नई योजना जरूर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम फिगर पढ़ते हैं, यह बजट लाते हैं, वह बजट लाते हैं तो आपका प्रोग्रेस प्रतिशत 44% और 26% रहा है। अभी आप जब बोलेंगे कि हमने यह कर देंगे है, वह कर देंगे। हम आपका बजट सुनेंगे, लेकिन हम जिस बात को बोल रहे हैं, वह भी हकीकत है। इसलिए हम आपको किस बात का पैसा देंगे? आप अपने पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप समय में समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं और आपका प्रोग्रेस परसेंटेज ही बता रहा है। यह स्थिति भी 23 नवंबर का है। आपका जो रिमार्क है, वह 30 नवंबर, 2025 की स्थिति में है। शायद दो महीने में आपने कमाल कर दिया होगा तो नहीं मालूम, हमने तो आपका जो प्रतिवेदन पढ़ा उसी हिसाब से आपको उत्तर दे रहे हैं । केन्द्र प्रवर्तित पर कुछ करेंगे और राज्य प्रवर्तित योजना में हम अपनी बात रखेंगे । सभापति महोदय, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना को हमेंशा बोलता हूँ और जब तक वह नाम प्रतिवेदन से नहीं हटेगा ना तो मैं बोलते ही रहूँगा या तो उसको हटा दो । एक महान व्यक्ति का नाम रखना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जरा भी सोचना नहीं, जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना की मैंने जो परिकल्पना बताई थी, वैसे आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना की परिकल्पना जो है, आपने हर प्रदेश के हर जिले को...।

श्री अजय चन्द्राकर :- भोलाराम जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- भोला नहीं, दलेश्वर साहू ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुलेश्वर जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, नाम को सही लीजिए ।

सभापति महोदय :- आपको इसके बाद बोलना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हॉ-हॉ, बोलूँगा ना । मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, आप धन्यवाद दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको छत्तीसगढ़ की धरती से उद्‌घाटित किया था, उसकी घोषणा की थी । समझ रहे हो ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं वही चीज को तो बोल रहा हूँ । आप जिसके नाम को मिट्‌टी में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, परिकल्पना क्या थी ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन योजना के तहत पूरे जिलें में 15-15 गांव का क्लस्टर बनाये हैं । शहर के तर्ज पर गांव को बसायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पिछले कार्यकाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लागू था, उसके पैसे का क्या उपयोग किया गया, आप इसकी जांच कराओगे क्या, तथ्य दूँगा तो आप जांच की मांग करोगे ? मैं तथ्य दूँगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप इतना सिंसियर होते तो क्वेश्चन लगा देते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने रूर्बन के पैसे से गोबर खरीदी की है, समझ रहे हो । (शेम-शेम की आवाज) प्रधानमंत्री जी ने उसके लिये रूर्बन मिशन नहीं लाया था, आपके गोबर खरीदने के लिये ?

श्री दलेश्वर साहू :- आज की स्थिति में क्या किये हो ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अगर आपको डाऊट रहता तो आज तक क्वेश्चन लग जाता ? आप हर समय जांच की मांग किये हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलना, तोर से त लगे इलाका ए । धमतरी जिला में दू ठन कलस्टर रहिसे । जांच कर लेथन।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, हां बिल्कुल करवाव न भई । क्या दिक्कत है ? आपका शासन है, आप क्यों बंद कर दिये ? आपको उपयोग करना चाहिये था । एकाध बता दो कि आपने शहर के तर्ज पर किया है । सभापति महोदय, आपने अटल समरसता भवन की बात की है, अटल का नाम था और उसको भी आपने बंद कर दिया । महापुरूष का नाम रखना और धरातल पर न देखकर उसे मिट्‌टी पलीद करने का प्रयास हुआ है । आपकी योजना है, आपका अधिकार है, आप कैबिनेट में बैठते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, मंत्री का अधिकार है, आप कर सकते हैं नो डाऊट । सभापति महोदय, पीड़ा होती है कोई भी महापुरूष हो, आपका महापुरूष हो, हमारा महापुरूष हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना में आपने पैसा देना बंद कर दिया है । शहर की तर्ज पर गांव का उद्‌धार करने की नीति के बारे में आप सोच लो। जब आवंटन ही बंद हो गया तो उस पर हम क्या बात करेंगे, हम केन्द्र प्रवर्तित में जा रहे थे । आपने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्त पुरूस्कार योजना कैसे बंद कर दिया, इसमें आप हर साल किसी जिले के पंच-सरपंच को पुरस्कृत करते थे, आप बताईये कि इस साल आपने क्या किया है ?

इसमें जिले के एक भी योग्य व्यक्ति हैं, उसमें आपको पुरस्कार देने का अधिकार था, आपने यह नहीं कर पाया । सभापति महोदय, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सशक्त विकास पुरूस्कार, यह कहां गया है, हम इतना नहीं बोलेंगे ? आपका केन्द्र प्रवर्तित योजना है और एक भी बता दें कि किसी के नाम से सम्मान दिया गया हो, जबकि आपने नाम रखा है और इसलिये हम बोल रहे हैं । श्यामा प्रसाद मुखर्जी गया, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरूस्कार समाप्त, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार को भी आपने नहीं दिया। मैंने कोशिश की, नहीं देने का क्या कारण है? उसमें एक टीप आई है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों से नामांकन के आधार पर जिला जनपद पंचायत के असिस्टेंट के इंडेक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की वजह से आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके तहत उस पोर्टल में आपको डालना था। यह स्पष्ट नहीं है, हमको यह मालूम है कि आपने इनका सम्मान नहीं किया। आप योजना का लाभ नहीं उठा पाए, एक असिसमेंट इंडेक्स सॉफ्टवेयर की भी समीक्षा करनी चाहिए। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, ये किसी महान व्यक्ति का पुरस्कार है, अगर किसी पंच, सरपंच को पुरस्कार मिलता है तो क्या दिक्कत है ?

सभापति महोदय, अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (DDUGKY) के बारे में आ जाते हैं। इसको भी आपने बंद कर दिया, यह एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। आपका ये हाल है, महान पुरुषों जिनका नाम नेशन करते हैं, उसको आपने बंद कर दिया। आपने महात्मा गांधी का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। ये महान पुरूषों के नाम में योजना सम्मिलित है जिसको आपने बंद कर दिया। अब हम राज्य प्रवर्तित योजना में आ जाते हैं। मैंने अटल समरसता भवन का बीच में उल्लेख कर दिया था। आपके कार्यकाल में राज्य प्रवर्तित योजना के तहत् अटल समरसता भवन एक भी नहीं बनाया गया है। इसके विकल्प के रूप में आपने महतारी सदन योजना शुरू की है। आपको कम से कम अटल समरसता भवन के नाम को जीवित रखना था, उसमें 19 लाख रूपये तक के सामुदायिक भवन बनाने की योजना थी, लेकिन आपने एक भी स्वीकृति नहीं दी। आपने ज्ञानोदय वाचनालय को भी बंद कर दिया, आपने छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन योजना को भी बंद कर दिया। सुराजी गाँव योजना, ये कांग्रेस की योजना थी, इसलिए आपको बंद करने का अधिकार था, आपने बंद कर दिया। आपने गौठान योजना बंद कर दी, कांजी हाउस बंद कर दिया, रूरल इंडस्ट्रियल बंद कर दिया, इस साल इसमें थोड़ा सा बजट डालने का प्रयास किया, आपने वर्ष 2023-24 में इसके लिए कोई राशि नहीं दी थी, आपने अभी शुरूआत की है, कहीं न कहीं यह योजना बहुत अच्छी है, लोगों का आउटपुट आया होगा, इसलिए आपका इसमें ध्यान देने का प्रयास रहा है। चारागाह योजना बंद, नरवा योजना बंद, आपने राजीव युवा मितान योजना बंद कर दी। आपने दाल भात योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया। आपने गोधन न्याय योजना बंद कर दिया। मेरे पास जो जानकारी आई है और मैंने जितना पढ़ा है, उसके हिसाब से बताया। सभापति

महोदय, हम महापुरुषों के नाम हटा देते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है या तो उनको गंगा, गोदावरी का नाम दे दीजिए । हम अच्छे स्थल का नाम कर देते हैं। किसी महापुरूष का नाम कर देते हैं।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, 25 मिनट हो गए, थोड़ा संक्षेप करिए। मैं समय बता रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति जी, मैंने अभी शुरूआत की है। ठीक है।

समय :
1.58 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका मैं अध्यक्ष था। मंत्री जी वह आपके अंदर में ही आता है। इस प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में था। हम लोगों ने जिले के ग्रामीण नगर पंचायत को भी शामिल किया था। इसमें सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पैसा देते थे। चाहे वह बस्तर हो या सरगुजा विधान सभा क्षेत्र हो। किसी भी विधान सभा क्षेत्र में देने का अधिकार था, आपने उसको सीमित कर दिया, क्या हमारे बस्तर में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं, क्या सरगुजा में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं, आपके शासन को चलाता कौन है ? कौन देखता है, कहां से संचालित होता है? यह बड़ा दुखद है। आपने इसको 90 विधान सभा की जगह 35 विधान सभा क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है। सरगुजा को सरगुजा तरफ और बस्तर को बस्तर तरफ और मध्य को मध्य तरफ कर दिया है। आपने पिछड़ा वर्ग के पूरे विधान सभा क्षेत्र को सीमित करके 35 विधान सभा कर दिया। यह अद्भुत घटना है। इसलिए उस दिन पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक में सारे विधायक, बी.जे.पी. के विधायक, सत्ता दल के लोग भी बोल रहे थे कि इसका बजट बढ़ाया जाए, बजट बढ़ाया जाए। बजट पर्याप्त था और 80 करोड़ रूपये का बजट था, परंतु उनको सीमित कर दिया गया। मैं विपक्ष के सारे विधायकों, सरगुजा और बस्तर के विधायकों को भी कहना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग का पैसा आपको नहीं मिल सकता है। जब तक पुनः संशोधन नहीं होगा, तब तक वह संभव नहीं है। आप राजपत्र पढ़िए। उस दिन की बैठक में आपको दिया गया था।

समय :
2.00 बजे

सभापति महोदय, थोड़ा सा पुलिस विभाग में चले जाते हैं। राज्य में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता, साहसिक दक्षता का परिचय दिया है। आम जनजीवन सुरक्षित चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है। महत्वपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों, परियोजनाओं के दौरान गड़बड़ी होने पर पुलिस सतर्कता के साथ-साथ अपराध पंजीबद्ध, सामाजिक, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने का यह एक प्रस्तावना है। जिसमें आपने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 रेंज में बांटा है। रायपुर, दुर्ग,

सरगुजा, राजनांदगांव और बस्तर। जिसमें आपने पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को पदस्थ किया है। अभी बजट में उसमें विस्तार किया गया है। आपके अभी इस साल के बजट में उसकी थोड़ी सी संख्या बढ़ाने का आपका प्रयास रहा है। वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में राशि 7786.66 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। प्रथम अनुपूरक में भी आपने 655.40 करोड़ रूपये, यानी कुल मिलाकर 8442.06 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया। आपने पुलिस बल में वृद्धि की। आपने अधोसंरचना निर्माण का काम किया। केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत आपने काम किया। यह प्रतिवेदन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद राज्य बजट योजना के तहत, केंद्रीय बजट योजना के तहत भी उसमें बजट का प्रावधान था। आपने 18 थाना, 14 चौकी, 4 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 3 नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस बल में अनुविभागीय अधिकारी केंद्रीय सहायता के अंतर्गत किया।

सभापति महोदय :- आपको 30 मिनट हो गये। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, बस एक मिनट। जब आपने बजट लाया तो आपने पूरी कोशिश की कि उसका विस्तार भी किया, बल बढ़ाये, थाने बढ़ाये। जहां-जहां आपका प्रयास रहा है तो सही मायने में आप गंभीर हैं। नो डाउट, परंतु क्या थाना बढ़ा लेने से या और कुछ कर लेने से कुछ हो रहा है? मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मैंने इन सबकी थोड़ी सी तारीफ भी की कि आपने प्रयास किया। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 1,114 हत्याएं हुई थीं। आपने वर्ष 2024-2025 में उसको बढ़ाकर 2,000 कर दिया। यह घटना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आप बजट दे रहे हैं, कई पुलिस थाने खोल रहे हैं। आपने 18 थाना, 14 चौकी, 4 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 3 नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 1 अनुविभागीय अधिकारी, 1 उप अधीक्षक, 1 हाईटेक थाना का प्रावधान किया और जितना बन पड़ा, आपने करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रयास किया। परंतु कंट्रोल? आपके अधिकारी व आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा है? वर्ष 2024-25 में 1,114 हत्याएं होती थीं, वह 2,032 हो गयी। जस्ट डबल हो गया। एकाध-दो प्रतिशत घटता-बढ़ता रहता है तो चलेगा। सीधा-सीधा जस्ट डबल हो गया। आप थाना खोल रहे हैं या अपराध का गढ़ बना रहे हैं? आदमी प्रयास करता है कि थाना खोलने से, ऐसा करने से ऐसा होगा, यहां पर यह करने से ऐसा होगा, परंतु अपराध की जो फिगर आ रही है, वह ऑथेंटिक है। लूट-पाट के 458 मामले थे, जो बढ़कर 802 हो गये तो हम आपको किस बात के लिए भर्ती करने के लिए पैसा देंगे ? क्या अपराध बढ़ाने के लिए हम आपको पैसा देंगे ? यह आपका ही प्रतिवेदन है और आपके जवाब में उत्तर है। अपहरण के 3,644 मामले थे और हम सोचते थे कि यह 1-2 प्रतिशत घटेगा। मैं इसे पढ़ने के बाद एक चीज जरूर कहूंगा। वर्ष 2024-25 में लूटपाट के 458 मामले थे, जो वर्ष 2025-26 में 802 हो गये हैं, इसमें सीधा-सीधा 344 प्रकरणों की वृद्धि हो गयी, यह जस्ट डबल हो गया। हत्या के मामले में जस्ट डबल की वृद्धि हो गयी है । वर्ष 2024-25 में अपहरण के 3,644 मामले थे और वर्ष 2025-26 में वह 6,993 हो गये। यह फिगर बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, यह जस्ट डबल हो

गया है। हम आपको किस बात के लिए पैसा देंगे ? 3,349 प्रकरण अधिकतम, 48 प्रतिशत वृद्धि, लूटपाट में 42 प्रतिशत और हत्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है हम आखिरी में आपका भी भाषण सुनेंगे जिसमें आप प्रोग्रेस बतायेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, अभी तो मेरा चोरी, डकैती और बलात्कार के प्रकरणों में बोलना बचा है। मंत्री जी, मै फैक्ट बोल रहा हूं। आपको रात में नींद नहीं आयेगी। आप भले ही बोलकर और हमको खुश करके चले जायेंगे लेकिन आपको नींद नहीं आयेगी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, दलेश्वर जी वरिष्ठ सदस्य हैं। वह अभी का डाटा पिछले वर्ष से जोड़कर बता रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह आपके कार्यकाल का ही डाटा बता रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं वर्ष 2023-24 का ही डाटा बता रहा हूं।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछले 5 साल का डाटा कहां है ?

श्री संगीता सिन्हा :- जी नहीं, पिछले 5 साल का नहीं, वह पिछले वर्ष का बता रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप पिछले 5 साल का गबन करके अभी उद्बोधन दे रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- आप प्रतिवेदन में दीजिये, हम उसकी भी समीक्षा करेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप एन.सी.आर.टी. के डाटा की बात कर लीजिये ना।

श्री दलेश्वा साहू :- आप बिल्कुल करिये। आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिये। सभापति महोदय, मैं तो जो स्थिति है, उसे बता रहा हूं। चोरी के 7,960 मामले थे जो 7,948 हुए हैं, इसमें 1 प्रतिशत की कमी आयी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सच है, हम उसको बोलेंगे। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में डकैती के मामले 56-56 थे। बलात्कार के 3,151 मामले थे, इसमें भी 3 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। वर्ष 2024-25 में हत्या के प्रयास के 324 मामले थे, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1034 हो गये, जिसमें 710 प्रकरण की अधिकता एवं 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मारपीट के मामले का फिगर नहीं आया है, नहीं तो मैं उसे भी जोड़े रहता। यह आपका तत्कालीन मामला था इसलिए मैंने इसे बताया है। छेड़छाड़ के मामले भी बचे गये हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मारपीट वाले मामले के बारे में रामकुमार यादव जी से पूछ लीजिए, वह बता देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, दंगे के मामले में भी वृद्धि हुई है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओ मुसवा वाला का में आही, तेला मोला चिंता हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, तत्कालीन समय में पूर्ववर्ती सरकार में पुलिस विभाग तबादलों का शिकार था। थाने नीलामी पर थे, उस पर भी हमारे वरिष्ठ सदस्य का वक्तत्य आना चाहिए। एफ.आई.आर. इसलिए नहीं लिखी जाती थी कि सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी भी उसमें संलिप्त होते थे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, यह मुसवा के का होही, तेला चिंता करत हव।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, तत्कालीन समय में जो तथ्य छिपाये गये, आज अगर वह उजागर हो रहे हैं तो उसकी वृद्धि हुई है, यह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, यह मुसवा के का होही ?

श्रीमती भावना बोहरा :- मुसवा हर मोर बाजू वाले गांव के हे। आप मन आहूं तब दोनों झन मिल के खोजबो। मोला नइ मिलिस तहान हो सकत हे कि तोला कहूं मिल जाये ।

श्री रामकुमार यादव :- मुसवा हर गांव में नइ मिलय, ओ हर शहर, नगर में मिलत हे। वह आने मुसवा हे ।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप मन ओ डहार आबे तभू खोजबे। इहां विधान सभा में तो नइ मिलय, जब विधान सभा में आबे तभू मिलय ओ हर।

श्री सुशांत शुक्ला :- ओ में आप मन मुआवजा बता देवव, बस इतना ध्यान रख लेवव।

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भावना दीदी के भावना ला समझ। ओ बुलाये हे तहान जाबे।

श्री दलेश्वर साहू :- ओखर भावना ले कद्र करे कर। सभापति महोदय, जो फैक्ट है, हम वह बोल रहे हैं। जो बढ़ोतरी हुई है, आप थाना बढ़ाने के लिए खर्च मांग रहे हैं और नाना प्रकार के जो जितना बन सके, आपने सबके लिए बजट का प्रयास किया। आपने केंद्रीय योजना के बजट का प्रयास किया, राज्य मद के पैसे के लिए प्रयास किया। थोड़ा-सा अच्छा काम हुआ है, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तारीफ करूं कि नहीं करूं ? तारीफ करनी चाहिए।

श्री रोहित साहू :- भैया, वह आपकी मजबूरी है।

श्री दलेश्वर साहू :- वह नारकोटिक्स सेल, जिस पर कल चर्चा हुई है। आपके प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। राज्य में गांजे व अफीम की खेती परिलक्षित नहीं है। किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के रास्ते से अन्य राज्यों से गांजा, अफीम की तस्करी की जा रही है जिसको आप अपने प्रतिवेदन में स्वीकार कर रहे हैं। आपके विभागीय प्रतिवेदन में यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहां तस्करी हो रही है। आपने इसको रोकने के लिये प्रयास भी किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय दलेश्वर साहू जी, मैं 5 मिनट मे आ रहा हूं, तब तक आप बोलते रहियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- तब तक ये मंत्री के गठन नई होय। कतको आत रह, जात रह, मेहनत करे मुर्गी, अंड़ा खाये फकीर।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोर तो दूध भात हो गये, तैं केसे करबे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, बढ़िया चल रहा था। आपने गांजा के उत्पादन को कंट्रोल किया। मैं जो बढ़ा, उसको भी बोला। आपने ब्राउन शुगर, अफीम, हीरोइन, चरस, एम.डी.एफ., कोकीन, डोडा, हसीम तेल, नशीली दवाई को कंट्रोल किया। पर कल की जो समोदा, दुर्ग में घटना हुई है, यह आपके पूरे कार्य को तार-तार कर दिया। यह घटना ने आपकी सारी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तारीफ कर रहा हूं, इसमें आपका कंट्रोल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिये आपने जो मेहनत की, सभापति महोदय, बढ़िया कंट्रोल हो रहा था, पर आपके समोदा, दुर्ग वाले कांड में आप कांड करने वाले के ऊपर कार्रवाई करते तो शायद कुछ और मजा होता। इसका असर जरूर पड़ता। पर एक गरीब मजदूर काम करने वाले के ऊपर आपने अपने आदमी को बचाने के लिये, नो डाउट [XX][5], कभी-कभी अपने लोग भी गलत कर बैठते हैं। पर जहां तक आप जिस सीट में बैठे हैं, जिसको आपको निर्णय करने का, दंडित करने का अधिकार है।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी को विलोपित किया जाये।

श्री दलेश्वर साहू :- है ही, उसको आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से निलंबित किया है।

श्री रामकुमार यादव :- पार्टी ले निकाले हे, तेला कैसे करबो। अब ओला अंतरिक्षयान में भेज दिये का।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने उसको निलंबित किया है, पद से हटाये हो। यह घटना ने आपको पूरा तार-तार कर दिया।

सभापति महोदय :- चलिये, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, राजनांदगांव में शहर में एक वार्ड है और हमारे विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी हैं, उनके इलाके के शहर में एक रेत चोरी का प्रकरण होता है। वह भी प्रदेश का है। चलिये कोई आउट एरिया में करे तो बात अलग है, जो नगरनिगम पालिका की मोहड़ नदी है, उसमें गोलीबारी होती है, वहां पर रैम बनाया जाता है और रैम बनाकर दादागिरी के साथ गोली चलाकर उस गांव वाले को परेशान करता है और रेती निकालने का प्रयास करता है। समय में गांव के लोग आंदोलन किये, अपने उसको पकड़ा, सब कुछ किया। पर 3 आरोपी आज भी फरार हैं और [XX], नो डाउट वह किसी का अध्यक्ष था। पर मैंने यह दो केस देखा, एक समोदा वाला अफीम की खेती करने वाले, दूसरा दिनदहाड़े शहर के बीच में, नगर निगम के बीच में जो मोहड़ वार्ड आता है, उसके बीच में

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

कितना साहस है, वह किसकी शक्ति थी, अदृश्य शक्ति कौन थी ? कोई दूसरी विधान सभा में जंगल में जाकर रेती निकालने का प्रयास करते, लेकिन यह कहीं न कहीं मुख्य रूप से राजनीतिक अदृश्य शक्ति के रूप में रहा है तब इतना बड़ा साहस किया। आज भी वह 3 अपराधी को आप नहीं पकड़ पाये हैं। उनके लिये इनाम रखे हैं। मध्यप्रदेश में जाकर जहां-जहां उनका निवास है, उनको पकड़ने से सबंधित उत्तर में आया है। सभापति महोदय, ये स्थिति है। आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये 02 प्रकरण के कारण आपके ऊपर दाग के छींटे पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, जेल भी बचा हुआ है। जेल के बारे में हमने पिछले समय बहुत बोला था कि आपके पास कैदियों को रखने के लिये जगह नहीं थी। आपकी केपिसिटी के आधार पर 300 कैदियों की जगह 600 कैदियों को रख रहे हैं। 600 कैदियों की जगह 1200 कैदियों को रखे हैं। साल भर में आपने कितने जेल भवन बनाये, क्या बनाये, यह नहीं मालूम।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि आगे पाठ, पीछे सपाट न रहे । आप सक्रिय रूप से जागरूकता के साथ, जैसे आप बजट को देते हैं तो वैसे ही बजट की समीक्षा होनी चाहिए, इन्हीं भावनाओं के साथ जो हत्या और डकैती हुई है उस पर आप जरूर समीक्षा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि आपने मादक पदार्थ पर जो कंट्रोल किया था, इस पर भी अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम आयेंगे । अन्यथा आया राम, गया राम । साहब, दो साल बचा हुआ है, यह फीगर तो रहता है और प्रतिवेदन में आता है और मेरा निवेदन है कि प्रतिवेदन कम से कम फरवरी तक होना चाहिए । जब प्रश्न लगता है, प्रतिवेदन शाखा में आते हैं कि इतने तारीख तक होना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री रामकुमार यादव :- (माईक बंद रहने पर) तोर हा बंद हे गा, चालू कर ले।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोलहूं ता तोला समझ में आही कि नइ आही, तेमे मोला चिंता हे, पहली तो । माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-3,4,5,30,46, 80 और इसमें उल्लेखित धन राशि की मांग संख्या के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपके प्रतिवेदन को देख रहा था, भाषण शुरू करने के पहले एक पृथक प्रतिवेदन बंटा है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना । यह काम भाभी जी आपका है, यह विभाग कब से हो गया ? विभाग का प्रतिवेदन बंटता है, यह योजना है । योजना का कोई प्रतिवेदन नहीं होता, इसके रिपोर्ट, इसके नियम में है कि उसको टेबल किया जाये

तो इसकी रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी, हमको आप ही आप मिल जायेगी लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि योजना का प्रतिवेदन अलग से बंटे यह पहली बार हो रहा है ।

मानननीय सभापति महोदय, मैं बहुत बार एक लाईन दोहराता हूं और वह मेरी बहुत प्रिय लाईन है । रहीम की पंक्तियां हैं, मंत्री जी, रहीम की पक्तिं सुनिये, आपको समर्पित है । भगवान ने आपको अवसर दिया है, पार्टी ने विश्वास जताया है।

दीन सबन को लखत है,

दीनहिं लखै न कोय ।

जो रहीम दीनहिं लखै

दीनबंधु सम होय ।

माननीय सभापति महोदय, गरीब सबकी ओर देखता है, गरीब की ओर कोई नहीं देखता और जो गरीब की ओर देखता है वह दीन-बंधु अर्थात् भगवान के समान है । विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मोदी जी ने या अमित शाह जी ने जिसको कह लें गरीबी उन्मूलन का आपको काम दिया है । गरीबों को ऐसे झंझट से, गरीबी से निजात, गरीबी के अभिषाप से मुक्ति दिलाने का काम आपको दिया है । मुझे जब पहली बार पूछा गया था तो मैंने कहा कि यदि प्रदेश में सबसे अच्छा विभाग है तो वह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है । जिसमें प्रदेश की लगभग उस समय की 73 प्रतिशत जनता की सेवा आप कर सकते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं विषय रखने के पहले, कांग्रेस के सदस्य जो लंबी-लंबी बात कर रहे थे । आपको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रदेश से क्षमा मांगनी चाहिए और अंधानुकरण बंद करना चाहिए और मोदी जी को, शिवराज सिंह जी को, विष्णुदेव साय जी को, विजय शर्मा जी को बधाई देनी चाहिए और बधाई इसलिये देनी चाहिए कि आपने जी राम जी विधेयक को पढ़ा है, बहुत खड़ा होती हैं । संगीता मेडम, चलिये, एक-एक लाईन पढ़िये । मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते जाईये, नहीं तो आपको एक कॉपी दे देता हूं । कौन से बिंदु से, कौन सी धारा से, कौन से निर्देश से आपको असहमति है? यह सबसे बड़ा सदन है, इसमें खुली चर्चा होनी चाहिए । गरीबी उन्मूलन या आप यह कह लें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात का दर्द होता है कि आप गरीबों की बात करते हैं। आज तक, अभी तक 2 सालों तक जो भी कार्य हुआ है, वह पूर्ववर्ती सरकार का ही कार्य हुआ है। आपने गरीबों के लिए पैसा दिया क्या? आपने अभी तक उनके लिए एक रूपया जारी किया क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको सुनने के लिए बैठी हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी तो भाषण शुरू किया है। मुझको जल्दी खत्म भी करना है। मुझे ज्यादा देर बोलना नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आप ही ने बोला है कि आप लोगों को क्या आपत्ति है। तो हमें आपत्ति है। जब आप गरीबों की बात करते हैं तो आप गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय जी ये गरीब की बात करते हैं और अडानी अंबानी का काम करते हैं। हमको इस बात का दर्द है। गरीब की बात करते हैं और पूरे प्रदेश को अडानी अंबानी को सौंपते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नियमत: तो तोला ओकर मन के नाम भी नहीं लेना चाहिए, यदि अकल हे ता। अब अकल नहीं हे तो कुछ भी कर सकथस। मैं ओ में कुछ नहीं बोलव। तें माननीय सदस्य हस तेहा।

श्री रामकुमार यादव :- अभी तुंहर बुद्धि, खोपड़ी के जांच कराना हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उसी के नाम का सदन में उल्लेख होता है जो आकर अपनी बात को स्पष्ट कर सके या किसी के योगदान को स्मरण करना है तब हम उसका नाम ले सकते हैं। आप सदन में किसी भी समय किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। यह उतने बड़े लोग नहीं है कि आप किसी भी समय किसी का किसी तरीके से उल्लेख करें। यदि वह अपने क्षेत्र के बड़े लोग हैं तो जब अवसर आयें तो उनका अनुकरण करने के लिए उदाहरण दीजिए। आप तो विधान सभा की प्रक्रिया का मजाक बना देंगे। मैंने इसीलिए कहा कि अभी बहुत सारी चीजें समझना बाकी है। मैं यह कह रहा था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मामा, मैं तोला मामू बना दूहूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव:- माननीय सभापति महोदय, भांजा, एक मिनट। भांजा जी बोल रहे हैं कि आप संगीता मैडम जी से पूछ रहे हैं कि आपको जी राम जी से किस बात से आपत्ति है। हमको इस बात की आपत्ति है कि उसमें रेश्यो 60-40 कर दिया गया। वहां डबल इंजन की सरकार है 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बिना पढ़े बात मत कर।

श्री द्वारिकाधीश यादव:- माननीय मंत्री जी, 40 प्रतिशत देने की राज्य की स्थिति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, तोला मामा से मामू कर देथो। रमजान के महीना के बधाई हो तोला। मामू, अभी रमजान के महीना चलत हे। समझ गेस।

माननीय सभापति महोदय, इसका क्या विरोध है। उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय चन्द्राकर जी से एक प्रश्न करना चाह रही हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू नहीं हुआ हूँ तब यह हाल है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह बोलते हैं कि हमें नाम से क्या परेशानी है ? मैं भी इस सदन से पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से क्या परेशानी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी में बोल रहा हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछ रही हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं नाम परिवर्तन में ही बोल रहा हूँ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय चन्द्राकर जी, एमे एक घण्टा के चर्चा मांग ले ना। चल का हो ही।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमन बोलथन ता ओ हा खड़ा होथे। ओ हा बोलनेच नइ देवय।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो भी बार-बार टोकेंगे, उसका रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए देश भर में जी राम जी का विरोध कर रहे हैं कि उसका नाम बदल दिया गया और मनरेगा हटा दी गयी। उससे महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। जब यह अधिनियम लागू हुआ तो उस समय वर्ष 2005 में मैं सौभाग्य से मंत्री था। उस अधिनियम की मूल कॉपी में इस बात के प्रावधान थे कि राज्य अपना नाम रख सकता है। हमने छत्तीसगढ़ रोजगार गारण्टी योजना नाम रखा। छत्तीसगढ़ नाम जुड़ा तो तात्कालीन नेता प्रतिपक्ष और उस समय के उप नेता और वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहां हैं, वह भोजन का आनंद ले रहे हैं क्या ? और महेन्द्र कर्मा जी रोते- कलपते, पटकते गये वह तो छत्तीसगढ़ का नाम हो गया और हमारा तो नाम कट गया। छत्तीसगढ़ नाम से इनको घृणा है, इनको दु:ख है (शेम-शेम की आवाज) उसके बाद मैं उसका कारक हूँ। उसका नाम बदल गया। छत्तीसगढ़ नहीं जोड़ेंगे। अब इसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम से रख देते हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के नाम से घृणा करने वाले हैं, आप क्या नाम बदलने का विरोध करते हैं। (शेम-शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, अब बिन्दुवार ये पूरे अधिनियम की कॉपी है। यह कितनी बड़ी बात है कि आजीविका मिशन गरीबी उन्मूलन को कैपेसिटी बिल्डिंग को इससे जोड़ा गया है। ग्रामीण अधिसंरचना को जोड़ा गया है। स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग की कमेटी बनायी गयी है । इसमें 100 दिन को 50 दिन किया गया है। माननीय मंत्री जी उसको विस्तार से प्रकाश डालेंगे, मैं नहीं डालता हूँ। लेकिन एक भी बिन्दु, तोर तो कुर्सी के जांच होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यह 150 है या 125 दिन है, आप इसे क्लियर कर दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- 150 अउ 125 ला छोड़व, 50 दिन तो देवव । दू साल में कतका दे हव, ओला बतावव ।

श्री सुशांत शुक्ला :- 100 से ज्यादा है । जो पिछले कार्यकाल में था, उससे ज्यादा है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वे अलग बोलते हैं, आप 150 अलग बोलते हो । एक्चुअल फिगर बताईए कि 125 दिन है या 150 दिन है ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, 150 दिन के बात करथे । गरीब आदमी मन ला पूछौ, गरीब आदमी मन ला अभी 50 दिन ही नहीं मिले हे ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, राज्य स्कीम से भी हम अतिरिक्त देते थे । सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांगों के लिए यदि थोड़ी की संवेदनशीलता है तो दिव्यांगों के लिए, उनके लायक रोजगार देने की व्यवस्था और कन्वरजेंस से आप ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत कर सकते हैं, इसके स्पष्ट प्रावधान । इससे पहले स्पष्ट प्रावधान नहीं था । माननीय मंत्री जी एक-एक चीज को बोलेंगे, मैं इन बातों को नहीं बोलता, लेकिन आपको असहमति किन बिन्दुओं पर है, यह तो स्पष्ट करिए। अधिनियम पढ़कर चूंकि सम्माननीया सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि इसका विरोध करना है । इन्होंने तो छत्तीसगढ़ के नाम का भी विरोध किया है, मैं तो बोल रहा हूं। इसलिए आप नाम परिवर्तन से योजना का विरोध करें, यह जो दिमागी [xx][6] कांग्रेस को भारतीय राजनीति से, प्रदेश की राजनीति से बाहर कर रही हैं, अप्रासंगिक कर रही है, उसका कारण यही है ।

श्री रामकुमार यादव :- [xx] को विलोपित किया जाये ।

सभापति महोदय :- विलोपित कर दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- करवा दे, करवा दे । मैंने आपको रहीम का एक दोहा सुनाया था, उसका कारण सुन लीजिए । विजय जी, आपको बहुत-बहुत बधाई । मोदी जी को भी इस सदन से बधाई, शिवराज सिंह जी को, विष्णु देव साय जी को बधाई। (मेजों की थपथपाहट) क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन करवाने के लिए, मनरेगा जुड़वाने के लिए भूपेश बघेल जी, महेन्द्र कर्मा जी दिल्ली गए, मैंने अभी आपको बताया । छत्तीसगढ़ के गरीबों से क्या दुश्मनी है ? हम मकान स्वीकृत नहीं करेंगे । क्यों स्वीकृत नहीं करेंगे ? नरेन्द्र मोदी जी का नाम भी नहीं लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना लिखी । चुनाव के 4-6 महीने पहले चलते-चलते हम 47 हजार, 49 हजार मकान स्वीकृत करेंगे । डैमेज कंट्रोल ऐसा कह दें।

---

[6] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया.

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अन्याय आप कर रहे हो, एक किश्त जा चुका है । श्री अजय चन्द्राकर :- तोर भाषण के समय मैं चुप रेहेंव ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सदन में बोलते हैं कि 18 लाख आवास दे रहे हैं । सभापति जी, धरातल में कहीं पर भी आवास नहीं है । अभी आपने दूसरी किश्त जारी नहीं की है ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के धान ला पूरा मुसवा के नाम में बदनाम करवा दे हव । छत्तीसगढ़ ला का हे दव, बतावव ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- छत्तीसगढ़ में अगर किसी को आवास मिला है, पर अभी आपने दूसरी किश्त जारी नहीं की है ।

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल ले मंत्री रेहे हवव, घोल के खा गेव ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पेपर के हिसाब से बात मत कीजिए, धरातल के हिसाब से बात कीजिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री आवास के नाम से 47 हजार परिवार को हम स्वीकृत करेंगे । सनातन परम्परा में विष्णु मतलब पालनकर्ता होथे, सुन ले रहाव। विष्णु जी की सरकार आई और 26 लाख लक्षित परिवारों के आवास स्वीकृत हुए । (मेजों की थपथपाहट) आप डाटा निकालिए, छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर दिखेगा । गरीबों के प्रति ये संवेदना होती है, राजनीति नहीं होती । हम नाम पर नहीं चलते । ये जो बात है, कांग्रेस को इसीलिए अप्रासंगिक कर दिया, मैंने यही कहा । गरीबों से घृणा करने वाली पार्टी यदि कोई है, कोई नेता है तो यही लोग हैं । छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं तो यही लोग हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- किसान के धान ला ले नहीं सकव अउ किसान के बड़ा हितैषी बनत हवव । समर्पण करवाथव, रकबा कम करवाथव ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि आपने 47 हजार मुख्यमंत्री आवास का उल्लेख किया । 2011 की गणना के हिसाब से 18 लाख आवास थे । 11 लाख आवास पहले बन गए थे । जनता की डिमांड आई कि इसके अलावा भी लोग जरूरतमंद हैं तो सर्वे कराया गया, वह उसके अतिरिक्त है । 2011 का जो सर्वे है, यह 47 हजार आवास उसके अतिरिक्त है । उसको हमने दिया । उसमें 7 लाख बचा था, 11 लाख आवास पहले से हो चुका था । 7 लाख आवास का पहला किश्त दिया, आजतक दूसरा किश्त आप लोग नहीं दिए । अब ये 26 लाख का आंकड़ा कहां से आ गया ? जब 18 लाख आवास हो गया, उसके बाद ये 26 लाख का कौन सा आंकड़ा है । आप यह बताईए ।

श्री रामकुमार यादव :- बताईए महाज्ञानी जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले आप इसको बताईए, फिर आगे बढ़िए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 10 लाख का जो पहला किश्त गया है..

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए, बार-बार टोका-टाकी न करें ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं गरीबों के हित में बोल रहा हूं। मंत्री जी, जब आप अपना भाषण देंगे तो बतायेंगे कि 10 लाख गरीबों के आवास का पहला किश्त जा चुका है, लेकिन आज 2 साल हो गए हैं उनको दूसरा किश्त कब जारी होगा ? अगर दूसरा किश्त नहीं जारी होगा तो भी बता दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 18 लाख से ऊपर आवास इस ढाई साल, सवा दो साल में पूरे हो गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) अब इसके अतिरिक्त की संवेदनशीलता देखिये। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको जनमन कहते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले उसका थोड़ा जवाब सुन लेते उसके बाद आगे बढ़ते। 26 लाख आवास की बात बता दीजिये।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये। उनको बोलने दीजिये। टोकाटाकी न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये न। मैं आपका उत्तर दे देता हूं। जब भूपेश बघेल जी खड़े हुए, तो मैं इसलिए बैठा कि वह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको इतना सम्मान देना मेरा दायित्व है। लेकिन वह जानते हैं कि उत्तर कौन देगा। मैं उत्तर दे सकता हूं। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बोलेंगे, कहकर मैंने पूरा मनरेगा को नहीं पढ़ा है। आप दूसरी बार निर्वाचित हैं। आपको मालूम है कि उत्तर कौन देगा, आपने जो प्रश्न उठाया, उन्होंने उसको नोट कर लिया है। इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि इसमें सबके उत्तर हैं। मैं अपने बोलने की लिमिट जानता हूं कि मुझे क्या बोलना है, मुझको कहां तक बोलना है ?

सभापति महोदय :- चलिये, विषय रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 33 हजार से ऊपर प्रिमिटिव ट्राइब्स, अंम्बिका जी हैं क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, सबको उठाकर हमको सायलेंट करवा देते हैं। सबको खड़े करवा देते हैं और फिर खुद बिठा देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, राजीव गांधी जी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए दुगली गये थे। हमारे जिले में दुगली है। धमतरी जिले में 17 सौ से ज्यादा कमारों के परिवार हैं। वहां एक गांव में भी सड़क नहीं है। मेरे साथ चलिये, मैं मगरलोड में इनको कमार गांव दिखाऊंगा। वह एरिया 10 साल तक मेरा विधान सभा क्षेत्र रहा है। उनको यह बताऊंगा कि नगरी में क्या था। दुगली में क्या हुआ, उनको यह बताऊंगा। प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से एक सहानुभूति दिखाने की राजनीति, कि साहब जो अण्डमान में रहते हैं, वहां कोई नहीं जाता, वैसे बने रहो और हम आपके नाम पर राजनीति करते रहें, बराबर (=) कांग्रेस पार्टी। दशा-दिशा बदलने का काम सड़क, बिजली, पानी जनमन योजना के उपलब्धियों

को ग्रामीण विकास विभाग, आप इनकी वेबसाइट में देख लीजिये। आप उससे पहले की स्थिति को देख लीजिये कि क्या परिवर्तन है। उससे आगे चलें, जिसमें जब विधि विभाग की बात होगी, गृह विभाग की तो बात करूंगा, 15 हजार से ऊपर आवास आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए है। (मेजों की थपथपाहट) अब आप जवाब मांग रहीं थीं, मैं विजय शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह इसका जवाब जरूर दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आवास नहीं बनाने के कारण दिल्ली को 5 साल में प्रधानमंत्री आवास के कितने पैसे वापस हुए ? यह आप उत्तर दीजियेगा। (शेम-शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस पर मुझको बोलना था। अब उसके अतिरिक्त चलते-चलते कुछ विषयों में बात करूंगा। मैंने गरीबी उन्मूलन की बात की।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओ हा ज्यादा लबारी मारही तो मैं हा घर चल देहूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दीनदयाल आजीविका मिशन को स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना को, साहब मैंने जब कल भाषण दिया था तो एक बात कहा था। मैं एक थीम में ही बात करूंगा, वह है रिफॉम और परफॉम । माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी की एक इच्छा है, जिसकी हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं, चीन ने उसको बहुत पहले से लागू कर दिया है एक जिला और एक उत्पाद। क्या आप इस दिशा में, आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में बढ़ना चाहेंगे ? जिसको कहते थे। मैं आपको उदाहरण भी देता था कि कांकेर में ग्रेनाइट को स्वसहायता समूहों को दे देते हैं। हम ग्रेनाइट के प्रसंस्करण का काम सिखाते हैं। वहां के ग्रेनाइट को छुआ भी नहीं गया है। निजी क्षेत्र की क्या भागीदारी हो सकती है ? हम किन गतिविधियों को स्वसहायता समूहों के लिए आरक्षित कर सकते हैं ? क्या आज के दौर में ए.डी.ओ. की ताकत में गरीबी उन्मूलन का काम कर सकते हैं ? यह आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, एक आकड़ा है, मैं जिस पर भरोसा तो करता नहीं हूं। लेकिन वह बड़े स्तर में प्रकाशित हुआ। केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, मुझको कम्युनिस्टों का आकड़ा बड़ा लोकतांत्रिक पद्धति से नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि हमने केरल से बहुआयामी गरीबी का उन्मूलन कर दिया। छत्तीसगढ़ छोटा प्रान्त है। आप बजट में 5 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख 75 हजार करोड़ तक पहुंच गये, गरीबी उन्मूलन नया सेंसेक्स आयेगा, गरीबी रेखा की जो भी परिभाषा आयेगी, छत्तीसगढ़ में अब 2047 तक जो माननीय ओ.पी. चौधरी जी ने दृष्टिकोण दस्तावेज पेश किया है, 2047 तक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि गरीबी रेखा से नीचे वाला क्लास छत्तीसगढ़ के लिए लागू नहीं होगा। गरीबी नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, इसीलिए मैंने कहा कि केरल नहीं, उसके कम्युनिस्ट लोगों के आंकड़े में भरोसा रहता नहीं। ये छत्तीसगढ़ सरकार, आप इस बात का एक दृढ़ संकल्प लें । लखपति दीदी जो आपने लिखा है, माननीय, लखपति दीदी में जिस समय इसकी परिकल्पना की गई, आय लगभग 75,000 रुपये थी। अब प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लगभग सवा दो लाख रुपये के आसपास। देश में

जो मापदंड हो, हम यदि अपनी माताओं को सवा दो लाख रुपये के मापदंड तक पहुंचाकर लखपति दीदी यदि बनाते हैं, छत्तीसगढ़ अपना मापदंड तय करता है। 75,000 से ऊपर सवा दो लाख के मापदंड को पार करने वाले लोगों को या छूने वाले लोगों को हम लखपति दीदी कहेंगे। आप एडवांस में बधाई लीजिए और आप में वह क्षमता है, आपके पास वह संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। हम खुद अपने मापदंड जिसको मैंने कहा रिफॉर्म टू परफॉर्म। मोदी जी के इन शब्दों को भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि रिफॉर्म और परफॉर्म की भी वे बात करते हैं। आप क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, यह मुझे बताया जाए और उन्होंने यह कहा कि यह रिफॉर्म के नोट किसी अधिकारी से मत बनवाएं। रिफॉर्म के नोट आप खुद बनाइए और खुद उसकी प्रस्तुतीकरण दीजिए कि रिफॉर्म से परफॉर्म तक आप कैसे पहुंचेंगे । तो गरीबी उन्मूलन के इन उपायों में आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, स्वच्छता पर एक छोटी सी बात कर देता हूं। स्वच्छता-2 लागू हो गई, मैं ऐसी बोल देता हूं। हमने लगभग 1,000 गांव को छोड़कर ओ.डी.एफ. इसको घोषित करवाया था । आठ-नौ साल से तो मैं जानता नहीं, लेकिन बस्तर के लेफ्ट विंग इफेक्टेड जो गांव थे, उसको छोड़कर हमने छत्तीसगढ़ को ओ.डी.एफ. करवाया था। यदि वे ओ.डी.एफ. हो गए होंगे तो बधाई आपको, नहीं हो गए होंगे तो आप उन 1,000 गांवों को..।

श्री रामकुमार यादव :- जे समय आप शौचालय बनवाए रहे हो न, ओ शौचालय गिर गेहे। कई जगह अइसे शौचालय बनाए रहे आप मन के जमाना में, ओ भैंसा खुजवाईस त ओ शौचालय गिर गे। अइसे-अइसे आप शौचालय बनवाए हो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बार-बार न टोकें।

श्री रामकुमार यादव :- देना है तो अच्छा देव शौचालय, गरीब के अपमान मत करे एमन। अइसे शौचालय देहे साहब, उहां जात हंव त पानी नहीं हे, ओ बाहरे ल देखत हे उल्टा। अइसे अपमान मत करो आप। पूरा प्रदेश में शौचालय के स्थिति हे।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें आप यह देखिए कि 1,000 गांव में उसको कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। स्वच्छता-2 में आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वे सारी चीजें आपके प्रतिवेदन में उल्लेखित हैं, उसको दोहराने का भी कोई विषय नहीं है। लेकिन उसमें मूल बात जो सामाजिक जिम्मेदारी है, वह स्वभाव परिवर्तन का है । स्वभाव परिवर्तन में सारी कोशिश होनी है । स्वभाव परिवर्तन के लिए निरंतर काम हमको करना चाहिए कि हम कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे। मैंने कहा मैं बहुत दिन से टच में नहीं, ईमानदारी से बता दूं तो अभी इसको देखा भी नहीं हूं । आप इसमें करेंगे क्योंकि आप एक क्षमतावान आदमी हैं। अब थोड़ा सा आपके प्रशिक्षण एस.आई.आर.डी. में बात कर लेते हैं। आपके अधीनस्थ जितनी संस्थाएं हैं, दो लाख के आसपास जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जितना बड़ा बजट आप मांगे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर फिर बंद होगे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जितना बड़ा बजट आप मांगे हैं, उसका एक कैलेंडर बने, विषय बने, अतिथि वक्ता आएं, उसके प्रोफेसर जो भी अतिथि वक्ता हैं, उसके मानदेय सही बनें। सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, दुनिया की मेधा छत्तीसगढ़ में आकर एस.आई.आर.डी. में और भी पंचायत की संस्थाएं हैं, उसमें करें। आपकी जितनी सारी स्कीम है मनरेगा पर, जी राम जी जिसको कहें, स्व-सहायता समूह के आने वाली तकलीफों पर, लखपति दीदी की अवधारणा पर, किसी भी चीज पर हम क्या बातचीत कर सकते हैं। देश की मेधा, सर्वश्रेष्ठ मेधा देश में आए, देश की छत्तीसगढ़ की संस्थानों में आए, उसका एक कार्यक्रम हो। आपको मालूम होगा कि लाइब्रेरी वहां की बहुत अच्छी बने। अब तो एस.आई.आर.डी. और प्रशिक्षण की संस्थाओं में ए.आई. का उपयोग उसमें कैसे हो सकता है, इस पर हम आगे बढ़ें। जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दलेश्वर जी नहीं बोले। यह विषय है कि उसका कैलेंडर और उसका प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम नहीं होगा तो आपने जितनी बड़ी राशि मांगी है, उस राशि का दुरूपयोग होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गांव में एक परिवार लड़की देखने गये थे। लड़की वाले ने पूछा कि लड़का क्या करता है? बिना कैपेसिटी बिल्डिंग की क्या स्थिति है, उसको मैं बताता हूं। लड़के वाले ने कहा कि लड़के का एक दुकान है और वह सरपंची करता है। मतलब सरपंची रोजगार का विषय हो गया है। यह अवधारणा इसलिए है क्योंकि जब तक हम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं लायेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक यह बात होगी। हमने ट्रेनिंग, स्वच्छ भारत मिशन में बातचीत की है। दूसरी बात, पंचायती राज विभाग में एक्टिविटी मैपिंग की बात है। यह 29 विषय में अन्य विभागों की भी भागीदारी है। लेकिन आप नौजवान व्यक्ति हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें, चाहे आपकी सरकार कहें या चाहे विष्णुदेव की सरकार कहें, हम पंचायत को स्वशासन की इकाई कैसे बना सकते हैं और किस सीमा तक उसको ले जाएंगे? यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। आपको जिस विषय में जितने भी काम करने हैं, उस 29 विषय का एक काम दीजिए, लेकिन उसको फंड, फंक्शन, फंक्शनरी तीनों दीजिए। अब जमाना स्थानांतरण का नहीं है। उस समय भाषण में मैं एक शब्द Devolution (सुपुर्दगीकरण) का उपयोग करता था कि आपका ही है। स्थानांतरण शब्द नहीं, अब Devolution शब्द उपयोग होगा। इसलिए आप एक विषय दीजिए, आप पूरी तरह से दीजिए। दूसरी बात, पंचायत विभाग में जो सेटअप है, उसके लिए आप जितने पैसे दे रहे हैं, उसमें कम से कम एक सचिव या एक..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, चन्द्राकर जी ने पैसा देने की बात की है। पंचायती राज में अभी तक 15वें वित्त का पैसा नहीं आया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंचायत में कम से कम एक अकाउंटेंट का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक सेटअप मजबूत कीजिए। उसका कारण है। मैंने सुझाव दिया था, वह सुझाव मैं आपको दे देता हूँ कि

आप जितने विभाग के काम करते हैं, उसको फ्री में मत करिए। उस पैसे से आप उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट दे दीजिए। उसके अभाव में जो सरपंच हैं, वह धारा 40 के शिकार होते हैं, एक। जिला पंचायत के सेटअप की बात हो गई। मैंने इसके सेटअप के पुनर्निर्धारण की बात कर ली। दूसरा, आप जनपद पंचायत के सेटअप पर क्या सोचते हैं? आप इसको विकसित कीजिए। अभी वह जनपद हैं या ब्लॉक हैं? ADO ब्लॉक के कर्मचारी हैं या जनपद के कर्मचारी हैं? सचिव किसके अंतर्गत आते हैं? वह जनपद के कर्मचारी हैं तो जनपद का क्या सेटअप है? वह ब्लॉक के कर्मचारी हैं तो ब्लॉक का क्या सेटअप है? इस पर एक विचार करने की जरूरत है। आप एक धारा देते हैं तो एक सुपुर्दगीकरण कीजिए। आप 29 विषय नहीं दे सकते है तो आप राजनीतिक सहमति बनाइये। सभापति महोदय, एक और छोटा सा विषय है। भूपेश बघेल जी चल गये? वर्ष 1996 में पेसा कानून बना। वर्ष 2022 में भूपेश बघेल जी ने उसके नियम बनाये। मंत्री जी, आपके ध्यान में होगा, मैं जानता ही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे यह आग्रह करूँगा कि वर्ष 1996 में आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति अलग थी, आज वर्ष 2026 में स्थिति दूसरी हैं और 4 साल बाद वर्ष 2030 में मान लीजिये स्थितियां दूसरी होंगी। आप नियम की बात एक सेकंड में करते हैं, लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि आप एक्ट को आज की परिस्थिति में बदलने के लिए सुझाव सहित दिल्ली प्रेषित कीजिये, क्योंकि सबसे बड़े ट्राइबल विभाग में आप हैं। अब दूसरी बात, पेसा के नियम के बारे में जो मैंने बात कही। बस्तर से केदार जी आते हैं। वे विशेषज्ञ हैं। यह सरगुजा से आते हैं, जो पंचायत मंत्री रहे हैं। वहां पांचवीं अनुसूची लागू है। OBC या सामान्य वर्ग के लोग पेसा के नियम लागू होने के बाद या जिस स्वरूप में भूपेश बघेल जी सोचते हैं या आप सोचते हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? छत्तीसगढ़ में यह संवेदनशील विषय है। चूँकि छत्तीसगढ़ हमारा छोटा-सा राज्य है और सबकी आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसलिए आप उन नियमों के बारे में सबसे चर्चा करके समीक्षा कीजिये कि भूपेश बघेल जी के बनाये नियम लागू करने लायक है या नहीं है। किसी की भागीदारी पर बात नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा। उसके साथ यह विभाग में थोड़ी-थोड़ी बात हुई है। मैं कुछ चीजें बोलूँगा। एक बार हम कैबिनेट बैठक में गए थे। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूँगा कि कैबिनेट बैठक में क्या हुआ था। आपके पास 85 ब्लॉक TDP हैं, 61 ब्लॉक CDP हैं। ठीक है? उसमें मैंने नहीं बनाया था, उसको रहने दो। क्यों, क्या हुआ, उसको यहाँ नहीं बोलते। केदार जी उस बात के गवाह हैं कि जब वे आदिम जाति कल्याण मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों बने तो इस बात में वह तैयार हो गए कि शिक्षा एक ही होनी चाहिए, मैंने जो रिफार्म टू परफार्म बात कही है । आप जितनी धन राशि देते हैं, आपका 85 में नियंत्रण नहीं है। आप मुझको एकाध प्रदेश बताईये, जहां दो तरह की ऐसी व्यवस्था हो । इसमें कौन से आदिवासी हितों का नुकसान होगा, मैंने यहां तक प्रस्ताव रखा कि मुझे मंत्री नहीं रखते हैं तो आप आदिवासी आदमी को बना दीजिए, लेकिन 146 विकासखंड एक होना चाहिये, रिफार्म यह है । कैबिनेट में किन कारणों से वह निरस्त हुआ है, बतौर गोपनीयता की शपथ है, मैं उसे नहीं बोल सकता, लेकिन

उदाहरण दे दिया । केदार जी जब दोनो बने तो उन्हें समझ आ गया कि यह ठीक हो रहा है, मेरा नियंत्रण नहीं है । स्कूल शिक्षा एक होनी चाहिये, आश्रम शालाओं की तैयारी हो गई, लेकिन 146 एक अंब्रेला में नहीं आयेगी, प्रभावी प्रदर्शन नहीं होगा, यह आप नोट कर लीजिए बाकी यह आपका विषय है । सभापति महोदय, आपके कुछ विषय बता देता हूँ, जो बोलना नहीं चाहिये, आप इसे देख लीजिएगा । 99 नंबर पेज पढ़िये, वन स्टॉप फेसिलिटी सेंटर और जो स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम, जो विकासखंडों में लागू है, डीपीआर लागू किया जा रहा है। मैंने कल इस बात को कही थी, अब मैंने रिफार्म टू परफार्म की जब बात कही है तो निस्सयादि बोधक थोड़ा कठिन हिन्दी है, इन वाक्यों का उपयोग होना चाहिये । भविष्यमूलकर होगा, कब बबा मरही त कब बरा चुरही, त कब खाबो वाला लाईन गोल है । हम करेंगे और इतने दिन में कर लेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- वही ला त हमन कथन कि आज हमर बोरिंग कब खनाहि 2047, धान कब बेचाही 2047, मुसवा कब मिलही 2047, त कब बबा मरही त कब बरा चाब बो । ए तुंहर कहानी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप कुछ चीजें देखिये, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 में तरल अपशिष्ट प्रबंध । आप वर्ष 2025-2026 का व्यय देखिये । ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंध, घटकवार वित्तीय को देखें तो व्यय का परशेंटेज है, मैं इसमें समय खराब नहीं करूँगा । आपको इसमें काम करने की जरूरत है । हम मार्च में बात कर रहे हैं और यह माह नवम्बर 2025 की स्थिति में है तो हो सकता है कि सुधर गया हो । आपको कम से कम 31 जनवरी का देना था या 31 दिसम्बर का देना था । छोटे-छोटे सुझाव की यह स्थिति है ।

सभापति महोदय, आपका गृह विभाग मेरे इंट्रेस्ट का विषय नहीं है । मैं गृह विभाग में बहुत कम बोलूँगा, लेकिन एक बात बोल देता हूँ और माननीय मंत्री जी अभी आपको बधाई दे देता हूँ कि देश की आजादी के बाद माननीय सरदार पटेल जी गृह मंत्री बने थे, गुजराती पहले गृह मंत्री थे । मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ, यह आपसे जुड़ा विषय है । वह सोमनाथ पहुंचे और सोमनाथ के धजा को देखा, जैसा कि मोदी जी आज हर जगह बोलते हैं और कर भी रहे हैं, सिर्फ बोलते ही नहीं है कि मैं गुलामी के हर, औपनिवेशिक काल के हर, प्रतीकों को खत्म कर दूँगा । मैं भी उससे सहमत हूँ । वैचारिक रूप से हम उसी विचार से जुड़े लोग हैं । जब देखा तो उनके आंखों में ऑसू आ गये । अरब सागर का जल उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इसका पुनर्निमाण होगा और उसकी कहानी है, मैं आगे नहीं जाता । जल उठाकर शपथ, माननीय अमित शाह जी ने लिया है । (मेजों की थपथपाहट) 31 मार्च, 2026। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय समस्या है या नहीं है, आप उत्तर में बताइयेगा। जेके और नॉर्थ-ईस्ट में जितना ध्यान दिया गया, नक्सली जो पशुपतिनाथ और तिरुपति, पशुपति टू तिरुपति बोलते थे, एक डेडलाइन खींच दी गई कि ये देश इस सबसे बड़ी आंतरिक समस्या से मुक्त होगा और आपको इतिहास में नाम लिखाने का

अवसर मिला, आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप की जितनी भूमिका हल्दीघाटी में थी तो भामाशाह की भी वही भूमिका थी और यहाँ तक चेतक की भी वही भूमिका थी कि साहब जीतेंगे। (मेजों की थपथपाहट) वह जो जीत का संकल्प है उसके एक नायक आप भी हैं, माननीय विष्णु देव साय जी भी एक नायक हैं। माननीय गृहमंत्री जी इस नक्सली के अलावा, नक्सल समस्या के अलावा और भी दर्द हैं इस जमाने में। आप इतनी स्मार्ट पुलिसिंग बनाइए कि स्कॉटलैंड यार्ड के लोग यहाँ भाषण सुनने आएँ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- इनका दर्द ए दिल है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय और भी दर्द हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कहां-कहां पर दर्द हो रहा है। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ऐखर अइसने ए, काखरो कुला में सूजी लग जाथे, पिराथे अउ बताए नहीं, अइसने एखर दर्द ए। (हंसी) मंत्री बने नई हे त काय करिहा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष का तहे दिल से नहीं, तहे गुर्दा से और हृदय से सम्मान करता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- तहे ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आज सुबह नेता प्रतिपक्ष जी की स्थ‍ि‍ति पर वक्तव्य की मांग की है। मुझे वे इस स्थिति में नाराज-नाराज से लग रहे हैं, उपेक्षित लग रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस बारे में सदन को अवगत कराना चाहिए।

श्री रामविचार नेताम :- अच्छा मैं बताऊं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप अभी बता सकते हैं। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- सभापति जी, वैसे आप एक बार देखे होंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप वह बात नहीं बताएंगे जो टेबल में हुई थी।

श्री रामविचार नेताम :- नहीं कुल्फी वाली बात अभी बाद में बताएंगे। सभापति जी, जब आपके बगल वाले रहते हैं तो पता नहीं आपकी बहुत अजीब स्थिति बनी रहती है।

डॉ. चरणदास महंत :- उसको सहमे-सहमे से बोलते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- सहमे-सहमे रहते हैं। इनको ऐसा करिए कहीं बाहर भेज ही दीजिए। (हंसी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- राष्ट्रीय पर।

श्री कवासी लखमा :- चंद्राकर साहब ने संसदीय कार्य मंत्री को बताया, रामविचार साहब उठ गए, आपसे नाराज हैं क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कहा कि और भी दर्द है जमाने में। दादी मैं आपके हित की बात करूंगा। हमारी आपकी मोहब्बत 1998 से है। (हंसी)

सभापति महोदय :- 45 मिनट हो गए और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो चलते-चलते बोल रहा हूं, नहीं तो रूरल डेवलपमेंट इस प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, उसकी एक योजना में घंटों बात की जा सकती है। दीनदयाल आजीविका मिशन में ही एक घंटे बात की जा सकती है। मैं आपको कुछ चीजों को बता देता हूं, स्मार्ट पुलिसिंग में हम अपराधी के पीछे-पीछे चल रहे हैं या अपराधी के आगे चल रहे हैं? मेरी शुभकामनाएं पुलिस के साथ हैं, मैं पुलिस विभाग से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी उनसे भारी सहानुभूति रहती है, मैं आपको मजाक नहीं करता। उनकी ड्यूटी, उनके लाइफस्टाइल इतनी कठिन होती है कि आम सिविलियन एकाध महीने करेगा तो उससे फांसी लगा लेगा। देखिए, जो और दर्द हैं इस जमाने में ये नक्सली के सिवा जो आपको कहा। डिजिटल अरेस्ट, आपने प्रतिवेदन में लंबा-चौड़ा व्याख्यान छापा है लेकिन मैंने आज तक अवेयरनेस कहां पर हुआ नहीं देखा। धमतरी जिले में नहीं हुआ होगा या हुआ होगा तो मुझको नहीं बुलाया गया होगा, ये हो सकता है। लेकिन उसमें बुजुर्ग और रिटायर जो दंपति हैं उसको जरूर बुलाएं। स्कूल शिक्षा, हायर एजुकेशन से मिलकर एक कोर्स फ्रेम करें कि महीने में 15 दिन में कभी भी एक डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में परिसर में और भी नशीले पदार्थ हैं, उनके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम छात्रों के लिए, टीनएजर्स के लिए या आज के समय में कहें जेन-जी की तो आज बालेन शाह की सरकार बन गई, ऐसे उम्र वालों के लिए अपन काम करें। नशीले पदार्थों की तस्करी में ध्यानाकर्षण में चर्चा हुई है, आपने कही है, मैं दोहराऊँगा नहीं। चिटफंड कंपनियां एक नया सिरदर्द छत्तीसगढ़ का है, हम लोग इतने बार उसमें चीख-चिल्ला चुके हैं, आपके पास जितना पैसा-वैसा है उसको शिनाख्त करके उस अनुपात में वापस करवाइये। लोगों को लगे कि वापस हो रहा है। अब कुछ चीजें आपकी हैं। आपने ट्रैफ़िक के लिए अंतर-विभागीय समिति बनाई है, मैं इस बात को जरूर सुनना चाहूंगा कि आपने दुर्घटना ट्रैफिक के लिए। जो अंतर-विभागीय समिति बनाई है, उसकी बैठक के नियम-निर्देश क्या हैं? उसकी बैठकें कितने दिनों में होती हैं? मानव जीवन की सुरक्षा, किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए, उसके सुखमय समाज, सुखी समाज के बारे में मैंने कल बातचीत की थी। उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि नागरिक सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो राज्य के सबसे बड़े दायित्वों में से एक होता है। आप अन्यथा मत लीजिए, लेकिन अपराध में हम बढ़ते ओर हैं। यह अलग बात है कि उसका उत्तर हम दे देते हैं कि अब प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, पहले दर्ज नहीं होते थे। जब हम सरकारी पक्ष में बैठते हैं तो यही उत्तर देते हैं, लेकिन हमको यथार्थ स्थिति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको जितने पदों की जरूरत है, मैं इस बात को जानता हूं कि आपके पास विवेचक के पद से लेकर बाकी चीजों की बहुत कमी है। लेकिन जो चीजें हैं, पर्याप्त हैं। अभाव में ही आदमी की प्रतिभा दिखती है। सब चीज पकड़ा दो, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला आदमी आज तक इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है तो इसलिए जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

सभापति महोदय, ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक पुलिस का कैडर है या नहीं है? यदि नहीं है तो आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई ऐसे पांच शहर छांट लीजिए या 50 चौराहा चिन्हित कर लीजिए। सी.सी.टी.वी. के लिए आप निजी लोगों का सहयोग लीजिए। इतने सी.एस.आर. के मद हैं, इतने डी.एम.एफ. हैं। आप उनको बोलिए कि सी.सी.टी.वी. से हर चौक-चौराहा अपराध नियंत्रण में भी जरूरत होगी, सी.सी.टी.वी. में भी होगी। आप प्रधानमंत्री जी को लाये थे। पुलिस वाले उत्तर देंगे या इस प्रतिवेदन में नहीं है। स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बना है, उसमें भाषण में बताया गया था कि 100 करोड़-200 करोड़ रुपये मिलेंगे, बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के चालान होगा। 1 करोड़ होता है या 2 करोड़ होता है? वह चालू रहता है या नहीं रहता है, यह पता नहीं? यदि वह सिस्टम चालू हो जाए और वह देश का यदि पहला सिस्टम है तो बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों, बेतरतीब चलने वाले लोगों पर जब कार्रवाई होनी शुरू होगी तो आप ही आप ठीक हो जाएंगे। आपको मदद मिलेगी। आप इसकी जांच करवाइए कि नई राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जी को लाकर कहा गया था कि यह देश का पहला सिस्टम है तो वह कहां है? क्या वह स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बना था, एन.आर.डी.ए. से बना था, उसको कौन देख रहा है और क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ जब इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है तो वह एक्टिवेट होना चाहिए और 24 घंटे काम करना चाहिए। वह बनाया इसीलिए गया था। सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में उस दिन परिवहन मंत्री केदार कश्यप जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है। मैं मानता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है। मानवीय गलती भी है, मशीनी गलती भी है और वह सिर्फ शासकीय प्रयासों से दूर नहीं हो सकती है। यह भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन क्या हम टॉप में ही चलेंगे? मान लो कि यूनियन टेरिटरी मिलाकर 33 राज्य हैं तो सबसे ऊपर में छत्तीसगढ़ रहेगा? क्या यही चलेगा? यदि दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे नीचे छत्तीसगढ़ है, यह आपको दिखाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात है, वह है मतांतरण। उस दिन एक समिति की बैठक में हम बैठे थे, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। शायद आप बिल ला रहे हैं, लेकिन प्रदेश की डेमोग्राफी, बस्तर में जो रोज घटनाएं हो रही हैं कि शव दफन नहीं हो रहे हैं, फलाना पास्टर को घुसने नहीं दिया जाएगा, यह नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एक संस्मरण सुना देता हूं। चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे। हम इस आइडियोलॉजिकल बात को करने में न तो घबराते हैं, न तो चिंतित होते हैं और न कौन क्या समझता है, उसकी चिंता करते हैं। मेरे क्षेत्र के एक गांव में धर्मांतरण की घटनाएं हुईं। मैं वहां पर गया और उस परिवार से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि किसने सिखाया, क्या किया? उन्होंने बोला कि फलाना आदमी आता है और ऐसा-वैसा करता है। मैंने उनसे कहा कि मुझे उसका नंबर दीजिए। मैंने उनसे उस नंबर में बात की कि पास्टर महोदय, सुनिए कि आप कुरुद में आते हैं, इस गांव में कितने बजे आते हैं, जब लोग सो जाते हैं, तब रात को आते हैं या दिन को आते हैं, यह बेकार बात है। मैंने बोला कि मैं कुरुद की बाजार में टेंट, लाइट, माइक लगवाऊंगा और आप वहां प्रवचन करिए। मैं भी सुनूंगा। आप क्या

कर रहे हैं, उसको बताइए। आप बिना घबराए यह पूछिए कि यह देश विरोधी हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी रोजी-रोटी किससे नियंत्रित होती है, किसकी मोटर साइकिल की तेल में वह चलते हैं? उसके पैसे कहां से आते हैं? वह विदेशी फंडिंग तो नहीं होती है? इतना बड़ा नेटवर्क किसके आधार पर चलता है? मैं विधान सभा में सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनमें नैतिकता क्यों नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से इस बात को बोले कि साहब मेरा यह मत है और मैं इस मत का प्रचार करता हूं और मेरी आजीविका इस तरह से चलती है, इसको क्यों छिपाना और क्यों देरी करना ? सामने वाले लोग भी यह बोले कि हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण यह है, जिनको हम संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण और इधर-उधर की बात करते हैं। इसी विधान सभा से उसकी बहस शुरू हो। (मेजों की थपथपाहट) कोई भी मत चोरी छिपे आकर बात मत करें, वह सामने आकर बात करें। हम उसका स्वागत करेंगे और हमको अच्छा लगेगा तो हम भी पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं। आप चलिए और हमारी किताबों को देखिए और ऐसे कौन से मत हैं, जिनकी किताब आपको हमारे पास नहीं मिलेंगी ? हम सभी मत की किताबें आपको दिखा देंगे। दुनिया में जितने मत प्रभावित हैं और जो विरोध करते हैं, वे तो एक या दो लोगों में सीमित हो जाते हैं। लेकिन एक या दो नहीं हैं, ऐसे दसों मत और संप्रदाय चलते हैं, जिनके इस दुनिया में लोग फॉलोवर हैं। मैं स्पष्ट हूं और यह मेरा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वह है डिलिस्टिंग। मतांतरण की तरह डिलिस्टिंग में भी आपको सोचना चाहिए। रिफॉर्म टू परफॉर्म यही है। (मेजों की थपथपाहट) यह बजट में जो परंपरागत हेड देखते हैं ना, जो बनकर आता है, यह ब्यूरोक्रेसी के विषय हैं। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी के विषय हैं, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ? बिल्कुल, यदि आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको सोचना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत विषय हैं और यदि आप इससे असहमत या सहमत होंगे और आप कहेंगे कि ये हमारा एजेंडा नहीं है और आप इसे वापस ले लीजिए तो मैं वापस ले लूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये गृह विभाग के कुछ विषय थे, जिनको आपको नियंत्रण करना है। आपने जिन विषयों का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया है, उसको आप विषय में शामिल करिए। छत्तीसगढ़ में, देश और दुनिया में नए तरह के अपराध हो रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें आ रही हैं।

सभापति महोदय, आपके पास जेल है, इसके बाद एक लाईन में जेल में आ जाते हैं। मैं जेल में दो लाइन नहीं बोलता। जेल मानवीय व्यवहार के सुधार के लिए है। साहब, आप समझ रहे हैं? आग्रहपूर्वक मानवीय व्यवहार में सुधार के लिए, कौशल के लिए और आगे जब वह सजा पूरी कर लेते हैं तो पुनर्वास के लिए काम करें। आपने आदर्श या मॉडल जेल नाम के शब्द का उल्लेख नहीं किया है। आपने एक लाईन नहीं लिखी कि आपके पास कितने कैदी हैं या क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। आपने केवल एक लाइन लिखी है कि गोढ़ी में चार हजार की क्षमता का जेल बनने वाला है। आपके यहां जो ट्रेड चल रहे हैं, उसमें कल हमने सेव, मिक्चर खाया है। शायद आपने दिया भी है। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं,

उसमें से एक भी ट्रेड रोजगार दिलाने वाला नहीं है। वह पुनर्वास में काम नहीं देगा। मैं आप ही से प्रश्न पूछ लेता हूं कि क्या आपके घर में नेवाड़ वाला पलंग है, आप बताइए तो? क्या केदार जी के घर में नेवाड़ वाला पलंग है, बताइए? नेवाड़ को कौन खरीदेगा ?

श्री रामकुमार यादव :- ओकर अमेरिका ले आये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आजकल नेवाड़ बनता ही नहीं है। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीजें तत्काल रोजगार दिखा सकती हैं, आप उन चीजों को इसमें शामिल करिये। कौशल उन्नयन, हमारा एजेंडा है। इसी विधान सभा से वह कानून निकला है। माननीय मोदी जी ने वह मंत्रालय बनाया है।

सभापति महोदय :- चलिये, एक घण्टा हो गया, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, समाप्त कर रहा हूं। मैं तो खुद ही चलते-चलते बात कर रहा हूं। जेल पुनर्वास का, मानवीय व्यवहार के सुधार का, कौशल उन्नयन का केंद्र बने। धर्म गुरु लोग आए थे और आपने दो-चार लोगों का नाम लिखा है। मैं तो बोलता हूं कि आप सेटअप में योगा प्रशिक्षक को शामिल कर लीजिए। यह सेटअप में नियमित हो, आप ऐसी चीजों को शामिल कर लीजिए। आपने भोजन की कैलोरी के लिए एक भी लाइन नहीं लिखी है, आपने बीमार कैदियों के इलाज के बारे में भी नहीं लिखा है। मेरा एक प्रश्न है कि जो बच्चे जेल में हैं, आप उनकी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार के लिए क्या करते हैं? जेल में कितने बच्चे हैं, गर्भवती माताएं या जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या है? आपके प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें मानव अधिकार संस्थाएं बड़ा ध्यान रखती हैं। उसमें महिला कैदियों की स्थितियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप जितना आत्म साक्षात्कार करेंगे, आप स्थितियों को उतना ही अच्छा करेंगे और छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे। लेकिन सरकारी प्रतिवेदन और सरकारी तौर तरीके में यह तो एक आत्म वंचना होगी कि सब ठीक है। सब ठीक हो, आप सब ठीक करने के लिए बने हैं। आपके पास सब ठीक करने के लिए मैंडेट है। आप उस मैंडेट का सम्मान करेंगे और ठीक करेंगे।

सभापति महोदय, अब आपका इशारा हो गया है। आपके दलेश्वर जी साइंस टेक्नोलॉजी में तो नहीं बोले, वह विभाग भी है। आप ए.आई. की गैलरी खोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी बात है। साहब, हम लोगों ने रीजनल साइंस सेंटर बनाई थी। सड्डू का जो रीजनल साइंस सेंटर है, वहां साइंस सिटी बन सकती है, उतनी जमीन है। उसको आपको नई राजधानी में बनाने की क्या जरूरत है ? आपने पिछले साल से पैसा लिया है, उसको कब शुरू कर रहे हैं ? डी.पी.आर. बन गया, ये संस्था को दिया। कल भी जब मैंने डी.पी.आर. की बात की तो बोला था कि हिन्दुस्तान के सबसे टाप लोगों को दीजिए। कलकता, अहमदाबाद को किसने बनाया है ? और भी अब उससे आगे निकल गई होगी, आप जाईये, आप गुजरात कुछ-कुछ देखने के लिये जाते रहते हैं। वहां से देखकर आकर जो साइंस सिटी

बनेगी, वह हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी साइंस सिटी रहेगी। एकात स्कूलों में ओलंपियाड करवाईये। साइंस के छात्रों के लिये, विज्ञान की शिक्षा के लोकव्यापकीरकण के लिये कुछ अच्छा कार्यक्रम नहीं दिख रहा है, उल्लेख तो है। आखिरी में हमने किसी समय तकनीकी विलेज बनाया था। मेरी विधानसभा में एक गांव में सेरी में है, आप जाईयेगा, क्या होता है डी.जी. साहब को पूछियेगा। वहां सब ताला लग गये हैं, उसको ठीक कीजिए, अच्छा कीजिए। कुल मिलाकर जो सबसे अच्छी बात है कि 70-72 प्रतिशत गावों की आबादी की सेवा करने का, छत्तीसगढ़ को गरीबी से मुक्त करने का, पंचायती राज के 2 लाख से ऊपर प्रतिनिधियों को एक जनप्रतिनिधि होने, गौरव दिलाने का..।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो बंद ही कर रहा हूं। एहसास की जिम्मेदारी आपके पास है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये, आप उनको बोलने दीजिए। चलिये समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मामू रमजान की बधाई हो। सभापति महोदय, मै बंद कर रहा हूं, आखिरी में भूमिका की बात बोल देता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- पंचातयो को अभी तक से डेढ़ साल हो गये हैं, कितनी राशि गई है, यह भी आप बतायेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, गरीबी उन्मूलन के लिये, सबसे पहली बात एक शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिये संविधान में उल्लेखित इस देश में उसको स्थापित करने के लिये कानून का राज होगा। आज के जो विषय हैं, ए.आई. की तरह उसमें काम करने के लिये और मैंने जो कहा कि मानवीय व्यवहार, उसके पुनर्वास, उसके कौशल उन्नयन के लिये, वह समाज के अपराधी नहीं हैं, भटक हुए लोग हैं। किन्हीं भी कारणों से यदि भटक गये तो वह जब छूटें, मैं आपसे जेल में मिलने गया था। गया था या नहीं गया था ? मैं जेल की बात ज्यादा इसलिए कर रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हर बार मंत्री जी को क्यों बोलते हैं कि आपसे मिलने गये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भूपेश बघेल जी या चरणदास मंहत जी की कृपा कहूं, अब दादी को आगे कभी भी असुविधा मत हो। दादी का जो भी सेल रहा होगा, वह स्मारक बने। आप अंडमान निकोबार जायेंगे तो इस सेल में वीर सावरकर जी थे, ऐसा लिखा है। वैसी उस सेल में लिखवाना है कि दादी यहां रहे। वह शुरू से हमारे मित्र हैं और वहां कोई तकलीफ किसी को मत हो। जिस तरह से इन्होंने रिवाज बनाया है न, सिस्टम डाला है नहीं मालूम कौन कब चल दे। वह तो निरपराध हैं, मैं उसको शुरू

से बोलता हूं। जाकर बताया था, दादी मेरे साथ चलो, निरपराध आदमी हो। पूछ लीजिए, नहीं तो अकेले में पूछ लेना। अभी यहां उसके बारे में बोल नहीं सकते।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये, आपको 01 घंटा हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैं तो बंद कर रहा हूं। मैं ये कागज छोड़ दिया हूं। तो वह इतना शानदार बने और आप एक नये अध्याय को छत्तीसगढ़ में अपने विभाग के माध्यम से लिखें, स्थापित करें। आपके लिये शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी कार्यकाल और सबसे पहले अब 31 मार्च के बाद अब ये बहस छत्तीसगढ़ में शुरू होगी, कौन सी बहस कि 80 के दशक में नक्सली छत्तीसगढ़ में आये क्यों ? आपने उन्मूलन किया, पर वह क्यों आये ? वह किन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ आये और पले, बढ़े, फैले? यह कांग्रेस के कुशासन का एक प्रकल्प है। आप 80 के दशक का अध्ययन कीजिए कि कांग्रेस का राज कैसे चलता था। आप इसमें 80 के दशक की एक बुकलेट छपवाईये और बंटवाईये कि ये है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आया, कितने लोग मारे गये। माननीय सभापति महोदय, आपको शुभकामना देते आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह फैले कैसे, इसमें चर्चा होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि वह फैले कैसे उसमें चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- 17 साल तो आपकी सरकार रही, तब नक्सली समस्या का उन्मूलन कहां था ?

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये। आज उपमुख्यमंत्री गृह की विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ-साथ, खाद्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्री के विभागों की अनुदान मागों पर चर्चा होनी है। उपमुख्यमंत्री गृह के विभाग की अनुदान मागों पर दोनों पक्ष के प्रथम वक्ताओं द्वारा पर्याप्त विचार रखे जा चुके हैं। अत: आगे के वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित मांगों को 10-10 मिनट में अपनी बात रखें । समय पर अपने विचार रखकर सभा की कार्यवाही को संचालित करने हेतु सहयोग प्रदान करें । श्रीमती अनिला भेंड़िया ।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुदान मांगों की चर्चा के लिये खड़ी हुई हूं । मांग संख्या-3,4, 5,30,46 एवं 80 ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी कहां जात हओ ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं छोड़ के आत हओं ।

श्री रामकुमार यादव :- कि मूसवा खोजे बर जात हओ ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं कहां जाहूं गा ।

श्री रामकुमार यादव :- हओ ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बारे में बोलना चाहूंगी कि - सपनों का गांव, सरकारी दांव, पंचायतें बेहाल खड़ी हैं, विकास के पहिये थमे हुए हैं, पंद्रहवें वित्त की राशि अटकी, कागजों में वादे जमे हुए । छत्तीसगढ़ की माटी पूछे पंचायती राज कहां खोया ? गांव के विकास का सपना भ्रष्टाचार की गोद में सोया ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्या पिछले 5 साल की व्यथा बता रही हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुमन मूसवा खोजओ, मूसवा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तोला 5 साल ले ज्यादा कुछु याद नइ रहय लगथे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर ऐके ठन काम हे किंदर-किंदर के मूसवा खोजओ। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप पिछले 5 साल, पिछले 5 साल, 5 साल को बाहर निकालिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्या है कि कभी-कभी पंचायत के माध्यम से टी.एस. बाबा साहब का पत्र भी दिख जाता है । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महाराज, पंद्रहवां मूसवा आपे हर हओ । आपे पंद्रहवा मूसवा हओ ।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओ हा बोले हे 7 करोड़ मूसवा । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप 5 साल का कार्यकाल भूलो तो, अभी 2 साल की बात करिये ।

सभापति महोदय :- बार-बार खड़े मत होइए, प्लीज बैठिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पंद्रहवां मूसवा तैयार है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, जशपुर और कांकेर जैसे आपके मुख्यमंत्री जी के जिले हैं, जशपुर और कांकेर जैसे जिलों में सरपंच संघ का आरोप था कि पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि अभी तक जारी नहीं हुई है । यह तो पूरे प्रदेश की स्थिति है, केवल जशपुर और कांकेर की बात नहीं है । आप यहां पर पंचायतों में केवल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बढ़ रहे हैं, बाकी सब ढ़प्प है । आप सचिवों को अन्यंत्र ड्यूटी में लगा देते हैं, पंचायत के इंजीनियरों को अन्य ड्यूटी में लगा देते हैं तो पंचायत का काम कौन करेगा ? जैसे कि बिहान की महिलाएं हड़ताल में बैठीं थीं । उन लोग तो बीच में दिल्ली जाने की भी सोच रहे थे, यह योजना जो 2000 महिलाओं को अपनी मांग के लिये अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बैठीं थीं तो वैसे ही मनरेगा भुगतान का भी मामला है । कई जगह आप लोग मनरेगा भुगतान जहां पर अभी मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब है, कहीं पर आप लोग समय से उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं और आज यहां पर अजय चंद्राकर जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है । मोदी जी की गारंटी है तो आप लोग कौन सी गारंटी की बात करते हैं । आज

सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप हमारे यहां बालोद जिले में लगा था, जहां पर आप लोग कूड़ा दान की खरीदी किये थे, वहां कूड़ा दान पहुंचा नहीं है, पैसे का आहरण हो गया है तो पंचायत के माध्यम से ऐसे-ऐसे भ्रष्टाचार पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं तो इस तरह की बात आपके पंचायतों में हो रही हैं । आज हमारे पंच और सरपंच लोगों का मानदेय नहीं मिला था, छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा होली का त्यौहार मनाये । हमारे पंचायत के लोगों को उनका मानदेय नहीं मिला, उनको कितना मिलता है, उसके बाद भी उन लोग उसके लिये तरश गये तो यह स्थिति तो आज हमारे पंचायत विभाग की है और अजय जी जो एक बात बोल रहे थे, मैं उनका भी समर्थन करती हूं कि आप लोग जनपद सदस्य में जो सेटअप है, वहां पर जो अधिकारियों की कमी है, आपके ऑपरेटरों की कमी है, वहां इंजीनियरों की कमी है, आप इसकी भर्ती कीजिये । उनका सेटअप पूरा कीजिये तभी आपके पंचायत का काम निरंतर चलेगा क्योंकि आपके कई सचिव लोग 3-3, 4-4 पंचायतों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दूसरे विभाग के इंजीनियर आकर पंचायत में काम कर रहे हैं । ऑपरेटर नहीं हैं तो वहां इसीलिये आपके कई काम बाधित हो रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्रामसभा की बात करें। आज ग्रामसभा की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहां ग्राम पंचायतों में बड़े-बड़े उद्योग खुल रहे हैं, पर ग्रामसभा का कोई महत्व नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। वहां के अधिकारी ने बोल दिया तो वह फाईनल हो गया। यह कौन पूछ रहा है कि यह ग्राम पंचायत ने अनुमोदित किया है या अनुशंसा की है या नहीं किया है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं पर बड़ी फैक्ट्रियां खुलनी है तो डायरेक्ट प्रदेश से हो जा रहा है। उनकी अनुमति मिल जा रही है तो फिर ग्रामसभा का कोई महत्व ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे 5 वीं अनुसूची की बात करें । मेरे भी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र ब्लॉक आता है, उसमें भी इस तरह की काम हो रहे हैं। अब ग्रामीण सड़क की बात करें, हम गौरव पथ की बात करें। यहां दो साल से हम लोग देख रहे हैं अब प्रदेश की बात तो छोड़िये हम लोग एक-एक जिले, अपने ही जिले की बात कर लें। वहां दो सालों में हम लोगों को न कोई गौरव पथ की स्वीकृति हुई है और न ही कोई ऐसा काम हुआ है कि कोई केन्द्रीय प्रवर्तित फंड हो कि हमारे जिले में आया हो तो उसकी भी आपको जानकारी दे दूं कि आपने बजट में इतने फंड का प्रस्ताव रखा है। तो कम से कम हमारे जिले के लिए भी कुछ बजट के लिए दया कर देंगे। आप महाराज हैं। तो महाराज थोड़ा से दया-वया कर दूहू। वैसी अब ज्यादा नहीं कहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय जी ने 10 मिनट का समय दिया है तो मैं गृह विभाग के बारे में चर्चा कर लूं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2022-2023 की अपेक्षा इस बार अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है, इसमें 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। तो हमारा छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से किस तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि यहां अपराध क्यों बढ़ रहा है, हमारे क्षेत्र में कई किस्म के अपराध बढ़ रहे हैं। आप पुराने थानों के सेटअप देखिये। आपका कई

जमाने से, कई सालों से थानों में जो सेटअप है आज भी वही सेटअप है और आप देखिए कि आज क्षेत्र में अपराध कितना बढ़ रहा है। उसकी कमी को देखते हुए आपको सेटअप में परिवर्तन करना चाहिए। कहीं पर एक टी.आई., दो एस.आई., 4 हवलदार और कहीं आपके 25-50 सिपाही हैं, लेकिन उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है। एक टी.आई. तो हैं, पर वहां एक स्टार के एस.आई. होने चाहिए, लेकिन वहां पर एक ही है। अगर कहीं पर हवलदार है तो वहां पर एक ही है। वही रोजनामचा लिख रहा है और वही और कहीं जा रहा है और कहीं कुछ तत्काल हो रहा है तो वही व्यक्ति कार्यवाही के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप पुराने सेटअप को छोड़कर, आपको उस सेटअप में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उस थाने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसे वहां पर हमारे पुलिस के जवानों के लिए आवासों की भी कमी है, आपको उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। उस क्षेत्र में वाहनों की भी कमी है, उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो पिछली बार की अपेक्षा आपने 12 प्रतिशत बजट बढ़ाया है, परन्तु उसमें क्या करेंगे, आपने यह बात नहीं रखी है। तो आपको जवानों की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां भी विधान सभा में भी हमारे सुरक्षाकर्मी हमारी दिन भर सुरक्षा करते हैं यहां कहीं पर उन लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। न उनके पानी पीने की व्यवस्था है, उन लोग धूप में इधर से उधर घूम रहे हैं। आपका विधान सभा भवन बहुत बड़ा है तो आपको उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि वह दिन रात आपकी सुरक्षा करते हैं उसके बाद भी आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026 तक आप नक्सलवाद समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई। पिछली बार भी आप विधान सभा में भी सभी को लेकर आएं थे, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगी । मैं आपके अच्छे काम के लिए बधाई दे रही हूँ। हम लोग आपको बधाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, परन्तु जिन भाई-बहनों ने आत्मसर्मपण किया है, आपको उनके परिवार के लिए भी सोचना चाहिए और उनकी जल्दी व्यवस्था भी करानी चाहिए। मैं जैसे देख रही थी कि आपको कहीं पर राशि देनी है तो सबमें प्रक्रियाधीन लिखा हुआ है तो वह आपको जल्दी करना चाहिए। क्योंकि मूल रास्ते से लोगों से जुड़ने का प्रयास है, वह आपको सहयोग कर रहे हैं क्योंकि वह सब अपने लोग हैं, वह अपने भाई-बहन हैं तो उनको मूल धारा से लाये हैं तो उनकी व्यवस्था आपको बहुत जल्दी करनी चाहिए ताकि उनका मन भटके ना । नहीं तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। सबसे पहले तो उनके रोजगार की व्यवस्था करानी चाहिए क्योंकि रोजगार की व्यवस्था कराएंगे तभी तो वे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए मूल बात है कि हमारे भाई बहिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएं । आवास की व्यवस्था कराएं । कागज में जरूर है कि हमने इतना आवास करा दिया, इनको पुनर्वास दे दिए, पर धरातल में ये बात आनी चाहिए । मेरे ख्याल से अभी भी हमारे

पुलिस परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, अभी महंगाई के जमाने में उस स्कॉलरशिप में भी आपको बढ़ोत्तरी करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, आपने दो साल में 15 साईबर थाने स्थापित किये हैं, परन्तु उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ? अभी भी अपराधों में कमी नहीं आई है, साईबर अपराध और बढ़ते जा रहे हैं । साईबर अपराध में आपके पास फोर्स की कमी है। आप उसमें अपना फोर्स बढ़ाईए, उनकी व्यवस्थाएं बढ़ाईए, जो उनकी आवश्यकता है, उस चीज को बढ़ाईए, ताकि उन अपराधों में कमी आई । आपके विभाग के द्वारा फारेंसिक रिपोर्ट देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत डिले होता है । कोई भी क्षेत्र से किसी व्यक्ति के परिजन की फारेंसिक रिपोर्ट लेनी है और उसके पहले उनकी कार्यवाही भी शुरू नहीं होती । इसलिए जनता परेशान रहती है तो इसमें भी आपको थोड़ी तब्दीली करनी चाहिए और इनकी रिपोर्ट जल्दी देनी चाहिए । वैसे ही हम नारकोटिक्स सेल की बात करें । कल दुर्ग के अफीम की बात सदन में आई थी । वास्तव में ऐसा पूरे प्रदेश में है । आपको इनकी जांच करानी चाहिए । हर बार्डर क्षेत्र में जो जानकारी लोग हैं, उनको साथ लेकर भी इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए । आज गांव-गांव में आप देखेंगे तो गांजा की भी खेती हो रही है । गांजा बहुत सस्ता नशा है, जो छोटे-छोटे बच्चे भी इसके चपेट में आ गए हैं । इसी नशे के कारण इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप अपने क्षेत्र की बात रखकर सीमित करें ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप देखेंगे तो गांव में, हर कोने में कहीं पर भी चाकूबाजी हो रही है, कहीं पर बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पर भी डकैती हो रही है । नशे के शिकार ऐसे लोग, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, यही सब चीज हमारे क्षेत्र में हो रही है । कहीं पर आप देखिए कि हर गांव में, हर मोहल्ले में सट्टा-जुआ चल रहा है, सट्टे का बाजार गर्म है । यह किसके निर्देशन में हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, इस ओर भी आपको देखना लगाना चाहिए क्योंकि आज सट्टे के मामले में हर घर में बच्चे बरबाद हो रहे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है । जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें भी लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, जे ह भट्ठी ले दारू लानथे, ओला पकड़थे, लेकिन गांव-गांव में जो दारू बेचथे, गांजा बेचथे, ओकरो मन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जैसे अभी गांव-गांव में, हर मोहल्ले में हर व्यक्ति दारू बेच रहे हैं । इसमें भी हमें कमी करनी चाहिए, पर आप लोगों ने तो शराब दुकान को बढ़ाया और हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को नशा की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि आप इतने फोर्स की भर्ती कर रहे हैं, पर वे कहां जा रहे हैं, फोर्स के लोग क्या ड्यूटी कर रहे हैं ? जो न ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, न अपराध कंट्रोल हो रहा है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़कों में सी.सी. टी.वी. लगाना चाहिए । वास्तव में आज ड्राईवर लोग ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, कंडेक्टर लोग गाड़ी

चला रहे हैं, पर इनकी भी जांच नहीं हो रही है । अगर गाड़ी को कंडेक्टर चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा । यह मेरे क्षेत्र में हुआ है । ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उसमें आपको सुधारने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत से ऐसे ग्रामीण सड़क हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की आवश्यकता है । छोटी-छोटी सड़कों की 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी बची है, उसको आप जोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापति जी, धन्यवाद। आने वाले 31 मार्च को छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है। मैं अभी इस बात को बोल सकता हूं कि लगभग नक्सलमुक्त हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) मैं इस सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। मैं अमित शाह जी को भी धन्यवाद दूंगा। हमारे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी को भी धन्यवाद दूंगा। हमारी सरकार का नाम आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। नक्सल, छत्तीसगढ़ के ऊपर कलंक था और नक्सल हमारी पहचान बन गई थी। हम देश के किसी भी कोने में जाते थे तो पूछते थे कि आप कहां के हो तो हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ के हैं तो कहते थे कि वही नक्सल वाला छत्तीसगढ़। अब वह कलंक हमारे सिर से मिटने वाला है। (मेजों की थपथपाहट) मैं आज इस बात को सदन में कह रहा हूं कि आने वाले 2030 तक, मैं 2047 की बात नहीं कर रहा हूं। आने वाले 2030 में छत्तीसगढ़, इस देश के सर्वाधिक ..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपको धन्यवाद। सब 2047 बोलते हैं, आप 2030 कह रहे हैं।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सुनिये न। मैं किसी को नहीं टोकता हूं और न मैं बीच में खड़ा होता हूं। सभापति महोदय, आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए सबसे स्वर्णिम समय है। यहां सबसे ज्यादा उद्योग आयेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इनवेस्टमेंट होगा। हमारे नवयुवकों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। आने वाले समय में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य कोई होगा तो छत्तीसगढ़ होगा। क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। हमको खनिज सम्पदा दिया है, हमारे पास जल है, जंगल है। ईश्वर ने हमारे साथ किसी भी बात कमी नहीं की है। इसी बात को देखकर, इसी चीज को समझकर अटल जी छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्योंकि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। जिस दिन अटल जी ने राज्य बनाया उस दिन उनको यह विश्वास था। आज उनका वह विश्वास पूर्ण होने जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ तरक्की करने वाले राज्यों के अंदर अपना नाम स्थापित करने वाला है।

सभापति महोदय, मैं आज गृह विभाग के बारे में ही बात करूंगा। आने वाला जो समय है, मैं गृह मंत्री जी से कह रहा हूं और इसकी चिंता पूरे देश भर के अंदर हो रही है, मैं केवल छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं कर रहा हूं। आज देश भर में साइबर ठगी का काम चल रहा है। आज देश भर के अंदर, जैसा अभी अजय चन्द्राकर जी ने डिजीटल अरेस्ट की बात की। लोगों से करोड़ों-अरबों रूपये ठगने का काम हो रहा है। मैं तारीफ करूंगा कि ऐसे समय में जब मेरा प्रश्न पहले ही नंबर पर था, तब मैंने बात की थी। उस समय साइबर थाने नहीं बने थे। लेकिन आज रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द, बलौदाबाजार, जांजगीर-चाम्पा, जशपुर और धमतरी में 9 साइबर थानों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस साइबर ठगी के सन्दर्भ में सरकार को और गंभीरता से कहीं न कहीं बड़े कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, आज अगर आप देखेंगे तो दूरसंचार विभाग के माध्यम से फोन आते रहते हैं। क्योंकि बीच में मेरे पास भी फोन आया था। मैंने भी इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। मैं एक डिजीटल अरेस्ट का शिकार हो सकता था। उसने जिस प्रकार से फोन करके बात की, निश्चित रूप से आम आदमी होता तो उसके बहकावे में आ सकता था। मैंने उसकी रिपोर्ट भी की थी और मुझे खुशी है कि उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। इस सन्दर्भ में सरकार को नई तकनीक का भी सहयोग लेना चाहिए, दूरसंचार विभाग का भी सहयोग लेना चाहिए। साइबर ठगी में छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से नंबर 0771 आता है तो लोग चौक जाते हैं। बाहर के लोग इस कोड के माध्यम से फोन करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, मैं तो कहूंगा कि इसमें बहुत सारी जानकारियां भी लेकर आया था। मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने बात रख रहा हूं। मैं गृहमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज रायपुर को पुलिस कमिश्नरेट कर दिया। यहां पर पुलिस कमिश्नरी को लागू किया है। लेकिन जो इसकी शुरूआत हुई है, वह जीरो बजट के अंदर हुई है और जीरो बजट में होने के कारण पुलिस कमिश्नरी होने के बाद में आज होली का बड़ा त्यौहार गुजरा है, मैं पुलिस कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि उस होली के त्यौहार के अंदर में पहली बार मैंने देखा है, मैं इस शहर में पैदा हुआ हूं, लेकिन पहली बार देखा है कि किसी प्रकार का अपराध रायपुर राजधानी के अंदर में नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नरी अभाव के अंदर में प्रभाव के साथ में काम कर रही है, जैसा अभी अजय चंद्राकर जी ने भी उल्लेख किया था। आज अगर देखेंगे तो उनके उनके पास बल की कमी है। बड़े-बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं । जिस एस.पी. को जिला संभालना है, वह एस.पी. 5-6 थाने संभाल रहा है। लेकिन जो उसके पास में पी.एस.ओ. है, उसका ड्राइवर है, उसकी गाड़ी में बैठने वाले दो पुलिस कर्मचारी हैं, वे थाने से बाहर निकल रहे हैं। यानी पुलिस के बल के मामले में अगर देखेंगे...।

श्री रामकुमार यादव :- यही डबल इंजन है। यही डबल इंजन है। साहब जी आप नहीं टोकव, सही बात है आपके कहना। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के बात ला जो कहत हो महोदय, लेकिन इस बात ला स्वीकारा, ये रायपुर में अभी चार ठन मर्डर होय हे, चार ठन। अउ तू कहत हस कमिश्नरी आए के बाद

बंद हो गे हे, त ये सच्चाई ला भी बता। बात करत हस त ऊहू ला बात कर आप। अउ खुद कहत हस कि कुछू नई हे कहत हस, एस.पी. ह इंहा तन बस कहत हस। भर्ती ला कौन करी? हमन करबो का?,

श्री सुनील कुमार सोनी :- पुलिस कमिश्नरी को और प्रभावशाली बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना होगा। अभी जो नया बस स्टैंड खुला है, वहां पर मैंने बात करके कि एक वहां पर एक एस.पी. बैठ जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलना है। पश्चिम के अंदर में एक सामुदायिक भवन के अंदर में हमने एस.पी. को बैठाने के लिए वह जगह दे दिया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस कमिश्नरी को उसका बजट देना, उसको बल देना, ये-ये शहर की आवश्यकता हो गई है। मैं इसको प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों से बात कर रहा था हालांकि यह देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र है, मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इसके क्षेत्र के अंदर आपने पुलिस कमिश्नरी के 21 थाने शामिल किए हैं, लेकिन अगर क्षेत्र देखेंगे तो यह पूरा राजधानी भी उसके अंदर में नहीं आ रहा है। हम उसे चारों तरफ ले जाना चाहें तो हमें धनेली तक उसको ले जाना चाहिए। हमको वहां सरोना तक आगे बढ़ाना चाहिए, भिलाई के बॉर्डर तक हमको ले जाना चाहिए। इधर जाएं तो कम से कम पुरानी विधान सभा तक ले जाना चाहिए, तब जाकर वह पुलिस कमिश्नरी की बात करे। आज ग्रामीण थाना वहां पर लग जाता है। जो विधान सभा थाना कहते हैं, वह ग्रामीण के हिस्से में आ जाता है। एक प्रभावी कदम उठाने के लिए हमको उस क्षेत्र की सीमा के अंदर में संशोधन करने की आवश्यकता है। आज मैं केवल पुलिस कमिश्नरी पर सुझाव देने ही खड़ा हूं, क्योंकि मैं आज रायपुर का विधायक हूं और मैंने रायपुर के चारों विधान सभा के अंदर में 10 साल नगर निगम के माध्यम से, 5 साल सांसद के माध्यम से 15 साल काम किया है । अगर ये चारों विधान सभा का अगर मैप देखेंगे, तो वास्तव में अगर पुलिस कमिश्नरी को प्रभावशील बनाना है, तो हमको अधिक से अधिक बल देने की आवश्यकता है। आपने वरिष्ठ अधिकारी दिया है, लेकिन उसको अधिक से अधिक बल देने की जरूरत है । आपको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। चारों कोंटे के अंदर में आपको वहां पर अनेक थाने खोलने की आवश्यकता है। वहां पर आपको इनको साधन देने की भी आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने गृह मंत्री जी से इस बात का इतना डिमांड किया है और फिर से मैं कहूंगा कि आप साइबर अपराध को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन इसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है। साइबर थाने के अंदर में आपने वरिष्ठ अधिकारी बैठाया है, लेकिन वहां पर भी बल की कमी है, इस कारण वहां पर भी हमको कहीं न कहीं पुलिस बल देने की जरूरत है। आज फिर मैं इस बात के साथ कहूंगा कि आने वाला जो समय है, छत्तीसगढ़ का, उसके अंदर में हमारी जो यह विधान सभा बैठी है, यहां पर पक्ष और विपक्ष के अंदर में बहुत सारे बस्तर के लोग बैठे हैं। मैं कवासी लखमा जी से भी बात कर रहा था । अगर आज हम केदार कश्यप जी से बात करते हैं। इन लोगों ने लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। लेकिन इतना जल्दी बस्तर बदलेगा, इतना जल्दी बस्तर नक्सलमुक्त होगा, यह अविश्वसनीय काम को विश्वास में बदलने का काम हुआ है। (मेजों की

थपथपाहट) इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा। सभापति महोदय, मुझको बोलने का अवसर मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री कवासी लखमा जी।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप झीरमघाटी के बारे में भी कुछ बोलेंगे?

श्री कवासी लखमा :- आप मुझे बैठे-बैठे टोक रहे हैं?

श्री केदार कश्यप :- आप झीरमघाटी के बारे में भी कुछ बोलेंगे?

श्री कवासी लखमा :- हम लोग बोल-बोलकर थक गये हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?

श्री सुनील सोनी :- मैंने कहा कि आप खुश हैं। लखमा जी, आज आपसे सवाल करने की मेरी इच्छा है। आपको दादी क्यों बोलते हैं? जबकि हम आपको बली दादा बोलते थे। आपको दादी क्यों बोलते हैं, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- बलीराम जी को दादा बोलते हैं, मेरे को दादी बोलते हैं। उनका उत्तराधिकारी मुझको मिला, उनको नहीं मिला है। (हंसी)

माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा में महत्वपूर्ण विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, जिसमें आपके पास गृह एवं पंचायत विभाग है। बाकी विभागों में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको गृह विभाग में जो बजट मिला है, वह बहुत पर्याप्त बजट है। लेकिन पिछले साल की बजट राशि का आधा खर्च हुआ है। इसलिए इस बजट का विरोध करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले पंचायत विभाग में कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी नौजवान हैं। इसलिए अजय चंद्राकर जी और उधर पुराने लोग बैठे हुए लोग हैं, वे बहुत नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं। नए-नए विधायक मंत्री बन गए हैं। चूंकि यह आपकी पार्टी की नीति है, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जब विजय शर्मा जी गृह मंत्री और विष्णु देव साय जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्हीं के कार्यकाल में बलौदाबाजार जिले का कलेक्टर और एस.पी. ऑफिस जला है।

श्री रिकेश सेन :- दादी, उसको किसने जलाया है?

श्री कवासी लखमा :- कौन जलाया है? सरकार ने जलाया होगा। (हंसी) सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार सो रही थी?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। समय कम है, हम सब लोगों के नाम काट रहे हैं। इस तरह से disturbance होगी तो बात नहीं हो पाएगी और आज कोई भी माँग पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सदस्यों को निर्देशित कर दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, इस सरकार में सरगुजा के एक आदिवासी एस.डी.ओ. को पीट-पीट कर मारा गया। हम यह सपने में नहीं सोचे थे। अभी यहाँ हमारे पटेल जी नहीं

हैं। उस दिन वे सदन में आप लोगों के सामने अपनी दु:ख-पीड़ा को रख रहे थे। रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र, जहां से वित्त मंत्री जी आते हैं, उस क्षेत्र में पुलिस वाले और कलेक्टर ऐसे दौड़े। तमनार में जंगल काटे जा रहे थे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई पुलिस अधिकारी और कलेक्टर दौड़े भागे थे। उनको आदिवासी लोग दौड़ाये थे। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा करती है। इस देश में तीन लोगों के पास वीटो पावर है। देश में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री और जिला में डी.एम. के पास वीटो पावर होता है। अगर वही भाग जाए, फिर देश कैसे चलेगा? अगर कलेक्टर ऑफिस जल जाएगा, एस.पी. ऑफिस जल जाएगा, फिर उस देश का क्या होगा? इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम किया है। हमारी सुरक्षा के लिए यहां पुलिस बल बहुत हैं। हमारे बस्तर में जनता से ज्यादा पुलिस हैं। वहां कदम-कदम में पुलिस तैनात हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात होंगे, यह लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। जो अच्छा काम हुआ है, उसके लिए मैंने उस दिन बधाई दिया था। लेकिन यदि खराब काम हुआ है, उसको हम जरूर बताएंगे। वहां नक्सलाईट बरसों थे, जो कहीं न कहीं कमजोर होते गए। जब पाँच साल भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने वहां विकास कार्य करने की कोशिश की, रोड बनाने की कोशिश की, मलेरिया को कम करने की कोशिश की। हम लोग विश्वास, विकास का रास्ता ढूँढ़ा था। हमारे यहां कोरोना की बहुत बड़ी महामारी आई, कोरोना से बड़े-बड़े नक्सलाईट लोग खत्म हुये हैं । सरकार के द्वारा चाहे मार के हो या डरा के हो, नक्सलियों को खत्म करने का जो प्रयास किया है, मैंने उसके लिये बधाई दी है । देवा बड़ा लीडर था, छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने को छोड़कर तेलंगाना में सरेंडर क्यों कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां की नीति अलग है, वहां उनको जो भी पैसा मिल रहा है, वह साल भर के अंदर एकमुश्त मिल रहा है, उनको तेलंगाना में जमीन एलॉट हो रहे हैं, यहां पर तीन साल में ...।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह बड़ा-छोटा मामला नहीं होता है । माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता भी हूँ । वहां क्या हुआ और यहां क्या हुआ, इसे छोड़ दीजिए । अभी भी इस लोकतंत्र के मंदिर में सामने बैठकर आये हैं, यह पुनर्वासित लोग ही है और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आये हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, हमारे विक्रम मंडावी जी के क्वेश्चन में मैं सुन रहा था । यहां पर 8 लाख, 10 लाख रूपये की जो भी राशि की घोषणा हुई है, वहां पर एकमुश्त मिल रहा है आप ने इसे तीन साल रखा है, क्या वह तीन साल जिंदा रहेंगे, वह तीन साल क्या करेगा, इसलिये उसको एकमुश्त पैसा दें । 15 लाख इंदिरा आवास जो बन रहे हैं...।

एक माननीय सदस्या :- दादी, इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास बोलिये ।

श्री कवासी लखमा :- प्रधानमंत्री आवास जो उन लोगों को मिल रहा है, उनके पास जंगल में कुछ भूमि वगैरह ही नहीं है । मैदानी एरिया में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उसको रायपुर के नगर

निगम और नगर पालिका में 2 लाख 20 हजार रूपये और बीजापुर के गांवों में जो बनेगा, अबूझमाड़ में आदिवासी लोगों के लिये बनेगा तो 1 लाख 20 मिलेगा और इसमें मनरेगा जोड़ दें तो 1 लाख 30 हजार हो जायेगा । वह कैसा आवास बनेगा ? उनके पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि दिल्ली में डबल इंजिन की सरकार आई है, यहां भी आपकी सरकार है और नगर पालिका तथा नगर पंचायत में भी आपकी सरकार है । हम लोग पूरी तरह से हार गये हैं, सिर्फ मेरे सुकमा जिला में जिला पंचायत अध्यक्ष है, 33 जिले में से 32 जिले में आपके जिला पंचायत अध्यक्ष है । यह 1 लाख 20 हजार और 1 लाख 30 हजार रूपये जो प्रधानमंत्री आवास का है, वह कम है । उन नक्सली क्षेत्रों में घर बनाने के लिये 5-5 लाख रूपये देना चाहिये । तेलंगाना में डबल इंजिन की सरकार नहीं है, आप पता कर लीजिए । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बस्तर से हैं, वहां पर रेवंथ रेड्डी की सरकार 5 लाख रूपये दे रहे हैं । यहां जमीन नहीं है तो पैसा नहीं मिल रहा है, वहां जमीन नहीं है तो सरकार खरीद कर दे रही है। वहां 10 डिसमिल जमीन और बनाने के लिये 5 लाख रूपये दे रहे हैं और उसके साथ-साथ पीने के पानी के लिये बोर खोदकर, मोटर लगाकर दे रहे हैं । यहां हमारे आदिवासी आदमी को, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, वहां कहां से रेती लायेगा, वह कहां से ईट लायेगा ? अबूझमाड़ में, जगरगुंडा में, गोलापल्ली में, किस्टाराम में वहां मिस्त्री नहीं है, उसे सुकमा से आन्ध्रा से ढूँढ़ कर लायेगा ? उस सीधे-साधे आदिवासी को 20 हजार रूपये किश्त मिलेगा, कोई बंगाली मिस्त्री आता है, कोई दूसरा कॉस्ट का आता है वह उसके पैसे को ठगकर ले जाता है, न घर बनता है न कुछ बनता है। वह पैसा कम है, मतलब घर बनाने लायक नहीं है। आपने सबकुछ अच्छा किया है तो एक काम प्रधानमंत्री आवास के लिए 5 लाख रुपया कर दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास बने। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों की बात सुनेंगे, आप लोगों की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। आंध्रा में आपकी ही गठबंधन सरकार है, आंध्र में 3 लाख रूपए मिलते हैं। अगर वहां सोसायटी में चावल मिलता है तो दाल, नमक, प्याज पूरा मिलाकर देते हैं। चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी हमारे प्रदेश के बाजू में हैं, यहां डबल इंजन सरकार 1 लाख तीस हजार देती है, 1 लाख बीस हजार देती है कैसे बनेगा? हमारे सुकमा के नगरपालिका जगरगुंडा और गोल्लापल्ली, आवापल्ली में 2,20,000 रूपए है। मैं इसलिए पंचायत विभाग में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं सरपंच भी रहा, वार्ड मेंबर भी था, मंत्री भी था, जिला पंचायत सदस्य भी था। हम लोग जानते हैं, पंचायत से सबसे अच्छा काम होता है। पंचायत में लोग सड़क बनाने के लिए, बिजली मांगने के लिए आते हैं । स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज को इसलिए सोचकर लाया था, महात्मा गांधी ने सोचा था। पंचायती राज हो, एक सांसद, एक विधायक गांव की सेवा नहीं कर सकता। वहां का सीसी रोड नहीं बना सकता, वहां बोरिंग नहीं खोद सकता। इसलिए गांव का आदमी पंच बनेगा, जनपद बनेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज, महात्मा गांधी ने सपना सोचा था, उसको कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। मैं एक गरीब घर में पैदा होकर, तेंदूपत्ता तोड़कर, गोदी खोदकर,

आया हूं, मुझे सुकमा की जनता ने यहाँ भेजा है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हम लोगों ने कोशिश की, दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में सरकार पंच को 100 रूपए मिलता रहा। बाद में 200 रूपये मिला। भूपेश बघेल ने 500 रूपये कर दिया। आपकी 15 साल की सरकार थी, आप भी 15 साल मंत्री थे। जनपद सदस्य को 1500 रूपए मिलते थे, हमने 5,000 कर दिया। जिला पंचायत को 3,000 रूपए मिलता था, उसको हमने 6,000 रूपए कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15,000 रूपए मिलता था, उसको 25,000 रूपए कर दिया। आप लोगों ने 2 साल में उनकी एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई। आंगनबाड़ी में 5000, 4,000 रूपए मिलता था, हम लोगों ने 10,000 कर दिया। रसोइयां लोगों को खाना बनाने वाले गरीब आदमी को 15 साल तक 1300 रूपए मिलता था, उसको आज 2200 रूपए मिल रहा है। हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। 5,000 करोड़ बजट में चलने वाले छत्तीसगढ़ का आज 1,72,000 करोड़ रूपए बजट हो गया है। गरीबों को कुछ नहीं, ये सरकार कैसे चलेगी ? पंचायती राज के माध्यम से पंचायत में चुने हुए लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी के एक भी जिला पंचायत नहीं है, बहुत कम हैं। उन लोग अपना-अपना बोलते हैं, हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तीर, बम, बंदूक चलता था। पंचायत के पास कुछ पैसा नहीं है। ना मूलभूत पैसा है, ना काम किया उसका पैसा मिल रहा है। ये सही बात है, गांव में सब लोग सुनकर आते हैं, आप भी गांव से सुनकर आते हो। प्रधानमंत्री आवास में दीवार उठ गया, सीधा किसान के आदमी के पास पैसा गया, मिस्त्री उठाकर पैसा निकाल लिया, तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है। मैं बस्तर में दावे के साथ बोल सकता हूँ, बाकी जगह मैदानी एरिया है तो आदमी घर का पैसा लगा लेता है, मध्य छत्तीसगढ़ के इधर के लोग समझदार हैं। अपने घर का पैसा भी लगाते हैं। लेकिन उधर के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, टोरा महुआ वाले, इमली वाले लोग कहां से पैसा लगाएंगे ? आप लोग 26 लाख इंदिरा आवास कितना बना रहे हो, अगर पैसा नहीं बढ़ेगा तो उसमें आधा भी नहीं बनेगा। मैं ज्यादा न कहकर यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा योजना का नाम इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा था। अभी आपने उसका नाम जी राम जी रख दिया है। भगवान का नाम रख दिया है। भगवान तो सबके पास है, लेकिन उनको किसी ने देखा नहीं है। महात्मा गांधी जी को तो सबने देखा था न। यदि आपको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम को बदलना ही है तो आप उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख देते। आपने इसमें भगवान को क्यों घसीटा? हम लोग शुरू से कांग्रेसी लोग बोल रहे थे कि ये लोग भगवान को चुनाव का एजेंट बनाएंगे। आप लोगों ने भगवान को चुनाव का एजेंट बना ही लिया। वह भगवान क्या जानते हैं? हमको तो भगवान की पूजा करनी है। आपने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में ऐसा क्यों किया? आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप पैसे नहीं देंगे। लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। जब इंदिरा आवास बनते थे तो उस समय भारत सरकार से डायरेक्ट दिल्ली से पैसे आते थे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी दिल्ली से

पैसे आते थे। अभी उसको 60 और 40 प्रतिशत किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार पैसे देगी या नहीं देगी? 7 दिन का भुगतान होगा या नहीं होगा? मंत्री जी, 2 साल में पंचायत में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- बाबू जी, आप गरीब के लिए अच्छा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप उनको बोलने दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- 2 साल से पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। यहां के लोग, खासकर हमारे बस्तर के लोग तेलंगाना में जाकर कपास तोड़ रहे हैं, मिर्चा तोड़ रहे हैं। तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, केरला तक बस्तर के लोग जा रहे हैं। आपके यहां मध्य छत्तीसगढ़ के लोग कश्मीर, उत्तर प्रदेश में ईंटा मारने जा रहे हैं। यहां काम ही नहीं है। वहां तो प्राइवेट काम भी है। हमारे यहां प्राइवेट काम नहीं है। सरकारी काम मिलेगा तो होगा। इसलिए आप छत्तीसगढ़ की जनता को भागने मत दीजिये। छत्तीसगढ़ के लोग सीधे-सादे लोग हैं। कभी कोई मर जाता है तो लोग MLA को फोन करते हैं। बोरिंग गाड़ी में गये और यदि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मर गया तो लाश ले जाने में परेशानी होती है, थाना में रिपोर्ट करने में परेशानी होती है। यदि अच्छा काम होता है, आप अच्छी बात करते हैं तो हम लोग तारीफ करेंगे। यह सरकार छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा चुनकर आई है। सरकार बदलती है। सरकार आती-जाती रहती है। यदि आपको जनता की सेवा करनी है तो गरीब की सेवा करिये। मैं फिर बोलता हूं कि यहां पर आप लोग लाडली बहना योजना की तरह महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रूपये दे रहे हैं। तेलंगाना में 4,000 रूपये निराश्रित पेंशन मिल रहा है। हम आपसे बोलते हैं कि आप लाडली बहना योजना की राशि को और बढ़ाइये और उसको 5,000 रूपये कीजिये। आप चुनाव के समय मत बढ़ाइये, बल्कि अभी बढ़ाइये। इधर आपने बिजली बिल बढ़ा दिया और उधर 1,000 रूपये देकर ठग रहे हो। बिजली बिल 1,000 रूपये आ रहा है, 500 रूपये आ रहा है, लाख रुपये आ रहा है। गैस सिलेंडर के लिए आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि 500 रूपये में गैर सिलेंडर देंगे। क्या गैस सिलेंडर की कीमत 500 रूपये हो गयी? यह क्या गारंटी है? इसलिए किसी भी काम को आपको होने लायक बताना है, करने लायक बताना है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, दो मिनट। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कहीं से भी अच्छी नहीं है। हमारा राज्य अंदर का राज्य है। यह छोटा सा राज्य है। हम लोग पहले सोचते थे कि बिहार में बहुत मर्डर होते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत मर्डर होते हैं। यहां रोज बलात्कार हो रहे हैं। आप रोज शाम 7:00 बजे टी.वी. खोलकर देख लीजिए, उसमें बलात्कार, मर्डर, किसी की मां को मार दिया, किसी के बेटा को मार दिया, यही दिखता है। छत्तीसगढ़ में जितने मर्डर हो रहे हैं, उतने कहीं पर नहीं हो रहे हैं। आप नौजवान हैं, दमदार गृह मंत्री हैं तो इसको कंट्रोल कीजिये, क्योंकि

जनता सरकार को देखती है। अभी समय नहीं है, मुझे और भी बातें बोलनी थीं, लेकिन बार-बार ऊपर से आदेश आ रहा है तो उसका पालन करता हूं। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- आप किसके लिए बोल रहे हैं, उसको बोलिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, और भी विभाग थे, जिनमें मुझे बोलना था, लेकिन समय कम होने के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। यह जो बार-बार गृह मंत्री जी ऊपर-ऊपर दिखा रहे थे तो वह हमारे क्षेत्र के लोग हैं। मुझसे एक बात छूट गयी थी। जो आत्म समर्पण कर रहे हैं, वह लोग घूम रहे हैं। आप उनको कितने दिन रखेंगे? आप उनको कहां की जमीन देंगे? उनकी जमीन का स्थान चिन्हित कर दीजिए। उसका गांव कौन सा गांव है, वह जगरगुंडा का रहने वाला है कि आवापल्ली का रहने वाला है, ग्राम में रहेगा तो उनके लिए ग्राम में बना दीजिये, अगर वह शहर में रहेगा, जैसे सुकमा में रहेगा, जगदलपुर में रहेगा तो उन्हें अंदर में दे दीजिये। वर्धा में रहेगा तो वर्धा में बनाईये, खम्मम में रहेगा तो खम्मम में बनाईये और हैदराबाद में रहेगा तो वहां जमीन देंगे। इस प्रकार से इनको तत्काल सुविधा मुहैया करा दीजिये नहीं तो यह लोग भटक जायेंगे और फिर उधर ही जायेंगे, फिर पकड़ेंगे। पहले तो बंदूक पकड़ेंगे। इसलिए वे अभी शांति से आये हैं, मान से आये हैं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था कर दीजिये।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, उनके लिए जीने की, रहने की, पीने की, खाने की व्यवस्था कर दीजिये और जमीन आयेगी तो उनको जमीन भी दे दीजिये। इंदिरा गांधी जी ने बंगाल के लोगों को लाकर यहां बसाया था और 4-4 एकड़ जमीन दी थी। आप इनको भी दे दीजिये। यह तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग हैं। क्या दिक्कत है, कौन मना करेगा ?

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, इन लोगों को अच्छी सुविधा दीजिये। दूसरी बात, जो जितना अंदर है। हम लोगों ने 1,700 लोगों को छोड़ा था। जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और मैं मंत्री था। आप लोगों ने 15 सालों में जिनको अंदर किया था, हम लोगों ने उनको छुड़वाया था। लेकिन अभी 1,300 लोग अंदर हैं, चाहे जगदलपुर सेंट्रल जेल हो, सुकमा हो या बीजापुर हो। जो अंदर है, उनकी भी कुछ मदद कर दीजिये और उनको छुड़वा दीजिये। बाकी अरूण गोंड, वह भी गरीब लोग हैं, उनकी भी मदद कर दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- बस्तर टाईगर, क्या बात है।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझसे पूर्व हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य जो स्वयं भी बस्तर से आते हैं और वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोगों ने अभी उनका वक्तव्य सुना। नए सदस्य होने के नाते हम

कहीं ना कहीं यह उम्मीद कर रहे थे, चूंकि आदरणीय सदस्य बहुत पुराने भी हैं और बहुत सम्मानित हैं और बस्तर से आते हैं और जिस तरीके से पिछले दो साल में आदरणीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ मिलकर जिस तरीके से बस्तर को नक्सलमुक्त किया है, तो नए सदस्य होने के नाते हम एक उम्मीद कर रहे थे कि शायद बस्तर के बेटे के माध्यम से हमारे गृह मंत्री जी को एक धन्यवाद जरूर ज्ञापित होता, जो कि हमें सुनने को नहीं मिला है। लेकिन वहां की बहनों की तरफ से क्योंकि हम स्वयं भी.।

श्री कवासी लखमा :- मैंने पहले बोला है। अभी फिर बोलूंगा ना अभी तो 2 साल और बचा है। पहले मैंने बधाई दी है।

श्रीमती भावना बोहरा :- दादी, पहली बधाई ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप थोड़ी और तारीफ कर देते तो 31 तारीख का जो समय है, हो सकता है कि 31 के पहले-पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाये। लेकिन इनके बिहाफ में और पूरे छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों के माध्यम से, मेरे सम्मानित सदस्यों के माध्यम से, उनकी साइड से मैं हमारे गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूं कि जिस तरीके से पिछले दो साल में निश्चित ही नक्सली गतिविधियों पर जो लगाम लगी है, न सिर्फ लगाम लगी बल्कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय पहल है। अभी जो नई शुरुआत हुई है। सभापति महोदय, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और साथ में गृह मंत्री जी उनके साथ भोजन कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह पहला अवसर होगा कि जो नक्सली मुख्यधारा से जुड़े हैं, उनको अपने घर में बुलाकर इस तरीके से कोई सरकार और सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करती हूं। चूंकि मुझसे पहले के वक्ताओं ने सारे विषय लिये हैं। आदरणीय मंत्री जी का विभाग काफी बड़ा है, इसलिए मैं कुछ बातों को लेते हुए अपनी बात बहुत लम्बा नहीं करते हुए जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनको मुझे लगता है कि एक बार यहां की सदस्य होने के नाते मुझे सामने रखना चाहिए, उन विषयों पर ही मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । हमारे बस्तर क्षेत्र के जो जवान हैं, जो पुलिस में हैं या फिर जो सुरक्षा में है, चाहे हम सबकी सुरक्षा में जितने जवान लगे हैं, मैं उनकी बात करूंगी। महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से एक निवेदन है कि आज भी उनका जो भत्ता है, वह बहुत मिनिमम है। उन्हें महीने में मुश्किल से 100, 150 रुपये भत्ते मिलते हैं। जिस तरीके से उनकी मेहनत रहती है तो मुझे लगता है कि इस विषय पर उनकी मेहनत को देखते हुए एक बार संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि उनके भत्ते में वृद्धि हो ताकि वे और ज्यादा मेहनत के साथ और ज्यादा संलग्नता के साथ अपना काम कर पायें। यह मेरा एक विषय है, जिस पर मुझे मुझे लगता है कि एक विचार जरूर होना चाहिए क्योंकि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भी उसी विभाग से आते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा विषय मेरे पंडरिया विधान सभा क्षेत्र का ही है। मैंने पहले भी एक निवेदन किया था कि पंडरिया में तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्थान- कोदवा गोडान, कापादाह और कामठी है, जहां कुछ हद तक जो कामठी गांव है, वह संवेदनशील है। वह विषय मंत्री जी के संज्ञान में भी है। उसके अलावा कोदवा गोडान और कापादाह जो गांव है, उनकी दूरी शहर की दूरी से, पंडरिया और कुकदूर थाने की दूरी से थोड़ा ज्यादा है। मेरा निवेदन आदरणीय मंत्री जी से रहेगा कि कोदवा गोडान में एक पुलिस चौकी का प्रावधान इस बार जरूर कर दीजिये। साथ में कापादाह और कामठी में भी पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की जाये । क्योंकि काफी सारी घटनायें इस क्षेत्र में लगातार होती रहती हैं। इसमें मेरी आदरणीय मंत्री जी से 3 प्रमुखता से मांग है। उसके अलावा महत्वपूर्ण पंचायत का विभाग है, वह आदरणीय मंत्री जी के पास है। पंचायत एक ऐसा विभाग है जो सीधे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हम आज सड़कों की, आवास की, पेयजल की, आजीविका की, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, उनका कहीं न कहीं सीधा संबंध इस विभाग से है। मैं अभिनंदन भी करती हूं कि प्रधानमंत्री आवास जिस विषय पर लगातार हमारे सम्माननीय सदस्यों ने चर्चा भी की है और जिसका वादा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने किया था और केबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति मिली। और घोषणा पत्र के अलावा लगभग-लगभग जो हमें जानकारी है कि 26 लाख के आसपास आवास बनकर तैयार है या बनने वाला है। लगभग-लगभग हम डबल मानकर चलते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 02 साल में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सभापति महोदय, उसके अलावा मैं सड़क की बात करूं तो जिस क्षेत्र से मैं स्वयं आती हूं, वहां पर सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर थी। हम स्वयं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चिंता का विषय था कि पता नहीं हम इन सड़कों को बनाने का जो वादा कर रहे हैं, वह कभी कर भी पायेंगे या नहीं। मैं उसके लिये भी अभिनंदन करूंगी कि बहुत सारी सड़कें प्रधानमंत्री आवास में जुड़ गई हैं, बहुत सारी सड़कें मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना के तहत जुड़ गई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रश्न, ध्यानाकर्षण में भी विषय लाया था सड़कों के नवीनकरण के लिये अभी तक कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की गई है। उसके लिये मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो जवाब आया था कि सड़कों के नवीनकरण के लिये इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मेरे क्षेत्र की है, जोगांगीबैरा से बिरनपुरखुर्द, राजपुर से दरिगवां, कोसमंदा से हीरापुर, उड़िया से बनिया, इस तरीके से लगभग 15 ऐसी सड़कें हैं जो बहुत जर्जर स्थिति में हैं जिसको नवीनीकरण की जरूरत है। उसको कृपया संज्ञान में लेकर के इस बार उसको जरूर प्रस्ताव में डालेंगे। सभापति महोदय, मेरा तीसरा विषय पंचायत को लेकर ही है। हम महतारी सदन की बात करें। यह बहुत प्रशसंनीय विषय है कि लगभग 122 महतारी सदन बनकर तैयार हैं या बनने की स्थिति मे हैं और लगभग 137 नये महतारी सदन की स्वीकृति विभिन्न जिलों में, विधान सभाओं में, ब्लाक में हुई है। यह एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम किसी पंचायत के सरपंच

की बात करें तो उनकी जो राशि है, पंचायत के सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को लगभग 50 लाख की राशि का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज भी ये स्थिति है कि 50 लाख की राशि अभी सिर्फ शब्दों में रह गई है, जब हम धरातल में देखते हैं तो कहीं न कहीं कभी आर.ई.एस. के माध्यम से, कभी और विभाग के दबाव में सरपंचों को दरकिनार करके काम की डायरेक्ट स्वीकृति होती है जिसमें सरपंचों को थोड़ी सी परेशान होती है। मुझे लगता है कि अगर हमने उनको 50 लाख रुपये तक का अधिकार दिया है, तो उनको काम का अधिकार हमको उस क्षेत्र में देना चाहिए। उसमें महतारी सदन भी शामिल है तो हमने आर.ई.एस. मे दे दिया है। जिन पंचायतो में वह सक्षम हैं तो उनको वहां 50 लाख रुपये तक का काम करने का अधिकार होना चाहिए। उसके अलावा चूंकि जिला पंचायत जो बाडी है, वह कहीं जनपद, सरपंच तीनों को रिप्रेजेंट करती है, वह जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं स्वयं भी जिला पंचायत सदस्य थी, आदरणीय मंत्री जी भी हमारे साथ उस समय जिला पंचायत सदस्य थे तो वह बेहतर समझते हैं कि सदस्यों को बहुत ज्यादा अधिकार या पावर नहीं होता है, विशेष रूप से मैं वित्तीय पावर के अधिकारों की बात करूं। एक चीज जरूर है कि वित्तीय पावर आने वाले समय में जो मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन फिलहाल में उनकी जो मासिक आय है, अगर उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य को मासिक सेलरी 10 हजार रुपये, अध्यक्ष की सेलरी 15 हजार रुपये, जनपद सदस्यों की सेलरी 5 हजार रुपये, सरपंचों की सेलरी 2 हजार रुपये है। अगर उनकी सेलरी में वृद्धि हो सकती है तो मुझे लगता है कि वह काफी सराहनीय रहेगा। मुझे आज अपने विषय ही रखने थे। मैं बहुत सारी चीजों के लिये चाहे वह महतारी सदन को, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे हमारे जिले मे जिस तरीके से साइबर सेल खुला है, बहुत सारे जिलों में जिसकी शुरूआत और हो गई है, उन सारे विषयों की बात करूं तो निश्चित ही हमारे मंत्री जी अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 02 साल में बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं महिला सुरक्षा को लेकर जरूर बोलना चाहूंगी कि चौक-चौराहों में, मंदिरों मे और कुछ ऐसी जगहों में कैमरे की व्यवस्था थोड़ी सी सुदृढ़ करनी चाहिए और उसका एक्सेस सीधा हमारे पुलिस प्रशासन में होना चाहिए, उनके थानों मे होना चाहिए। होता यह है कि कैमरे लगते हैं, लेकिन जब आप उसको खंगालने जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से इंटेसनली किसी को बचाने के लिये वह रिकार्ड कभी या तो डिलीट कर दिया जाता है या फिर कैमरे बंद पाये जाते हैं। तो वह सुदृढ़ता से अपना काम करें तो मुझे लगता है कि इसकी भी चिंता एक बार जरूर होनी चाहिए । इन्हीं विषयों के साथ मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय मंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बहुत अभिनंदन करती हूं कि पूरी सजगता के साथ में वह हमारी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, हमारे सारे विषयों को अपनी बातों में समाहित कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-2027 की मांग संख्या - 3, 4, 5, 30, 46 एवं 80 के विरोध में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्तर से आता हूं और लगातार सदन में बस्तर के बारे में बात चल रही है तो मैं बस्तर से अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर में शांति के बारे में लगातार सदन में चर्चा हो रही है और बस्तर ही नहीं जितने भी यहीं उपस्थित हैं, हम सभी चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो और बस्तर में शांति के लिये बस्तर में रहने वाला हर एक वर्ग का समाज चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह सभी चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो और बस्तर में शांति के लिये वह दिन और रात लगा रहता है, बस्तर में शांति की शुरूआत कोई आज से नहीं हुई है । यहां पर बार-बार इस बात को दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बस्तर में मात्र पिछले 2 सालों में ही बस्तर बदल गया है, बस्तर में शांति आ गयी है, बस्तर अब एक नया बस्तर बनने जा रहा है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, जो पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल किसकी सराकर थी ? 15 साल डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी तो वह कौन सी पार्टी की सरकार थी ? क्या उन्होंने काम नहीं किया ? 5 साल बिल्कुल हमारी सरकार थी, हम भी इस बात को मानते हैं कि क्या उस 5 साल की सरकार ने काम नहीं किया ? और हम इस बात को भी मानते हैं कि 2 साल की सरकार ने भी काम किया है । अगर इस 2 साल की सरकार ने काम किया है तो वह 15 साल की सरकार ने भी काम किया है जो डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी । डॉ. रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार ने भी काम किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने भी 5 साल में वह काम किया है और सभी ने काम किया है । आज बस्तर का हर व्यक्ति चाहे वह कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वहां रहने वाला किसी और समाज का व्यक्ति हो इन सभी का योगदान उस बस्तर में जो शांति आज स्थापित हो रही है उसमें योगदान है । मैं इसमें नहीं बोलना चाहता लेकिन लगातार जिस तरीके से बस्तर में शांति के विषय में, नक्सलवाद के विषय में कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं इसलिये मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है । इससे पहले भी लगातार बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई हुई है तो यह पहली बार नहीं हुआ है । आज ठीक है, बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन वह शुरूआत पहले हो चुकी थी । सन् 1989 में जब वहां पर दण्डकारण्य अभियान की शुरूआत हुई थी, सन् 1992 में दण्डकारण्य अभियान की शुरूआत हुई थी और वर्ष 2004-2005 में सलवा जुडूम की शुरूआत हुई थी । तब भी वहां बस्तर के लोग निहत्थे उस लड़ाई में लड़े थे, उनका भी योगदान है ।

समय :
4.08 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, यह जो बार-बार विपक्षी पार्टी द्वारा बस्तर को लेकर, नक्सलवाद को लेकर निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा जी के नेतृत्व में पूरा बस्तर ने वहां लड़ाई लड़ी और वहां 3-3 बार लड़ाई लड़ी लेकिन कभी भी बस्तर की इस लड़ाई में राजनीतिक लाभ लेने का काम स्वर्गीय शहीद महेन्द्र कर्मा जी ने नहीं किया और यहां पर हम सभी उस समय पक्ष और विपक्ष, चाहे वह किसी भी दल का व्यक्ति हो । आज हमारे बीच में स्वर्गीय बलिराम कश्यप दादा नहीं हैं, वह भी उस समय उस आंदोलन में साथ में थे लेकिन उस समय इस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं किया गया है । आज बस्तर में वर्तमान समय में कहीं न कहीं एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति की ओर बढ़ रहे हैं इस बात को हम साबित करते हैं लेकिन उस लड़ाई को अगर मूल रूप से कोई लड़ रहा है, किसी का बड़ा योगदान है तो वह वहां पर लड़ने वाला पुलिस का जवान चाहे वह केंद्रीय शासन का बल हो, चाहे स्थानीय पुलिस बल हो, स्थानीय डी.आर.जी. जवान वह लड़ रहे हैं तो उनको भी योगदान जाता है । मैं बस्तर से आता हूं और उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नक्सलवाद की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, नक्सलवाद है । मैं बीजापुर जैसे क्षेत्र से आता हूं और मैं नजदीकी से देखता हूं कि आज वहां का व्यक्ति किस तरीके से संघर्ष करता है । चाहे वह कोई भी हो, आज पूरे छत्तीसगढ़ में जहां राजनीति करते हैं, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां हमारा 5 बजे, 6 बजे हमारी सीमा समाप्त होती है, चाहे वह किसी भी दल का व्यक्ति हो वह 5 से 6 बजे राजनीति नहीं करता है । आज वहां किसी भी विभाग का अधिकारी है, वह किस परिस्थिति में काम करता है वह जानता है । वह कर्मचारी किस परिस्थिति में काम करता है वह जानता है लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का लाभ लेने के उद्देश्य से या उसको बढ़ा-चढ़ाकर बताने के उद्देश्य से नहीं लिया है । आज हम सब चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, बस्तर में लोग आगे बढ़ें, यह हम सब चाहते हैं और लगातार उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है । चाहे अभी वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो, इसमें कोई दो मत और इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारा बस्तर शांत हो रहा है इसके लिए हम सभी यहां पर चिंतित रहते हैं और उस पर विचार-विमर्श करते हैं कि हमारा बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, उसे बढ़ना चाहिए। हमारे पूरे बस्तर के लोगों को इस बात की खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तर के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वर्तमान में जो बस्तर के हालात हैं, जो हमारे बस्तर में स्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर लोग चिंतित हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आपके इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप यह ठीक है कि आप बस्तर में शांति चाह रहे हैं, वहां समस्या का हल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक दूसरी समस्या की ओर जा रहे हैं। आज हमारे बस्तर के खनिज संसाधनों पर किसकी नज़र है, आज जो बस्तर के खनिज संसाधन हैं, उसको लेकर वहां के लोग चिंतित हैं। हमारे बस्तर में

किस तरीके से बड़ी मात्रा में बेस कीमती खनिज संसाधन मिलने वाले हैं चाहे वह लोहा हो, टीन हो, कोरण्डम हो, वहां पर ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं आने वाले समय में उनकी क्या स्थिति बन रही है। आज बस्तर के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो कि आने वाले समय में हमारे बस्तर का क्या होगा। इनका दोहन कैसे होगा? इनका दोहन किनके द्वारा किया जायेगा? मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज उद्योगपतियों की नजर पूरे बस्तर में है। वहां लगातार उद्योगपति बस्तर में जा रहे हैं वहां वह जगहों को चिन्हित कर रहे हैं कि वहां कौन सा पहाड़ किस उद्योगपति के खाते में जाएगा, वहां कौन सा जंगल किस उद्योगपति के खाते में जाएगा। मैं बीजापुर जैसे क्षेत्र से आता हूँ जहां बहुतायत में कोरण्डम पाया जाता है, वहां के आदिवासी तेन्दूपत्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं इसलिए कि वह बफर क्षेत्र है अगर कोर बफर क्षेत्र में आता है इसलिए वहां पर तेन्दूपत्ता नहीं तोड़ा जाता है। उसी बफर क्षेत्र में बेस कीमती कोरण्डम रत्न होता है, उसे निकालने के लिए 50 सालों की लीज में दिया गया है इसके लिए वहां के लोग चिंतित हैं। बैलाडीला के पहाड़ का टेण्डर हो चुका है। अगर आप कांकेर के पहाड़ियों की बात करें तो जहां से लोहा निकलता है वहां का टेण्डर हो चुका है उसको लेकर हम सब चिंतित हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है और चिंतित होने की जरूरत है। आज क्यों हमारा बस्तर कहां जाएगा, जो हमारा पुराना बस्तर था। हम सब यह चाहते हैं कि हमारा बस्तर क्षेत्र शांत हो। हम सब एक अच्छे बस्तर का विकास चाहते हैं कि हमारा बस्तर ऐसा हो, जहां पर लोग शांति से रहें। एक ऐसा बस्तर हो, जहां के खनिज संसाधनों की रक्षा हो, हमारा बस्तर ऐसा हो, जहां के लोग खुशी-खुशी रहें, जो अपने खनिज संसाधनों का बचाव कर सकें। वहां के हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। हम खनिजों के दोहन के विरोध में नहीं हैं, वहां पर उद्योग होने चाहिए, लेकिन क्या उस स्थिति में वहां के युवा बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, क्या उनको रोजगार मिलेगा ? हमारी सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे बीच में लगातार आत्मसर्मपण नक्सलियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह आ रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, हम सब उनका भी स्वागत करते हैं और यह होना भी चाहिए। हमारे वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा जी ने भी चिंता व्यक्त की। वह मुख्य धारा में आ रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन हमें उनके भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने प्रश्न लगाया था कि उनको आत्मसमर्पण पर जो राशि मिलती है, उसका क्या है, उनको कैसे होगा। पिछले 3 साल में कहां पर जीवन यापन करेंगे और वह कैसे रहेंगे ? उनके पुनर्वास का क्या स्वरूप होगा ? उनका पुनर्वास कैसे होगा ? इस ओर भी शासन-प्रशासन को इसकी स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- आप संक्षेप करेंगे।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी ओर कहना चाहता हूँ कि आज पूरे बस्तर में नक्सल समस्या तो है, लेकिन वहां नक्सल समस्या की आड़ में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नशा, हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह सबसे बड़ी चीज है कि हमने छत्तीसगढ़ में जिन चीजों के बारे में नहीं सुना था, हमने नहीं देखा था, यहां पर अफीम का व्यापार फल-फूल रहा है। आखिर यह कैसे हो रहा है ? यह किसके संरक्षण में हो रहा है, आपको इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम पहले दूसरे प्रदेशों में अफीम की बात सुनते थे, आज छत्तीसगढ़ जैसे शांतप्रिय प्रदेश में भी अफीम का नशा होगा तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ वर्तमान समय में माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो पुलिसिंग है उसे कैसे अच्छा, सख्त बनाया जाये और उसे कैसे स्मार्टनेस किया जाये, हमें उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। आज लगातार पुलिस के ऊपर दूसरे कामों का बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन उसके साथ-साथ जिस वजह से कहीं न कहीं जो अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको रोकने में भी असफल साबित हो रहे हैं तो उनका भी बोझ कम करने की जरूरत है। जो हमारे बस्तर में वर्षों से पुलिस के जवान जमें हुए हैं, उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 17-18 सालों से लगातार जमे हुए हैं, आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि वैसे भी जो पुलिस जवान या अधिकारी हैं, उनकी दिशा में भी आपको काम करने की जरूरत है और उनका स्थानांतरण करवाने की जरूरत है। बस्तर में एक सबसे बड़ी दूसरी जो समस्या आ रही है कि वहां पर चिट फण्ड कम्पनी जो बहुत तेजी से हमारे बस्तर के भोले-भाले गरीब आदिवासियों के बीच में पहुंच रही है और लगातार उन्हें सदस्य बना रहे हैं । कुछ दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में गया था, गंगालूर क्षेत्र है, जो आप जानते हैं, जहां पर बहुत मुश्किल से हम सब पहुंच रहे हैं । उन क्षेत्रों में 70-80 लाख रूपए एक मुश्त कोई बाहर का आदमी, किसी कम्पनी के नाम से जाता है और वहां से चिटफंड कम्पनी का पैसा बाहर ले जाता है । इस दिशा में भी हम लोगों को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जेल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । बस्तर में जितने भी जेल हैं, उन जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रहते हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है । हम जब भी जेल में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस दिशा में प्रयास करें । ऐसे बहुत से कैदी बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, जहां पर उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वर्तमान समय में वे नहीं छूट पा रहे हैं । जो गरीब कैदी हैं या कमजोर वर्ग के हैं, ऐसे लोगों की ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करिए ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, इन्हें बोलने दीजिए । हमारे अजय जी और हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं । उन दोनों की मुद्रा देखिए ।

श्री सुनील कुमार सोनी :- वे चिंतन कर रहे हैं ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर गांव का विकास करना है तो कहीं न कहीं पंचायतों को भी मजबूत करना पड़ेगा । यहां हमारे बहुत से सदस्य हैं, जो जिला पंचायत से आये हैं । मंत्री जी भी शायद जिला पंचायत से चुनकर आये थे, हम भी जनपद और जिला पंचायत से चुनकर आगे बढ़े हैं । बहुत से लोग सरपंच से आगे बढ़े हैं । हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में पंचायतों को जितना अधिकार था, मजबूती थी, आज वह नहीं है। अगर गांवों का विकास करना है तो पंचायतों को भी मजबूत करने की जरूरत है । जिस तरीके से पंचायत वर्तमान समय में वित्तीय संकटों से गुजर रही है, आज पंचायतों को काम करने का अधिकार नहीं है । उनको अधिकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनको जो अधिकार मिलना चाहिए । अगर पंचायतों को 2, 4, 5 लाख रूपए का काम भी कराना है तो उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है । इस ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है । हमारी माननीय सदस्य भावना बोहरा जी ने अवगत कराया । हमने कहा कि पंचायतों को 50 लाख का काम देंगे । वर्तमान समय में ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है, जहां पर वह काम हो रहा है । उस दिशा में भी हमें काम करने की जरूरत है । पंचायतों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, पंचायत कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों, उस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मनरेगा जो हमारे पंचायतों का, हमारे गांव का आधार स्तंभ है, हम उसे मजबूत करने की बात करते हैं । अभी केन्द्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर नये स्वरूप में लाया तो नया स्वरूप कैसे होगा, किस दिशा में काम करेगा, कैसे उनको अधिकार मिलेगा, इसका स्पष्ट उल्लेख वर्तमान समय में कहीं पर नहीं है और जो 60/40 का रेश्यों बनाया गया है, उसमें 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी, लेकिन 40 प्रतिशत का रेश्यों राज्य सरकार कैसे वहन करेगी । वर्तमान समय में राज्य सरकार पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रही है, उस स्थिति में कैसे इसका कार्य होगा, वह भी स्पष्ट नहीं है । पंचायतों को अधिकार देना है, उन्हें मजबूत करना है तो कहीं न कहीं मनरेगा को भी मजबूती देनी पड़ेगी । सिर्फ नाम बदलने से ही मनरेगा का स्वरूप बदल नहीं जाएगा । जहां तक मैं समझता हूं कि उस दिशा के लिए हम लोगों को पंचायतों को, मनरेगा को मजबूत करने की जरूरत है ।

सभापति महोदय, अंत में मैं हमारे प्रभारी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पंचायत विभाग में सचिव, रोजगार सहायक लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें शासन ने भी आजतक स्थायी नहीं किया है । उनकी विभिन्न मांगें हैं, उसको भी पूरा करने की जरूरत है और उन्हें स्थायी करेंगे तो कहीं न कहीं पंचायत मजबूत होगी। अंत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं,

जो बजट में नहीं आ पाये हैं, उन सड़कों को बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान करने की कोशिश करेंगे । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रेमचन्द पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय जी, वित्तीय वर्ष 2026-2027 माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के विभागों की मांग संख्या- मांग संख्या-3, मांग संख्या-4, मांग संख्या-5, मांग संख्या-30, मांग संख्या-46 एवं मांग संख्या-80 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गांवों के विकास के लिए हम सभी कहीं न कहीं चिंतित होते हैं। निश्चित रूप से हम सभी गावों के विकास के बारे में सोचते हैं। जब भी कोई अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो हम सभी के मन में स्वाभाविक रूप से आशंका जन्म में लेती है कि कहीं विकास की इस दौड़ में गांव, शहरों से पीछे न हो। इसके लिए गांव और शहरों के समान विकास के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध हो, यही हमारी सरकार के विकास का पैमाना है।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन के पारदर्शिता के साथ-साथ जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि 50 लाख रूपये तक विकास कार्यों का काम किसी भी विभाग को करना नहीं है। ग्राम पंचायत ही उसकी एजेंसी होगी। इससे हमारे ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ग्राम पंचायतों की स्थिति अच्छी सुधरेगी।

माननीय सभापति महोदय, हम सभी प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उनके द्वारा शुरूआत किया गया।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी सो गय हे, ओला जगा देवा।

सभापति महोदय :- मालूम है।

श्री प्रेमचन्द पटेल :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम आज भी मुख्य मार्गो से से देखते हैं कि हमारे गांव के अंतिम मोहल्ले तक भी सड़क का निर्माण हुआ है। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी इस मुख्यमंत्री सड़क योजना में 150 से अधिक नवीन सड़कों सहित कुल 475 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जब हम गांवों के भीतर जाते हैं तो जहां पहले कीचड़ हुआ करता था, वहां आज मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ से उन सड़कों का भी निर्माण हुआ है। इसके लिए भी सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अभी 8 मार्च को हम सभी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। हम सभी अपने क्षेत्रों में, विशेषकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय महतारी वंदन की शुरूआत की है। इससे

निश्चित रूप से हमारी महतारियों और बहनों को आर्थिक बल मिला है। उनका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। इस दिशा में भी महतारी सदन का निर्माण होना, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी का निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। यदि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र और गांवों में प्रधानमंत्री सड़क की बात करें तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए स्वीकृति दी जा रही है। पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ में यह काम नहीं हो पाया था। फिर से हमारी सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार 26 लाख आवास देने का काम हो और विशेष करके पिछड़ी जनजातियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो। हम बस्तर क्षेत्र की नक्सल क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पुनर्वास के रूप में जो नक्सली मुख्यधारा में लौटे हैं, उसके लिए भी आवास की बात हो रही थी। उसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री का बस्तर क्षेत्र का लगातार दौरा होता है। विशेष रूप से जो हमारे पुनर्वास नक्सली आए हैं, उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005 से हम सभी मनरेगा की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मुख्य रूप से यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होता है। हम सब लोगों को इसके माध्यम से हमारे ग्रामीणों को रोजगार भी मिलता है। ग्राम की सड़क निर्माण करने की बात हो, गांव की डबरी निर्माण करने की बात हो, व्यक्तिगत हितग्राही मूलक हो, कुक्कुट शेड हो, बकरी शेड हो, हमारे सूअर का शेड हो। हम सबको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का काम मनरेगा का हो। लेकिन नाम बदलने से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को इसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। काम फिर से उसी गति से बल्कि ज्यादा तीव्र गति से काम होगा। अधोसंरचना का भी काम होगा। गांव के जल के संवर्धन का भी काम होगा। रोड पुल-पुलिया का भी काम होगा, बल्कि जो श्रमिक दिवस होते थे, 100 दिन के बजाय 125 दिन के हिसाब से काम होगा। निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हम सभी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं । व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की बात हो, सामुदायिक शौचालय के निर्माण की बात हो, ठोस तरल पदार्थ के जो अपशिष्ट पदार्थ, जिनका अलग-अलग रूपों में हम गांव में कचरा इकट्ठा करने के लिए उस समय ट्रॉली का भी वितरण किए थे और शहरों में भी होता है, निश्चित रूप से उन सबको एक जगह एकत्रित करके ठोस और तरल पदार्थ को अलग-अलग बना कर हमारे कुछ शहरों में, गांव में भी उन क्षेत्रों में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 850 करोड़ रूपये का प्रावधान है। महिलाओं को विशेष रूप से स्व-सहायता समूह से जोड़ने का विशेष अभियान हो। महिलाओं का स्व-सहायता समूह के वित्तीय ऋण का समावेश हो, वित्तीय ऋण उपलब्ध हो। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा लखपति महिला दीदी बनाने की योजना है, निश्चित रूप से हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है। समुदाय में और कृषि कार्य करने के लिए महिलाओं को जोड़कर के नमो ड्रोन दीदी और 146 विकास खंडों में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के 146 पदों

के सृजन हेतु 100 लाख व्यय संभावित है। इस प्रयोजन हेतु भी 1 करोड़ रूपये का प्रावधान नवीन मद से शामिल किया गया है। मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के हमारे कुछ ग्राम पंचायतों में अभी हुआ है, उसमें और विशेष करके जो जन्म-मृत्यु दर का पंजीयन हो और सी.एस.सी. सेंटर के माध्यम से हमारी सरकार ने घोषणा किया था कि हम हर ग्राम पंचायतों में बैंक का खुलवाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से सी.एस.सी. सेंटर के माध्यम से वहां संचालन हो और वहां से भी हमारे ग्रामीण लोग अपनी जो राशि है, कुछ पैसा उसमें से निकाल सकें, जमा कर सकें तो निश्चित रूप से अवसर होगा। हमारी महतारी...।

सभापति महोदय :- प्रेमचंद जी, संक्षेप करेंगे। क्षेत्र के संबंध में कुछ मांग हो तो उसको रखें।

श्री प्रेमचंद पटेल :- सभापति महोदय, मैंने एक ही विषय में बोला है।

सभापति महोदय :- समय बहुत ज्यादा हो गया है। ढाई घंटे से ज्यादा हो गये हैं।

श्री प्रेमचंद पटेल :- सभापति महोदय, ठीक है। समय कम है, इसलिए मैं अपनी क्षेत्र की मांगों पर आ जाता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क की सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण की मांग है। मैं बताना चाहूंगा कि हरदी बाजार, कोरबा मुख्य मार्ग में छिनपुर-दर्री मार्ग, बांकीमोंगरा-ढेलवाडीह मार्ग, मुख्य मार्ग से देवरी-कुरई मार्ग, बांकीमोंगरा मुख्य मार्ग से हर्राभाटा मार्ग, लखनपुर से विजयपुर मार्ग, देवरी से बुंदेली मार्ग, कोरबा कटघोरा रोड से नवागाँव, कन्वेरी-रिस्दी-सोनपुरी मार्ग, दीपका-चाकाबुड़ा रोड से कोल्हियामुड़ा, राल से डोकरीखार मुख्य मार्ग से जोरहाडबरी, दीपका रंजना से तेलवारीपारा, रिस्दी से कन्वेरी मार्ग और साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में दर्री से अखरापाली, दर्री से छुइयापारा, गंगदई से बिरदा, हरदी कला से सिरविदा मार्ग है। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पुलिया बरसात में क्षतिग्रस्त हो गए थे। एक देवरी से बुंदेली पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया था और एक देवरी से कुरई मार्ग में एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं इसकी विशेषकर मांग कर रहा हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने बजट में इन सबका प्रावधान रखा है, उसके लिए विशेषकर मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री इंद्र साव जी। इंद्र साव जी, थोड़ा संक्षेप में बोलियेगा।

श्री इंद्र साव (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, वितीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 46 और 80 के संबंध में चर्चा के लिए मैं खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं होता है। बजट यह तय करता है कि प्रदेश की दिशा क्या है, विकास की गति क्या है और प्रदेश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी गंभीर है, जो इस सरकार में कहीं दिखती नहीं। आज पूरे प्रदेश की गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, युवा, महिला, गरीब, असहाय, यह

सभी लोग इस सदन की ओर देख रहे हैं, यह सभी लोग इस बजट को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि बजट में क्या-क्या प्रावधान आएंगे और हमें क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, जोकि इस बजट में हमें कहीं देखने नहीं मिला है। यदि हम पुलिस और गृह विभाग की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में अराजकता, असामाजिक गतिविधियों का बोलबाला है। चोरी, डकैती, चाकूबाजी, लूटपाट यह किसी से छुपी नहीं है। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूँ तो आज यह स्थिति है कि हमें 7:00 बजे के बाद किसी कार्यक्रम में जाने में हमको सोचना पड़ता है कि हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मुझे बेहद खुशी है कि पिछली सरकार में उन्होंने आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु 'डायल 112' के लिए 450 बोलेरो की खरीदी गई थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि सभी गाड़ियाँ तीसरी बटालियन में धूल खाते पड़ी हैं। यदि ये सभी बोलेरो गाड़ियाँ सभी थानों में वितरित हो जातीं तो आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगती और आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उन गाड़ियों में जो कमियाँ हैं, उसको सुसज्जित करके सभी थानों में वितरित करें और वहाँ की जो भी संसाधन की कमियाँ हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बारे में बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ । सभापति महोदय, हमारी 75 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और हमें उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है । यह बहुत गंभीर मामला भी है और आज जो स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है, कहीं पर गलियों में नालियों की कमी है तो कहीं सी.सी. रोड नहीं है, अहाता निर्माण की कमी है, सामुदायिक भवन खंडहर पड़ गये हैं, ऐसी बहुत सारी समस्यायें हैं। पंचायती राज में मनरेगा का जो काम दिखता था, यहां भी केवल नाम परिवर्तन नहीं किया गया है, इस योजना को खत्म करने का प्रयास है । गांवों में मनरेगा से जो विकास दिखता था, वह आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा और यह देखना होगा कि कौन किस पार्टी का विधायक है, कहां हमको काम देना है, यह तय होगा । सभापति महोदय, कांग्रेस ने जिस उद्येश्य को लेकर इस योजना को लागू किया था, गांवों में जो गरीब, किसान, मजदूर लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग गांवों में रहते हैं, वह लोग भी खाली समय में मनरेगा के माध्यम से दो पैसा कमा लेते थे, लेकिन आज इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन करके लोगों को उनके हितों से वंचित किया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुये मेरे क्षेत्र में छोटे-छोटे एक किलोमीटर, दो किलोमीटर की सड़क है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसे भी बजट में शामिल करके उन ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के हित में कुछ काम हो जाये तो मुझे भी लगेगा कि मेरे विधान सभा में बजट सत्र से कुछ काम हो रहा है । पेंडरी से तरेंगा पहुंच मार्ग, चमारी से तुरमा पहुंच मार्ग, घुघिया से चमारी, राजाघाट से घोघिया, खैरा से खपरी, पावरगिर से आलेसुर्ख पहुंच मार्ग, मांढ़र से खंड़ुवा, परसवानी से धर्राबांधा पहुंच मार्ग, मिरगी से तुरमा पहुंच मार्ग, सिंगारपुर से लमती पहुंच मार्ग,

देवरानी से बैशाली पहुंच मार्ग, सिंगारपुर से मेंड्रा पहुंच मार्ग, खमरिया से मिरगी, मिरगी से परसाडीह पहुंच मार्ग, मोपका मुख्य मार्ग से बकुलाही पहुंच मार्ग, मेन रोड से गाड़ाडीह पहुंच मार्ग, कुसमंदा से अकलतरा पहुंच मार्ग, राजाघाट से बोरसी पहुंच मार्ग, किसना से सिंहासलपाठ मेला स्थल तक, कोलिहा से खपराडीह होते हुये खरगाडीह नाला तक, सरकीपार से रेंगाबोड तक, खंडुवा से तेंदूभाठा पहुंच मार्ग, तेंदूभाठा से मांढ़र पहुंच मार्ग, मुसुवाडी से हरिभट्ठा पहुंच मार्ग, कोलिहा से दसतुरा एवं मोटियारीडीह से मनहोरा पहुंच मार्ग, इसके अलावा और भी छोटी-छोटी सड़कें हैं । सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करके वहां की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार टोप्पो जी ।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांग और उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के विभागों पर मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 46 और 80 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में आजादी के बाद विभिन्न राज्यों में बहुत बड़े-बड़े आतंकवादी हमले हुये हैं और उस वख्त के राज्यों की जो सरकारें थी, उसी समय उन्होंने अपने सूझबूझ के आधार पर हमले होने के पश्चात् कई निर्णय लिये और केन्द्र सरकार ने भी उससे संबंधित सुरक्षात्मक कदम उठाये हैं । अगर कुछ हाईलाईटेड विषयों में बात करें तो वर्ष 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था । यह बात किसी से छिपा नहीं है, उसी वक्त जब हमला हुआ तो संसद में सत्र चल रहा था। सन् 2002 में अक्षरधाम मंदिर गुजरात में आतंकी हमला हुआ, इसमें भी काफी क्षति हुई। सन् 2005 में अयोध्या रामलला राम मंदिर में हमला हुआ, उस समय रामजी टेंट में हुआ करते थे लेकिन 2023 में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य मंदिर मिला। (मेजों की थपथपाहट) सन् 2008 में मुंबई हमला हुआ, इसको हम लोग 26/11 के नाम से भी जानते हैं और इसमें भारी भरकम नुकसान हुए। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये हमले होने के बाद राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार के निर्णय लिए। जैसे संसद हमले के बाद वहां की विशेष सुरक्षा के लिए पी.डी.जी. (पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप) का गठन किया गया। शायद इसकी आवश्यकता पहले भी हो सकती होगी। उसी तरीके से मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र तत्कालीन सरकार ने फोर्स वन नाम का एक विशेष दस्ता का गठन किया और वहीं के राज्य के पुलिस में से एक मापदंड सेट करके डेपुटेशन के माध्यम से वहाँ विशेष कमांडो दस्ता तैयार करने का काम किया। आज वह भारत देश में काफी नामी दस्ता के रूप में जाना जाता है। ये सब जिक्र मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन राज्यों ने या देश के विभिन्न राज्यों ने हमला होने के बाद बड़े संगठन बनाने के लिए निर्णय लिए लेकिन आज सुशासन की सरकार माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार ने घटने का इंतजार ना करते हुए छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता के हित में एस.ओ.जी. गठन करने का जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए

सरकार को बधाई देता हूँ। माननीय उपमुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, गृहमंत्री जी को बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) ये काफी संवेदनशील निर्णय है। माननीय सभापति महोदय, इसी को 2047 की यात्रा कहते हैं । हम कभी घटनाओं का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमारी सरकार इंतज़ार नहीं करेगी, लेकिन इस राज्य पर होने वाली विपदा से किस तरीके से निपटना है, इसके लिए पहले से पूरी तैयारी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपकी सरकार घटना का इंतजार नहीं करती, ये आप बोल रहे हैं, आप कोई भी गैर जमानती अपराध में आंकड़े बता दीजिए जिसमें डबल ना हुआ हो। आपने स्वयं प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए वे अपनी बात रख रहे हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, मैं अभी आपको छेड़ना नहीं चाहता, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ। ये काफी संवेदनशील निर्णय है और ये किसी भी सरकार को अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने इसलिए पुराने आंकड़े गिनाया कि घटना होने के बाद हमें किसी चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभी अजय चंद्राकर जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि क्या अपराधी पुलिस से आगे चल रहा है या फिर हम अपराधी के पीछे भाग रहे हैं? ये जो निर्णय है, अपराधियों को मुँहतोड़ जवाब देने का काम है, ये एस.ओ.जी. का गठन है। इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एस.ओ.जी. एक कल्पना है, लेकिन मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को भी इस एस.ओ.जी. के विषय में कुछ सुझाव प्रेषित करना चाहता हूँ। जब भी कोई स्पेशल टीम गठित होता है तो उस समय उसका डेकोरेशन सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा रहता है, यानी उस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन ये एस.ओ.जी. है, विशेष अटैकों को निपटाने के लिए इस टीम का गठन हो रहा है और ऐसे हमले हो सकता है भविष्य में ना हों। लेकिन जब देखा जाता है कि ऐसी टीमें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि काम कहाँ से करेंगी उनके लिए काम चाहिए, तो देखा जाता है कि खाली बैठे हैं तो उस स्थिति में रफ इस्तेमाल होने का ज़्यादा चांस होता है। उसके लिए माननीय मंत्री जी एक कठोर नियम और कानून बनाए जाएँ ताकि उन जवानों को जिस उम्मीद के साथ हम लोग गठन कर रहे हैं वे उम्मीदें हमेशा बनी रहें और राज्य पर आने वाली जो कभी भी विपदा हो उसको लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसमें मेरा दूसरा ये सुझाव रहेगा कि इसके लिए हमको नई भर्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नई भर्तियाँ होने से एक स्थायी टीम हो जाने से नकारात्मकता भी बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि अगर किसी को हटने का डर ना हो तो मैं समझता हूँ कि वह उस स्थान में जड़ जमाके बैठता है और नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाने का भी काम कई बार करते हैं। इसलिए इस एस.ओ.जी. में डेपुटेशन सिस्टम से नियुक्ति की जाए, एक मापदंड के आधार पर इसमें एक निश्चित समय के लिए डेपुटेशन पर रखकर उन जवानों और अधिकारियों को एक विशेष जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इनकी ट्रेनिंग हमेशा चले, इसके लिए भी सुनिश्चित किया जाना

चाहिए, तब जाकर यह जो हमारा एस.ओ.जी. है इसका मनोबल हमेशा बना रहेगा। इस SOG के गठन के लिए हमारी सरकार, विष्णु देव साय जी, हमारे गृह मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जब किसी के घर नया मेहमान आने वाला होता है यानी बहुत उम्मीद के बाद किसी के घर बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो आप सोचिये कि उस बच्चे का क्या नाम रखेंगे, यह सोचने में उसके माता-पिता को पूरे नौ महीने लग जाते हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद भी कई लोग 10 से 12 दिन तक समय लगा लेते हैं, क्योंकि वह उस बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहते हैं कि उसके नाम के जैसा और किसी का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी नाम रिपीट हो जाता है। नाम रखने के बाद बच्चे को क्या बनाना है, क्या उसको IAS अधिकारी बनाना है या डॉक्टर बनाना है या मजदूर बनाना है, यह सोचते-सोचते 8-10 साल लग जाते हैं। लेकिन 8-10 साल होने के बाद जब वह माता-पिता देखते हैं कि वह बच्चा धीरे-धीरे उनकी बात मानने से मना कर देता है या फिर ऐसे नशा के क्षेत्र में चला जाता है कि एकदम कम उम्र में जब उसके कदम हिलते हुए घर आते हैं तो उस दिन माता-पिता के सपने टूटते हैं। मैं समझता हूं कि जीवन में उससे बड़ी पीड़ा किसी माता-पिता के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन आज मैं विष्णु देव साय जी को और गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का काम किया है। यह केवल और केवल छत्तीसगढ़ के नारकोटिक्स विभाग की एक उम्मीद नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के लाखों माता-पिता के सपने को टूटने से बचा सकता है। मैं इन शब्दों से उम्मीद करता हूं, जो चार अक्षरों से लिखा है कि आज वे उम्मीदें बचेंगी और इस नशा के अपराध को रोकने में यह टीम एक बेहतर काम करेगी। इसके लिए भी भर्ती का प्रावधान इस बजट में किया गया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सैनिक कल्याण बोर्ड। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हजारों जवान और अधिकारी देश के आर्म फोर्सों में कार्यरत हैं। वैसे ही हजारों जवान रिटायर होकर अपनी सर्विस पूरी करके यहां आ चुके हैं। जिसमें CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB जैसे अर्द्धसैनिक बल शामिल हैं। जिनमें आज हजारों कार्यरत जवान हैं। इन जवानों की ड्यूटी सेना की तर्ज पर ही होती है। यहां तक कि ड्यूटी में इनकी मृत्यु होने के बाद इनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी कई बार यह देखा जाता है कि अपनी पेंशन से संबंधित कागज या जीवन से संबंधित कई ऐसी कागजों को लेकर वह दफ्तरों में चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनके लिए किसी प्रकार के कल्याण बोर्ड का गठन हमारे राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो हजारों सैनिक रिटायर होकर आए हैं और जो हजारों सैनिक आज देश के विभिन्न कोने में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन कर उनको बहुत बड़ा सम्मान देने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला केवल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं होगा। पहले भी भारत के बहुत सारे राज्यों ने ऐसा निर्णय

लेकर अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है जैसे-हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हैं। जहां CAPF के जवानों के लिए कई सैनिक कल्याण से संबंधित योजनाएं उनके उत्थान के लिए बनायी गयी हैं। इसके लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वर्ष 2012 में राज्यों को सलाह भी दी थी कि अर्द्धसैनिक कल्याण बोर्ड बनाने पर विचार करें। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस पर विचार करें, क्योंकि आज हजारों ऐसे अर्द्धसैनिक बल के जवान हैं जो रिटायर होकर छत्तीसगढ़ राज्य में निवास कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि उनके लिए भी ऐसे कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की एक छोटी सी मांग है। मैं इसको भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने इसको बजट में सम्मिलित करने के लिए दिया था। सीतापुर के पुलिस थाना के जो कार्यरत जवान हैं, उनके और उनके परिवार के रहने के लिए मैंने कॉलोनी की मांग की थी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसको इस बजट में सम्मिलित करें, क्योंकि वह अत्यंत जर्जर अवस्था में है। उनके परिवार की चिंता करते हुए आप इसको सम्मिलित करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना। यह योजना भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के सम्मिलित बजट से खरीदे जाने वाले ऐसे हथियार और उससे संबंधित आधुनिकीकरण के सामानों से संबंधित है। मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो केंद्र सरकार से 40 या 60 के रेशियो में बजट आता है और राज्य उसमें 60 या 40 प्रतिशत के आधार पर बजट एड करती है। लेकिन इसमें मुझे यह देखने को मिला कि इसमें पिछले वर्ष जैसे 9 एम.एम. के पिस्टल की खरीददारी करने का प्रावधान लाया गया था लेकिन यदि हम आज की स्थिति का आकलन करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की कमी है। जिस रफ्तार से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम इस ओर भी देखें और इस मद में छत्तीसगढ़ सरकार को बजट बढ़ाने की जरूरत है। केवल 40 प्रतिशत या 60 प्रतिशत नहीं, ऐसा प्रावधान भी है कि हम लोग उसमें 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके भी इस व्यवस्था को ले सकते हैं क्योंकि हम तभी लड़ पायेंगे जब हमारे पास अच्छे हथियार होंगे, इसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि इसमें बजट की बढ़ोतरी कर आधुनिक हथियारों की खरीददारी से लेकर उपकरणों की खरीददारी आज के समय के आधार पर करें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि आज भी हमारे जवान नक्सल ड्यूटी में भी एस.एल.आर. जैसे वेपनों को लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि एस.एल.आर. ठीक नहीं है लेकिन आधुनिकीकरण और अपने आप को अपडेट करना तभी ठीक रहेगा जब हम युग के साथ चलेंगे। साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हथियार मेंटेनेंस हेतु हर हफ्ते हथियारों की साफ-सफाई और उसके रख-रखाव के लिए ऑलरेडी नियम में प्रावधान में है लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि किसी भी थाने या कहीं भी शस्त्रागार, बटालियानों को छोड़कर हर हफ्ते सफाई कर रहे होंगे। हमारे साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मियों की पिस्तौल में मुझे शक होता है कि यह

जरूरत पड़ने पर चलेगी कि नहीं चलेगी। यह कहना नहीं चाहिए लेकिन यह वास्तविकता है। क्योंकि आज भी उनके पास 9 एम.एम. ऑटो या ब्राउनिंग पिस्तौल है। जिसकी मैगजीन नहीं निकलती या तो वह तेल में डूबा हुआ है और एक गोली क बाद एक-एक रूकता है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वह हथियार चलते हैं कि नहीं चलते हैं या तो फिर वह योग्य है कि नहीं। यदि हम सरकारी डाटा पर जायेंगे तो ऑल इज ओके। लेकिन वास्तविक रिकॉर्ड में भिन्नता है। लड़ाई वास्तविक रिकॉर्ड से होती है, दुश्मन का सामना वास्तविक गोलियों से होती है, कागजों में नहीं होती है। यह बात पुलिस विभाग बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन सभी हथियारों का परीक्षण करवाईये। मैं यह भी जानता हूं कि सालाना सभी हथियारों का परीक्षण होता है। आर्मरर जाता है और आर्मरर में उसको पास करता है लेकिन यदि हमको छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित भारत की यात्रा में सम्मिलित करना है, अनजोर विजन में सम्मिलित करना है तो इसको केवल कागजों के आंकड़ों में नहीं बल्कि इसको वास्तविक आंकड़ों में देखकर इसका परीक्षण करते हुए हर हफ्ते इसकी सफाई हो, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आज यह बात कहने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जो जवान अपनी हिम्मत और हथियार की बदौलत लड़ाई में खड़े होते हैं या किसी भी प्रक्रिया को न्यूटीलाईज करने के लिए खड़े होते हैं, वह केवल हथियारों के दम पर खड़े होते हैं। आप सोचिये कि यदि वह हथियार न चले और चलते-चलते रूक जाये तो वह उस हमले से कैसे सामना करेंगे और बाद में घटना हो जाने के बाद बात केवल जांच और शोक व्याप्त तक सीमित रह जाती है इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि इस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए हम लोगों को इसमें सुधार करना चाहिए।

सभापति महोदय :- रामकुमार टोप्पो जी, थोड़ा संक्षेप करिये।

श्री रामकुमार टोप्पो :- जी-जी, एकदम संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपका विशेष संरक्षण तो चाहिए ही चाहिए। हम अगल-बगल के हैं।

सभापति महोदय :- आपको संरक्षण है, लेकिन आप क्षेत्र के बारे में भी बोलिये। बाकी तो आप बोलेंगे ही। आप काफी अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, यह क्षेत्र मेरा ही है। मैंने अपने जीवन के 12 साल इस जीवन में बिताये हैं। इसलिए आज मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ 5 मिनट और बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, नक्सलवाद की शुरूआत 1967 में बंगाल से शुरू हुई। लेकिन उस समय का उद्देश्य भूमि संबंधित, आंदोलन संबंधित था लेकिन धीरे-धीरे इसका उद्देश्य बदल गया और वे अपना दायरा बढ़ाते-बढ़ाते एक लाल कॉरिडोर बना लिये, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी काफी ग्रसित रहा। इसके साथ-साथ ऐसे बहुत सारे राज्य रहे, जहां पर इस लाल आतंक ने विकास के समुचित रास्ते को बंद कर दिया और अपना परचम लहराने के लिए केवल अपना ही स्लोगन दे दिया। आज उस

आतंकवाद के समापन का समय है। यह समझ लीजिए कि अगले सत्र में जब हम आयेंगे तो इस समापन की तिथि खत्म हो चुकी होगी, इस राज्य से नक्सलवाद खत्म हो चुका होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमने प्रभावित क्षेत्रों में बहुत गहराई से देखा है कि वहां के लोगों को यह उम्मीद नहीं होती है कि जब रात होती है तो पता नहीं सुबह जिंदगी होगी कि नहीं होगी । हमारे बीच में बस्तर से जुड़े हुए बहुत सारे माननीय सदस्यगण हैं, वे तो इसे बहुत करीब से जानते हैं। लेकिन इन जगहों के लोगों का जीवन यह बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ग्राम पंचायत में साल में एक बार पूजा पाठ होता है, बकरा की बलि होती होगी, लेकिन वह बलि सुख-समृद्धि के लिये कम होती होगी, मेरे गांव में लड़ाई नही होनी चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस होती होगी। क्योंकि हमने वहां की स्थिति को बहुत करीबी से देखा है। यानि नक्सलवाद जहां है वहां विकास का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर वहां कोई भी भ्रामक बातें करें तो वही सही है। इस तरीके से अपनी रोटी चलाने का काम इन्होंने किया है। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी गृहमंत्री जी को मै बधाई देना चाहता हूं, उस राजनीतिक इच्छा का मै नमन करना चाहता हूं क्योकि इस देश में राजनीतिक इच्छा के बगैर कोई बड़े निर्णय नहीं लिये जा सकते। ये राजनीतिक इच्छा ही है जो ऑपरेशन सिन्दूर जैसे अभियान को अंजाम देता है। ये राजनीतिक इच्छा ही है जो 31 मार्च डेडलाइन काटने का काम देता है।

श्री रामकुमार यादव :- युद्ध ला अमेरिका ला कहे ला चुप बैठा जात हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये। रामकुमार जी ही बोल रहे हैं, आप भी रामकुमार है, उनको बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार टोप्पो :- मैं ओला धन्यवाद देत हवं, फोजी रहेव हा, सेल्यूट करत हवं। लेकिन अमेरिका के कहे मा इहां के पहलवान प्रधानमंत्री जी हर शांति कर दिस।

सभापति महोदय :- अगली बार आपको अमेरिका की संसद में भेजेंगे तो आप बात कर लीजियेगा।

श्री आशाराम नेताम :- वही बात ला इहां आकर रामकुमार बन के बोल दे।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, भारत के चिंता करय बर 56 इंच के सीन खड़े हो जाही। हमन ला कोई कहे के जरूरत नई हे। अभी हमन छत्तीसगढ़ के चिंता करत हन। तोला खुशी नई होत हे। मितान चन्द्रसेनी माता के दर्शन करय बर आहूं। माननीय सभापति महोदय, अगर यही बात सैनिकों के विषय में सोची जाये तो छत्तीसगढ़ के उन दुरंत जंगलों मे पोस्टिंग होने का मतलब नर्क में पोस्टिंग होने सा फील एक समय हुआ करता था। क्यों ? वह इसलिए हुआ करता कि क्योंकि उस जगह पर जगह-जगह पर बारूद की सुरंगे, जगह-जगह पर लगा हुआ स्काईप, पता नहीं कितने हजारों जवानों के हाथ और पैर खराब हो गये, हजारों ऐसी माताओं के सिन्दूर उजड़ गये, उनके बेटे देश के लिये

बलिदान हो गये, छोटे बच्चों का अपने पिता से साया उठ गया। ऐसी दुखभरी जो यात्रा है, अगर इस यात्रा को गहराई से जिक्र किया जाये तो उसका शब्दों में कहीं आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे आज बहुत दुख होता है कि हिडमा को हीरो कहने वाले वह कौन लोग हैं? शायद उनको नक्सलवाद और उस पीड़ा को मालूम नहीं होगा जो हिडमा को हीरो कहने की हिम्मत करते होंगे। शायद उनको ये नहीं पता कि ये देश संविधान से चलता है, बंदूक की नोक से नहीं चलता है। (मेजों की थपथपाहट) या तो उनको ये नहीं मालूम होगा कि सोकर, लेटकर फेसबुक में कमेंट करना बहुत आसान होता है। लेकिन इस लड़ाई के लिये कोई देश का सैनिक केवल अपने लिये नहीं लड़ता है, जितने हजारों लोग जो शहीद हुए होंगे, केवल अपने लिये शहीद नहीं हुए होंगे। वह इस देश की करोड़ों जनता के लिये शहीद हुए होंगे और उनके लिये बलिदान दिये होंगे। मैं जब फौज में था तो मैं सुना था कि [XX][7].

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, ये बिना किसी के वहां की बात यहां करना उचित नहीं है। यदि वहां की बात करना शुरू करेंगे तो सब लोग बात करेंगे तो फिर वह मुश्किल होगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप सेना में थे, आपका सम्मान है, पर आप गलत वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, इसको विलोपित किया जाये।

सभापति महोदय :- इस बात को विलोपित कर दिया जाये।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि देश की रक्षा किस स्तर पर की जाती है, ये उस फील्ड में जाने के बाद ही पता चलता है। आज हम सभी के साथ में पी.एस.ओ. लोग साथ में चलते हैं, उनकी ड्यूटी हम सभी देखते हैं। वह हमारे साथ दिन-रात रहते हैं। वह वर्दी का जो त्याग है, इसको शब्दों में कभी व्याख्यान नहीं किया जा सकता। चाहे वह पुलिस बल के जवान हों, सेना के जवान हों, हर स्तर पर वर्दी की ड्यूटियां बहुत कठिन मानी जाती हैं। आज 31 मार्च आने वाला है और लाल आतंक का समापन केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं, पूरे देश में समाप्त होने वाला है। या तो नक्सली समर्पण करें या तो उनके सांसों की अंतिम तिथि होगी। इस तरीके से कमिटमेंट हमारे देश के गृहमंत्री जी ने दिया है। मैं उनको और हमारे राज्य के गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत तेजी से यह काम चल रहा है। अभी भी हमने देखा कि सदन में जो कभी नक्सली थे, आज वह नक्सली समर्पण करके मुख्यधारा में जुड़कर यहां सदन की कार्यवाही देखने के लिये आये हैं। मैं बहुत गहराई से समझ सकता हूं कि देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल कम उम्र के लोग हैं, लेकिन सोचिये उनको बरगलाकर किस तरीके से आतंकवाद की ओर धकेला दिया गया था। लेकिन आज बहुत सौभाग्य का विषय है और भारत के इतिहास में 2026 की ये तिथि हमेशा के लिये अंकित होगी। माननीय सभापति महोदय, इस समापन के दौर पर वर्ष 2010 का वह दंतेवाड़ा का हमला हम भूल नहीं सकते ।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

समय :
5.00 बजे

सभापति महोदय, जब 76 जवानों ने अपने इस देश के लिये अपना बलिदान दिया था, उस समय पूरी दुनिया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तरफ निगाहें बनाकर बैठा था कि आखिर वह जगह कैसी है ? माने आतंक के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जानने लगे और आज देखिये कि वह 76 जवान, 62 बटालियन के 75 जवान और 1 पुलिस के जवान सहित 76 जवानों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी । माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नक्सलवाद के समापन के इस तिथि के समय में उन जवानों के यादगार के लिये दंतेवाड़ा में एक शहीद स्मारक की स्थापना की जाये ताकि उनके बलिदान को हमेशा-हमेशा तक हम सभी नमन कर पायेंगे, मैं इसके लिये अनुरोध करता हूं ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समाप्त करेंगे ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट । माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अब नक्सलवाद का समापन हो रहा है लेकिन मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं कोई दूसरा खतरा इस राज्य की ओर अपना पैर न पसारे । जैसे कई बार अंबिकापुर में देखने को मिला कि कहीं दूसरे राज्य के कई गैंग बंदूक और कट्टा लेकर लूटने का काम करने की कोशिश करने का अंजाम दिया था लेकिन पुलिस ने उनको समय पर पकड़ा तो कहीं पर इस तरीके से इस राज्य पर खतरा न आये । इसके लिये भी चिंता करते हुए अपने विभाग को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और आगे बढ़ायें । मैं यही आग्रह करूंगा । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, मैं इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद ।

सभापति महोदय :- श्री भूपेश बघेल ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या - 3, 4, 5, 30, 46 और 80 के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में और मांग के विरोध में खड़ा हुआ हूं । मैं अपनी बात कहने से पहले यह कहना चाहूंगा, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और माननीय गृहमंत्री जी का भी, मैं दुर्ग जिले से आता हूं और भिलाई नगर निगम के एक पूर्व पार्षद ने एक वीडियो जारी किया है । वह भारतीय जनता पार्टी का है और अपने ही क्षेत्र के विधायक, हमारे विधायक साथी रिकेश सेन के बारे में उन्होंने अवगत कराया है या आगाह किया है कि पिछले 2 साल से उसे मारने की कोशिश, बालात्कार में फंसाने की कोशिश, उसको जहर देकर हत्या करने की कोशिश लगातार जारी है । माननीय सभापति महोदय, यदि इस प्रकार से रहा और विधायक यदि सुरक्षित नहीं हैं और आप ही के दल के एक पार्षद ने वीडियो

जारी किया है तो बेहद गंभीर है और यह सदन चल रहा है । (शेम-शेम की आवाज) विधानसभा चल रहा है और ऐसे समय में वीडियो जारी हुआ है, सदस्य यहां उपस्थित हैं और यदि इस प्रकार से विधायक साथी पर थ्रेठ (Threat) हो तो विधानसभा में काम कैसे कर पायेंगे, यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

मानननीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने, सत्तापक्ष के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा । कानून व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज के बारे में, आवास के बारे में, नक्सल के बारे में बहुत सारी बातें आयी हैं, अफीम और गांजा के बारे में भी चर्चा हुई है । मैं शासकीय प्रतिवेदन पढ़ रहा था, जिसमें यह गृह विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन है वर्ष 2025-2026, पेज क्रमांक- 16 नारकोटिक्स सेल । इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड, तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई है । राज्य में गांजे व अफीम की खेती परिलक्षित नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के रास्ते से अन्य राज्यों में गांजा-अफीम की तस्करी की जा रही है, यह शासकीय प्रतिवेदन है और इस शासकीय प्रतिवेदन के उलट विधानसभा सत्र चल रहा है और किस प्रकार से दुर्ग जिले के समौदा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी विनायक ताम्रकर जो राईस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है। वह पकड़ा जाता है वहां पर 10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। कल इसमें चर्चा हुई। हम सब ने ग्राह्यता की चर्चा में ग्राह्य करवाने की भरपूर कोशिश की और अनुरोध किया, लेकिन सत्तापक्ष की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसे ट्रेजरी बेंच से स्वीकार नहीं किया गया। उस पर मंत्री जी के द्वारा जरूर विभागीय टीप आयी और कथन आया, उसका वाचन हुआ। उस वाचन में भी जो एफ.आई.आर. हुआ, जो कार्यवाहियां हुईं, जो मंत्री के द्वारा कथन किया गया, वह चींख-चींख कर कर रही है कि अपराधी, आरोपी को बचाने का काम किया जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) मैंने कल ही निवेदन किया था कि वहां के एक व्यक्ति ने सरपंच को जानकारी दी और सरपंच ने पुलिस, एल.आई.बी. को जानकारी दी, लेकिन माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि हमारे मुखबीर से पता चला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 5 मार्च की कॉल रिकॉर्डिंग है जो सरपंच ने कॉल किया था और यह पठारे साहब जो ए.एस.आई. हैं उसको फोन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कार्यवाही नहीं होती है। फिर दूसरे दिन भुनेश साहू जो जेवरा चौकी में कॉन्सटेबल है उसको फोन किया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। उसके बाद एल.आई.बी. के प्रहलाद बंछोर को फोन मिलाया गया, तब जाकर कार्यवाही हुई। आप कहें तो मैं इसको पटल पर रख देता हूँ। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, जिसमें बात की। अगर आप अनुमति दें और सत्तापक्ष चाहे तो मेरे पास इनकी बातचीत की रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया। इनका उद्देश्य क्या है ? इनका उद्देश्य यह है कि इस केस को कमजोर किया जाये। यह कैसे कमजोर हुआ ? कि जो गवाह बनने वाले हैं, जो सूचना देने वाले हैं, उनको बदल दिया गया। दूसरी

तरफ आप अखबारों की कतरनें देख लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए। जो दो मजदूर हैं उनके हाथ में तो हथकड़ी लगी हुई है और जो मुख्य आरोपी हैं, वह हाथ बांधे घूम रहा है, वह खुले आम घूम रहा है।(शेम-शेम की आवाज) उसके हाथ में हथकड़ी नहीं है। जो विनायक ताम्रकार, है उसके हाथ में हथकड़ी नहीं है। आप किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं । आपका विभाग, पुलिस वाले किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं ? यह संकेत दे रहा है। मैंने कल भी चिंता जाहिर की थी कि जो एफ.आई.आर. है, उस पर राजस्थान के मजदूरों का नाम पहला है। दूसरा भी वहीं के मजदूर का नाम है और तीसरे नंबर पर विनायक ताम्रकार का नाम है, जिसका खेत है। अब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने प्रतिवेदन में कहते हैं कि यहां कोई गांजा, कोई अफीम नहीं है और यह क्या है ? वहां पर 10 एकड़ में खेती हो रही है और आधुनिक खेती हो रही है। वहां स्प्रिंकलर लगा हुआ है, उसमें लोगों को धोखा देने के लिए ज्वार, भुट्टे और गाजर का घास लगा दिया। लेकिन वहीं तक बात नहीं रूकती है। आज सदन चल रहा है और इस अफीम पर, कल माननीय नेता जी ने चिंता व्यक्त की । इसमें पूरे प्रदेश में जांच करने की जरूरत है । बस्तर में, सरगुजा में भी अफीम की खेती हो रही होगी । सभापति जी, आप सरगुजा से आते हैं । टोप्पो जी भी बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे । टोप्पो जी, आपको बताना चाहूंगा । भाषण देने के बाद चले गए । बलरामपुर के कुसमी ब्लॉक के त्रिपुरी गांव में दो एकड़ में बहुत शानदार अफीम की खेती हो रही है ।(शेम-शेम की आवाज) (फोटोग्राफ दिखाते हुए) ये फोटोग्राफ है । किसी समाज को, किसी राष्ट्र को बरबाद करना है तो अफीम के नशे में डूबो दो और यह इतिहास में हो चुका है । जब अंग्रेज प्रशासन था तो गंगा के किनारे अफीम की खेती होती थी, एक बड़े उद्योगपति हैं, वे अफीम सप्लाई का काम करते थे । अवैध नहीं वैध । अंग्रेजों के शासनकाल में और पूरे चीन को नशे में डूबो दिया गया था और गुलाम बनाया गया था । आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी वही षड़यंत्र चल रहा है कि छत्तीसगढ़ को नशे में डूबा दिया जाये। यह स्थिति है । गांजा के बारे में अनिला भेंडिया जी ने कही । केवल ट्रांजिट नहीं है, यहां से गुजरता नहीं है, बल्कि गांजे की खेती यहां भी हो रही है, अफीम की खेती यहां हो रही है और आप प्रशासकीय प्रतिवेदन में कहते हैं कि यहां कुछ भी खेती नहीं हो रही है । अभी अफीम पकड़ा गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

श्री लखेश्वर बघेल :- सुशासन चल रहा है, सुशासन में यही चलेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए । आपके शासनकाल में इस विधान सभा सत्र के चलते दो दिन के भीतर में दो जिलों में, दो संभाग में अलग-अलग जगह पकड़े गए । पता नहीं और कितने निकलेंगे ? आप जिम्मेदारी लीजिए, छत्तीसगढ़ को नशे में डूबो रहे हैं । छत्तीसगढ़ को बरबाद कर रहे हैं और आय दुगुनी करने, आय 100 गुनी करने का नया रास्ता आपने निकाल दिया है । थोड़ी भी नैतिकता है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, अभी नक्सलवाद की बात हो रही थी । नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, यह सबने प्रयास किया है, सबकी चिन्ता है । नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हुआ है । हजारों लोग काल-कवलित हुए हैं । घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गए, जमीन छूट गया, जिला और प्रदेश छूट गया । पढ़ने से वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, स्वास्थ्य से वंचित हो गए, रोजगार से वंचित हो गए । पलायन के लिए बाध्य होना पड़ा । बहुत दुख झेला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे आपको अफीम का इतिहास मालूम है। आप चीन के बारे में बिल्कुल सही बोल रहे थे । आपको नक्सलवाद का भी इतिहास मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसलिए हुआ, कौन जिम्मेदार है ? जैसे अफीम में आप जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग कर रहे हैं, अच्छा है, अफीम की खेती में किसकी जिम्मेदारी है, गृहमंत्री जी उत्तर देंगे । नक्सलवाद आया, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, उसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- पुलवामा में और पहलगाम में कौन घूसा था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपसे भी आग्रह है कि उस पर भी प्रकाश डालेंगे, जो झीरम का एवीडेंस लेकर अपने जेब में रखे थे ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत बढ़िया बात है । मैं तो शार्ट में बोलना चाह रहा था । लेकिन एक वर्तमान मंत्री, दूसरा पूर्व मंत्री, जो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, उन्होंने मुझे छेड़ दिया है । नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में तीन ब्लॉक में था । पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर लिया गया तो किसके शासनकाल में ? 15 साल में पूरा छत्तीसगढ़ कवर कर लिया गया । झीरम घाटी हुई, आप सरकार में मंत्री थे । आपको लज्जा नहीं आ रही है कि आपके शासनकाल में हुआ और हमारे नेता मारे गए । आपके शासनकाल में हुआ, आपको लज्जा नहीं आती ।

श्री केदार कश्यप :- मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप लोगों ने कहा था, आपके नेताओं ने बड़े सार्वजनिक मंच से कहा कि उनके पास सारे तथ्य मौजूद है। तो वह तथ्य कहां रखे हैं ? किनके पास रखे हुए हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- चलो, मैं वह भी बताता हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- आपकी जिम्मेदारी क्या थी ? आप भी तो मंत्री पद में थे। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है ?

श्री केदार कश्यप :- वह तथ्य कब सौपेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- विक्रम जी, मैं सब बोल रहा हूं न। मैं आपकी बात में आ रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- झीरम की पर्ची माननीय भूपेश बघेल जी के पास नहीं थी, होगी तो फोटो कापी रही होगी। असली पर्ची दादी की जेब में थी, जिसको चरणदास महंत जी ने अस्पताल में देखा था।

श्री भूपेश बघेल :- षड़यंत्रकारी लोग इसी प्रकार की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सदन में मर्यादा होती है, हम यहां नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जिनका खुलासा कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम सत्ता में आये, हमने एस.आई.टी. का गठन किया। हमने एन.आई.ए. को पत्र लिखा कि आपका जांच पूरा हो गया, आपने फायनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी और आपने किसी को नहीं पकड़ा है। आपने कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया, अब वह हमको दे दीजिये, हम जांच कर लेंगे। हमने एस.आई.टी. का गठन किया। केन्द्र सरकार और एन.आई.ए. क्यों कोर्ट गई ? क्यों हाईकोर्ट गई ? हमको हाईकोर्ट में सफलता नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट गये। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिली कि एस.आई.टी. का गठन किया जा सकता है। राज्य जांच कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार चली गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप क्यों चुप बैठे हैं ? दो साल हो गया, आप क्या जांच कर रहे हैं ? उस एस.आई.टी. का क्या हुआ, जिसका हमने गठन किया था ? आपने एक कदम चला क्या ?

सभापति महोदय, दूसरी बात, हमने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। यहां बगल में होटल है, वहां मध्य क्षेत्र की बैठक हुई। मैं उसका उपाध्यक्ष था। वहां सभी बैठे थे, मंच में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे थे, राज्यों के डी.जी. बैठे थे, यहां के सी.एस. और सारे अधिकारी बैठे हुए थे। वे गवाह हैं। मैंने उनके सामने गृह मंत्री अमित शाह जी से कहा कि शाह जी, एन.आई.ए. ने जो जांच रोक रखी है, उसकी हमें अनुमति दे दीजिये। उन्होंने कहा कि बघेल जी, आप भूल जाईये, हम आपको नहीं दे सकते। आप किसको छिपाना चाहते हैं, क्या चीज छिपाना चाहते हैं ? जो अनुमति नहीं दे रहे थे। अब क्लीयर हो गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- This is clear.

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, एस.आई.टी. का गठन हुआ है आप उसमें जांच क्यों नहीं करा रहे हैं ? आप उसमें एक कदम नहीं बढ़े हैं और आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है, हमने उसका समर्थन किया है।

श्री केदार कश्यप :- एस.आई.टी. का गठन कब हुआ ?

श्री भूपेश बघेल :- अब देख लो, फाईल निकाल लो भाई।

श्री केदार कश्यप :- एस.आई.टी. का गठन कब हुआ ?

श्री भूपेश बघेल :- एस.आई.टी. गठन किया उसी के विरूद्ध तो आप लोग कोर्ट गये।

श्री केदार कश्यप :- उसमें उसके बाद 5 साल तक केवल जांच ही चल रही थी।

श्री भूपेश बघेल :- सुनो तो भाई। एस.आई.टी. गठन नहीं करते तो एस.आई.टी. हाईकोर्ट नहीं जाती। और उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मैं इस सदन में जिम्मेदारीपूर्वक कह रहा हूं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिये। मैं तो आगे बढ़ रहा था। आप फिर मुझे खींच लाये।

सभापति महोदय :- आगे बढ़िये।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं, मैं मंत्री जी का संदेह खत्म कर देता हूं। एन.आई.ए. कोर्ट ने 7 गुडसा उसण्डे ने आत्म समर्पण किया है। उस समय किया, कहा कि उसका बयान लेकर आओ। क्यों नहीं किए ? जो झीरम में शामिल नक्सली हैं, अभी उसको आपने माफ क्यों कर दिया ? आप उसमें कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? मुझे तो पता चला कि जो नक्सली उसमें शामिल थे, जिन्होंने समर्पण किया, उनके परिवार के लोगों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट में नौकरी दी है। (शेम-शेम की आवाजें)

गृहमंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मतलब जो भी है, ऐसे विषय पर इस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट में नौकरी दी, मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी पढ़कर बता दूंगा कि झीरम काण्ड करने वालों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने घेरकर गोली मार दी। (मेजों की थपथपाहट) हमारे पास सूचना है। माननीय सभापति महोदय, अब इस तरह से यह कह देना, ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- चलिए, ठीक है। गृह मंत्री जी, मैं तो उधर जा ही नहीं रहा था। अजय जी ने, केदार जी ने..।

श्री विजय शर्मा :- आप चारों तरफ जाइए। माननीय सभापति महोदय, अजय जी हों, केदार जी हो, कहीं कुछ रूकने की आवश्यकता नहीं है। चारों दिशाओं में जाना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो झीरम के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था। झीरम के बारे में पूरा Encyclopedia दादी बैठे हैं। किसी तथ्य की जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप तो उधर जा ही नहीं रहे, मैं आपसे दूसरी चीज पूछा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आया क्यों? उस पर प्रकाश डालिए, उसका कारण क्या था? आपकी असफलता को आप कैसे गिनाएंगे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- विस्तार को तो बताए हैं कि कैसे 15 साल में विस्तार हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं फैला करके आपका आरोप मान लेता हूं । मैं तो पूछ रहा हूं कि वह आया क्यों?

श्री भूपेश बघेल :- उसमें अलग से डिबेट कर लें, बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अब डिबेट न करें, अनुदान मांगों पर चर्चा है, आप बोलिए।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, नहीं, वह डिबेट ही होना है माननीय सभापति महोदय, मुठभेड़ हुए, नक्सली मारे गए, कुछ हमारे जवान भी हताहत हुए, शहीद हुए। उस पर हमारे जवानों पर हमें गर्व है । नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, यह सब चाहते हैं। अमन-चैन और शांति स्थापित हो, सब चाहते हैं। सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता रहा है 31 मार्च डेडलाइन है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त कर दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा अच्छा है, हो जाए। लेकिन अब 31 मार्च आने में ज्यादा समय नहीं है। आज 10 मार्च है, 21 दिन बचा है। सभापति महोदय, अब 21 दिन बाद पूरा नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा । हम उम्मीद करते हैं कि अब उसके बाद पैरा-मिलिट्री फ़ोर्स की वापसी होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम लोगों को दुनिया भर की सुरक्षा दी गई है- Y श्रेणी, Z श्रेणी, Z प्लस, वह सब खत्म हो जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- हम लोग अजय चंद्राकर को बिना सुरक्षा के सीधा काला पानी में वहीं भेजेंगे।

श्री केदार कश्यप :- आपको तकलीफ नक्सलियों से है या पैरा-मिलिट्री फ़ोर्स से है?

श्री भूपेश बघेल :- देखिए ऐसा है केदार जी, आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, इस बात की तकलीफ है। जो पैरा-मिलिट्री फ़ोर्स मैदानी हिस्से से आते हैं, कोई जम्मू-कश्मीर से आते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, यहां की भौगोलिक परिस्थिति से अवगत नहीं । सभापति महोदय, यहां के आबो-हवा से परिचित नहीं हैं। सभापति महोदय, इसी सदन में चर्चा हुई, अखबारों में खबरें छपीं कि जितने नक्सलियों की गोली से जवानों की मृत्यु नहीं हुई, उससे ज्यादा मलेरिया से मच्छर काटने से जवानों की मृत्यु हुई। उस परिस्थिति में रह रहे हैं। एक बंद एरिया में पूरा दिन भर बिता रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, एक-दूसरे को गोली मार रहे हैं, खुद को गोली मार के आत्महत्या कर रहे हैं। सभापति महोदय, उस तनाव से बचना पड़ेगा न? दूसरी बात, पूरा खर्च कौन उठा रहा है? यह जो पैरा-मिलिट्री खर्च है, यह छत्तीसगढ़ सरकार पर भार है। जब चाहे केंद्र सरकार आपसे पैसा काट सकते हैं। जब भी हम लोग दूसरी मांग करते हैं, तुरंत ये दिखा देता था, मैं तो वित्त विभाग भी देखता था। ये जितना दिन रहेंगे, खर्चा हमारे ऊपर आना है। केंद्र सरकार किसी दिन जो केंद्रीय हिस्सा है, उसमें कटौती कर सकते हैं।

श्री सुनील कुमार सोनी :- देखिए, भूपेश जी मैं टोकता नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- मत टोकना भाई।

श्री सुनील कुमार सोनी :- छत्तीसगढ़ का खजाना खाली हो जाए, उसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- बहुत बढ़िया है। 31 मार्च को हो जायेगा, वही तो मैं कह रहा हूं भैया।

श्री सुनील कुमार सोनी :- हम पैसे के लिए नक्सलियों को इतने वर्षों से झेल रहे हैं। हमारे हजारों लोग शहीद हो गए। झीरम घाटी का अभी आपने उल्लेख भी किया। हमको भी उस बात का दुख है कि हमारे छत्तीसगढ़ के चाहे वह जिस दल के हों, नेता शहीद हुए हैं। ऐसे माहौल को सुधारना उसके लिए छत्तीसगढ़ का खजाना हमेशा खुला रहेगा।

सभापति महोदय :- भूपेश जी एक मिनट।

श्री भूपेश बघेल :- जी।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, आज की कार्य सूची में दो अनुदान मांगें और बची है। अगर इसी तरीके से टोका-टाकी चलता रहा तो हम लोग सहयोग करने वाले नहीं है। इसके समापन के बाद हम लोग घर जायेंगे, क्योंकि एक-एक मांग की चर्चा में आप चार-चार, छ:-छ: घंटे लगेंगे तो हमारे भी बाल-बच्चे हैं, साहब। (हंसी)

सभापति महोदय :- नेता जी, एक ही अनुदान मांग पर ढाई-तीन घंटे हो गये हैं। दोंनों पक्ष के सदस्यों ने अपना-अपना समय से ज्यादा वक्त लिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग उस दिन का इंतजार करेंगे, जब आप 31 मार्च को फिर से विधान सभा में विशेष सत्र आमंत्रित करिएगा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो गया, इसका जश्न मनाएं। आपसे आग्रह है कि आप 31 मार्च को विधान सभा सत्र आमंत्रित करिए। आधी रात को हमको विधान सत्र के लिए आमंत्रित करिएगा कि 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो गया है, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बस्तर है, वह बस्तर के लोगों के लिए होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) वहां गिद्ध निगाहें लगी हुई हैं कि वहां नक्सलवाद समाप्त हो, जिससे अंदर के लोग बाहर आएं और बाहर के लोग अंदर जाएं। (शेम-शेम की आवाज) आज अबूझमाड़ में क्या हो रहा है? बाहर के लोग वहां पर अंदर जा रहे हैं और वे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वे खरीद रहे हैं। यह पूरे बस्तर में हो रहा है, अबूझमाड़ में हो रहा है,

आपको मैं खसरा, नक्शा और खरीदने वाले के नाम, सब जानकारी दे दूंगा। आपने तो प्रतिवेदन में लिख दिया है कि अफीम है ही नहीं, लेकिन रोज पकड़ा जा रहा है। अभी दो दिन हो गये हैं। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, हमें चिंता इस बात की है और बस्तर के लोगों की चिंता यही है कि नक्सली खत्म करा रहे हैं, इनका यह उद्देश्य अच्छा नहीं है। इनका उद्देश्य यह है कि जो कॉर्पोरेट वाले हैं, उनकी निगाहें बस्तर पर लगी हुई है। (शेम-शेम की आवाज) यह नहीं होना चाहिए। बस्तर बचना चाहिए, बस्तर बस्तर वालों के हाथ में होना चाहिए। उनका विकास होना चाहिए, बस्तर के लोगों का विकास होना चाहिए और हमने इसकी शुरुआत की थी। माननीय सभापति महोदय, चूंकि आपने समय का ध्यान दिलाया, नेता जी ने भी कहा, नेता जी को भी बोलना है, मंत्री जी का जवाब आना है, मैं एक-दो बात और कहना चाहूंगा। एक और विषय है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत खराब है। होली के दिन 5 घंटे में 4 लोगों की हत्या हो जाती है। 16 चाकूबाजी की घटना घटित होती है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। न बाहर सुरक्षित है, न अंदर सुरक्षित है। धमतरी के पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। बलरामपुर के पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। गृह मंत्री के गृह जिले में, उनके ही विधान सभा क्षेत्र में जेल में उनके साथी पंकज साहू की हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्यारे के खिलाफ आज भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार से जीवन ठाकुर के बारे में चर्चा हुई। जो हमारे आदिवासी नेता हैं। यह सरकारी हत्या है। उसे षड्यंत्रपूर्वक मार दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अभी होली के दिन एक ताजा घटना घटित हुई है। आप ही के जिले में कुकरापानी गांव का 17 साल का अमरलाल बैगा होली के दिन बगल मंडला जिला निकल जाता है। वहां के लोगों ने उसे पीट-पीट कर मार डाला। वहीं उसका दफन भी कर दिए। उसके घर वालों को जब पता चला कि उसको मंडला में मार कर उसे दफना दिया गया है। गृह मंत्री जी, वे लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वह आपके जिले का है और हो सकता है कि वह आपका विधान सभा क्षेत्र का हो। लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लोहारीडीह में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यह क्या हो रहा है? आपसे एक जिला नहीं संभल रहा है, फिर प्रदेश की बात तो दूर की बात है। आखिर आपको पैसा क्यों दें? आप अनुदान मांग में जो पैसा मांग रहे हैं, उसे देने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, एक परंपरा है कि जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो मरवाही सदन बना था। डॉक्टर साहब आए तो नांदगांव सदन बना। मैं भी पाटन सदन बना दिया था। अभी कुनकुरी सदन है, लेकिन दूसरे और कोई मंत्री का सदन नहीं है। आज कवर्धा सदन किस आधार पर बना हुआ है, बजट कहां का है, यह किस हेड से बना है, कौन काम कर रहा था, जेल के कैदियों को लाकर आप कवर्धा आवास बना रहे हैं और वह भी भागकर फरार हो गया, आपकी यह व्यवस्था चल रही है ? यह किस हेड से बना है, कुछ भी मनमानी कर रहे हैं, आज बस्तर में जो पुलिस के जवान काम काम कर रहे हैं, आप उनको भत्ता भी नहीं दे पा रहे हैं और यहां आपके आवास बिना बजट के बन रहे हैं ? कवर्धा सदन के लिये कोई हेड नहीं है और

जेलर बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हमको अधिकार है, हम कर सकते हैं । यह बतायें कि फण्ड कहां से आ गया, यह किस पैसे से बना है ? सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यह गृह विभाग के अधीन आता है, जितने मंत्री हैं इसके बंगला एलॉट शायद गृह मंत्रालय ही करता है । मैं यहां केदार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, रामविचार नेताम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके लिये जो बंगले बने हैं उसमें आप शिफ्ट हो गये, लेकिन बहुत सारे मंत्री हैं, जो मोह नहीं छोड़े हैं वह भी शायद गृह विभाग के अधीन आता है । सभापति महोदय, एक-एक मंत्री को दो-दो बंगले देने का अधिकार कहां से आ गया और उसका हिसाब-किताब कौन करेगा, उसका खर्चा कौन निकालेगा या तो इसे नया विधायकों को दे दो ?

श्री लखेश्वर बघेल :- पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लिये जगह नहीं मिल रहा है, उनके 6-6 एस.पी. हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है और इधर-उधर भटक रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, कम से कम पैसे का अपव्यय मत करिये, जब बंगला बन गया है और रहना शुरू कर दिये हैं तो वहां रहिये और उसका दूसरा उपयोग करिये और जितने दो-दो बंगले हैं, क्या उसका पूरा पैसा वसूल करेंगे, आपको बजट में क्या इसीलिए पैसा दें ? हमारा छत्तीसगढ़ का खजाना इसलिये नहीं है कि हमारे मंत्री दो-दो बंगले रखे, गाड़ियां तो समझ आती है । अधिकारियों के गाड़ी रहते हैं, उनकी पत्नी की गाड़ियां रहती है, उनके कुत्ते-बिल्ली की भी गाड़ियां होती है, वह तो हमने देखा है । अब बंगले भी दो-दो, तीन-तीन होने लगे हैं, कम से कम इस पर तो रोक लगायें ? माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, अफीम का कटोरा बना रहे हैं, गांजा का कटोरा बना रहे हैं, प्रदेश को जिस तरह से लूटने का षड़यंत्र किया जा रहा है, पंचायतों में एक लाईन बोलना चाहूँगा कि आप 36 लाख आवास की बात करते हैं, आवास प्लस की बात करते हैं, अच्छी बात है आप करिये, लेकिन 1 लाख 20 हजार में कुछ नहीं होता है । रेत और ईट का 30 हजार रूपये ट्राली है । आज आप मेज थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, आप खूब थपथपाईये, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास जाईये यदि 1 लाख 20 हजार एलॉट भी हो गया है तो जो साहूकार और ब्याजखोर हैं, उनके चंगुल में फंस गये हैं । 1 लाख 20 हजार में मकान नहीं बनता, कम से कम उनका ध्यान रखें और यह जो राशि है जैसे तेलंगाना में 5 लाख बताया है, उसी प्रकार से 5 लाख रूपये दीजिए । गरीब उसे शान से बनाये, हम भी आपको बधाई देंगे । मकान तो बना नहीं है, लेकिन आज वह गरीब कर्ज में और ब्याज में फंस चुका है । सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद देते हुये अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी ओर से इनकी मांगों का विरोध भी किया है और उनके पक्ष के लोगों ने सपोर्ट भी किया है। मंत्री जी, मैं आपको

परेशान नहीं करूँगा। (हंसी) सिर्फ दो प्रश्न पूछूंगा। मुझे मालूम है आप प्रश्न सुनने लायक नहीं बचे होंगे क्योंकि...।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, हम लोग तो आपसे कभी परेशान नहीं हुए। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- अभी जो भूपेश जी ने कहा है उससे तो तिलमिला गए होगे न।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट, आप कल ही परेशान हो गए थे। चरण भैया ने एक लाइन जो बात कही कि अफीम की खेती में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का संरक्षण, तुरंत तिलमिला के आप ही खड़े हुए थे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इतने सौम्य हैं कि आपसे कौन परेशान होगा ?

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं, मैंने कहा भूपेश भाई जी के जो सवाल और जवाब थे उससे तो आप तिलमिला गए होंगे ना? (हंसी) मैं ऐसे तिलमिलाहट वाला कोई प्रश्न नहीं करूँगा। आप सब ने यहाँ नक्सलियों के संबंध में बहुत सारी बातें की, मैं वह बातें भी नहीं दोहराऊंगा। मैं तो सिर्फ आपके बजट के बारे में जानना चाहता हूँ, जो आपने 26-27 का बजट प्रस्तुत किया है, आपने यहां 8,382 करोड़ 30 लाख 11 हजार की अनुदान मांग रखी है, जिस पर चर्चा हो रही है और उस अनुदान मांग में भी आपने बहुत सारी बातों को छुपा रखा है। ये बात तो आप सब ने कही कि हां, अमित शाह साहब हर 15 दिन में, 7 दिन में आते हैं देख रहे हैं। 31 मार्च, 2026 को सब खत्म हो जाएगा, नक्सली समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारा बस्तर प्राणों से परा हो जाएगा, सब सुखी-सुखी जिएंगे। माननीय गृहमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं, 25 जून को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए एक नोटिस आया है, राज्य सरकार को गृह मंत्रालय ने भेजा है, अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं, 21,530 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस दिया है, आपका बजट 8,382 करोड़ रूपये है और आपसे आपके केंद्रीय मंत्री 21,530 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, जिन्होंने हमें 1 तारीख को लोगों को स्वतंत्र करने का वादा किया है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- उसके बदले में बस्तर की खदानें दे देंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- एक मिनट, एक मिनट। क्या इसको आपने अपने बजट में लिखा है? आप कहां से ये पैसे देंगे ? आप मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं। (हंसी) 8,382 करोड़ के बजट में से 21,530 करोड़, ये कहां से आएगा? आपके बजट से तीन गुना ज्यादा पैसे आपको केंद्रीय मंत्री जी को गृह मंत्रालय को देने हैं, जो 31 मार्च को आपको-हमको स्वतंत्र करने आ रहे हैं। उसकी व्यवस्था बता दीजिए, कहाँ से करेंगे? इसमें तो आपके बजट में लिखा ही नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- सोनी जी, अभी बोल रहे थे, कहीं से भी लाएंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- सोनी जी कहां हैं?

श्री रामकुमार यादव :- ओखर गोठ हा तो मुख्यमंत्री अस जवाब देत रिहिस।

डॉ. चरणदास महंत :- हुजूर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप इसका भुगतान किस मद से करेंगे, ये तो लिखना पड़ेगा ना? चुप्पी साध रहे हैं कि बाद में जवाब देंगे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- अभी जवाब देना है।

डॉ. चरणदास महंत :- बाद में जवाब देंगे? चलिए ठीक है।

श्री विजय शर्मा :- जैसा आप बोलेंगे सर। जवाब देने में तो मजा ही आता है।

डॉ. चरणदास महंत :- जवाब देने में ?

श्री विजय शर्मा :- मजा आता है।

सभापति महोदय :- एक साथ जवाब दे देंगे। इसके बाद पूरे लोगों का जवाब ही देना है।

डॉ. चरणदास महंत :- एक साथ जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं। जितना करना है कर लीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में पत्र भी लिखा है। मैं दो प्रश्न से ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दूंगा ना, मैं कह चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17/3/2025 को पत्र लिखा कि ये जो राशि है हमको माफ कर दीजिए। आपके केंद्रीय गृहमंत्री जो पूरा संरक्षण दे रहे हैं, जो 31 मार्च को हमें नक्सल मुक्त करा रहे हैं, उनके यहां से जवाब आया है कि चार किस्तों में ये पैसे पटाएं, नहीं तो हम आपको देने वाले पैसे उससे काट लेंगे। भूपेश जी भी इस बात को बोल रहे थे , मगर शायद उनसे चूक नहीं हुई। कुछ ऐसे कागज हैं जो उनको नहीं मिलते, बल्कि मुझको मिल जाते हैं। (हंसी) जो बात वह नहीं बोल पाए, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को बोलूंगा, बाकी किसी बात को नहीं बोलूंगा, अफीम के बारे में भी नहीं बोलूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप सीधा-सीधा बोल रहे हैं। बाजू वाले इधर-उधर से बोल रहे थे। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, मैं सीधा-सीधा बोलूंगा। भैया, यह जो आप लोग चार इंजन की बात कर रहे हो। इसमें से एक इंजन तो ऐसे ही फेल हो गया, आपको नोटिस दे दिया और दूसरा इंजन यहां फेल हो गया कि हमें बजट में बता भी नहीं रहे हैं कि असली कितना पैसा लेना है और कितना उधार देना है। तीसरा-चौथा तो भूपेश जी ने बता ही दिया कि गांव-गांव में धीरे-धीरे करके दुर्ग के बाद कुसमी, कुसमी के बाद जशपुर, जशपुर के बाद और कहीं न कहीं से गांजा भी मिलेगा, अफीम भी मिलेगा और यह प्रदेश सूखे नशे से ग्रस्त हो जाएगा। आप लोग पूरी चर्चा के दौरान कांग्रेस शासन को गाली जरूर देते हैं। भले अच्छे शब्दों में दें या बुरे शब्दों में दें। क्या आपको पता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी थे, तब उस समय यहां मुख्यमंत्री कौन थे? डॉ. रमन सिंह जी थे और उनसे जो पैसे आपके गृह मंत्री जी मांग रहे हैं, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं मांगा कि आपने जो अर्धसैनिक बल और अन्य बल यहां लगाए हैं, उसके इतने खर्चे हैं, वह हमको दो। मगर आपसे उनकी ऐसी क्या नाराजगी है कि आपके गृह मंत्री जी आपसे पहले 21,000 करोड़ रूपये मांग रहे है? आप कहां से पैसे लाएंगे, इस बात की हमें बड़ी चिंता है और हम जानना चाहते हैं कि 21,530 करोड़ रुपये आपने किन-

किन मदों में खर्च किए होंगे, कैसे खर्च किए होंगे? यह आप बताइए और देखिए और अधिकारियों को बोलिए कि जब आप जवाब देंगे, तब तक वह इसको बनाएं। मगर हम इस बात के लिए अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं कि इस कार्य के लिए जो पैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे तो जब तक वह प्रधानमंत्री थे, तब तक एक पैसा भी नहीं लिया गया और अभी जब पांच साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब भी आपके केंद्रीय मंत्रियों ने मात्र 10 प्रतिशत राशि हमारी सरकार से, भूपेश बघेल जी से ली थी। तो आपने ऐसी क्या गलती की है, क्या कर दिया कि आपको पैसे की देनदारी बता रहे हैं, पूरे पैसे मांग रहे हैं और आपके भूपेश बघेल जी को 90 प्रतिशत की छूट दी थी, 10 प्रतिशत ही पैसे लिया करते थे। मैं सिर्फ इन दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल आपके साथ क्या किया और आपके गृह मंत्री जी आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और हमारे साथ क्या व्यवहार करते थे? पूरे 21,000 करोड़ रूपये से भी ज्यादा की राशि आपको देनी है, वह आप कहां से देंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी मैं कोई परेशान नहीं करूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी। (मेजों की थपथपाहट)

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत आभार।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री जी के साथ केवल संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं। बाकी पूरा खाली है। विधायकों का भी समर्थन नहीं है। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- बाकी मन मुसवा खोजे बर गेहे।

श्री विजय शर्मा :- सदन में बहुत से सदस्य उपस्थित हैं। उसमें क्या है?

श्री कवासी लखमा :- यह लाइन तो पूरी खाली है।

डॉ. चरणदास महंत :- गृह मंत्री जी, ऐसा है कि कुछ-कुछ आपको पता होता है तो हमको भी पता चल जाता है। मुझे पता है कि इस सत्र के बाद कुछ लोग जाने वाले हैं। अभी जो खाली कुर्सी दिख रही है, उसमें से कुछ लोग जाने वाले हैं और कुछ नई भर्ती होने वाली है तो क्या उनको अभी से बता दिया गया है?

श्री विजय शर्मा :- ऐसा है कि यह अंदर की बातें आप ज्यादा जान जा रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नेता जी ने जैसे ही बोला तो तुरंत दो लोग आ गये।

श्री विजय शर्मा :- सामान्यत: यह जो दो विषय है। भाईसाहब का विषय ही थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना विधि विधान से और इतना सटीक बोलते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस विषय पर तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ जानकारी और उपलब्ध हो जायेगी तो मैं आपको जरूर उपलब्ध करा दूंगा परंतु मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यह जो राशि है, जिसके लिये पत्र आया है, वह हम लोगों के भी ध्यान

में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में है। इसमें पुरानी सरकार से लेकर अब तक की राशि है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये, बहाना तो अच्छा है।

श्री विजय शर्मा :- यह आज एक साल की राशि हो गयी है, ऐसा नहीं है। इसमें भी है। यह एक प्रक्रिया है। आप बेहतर समझेंगे, आप जानते हैं। इसमें बाद में चर्चा की जायेगी और जो निर्णय होगा वह होता रहेगा। राशि 10 प्रतिशत की आयी और अभी पूरी आ रही है। इसका कारण ऐसा है कि अभी हम फाईनल सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी सब कुछ क्लीयर हो जायेगा। इसके बाद यह पत्र नहीं आयेगा, थोड़ी जो जल्दबाजी है कि यह फोर्स यहां क्यों है ? उसका भी तो निर्णय करना है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2026 सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का दिनांक तय हुआ है, तो यह भी तय हुआ है कि 31 मार्च, 2027 से ही जो फोर्सेस हैं, वे उस समय तक और उससे पहले भी कुछ वापस चली जाएंगी। (मेजों की थपथपाहट) उसमें संशय नहीं है। बैठकों में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि 31 मार्च, 2027 के समय को हम फिक्स मानें, थोड़ा आगे-थोड़ा पीछे हो सकता है, इसके बाद यह सारी सेंट्रल फ़ोर्सेस भी चले जानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे थे कि 31 मार्च को हम यहां पर...।

डॉ. चरणदास महंत :- माफ़ किया जाए। मुझे आपकी फ़ोर्स के जाने न जाने से कोई दिक्कत नहीं है और न हमको परेशानी है। हमको आपने चार-छह दिये हैं और इनको आप ले जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको आपके मुख्यमंत्री जी के पत्र के बारे में पता है? मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं समझा आप समझ गए होंगे।

श्री विजय शर्मा :- हां भाईसाहब, पता है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि विदित होना चाहेंगे कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक फलां-फलां दिनांक 14.01.25 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 30.06.2007 तक तैनाती केंद्रीय बलों की क्लेम राशि पर पूर्णतः छूट प्रदान की गई थी। यह आपके मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। मनमोहन सिंह जी पैसा भी नहीं लेते थे और पूर्णतः छूट दिया करते थे। आपने भूपेश बघेल जी से 10 प्रतिशत लिया है। आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया, आपने कितना ले लिया?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, यह चर्चा का ही विषय है। इसमें आपकी चिंता जायज है, परंतु आप बहुत चिंतित मत होईये। हमारे योग्य वित्त मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे इस पर निर्णय कर लेंगे और इससे छत्तीसगढ़ पर कोई विशेष भार नहीं पड़ने वाला है। जो व्यवस्थाएं पूर्व में थीं, उससे भी अच्छी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। बहरहाल, आज की इस चर्चा में सभी साथियों ने भाग लिया, मैं सभी का हृदय से आभार एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस चर्चा में बहुत सारे साथियों ने

भाग लिया, विशेष रूप से आदरणीय दलेश्वर साहू जी ने इसकी शुरुआत की और वह भी प्रधानमंत्री आवास से की। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा मसला है। अभी सारे लोग कहते हैं कि 1,20,000 रूपये में या 1,50,000 रुपये में क्या हो रहा है? यह सारे आवास तो 6-7 साल पहले बन जाने चाहिए थे लेकिन नहीं बन पाए। वह इसलिए नहीं बन पाए कि विगत सरकार ने इनको रोककर रखा था, इनको नहीं होने दिया इसलिए नहीं हो पाए । (शेम-शेम की आवाज) सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हू। यह मेरे पास सारे पत्र हैं। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको इसमें से सबकुछ दिखाता रहूं। यह पत्र है जिसमें तत्कालीन पंचायत राज विभाग के मंत्री ने यह लिखा है कि मैंने बार-बार मुख्यमंत्री जी से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य मद उपलब्ध करा दिया जाए परंतु नहीं कराया जा रहा है इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ, ऐसा लिखकर के इस्तीफा दिया है। (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, इसमें अधिकारियों के पत्र हैं, जिसमें कहा गया है कि हम इतना लक्ष्य नहीं ले सकते और लक्ष्य को कम कर लिया जाए, इसमें ये सारी बातें हैं । इसमें एक-एक चीज दिखाकर के बताया जा सकता है , मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री आवास से बात शुरू करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ''संकल्प'' शब्द के साथ ये बजट लाया है। संकल्प शब्द बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि 2047 तक हमारा देश दुनिया में महाशक्ति बनकर उभरेगा तो उसकी हंसी उड़ाना शुरू करते हैं। सभापति महोदय, भारत में ऐसा बहुत बार किया गया है। हमेशा ही जब भी भारत की अच्छाई के लिये, भारत की बढोत्तरी के लिये, भारत को ताकतवर बताने के लिये, हमारे छत्तीसगढ़ को ताकतवर बनाने के लिये संकल्प लिया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मैं हंसी उड़ाने वालों को भी बताना चाहता हूं माननीय हमारे रामकुमार भाई जी हमेशा 2047 की बात करते हैं, मैं उनको हमेशा सुनता हूं। इस बात का संकल्प नहीं लिया जाना चाहिए कि मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश 2047 तक ऐसा बनेगा, चलिये उसको आप 2050 कर लीजिए। लेकिन क्या हमको हमारे लक्ष्य बांधकर काम नहीं करना चाहिए? मसला यह है कि संकल्प लेने के लिये साहस की जरूरत होती है। (मेंजों की थपथपाहट) और साहस का अर्थ ये है कि आज आप देखें कि हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साहस किया और ये कहा कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र आतंकवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं, समूचे देश से समाप्त होगा। (मेंजों की थपथपाहट) और समूचे देश में आज समापन की स्थिति में है। अब बटालियन वन नहीं है। अभी सारे ही सी.सी. मेंबर समाप्त हो चुके हैं। दो-तीन हैं, मुझे सब कुछ नाम याद है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आतंकवाद समापन की स्थिति में है। लक्ष्य बांधना पड़ता है और लक्ष्य बांधने के लिये, संकल्प लेने के लिये साहस की जरूरत होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे विचारधारा के लोगों ने संकल्प लिया कि हम राम मंदिर बनायेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र मे भी हुआ करता था। पीढ़ियां बदल गई, संकल्प नहीं बदला।

संकल्प पीढी दर पीढी आगे बढता रहा। माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि राम भगवान का मंदिर अयोध्या जी में बनकर तैयार है, ये संकल्प हुआ और उस संकल्प को धरातल पर सिद्ध किया गया, इसलिए संकल्प लिया जाता है। 2047 का विषय इसलिये बार-बार कहा जाता है।

डॉ. चरणदास मंहत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट अगर अनुमति दे तों मै कुछ कहना चाहता हूं। आपने 15-15 लाख रुपये देने का जो कहा था वह संकल्प नहीं था, वादा था ? आपके नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपये सबके खाते मे देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। यह संकल्प नहीं था, उस समय 56 इंच की छाती नहीं थी?

श्री रामकुमार यादव :- ओला गंगा मैया में ठंडा कर दिन।

श्री विजय शर्मा :- मैं सोचता हूं कि रामकुमार यादव जी जो कह रहे हैं, वह अलग मामला है, माननीय नेता प्रितपक्ष जी ऐसा कहेंगे, ये आश्‍चर्य का विषय है। आकलन का होना एक अलग बात है और उस विषय का होना एक अलग बात होती है।

डॉ. चरणदास मंहत :- आप बजट पर बात करिये न। माननीय मंत्री जी आप बजट पर बात करिये। हमने जो सवाल उठाये हैं, उस पर बात करिये। अगर आप राम मंदिर की बात अपने बजट में करेंगे, वह भी गृह मंत्री की अनुदान मागों पर, जहां लाठी चलती है, गोली चलती है। आप बजट की बात करिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जो परिणाम सामने आये हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वाकई संकल्प लेने के लिये साहस की जरूरत पड़ती है और उस संकल्प को धरातल पर मूर्त रूप में उतारने के लिये सामर्थ्य की जरूरत होती है। (मेंजों की थपथपाहट) इसलिए बार-बार संकल्प से ये घबराते हैं और हर लिये हुए संकल्प का माखौल उड़ाया जाता है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, कर्जा माफ करने के लिये सीना में साहस होना चाहिए। एक-एक दाना खरीदने के लिये भी सीने में साहस होना चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- और ट्रंप का धन्यवाद की हमको रशिया से पेट्रोल खरीदने के लिये 30 दिन की मोहलत दी।

श्री दिलीप लहरिया :- इस बार धान खरीदी करियेगा तो संकल्प लेकर धान खरीदी करियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 02 लाख की कर्ज माफी की घोषणा आपके ही द्‌वारा हुई थी।

सभापति महोदया :- आप बैठिये न। नेता जी ने सब बातों को कह दिया है न, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री द्‌वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आप उसी कर्जमाफी की बात चुनाव के दरमियान बोले थे। आपका वीडियो पूरे प्रदेश में घूमा है।

श्री विजय शर्मा :- आपको शायद कवर्धा की बात नहीं मालूम है। उसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की 1 लाख की सभा में मैंने कहा था कि भैया मेरी पार्टी का घोषणा पत्र ये आ चुका है और इसमें कर्ज माफी नहीं है। मैंने कहा था, माननीय सदस्य महोदय, आप कैसी बात करते हैं। आपको ध्यान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो ये गलत बात है। मलतब मैं सोचता हूं कि इस बात की जानकारी के साथ आप अपनी बात कहिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम आपका वीडियो अगली बार सदन में लेकर आयेंगे ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी ।

श्री विजय शर्मा :- चलिये, ठीक है । माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम जो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिये कहा गया तो प्रधानमंत्री आवास के लिये दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार बनती है और 14 दिसम्बर, 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव दस्तावेजी प्रमाण आज भी है । किये गये वायदे को पूरा किया गया । (मेजों की थपथपाहट) जो गरीबों के आवास शेष रहे गये थे, उन सारे ही आवासों को आगे बना लेने का संकल्प उसमें लिया गया और उसमें सबसे पहला जो लिया गया, वह यह था कि 47,000 मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जो 47,000 आवास लिये गये थे जिसको एक किश्त देकर भूल गये थे, ये उस आवास को भी देने की बात कही गयी । माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा विषय आपको बताना चाहता हूं कि 2000 से 2 लाख 47,000 आवास जिसकी एक किश्त देकर भूल गये थे वह 2 लाख 47,000 आवास भी उसमें था, तीसरा उसमें वर्ष 2011 की प्रतीक्षा सूची के 6 लाख 99,000 आवास और वर्ष 2018 के आवास प्लस की सूची के 8 लाख 19,000 आवास और इस तरह से कुल 18 लाख 12,000 आवासों को देने के लिये संकल्प पारित किया गया था ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य दलेश्वर साहू जी ने यह भी कहा कि पी.एम. जनमन के लिये 33,000 का लक्ष्य रखे थे और 16,000 मिला है । मैं इसमें आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह लक्ष्य रखे थे पी.एम. जनमन का 34,396 आवास और उसमें से 33,256 आवास स्वीकृत कर दिये गये हैं और 19, 592 आवास निर्मित भी हो चुके हैं । यह पी.एम. जनमन के विषय में आपसे कहना चाहता हूं । इस बात के साथ-साथ कुल मिलाकर जो बात है, हमारे प्रदेश में वर्ष 2011 की सर्वे सूची, वर्ष 2018 की सर्वे सूची, इन सारे ही सर्वे सूची को मिलाकर के 26 लाख 42 हजार आवास थे और उसमें से 24 लाख 46,000 आवास स्वीकृत कर दिये गये, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर कोई भी आवास की सूची शेष नहीं रह गयी है । वर्ष 2011 की आवास की सूची पूर्ण हो चुकी है और वर्ष 2018 के लिये जो आवास प्लस की सूची थी वह भी पूर्ण हो चुकी है । कोई भी आवास की सूची आज शेष नहीं रह गयी है, 24 लाख 46,000 आवास स्वीकृत कर दिये गये हैं । शेष अंतर के आवासों की बात, वह भी बात आयी थी कि शेष अंतर के आवास कहां हैं तो वर्ष 2011 से लेकर 2026 तक

बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, किसी की नौकरी लग गयी, किसी का आवास बन गया, किसी ने किसी अन्य माध्यम से धन संग्रह कर लिया, उसको आवश्यकता नहीं रह गयी लेकिन उन सारी परेशानियों को छोड़ दें तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि पिछली सरकार में आवास नहीं देने के कारण हजारों ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते-करते इस दुनिया से चले गये, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया, यह पिछली सरकार के रवैये के कारण नहीं मिल पाया था तो अंतर का जो विषय है, 26 और 24 में वह अंतर का विषय ऐसा है। इस आवास को केवल आवास बनाकर के छोड़ नहीं दिया गया, इस आवास के माध्यम से आजीविका दीदीयों के लिये आजीविका को भी जोड़ा गया, इसमें डीलर दीदी बनीं । सीमेंट, छड़, ईंट, सेंट्रिंग आदि के लिये उन दीदीयों ने, महिला स्वसहायता समूहों ने अपना काम शुरू किया । उसमें 1091 रानी मिस्त्री बनीं, उसमें 5000 राज मिस्त्री बने और इन राज मिस्त्रियों में से 380 ऐसे भी बने, जो पुनर्वासित नक्सली थे तो आवास के इस विषय को अभियान की तरह लेकर के परिणाम तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है । पी.एम. आवास के उचित बनाये जाने के लिये जो शिकायत निवारण है, वह 18002331290 यह शिकायत निवारण का नंबर भी दिया गया है, इस शिकायत निवारण के नंबर पर कभी भी बताया जा सकता है, कोई भी समस्या लिखायी जा सकती है और उस नंबर के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है । प्रत्येक माह के 7 तारीख को आवास दिवस भी पंचायतों में मनाया जाता है और उसके माध्यम से आवास के संदर्भित जितनी भी बातें हैं उन सारी ही बातों को समझकर के लोगों को समझाकर के आवास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं । बात बस्तर की चिंता की थी, मुझे वह भी ध्यान है । मैं विनम्रतापूर्वक सबसे निवेदन करता हूं कि चाहे बस्तर हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, आवास के संदर्भ में हम सबको मिलकर के बात आगे बढ़ानी चाहिए । मसला गरीबों के आवास का है तो उसको जरूर ही पूरा होना चाहिए । इसमें सुखद कहानी है, बलरामपुर जिला के पंचायत गोविंदपुर है, हमारे हितग्राही कृष्णा हैं, वह पहाड़ी कोरवा हैं । पति-पत्नि दोनों ही दृष्टिबाधित हैं और रजत जयंती का वर्ष था, हमारे छत्तीसगढ़ में पच्चीसवां वर्ष था और माननीय प्रधानमंत्री जी आये थे। श्री कृष्णा जो पहाड़ी कोरवा हैं उस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनके हाथ में चाबी देकर, उनको प्रधानमंत्री आवास सौंपा था। यह छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष रहा और वह उस दिन हुआ। यह बड़ी मार्मिक स्थिति का समय था। माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही दूसरा कहना चाहता हूँ कि□ दंतेवाड़ा में कमलूर पंचायत है वहां पर भी सुनीता माड़िया जी हितग्राही हैं, यह माड़िया समाज से हैं। उनके पति की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी और वर्ष 2011 की आवास सूची में इनका नाम नहीं था। इनको विशेष योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है, वह है फिर आवास प्लस जो सूची है, वह है। फिर पी.एम. जनमन के माध्यम से 34 हजार प्रधानमंत्री आवास दिये गये, वह है। फिर यह सरकार आवास में 15 हजार के विशेष पैकेज केन्द्र की सरकार से लेकर आयी है और उसमें से जो नक्सल पीड़ित हैं और जो नक्सल पुनर्वासित हैं इसमें दोनों को ही

आवास देने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से श्रीमती सुनीता माड़िया को प्रधानमंत्री आवास उसी पैकेज के माध्यम से दिया गया, जिसमें 15 हजार विशेष पैकेज लेकर आया गया है, जो नक्सल पीड़ित परिवार थीं। मैं विशेष रूप से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में वर्ष 2023-2024 में अनुपूरक बजट में 3 हजार 799 करोड़ रूपये, वर्ष 2024-2025 में 8 हजार एक सौ 11 करोड़ रूपये, वर्ष 2025-2026 में 7 हजार 916 करोड़ रूपये और अभी इस बजट में फिर 4 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह स्पष्टत: से बजट के प्रावधान दिखाते हैं कि पिछले मंत्री जी ने जो इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने यह कहते-कहते इस्तीफा दिया था कि मेरे बार-बार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए बजट में राशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह सारा विष्णु देव साय जी की सरकार का बजट है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास को प्रतिबद्धता के साथ लेते हुए, पूरे के पूरे आवास दिलाने का काम किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, इसमें विषय बहुत सारे हैं मैं उन विषयों पर जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं कुछ साधारण-साधारण बातों को लेकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी इसमें नरेगा के संदर्भ में जल संवर्धन का बड़ा काम किया गया है। यहां नरेगा के नाम के परिवर्तन के पीछे बहुत बात होती है। नरेगा के बाद वी बी राम जी जो योजना आ रही है वह महात्मा गांधी जी के भावों के अनुरूप ही है, उनके आराध्य के नाम पर ही है और उसमें 3 नये प्रावधानों को लेकर, नये प्रावधान तो नहीं कहूंगा। माने सुपरिभाषित प्रावधानों के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है इसिलए वह हम सब के बीच में और ज्यादा प्रभावकारी होंगे, उसमें संशय का विषय नहीं है, उसमें भी 4 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, जिसमें पंचायतों में आजीविका पर भी काम होगा और पंचायतों में जल संरक्षण पर भी काम होगा। इस तरह इसमें तीनों ही तरह के काम होने वाले हैं इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि वह भी प्रावधान जो आने वाला है, वह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा और उसके लिए भी बजट में 4 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर मोर गांव मोर पानी एक अभियान चला। हमने विभिन्न विषयों पर जन आन्दोलन सुना था, यह जल आन्दोलन हो गया। विभाग ने इस जल आन्दोलन के लिए बहुत सारे नीचे जाकर जन जागरण का काम किया और फिर अलग-अलग जिलों ने अपने-अपने नये-नये अभियान प्रारंभ किये। उन सारे ही अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में बड़ा काम खड़ा हुआ। एक विशेष अभियान और एक विशेष काम करते हुए, एक पंचायत में नरेगा के जितने भी काम हो रहे हों, विगत 3 वर्षों के लिए उसमें एक क्यू.आर. कोड दे दिया गया। कोई भी उस क्यू.आर. कोड को स्कैन करके, उस पंचायत में होने वाले सारे पुराने कामों की जानकारी ले सकते हैं इसमें यह नहीं है। पंचायत में होने वाले जितने भी काम हैं उस क्यू.आर. कोड के माध्यम से लिये जा सकते हैं। प्रतिदिन

लगभग इसमें 3 हजार लोग स्कैन करते हैं। एन.आर.एल.एम. के माध्यम से दो लाख 86 हजार महिला स्वसहायता समूह हैं, हमारे यहां 8 लाख लखपति दीदी बनी हैं और हम लोग 10 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इस पर भी काम किया जा रहा है। हम एक बड़ा ब्राण्ड बनाकर, छत्तीस कला के नाम से बड़ा ब्राण्ड लेकर एन.आर.एल.एम. में काम कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में बकरी का कल्स्टर बनाकर, महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से काम किया जा रहा है। इन महिला स्वसहायता समूहों के अच्छे कामों को परस्पर जानने और समझने के लिए दीदी के गोठ ऐसा एक कार्यक्रम भी रेडियो में प्रारंभ किया गया है। इनके खुद के कार्यक्रम हैं यह खुद अपनी बातें सबको बताते हैं, ऐसा दीदी के गोठ में बताया जाता है। अभी इसके 7 एपिसोड आ चुके हैं। यह 31 अगस्त, 2025 से प्रारंभ हुआ था। प्रति माह द्वितीय गुरूवार को "दीदी के गोठ" एपीसोड आता है । इसका भी काम प्रारंभ किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी बहुत सारी बातें आई हैं । इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए फेस 4 में 2400 किलोमीटर के लिए 774 सड़कों पर अभी काम शुरू हो चुका है । इसके लिए भी हमें बजट में प्रावधान मिला है । मेंटनेंस के लिए इस बार प्रावधान है, सुदृढ़ीकरण के लिए भी 350 करोड़ का प्रावधान है, पीएम जनमन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 938 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो आने वाले समय में प्रदेश की सड़कों को बनाने के लिए श्रेयस्कर होंगे । पीएम जनमन के लिए भी 807 सड़कें बनाई गई है। यह बहुत ही मार्मिक विषय है । पीएम जनमन एक ऐसी योजना है, जिसमें हम प्रीमिटिव ट्राईव्स की तरफ जाकर उनकी जो बसाहटें हैं, उन बसाहटों में उनके घर बन जाएं, बिजली, सड़क, पानी पहुंच जाये, इसकी चिंता करते हैं । हमारे प्रदेश में 5 तरह के प्रीमिटिव ट्राईव्स हैं । उन पूरे 5 तरह के प्रीमिटिव ट्राईव्स की कुल संख्या लगभग सवा दो लाख है और 871 बसाहटें हैं, उसके लिए 807 सड़कें बनाई गईं है । इसमें 123 ब्रीज भी शामिल हैं और आने वाले समय में भी इस पर आगे काम करना है ।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों में नवाचार के काम हो रहे हैं । बहुत सारी बात आईं, जिसमें यह कहा गया कि पंचायतों में जो राशि हमें देनी है, वह राशि पंचायतों में बैंक के हिसाब से भुगतान होना चाहिए तो सीएसई सेन्टर काम करते थे, लेकिन वह अनियंत्रित से थे, उनका पंचायतों से कोई लेन-देन नहीं था । इन सारे ही सी.एस.ई. सेन्टर्स को लेकर प्रशिक्षित करके और उसके बाद इन सी.एस.ई. सेन्टर्स को पंचायतों के साथ अनुबंधित करके पंचायतों में अटल डिजीटल सेवा केन्द्र प्रारंभ की गई है । ये 6375 पंचायतें हैं, जहां पर अटल डिजीटल सेवा केन्द्र प्रारंभ की गई है । मैं आपको बड़े प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि इसमें अब तक 45 लाख ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और इस ट्रांजेक्शन में 1125 करोड़ रूपए का ट्रांजेक्शन हुआ है । माताओं, बहिनों को अब पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़ता है । वे वहीं पर आकर अपना पैसा निकाल लेती हैं, ऐसी अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र बनी है, इसमें मैं

आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । चूंकि कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने इस बात को लिखा है कि यह नहीं हो पा रहा है तो मैंने एग्जाम्पल निकाला है कि रायगढ़ जिले में ही रायगढ़ विकासखण्ड में ही ग्राम पंचायत नंदेली में ही, जो संचालक है-छिदानंद मालाकार, उन्होंने 24 अप्रैल, 2025 को इसको प्रारंभ किया है और अब तक 950 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं । उन ट्रांजेक्शन के माध्यम से गांव की महिलाएं वहीं पंचायत में ही अपना पैसा निकाल लेती हैं, उनको दूर शहर जाकर को-ऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक के बीच में यानि किसी बैंक में लाईन लगाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है । ये न सिर्फ महतारी वंदन के लिए है, वरन् ये सारे ही तरह के पेंशन के लिए भी है । यही राशि किसान सम्मान निधि के लिए है। ऐसे सारे छोटे भुगतान इसके माध्यम से किये जाते हैं और यह अब 6375 ग्राम पंचायतों में अब तक हो चुका है । आने वाले समय में हम इसको पूरे ग्राम पंचायतों में लेकर जरूर जाएंगे ।

माननीय सभापति महोदय, एक और एप्लीकेशन बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया है । यह ग्राम संपदा एप है । अभी तक हमारे यहां यह होता था कि ग्राम पंचायतों में जितनी भी अधोसंरचनाएं होती थीं, वह या तो वह केन्द्र के माध्यम से होती थीं या राज्य के माध्यम से होती थीं । केन्द्र की राशि जहां पर भी लगती हो, उन अधोसंरचनाओं की पूरी जानकारी कम्प्यूटराईज्ड होती थी, परन्तु राज्य से बनने वाले जितने भी हमारे निर्माण कार्य हैं, उनकी राशि नहीं होती थी और उनका संधारण कम्प्यूटर्स पर नहीं होता था तो जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सरकार की निधि से जितनी भी अधोसंरचनाएं निर्मित हुई हैं, उन अधोसंरचनाओं के कम्प्यूटर में संधारण के लिए ग्राम संपदा एप बनाया गया है । इस ग्राम संपदा एप के माध्यम से आगे आने वाले समय पर एक ही स्क्रीन पर केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर एक गांव, ग्राम पंचायत में क्या–क्या निर्माण हुए हैं, उसको देख पायेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति महोदय, एक और बात, जिसमें माननीय सदस्यगण पंचायतों को समर्थ बनाने की बात कह रहे थे। उसमें own source revenue एक है, वह समर्थ पोर्टल पर है। इसमें हमारे 10 हजार से अधिक पंचायत पंजीकृत हो चुके हैं तथा 33 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अभी 27 जनवरी को प्रारंभ हुआ है। ग्राम पंचायतों ने अभी तक 9 करोड़ 61 लाख रूपया टैक्स के रूप में राशि वसूल किया है। इसके माध्यम से ग्राम सम्पदा एप और own source revenue के लिए समर्थ पोर्टल इन दोनों के ही माध्यम से ग्राम पंचायतें आगे बढ़ेंगी।

सभापति महोदय, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के सन्दर्भ में भी चिंता हो रही थी। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के तहत 1 लाख 55 हजार लोगों के ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। अभी वह प्रक्रिया लगभग जारी ही है। इसमें ऐसे अनेक ट्रेनिंग के प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, जिसके माध्यम से आगे जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का, और उनको आगे करने का काम कर रहे हैं। महतारी सदन

के सन्दर्भ में बात की गई है। यह क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर के गांव में बनते हैं। 137 पूर्ण हो चुके हैं, 368 स्वीकृत हैं। इस विषय पर वर्ष 2026-27 के बजट में फिर से 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, समग्र योजना है, जिसमें 4,628 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें 3 सौ करोड़ रूपये का पुन: प्रावधान इस बजट में किया गया है। मैं इसके लिए भी उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जितने नवगठित जिले हैं, जिसमें मानपुर-मोहला-अंबागढ़चौकी है, मनेन्द्रगढ-चिरमिरी है, खैरागढ़-छुईखदान है, सारंगढ़-बिलाईगढ़ हैं, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही है, सक्ती है, ऐसे सभी जिलों में जिला पंचायत भवन नहीं थे। सन् 2020 में पिछली बार भी सरकार में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही बना था। लेकिन वहां जिला पंचायत भवन नहीं था। वहां पर डी.पी.आर.सी. का भवन नहीं था, वहां पर आर.ई.एस. या पी.एम.जी.एस.वाय. के कार्यपालन यंत्री की बिल्डिंग नहीं थी। इन सारे ही भवनों को बनाने के लिए अभी प्रावधान किया गया है और अभी इसको बनाया जा रहा है।

सभापति महोदय, 6 जिलों में 6 करोड़ 14 लाख प्रत्येक के हिसाब से जिला पंचायत भवन भी बन रहा है। 6 जिलों में डी.पी.आर.सी. भवन प्रत्येक 2 करोड़ रूपये की लागत से बन रहा है। आर.ई.एस. और पी.एम.जी.एस.वाय. का कम्पोजिट बिल्डिग प्रत्येक जिले में 70 लाख रूपये के हिसाब से बन रहा है। इस तरह से अधोसरंचना के क्षेत्र में भी पंचायतें सुदढ़ हों, हमारी पंचायत की सारी संस्थाएं सुदृढ़ हों, हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद 70 नई पंचायत बने हैं। उन पंचायतों में भी पंचायत भवन दिए जाने का काम किया जा चुका है। ए.डी.एस. के लगभग एक हजार भवन, प्रत्येक भवन हेतु 5 लाख रूपये देकर पंचायत की बिल्डिंग के साथ एक कमरा और शेड का निर्माण हो रहा है। वहीं पर सारी माताओं-बहनों को भुगतान हो जाये, उनको शहर तक न जाना पड़े, उनको बहुत दूर बैंक में न जाना पड़े, इसके लिए किया जाता है। लगभग एक हजार भवनों की स्वीकृति दी गई है। आने वाले समय को इसको भी आगे बढ़ायेंगे।

सभापति महोदय, भर्तियों के सन्दर्भ में अनेक भर्तियां हैं, पंचायत के माध्यम से की गई है। मैं इसमें आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यहां पर पेसा का कानून सन् 2022 में बना था। लेकिन उसमें आगे कोई बात नहीं हो पाई थी। अभी श्री विष्णुदेव जी की सरकार ने स्टेट को-आर्डिनेटर नियुक्त किया है। 13 डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर नियुक्त किया है। 57 पेसा मोबीलाइजर भी श्री विष्णुदेव जी की सरकार में नियुक्त किया गया है। विभिन्न बातें हैं, जो पंचायत विभाग के सन्दर्भ में आई है। मैं बहुत समय न लेते हुए कुछ विषयों पर ही ध्यान केन्द्रित करके आगे विषय बढ़ा लेता हूं। इसमें विभिन्न सदस्यों ने अनेक बातें कहीं हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कुछ कहा है, हमारे श्रीमती अनिला भेंडिया जी ने कहा है, श्री कवासी लखमा जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। रेवंत रेड्डी और आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए इसमें बड़ी स्पष्टता है। उनका अपना ग्रुप होता

है। जहां उनका सीनियर जाता है, लीडर जाता है, वहां उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा है कि हमारे बस्तर के लोगों को वहां पर नक्सली संगठन में दोयम दर्जे पर रखा गया, हम सबको इस विषय का ध्यान है। हम इस पर भी देखते हैं, आप कुल मिलाकर संख्या देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां के लोग बाहर जा रहे हैं बल्कि बाहर के लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया है। उनका जो अपना कार्य क्षेत्र रहता हे, उस कार्यक्षेत्र के हिसाब से उन लोग कर लेते हैं। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति क्या है और वहां की पुनर्वास नीति क्या है, क्या उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है? उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है क्या, यह बात नहीं है । छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी पुनर्वास नीति है। उस दिन भी मंडावी जी के प्रश्न पर मैंने उत्तर दिया था कि 10 करोड़ की राशि से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है, जो सभी पुनर्वासितों को 50 हजार रूपये तुरंत देना होता है। बाकी शेष जो राशि है, वह राशि उनके बैंक में होती है और उसको वे समयपूर्वक निकाल सकते हैं। वह उसकी जो जितनी टाइम लिमिट है, उसके बाद निकाल सकते हैं। इस बीच में उनका स्किल डेवलपमेंट भी होता है और स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ यह भी चिंता होती थी कि अभी आज उन्होंने पुनर्वास किया है, आज ही गांव में वापस चले जाएंगे तो कोई अनहोनी न घट जाए। यह भी एक चिंता का विषय होता था। समय आने पर यह सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद वे पुनर्वासित हों, अपने गांव जाएं। परंतु उनके गांव में उनके खेत के कागजात बन जाएं, उनके गांव में उनके खेत में बोर हो जाए, जैसे दंतेवाड़ा में इस काम को आगे बढ़ाया। उनको स्किल डेवलपमेंट हो जाए, उनके आधार कार्ड बन जाएं, उनके राशन कार्ड बन जाएं, ये सारी ही जो सरकारी योजनाएं हैं, उनसे वे लाभान्वित हों, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें पुनर्वासित लोग, उनकी राशि बढ़ाई जाए या अब ऐसा नहीं होगा तो फिर वैसा उठा लेंगे, माननीय सभापति महोदय, मेरा इस विषय पर विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हमको कभी भी भूलकर भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य सीनियर हैं, वे बेहतर समझेंगे, लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल मनोयोग से कहना चाहता हूं कि हमको कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर वे वैसा कर लेंगे। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भड़काने वाली स्थिति है, यह हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें सब कुछ बदल जाता है। माननीय सभापति महोदय, जो आज बस्तर में हो रहा है, जिसकी प्रशंसा स्वयं लखमा जी ने पिछले भाषण में भी की और अभी भी उन्होंने कहा, ये परिवर्तन सब महसूस कर रहे हैं और इस बात के साथ महसूस कर रहे हैं कि कहीं भी कृपया, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और उसके बाद कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कही कि बस्तर में कोई भी ऐसी योजना नहीं है, ऐसा उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा, सदन में कहा और ये आ जाएगा, वह आ जाएगा, इस तरीके से लोगों को जबरदस्ती डराने-धमकाने, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, इस बात को समझकर हमको चलना चाहिए कि बस्तर के भविष्य को बस्तर के युवा ही संभालेंगे, उसमें और कोई

संशय किसी को नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों का हैंड होल्डिंग हमको वहां जरूर रखना चाहिए। हमको यह नहीं मानना चाहिए कि 31 मार्च, 2026 जो आ रहा है, वह कोई न्यू ईयर टाइप का सेलिब्रेशन होने वाला है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1 अप्रैल से क्या होगा तो रात को सेलिब्रेट करेंगे 12:00 बजे कि अब 1 अप्रैल आ गया, इसमें ऐसा कोई भाव नहीं है। लक्ष्य बांधकर काम को किया गया है और लक्ष्य बांधकर काम करने के बाद हमको फिर भी एहतियातन सारा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे यहां बस्तर में जो स्थिति है, वह हम सब समझ रहे हैं। आज ही सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता है। जो फाइनेंशियल इसमें litigations हैं, वे सारी बातें उचित हैं, वे बात की जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बस्तर के लोगों के संदर्भ में कहना चाहता हूं, न उनके मन में कोई ऐसी भय व्याप्त होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन क्या कर जाएगा, जल-जंगल-जमीन किसका है, तो ये बस्तर के लोगों का है, इसमें किसी का कोई भाव गलत नहीं है, इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, बस्तर के युवा ही बस्तर का भविष्य संवारेंगे, यह भी बहुत स्थिति स्पष्ट है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर के अर्थतंत्र का, बस्तर के आर्थिक विकास का जो मूल आधार है, वह बस्तर के लघु वनोपज हैं। लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था बस्तर में विकसित होगी और उसके आधार पर ही वहां के लोग लखपति-करोड़पति बनेंगे। लखपति-करोड़पति मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसी सहकारी संस्थाओं को देखा है कि एक सहकारी संस्था है और उसका खुद का अपना बजट 21,000 करोड़ है, इस वर्ष उन्होंने 24,000 करोड़ उस बजट को करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं। बड़ी मतलब संख्या में बड़ी नहीं हैं, संख्या में तो जो सहकारी समिति बनती है उतनी सदस्य हैं, उसके नीचे और कैस्केडेड दूसरी संस्थाएं हैं, परंतु इस लेवल तक वे संस्थाएं पहुंची हैं। मैं सोचता हूं कि कहीं दूध के संग्रहण से हुआ होगा, लेकिन हमारे बस्तर में ये लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन से ऐसी संस्थाएं हो जाएंगी, जो हमारे बस्तर के लोगों को धन-धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। माननीय सभापति महोदय, उसमें कहीं कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जो विषय है जिस पर सरकार का काम है, जो भाव स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट वक्तव्य यहां सदन में है, उसके आधार पर हमको लोगों को भी समझा कर कम से कम इस नाजुक विषय पर, इस नाजुक समय में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ध्यान करके इसको आगे करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय लखमा जी के उपरांत अनेक अन्य लोगों ने भावना बोहरा जी ने भी कहा, उन्होंने बस्तर में लोगों के लिए यह कहा कि वहां पर लोगों को अतिरिक्त राशि मिलनी चाहिए। तो वहां पर जो काम करते हैं, उनको लगभग 50% तक बोनस की राशि सारे ही आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को छत्तीसगढ़ में मिलती है। अब लखमा जी, महतारी वंदन योजना के बारे में भी कह रहे थे कि राशि बढ़ाई जानी चाहिए। पुरानी सरकार की घोषणा-पत्र में यह उल्लेख था कि प्रत्येक माता-बहन को पांच सौ रूपये दिये जायेंगे। लेकिन उस पांच साल में किसी भी माता-बहन को एक रूपया नहीं दिया गया है। वह उस

बात को भूल गये थे। अभी उनके खाते में एक हजार रूपये जा रहे हैं। अब तक लगभग 70 लाख माताएं-बहनों के खाते में 25-25 हजार रूपये जा चुके हैं। इस बात की प्रशंसा सब करते हैं। आदरणीय विक्रम मंडावी जी ने भी चिंता व्यक्त की थी कि आने वाले समय में बस्तर का क्या होगा? मैंने इस बात को बहुत स्पष्टता से आपसे आग्रहपूर्वक कहा कि बस्तर, बस्तर के युवाओं का है। बस्तर के युवा उसको संभालेंगे। अभी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बीजापुर से ही एक नौजवान ने UPSC परीक्षा क्रैक किया है। ऐसे ही नौजवान आएंगे तो वह दिन दूर नहीं है, जब बस्तर के युवा विश्व पटल पर छा जाएंगे, इसमें कहीं किसी को संशय नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) आपने चिटफंड कंपनियों के संदर्भ में मेरा ध्यानाकर्षित किया। मैं उस पर जरूर ध्यान देकर उसमें भी संभव हो सकता है, वह आपसे भी पूछ करके उस पर आगे चलूंगा। माननीय प्रेमचंद पटेल जी ने, माननीय इंद्र साव जी ने, श्री रामकुमार टोप्पो जी ने, आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने एवं सभी ने इस विषय पर चर्चा की है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में मैं एक-दो विषय जरूर कहना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरपंच ने सूचना दी, उन्होंने उसमें कॉल डिटेल दिखा दिया, यह किया, वह किया, वह सब ठीक है। सरपंच ने सूचना दी तो क्या मुखबिर ने नहीं दी? ऐसा उसका कोई मतलब होता है? दोनों ही बात हो सकती हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? अगर आपने कहा तो किया होगा। पुलिस ने जो कार्यवाही की, वह मुखबिर की सूचना के आधार पर की, यह मैं उसमें कहना चाहता हूँ। उन्होंने भी दी होगी, अनेक लोगों ने दी होगी। वह कार्यवाही पुलिस ने स्वयं जाकर नहीं की। पुलिस ने दूसरे दिन J.M.F.C. (First Class Judicial Magistrate) की उपस्थिति में कार्यवाही की। अगर किसी के मन में कहीं कुछ होता। एक तो बार-बार यह कहना कि एफ.आई.आर. में नाम ऊपर है, नीचे है। एफ.आई.आर. में नाम ऊपर है या नीचे है, इसका कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि ताकत के साथ कार्यवाही होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर वह भाजपा पार्टी का व्यक्ति है तो उस पर और कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, उसमें हमारे मन में कहीं कोई संशय नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया कि ये तीन आरोपी हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि फर्क पड़ता है। मुख्य आरोपी खेती कर रहा है, जिन्होंने रेघ में जमीन ली या मालिक है, वह होगा। नौकर कैसे मुख्य आरोपी हो सकता है? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अभी निर्देश करिए, सदन में घोषणा करिए कि मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकर ही है। वह तो नौकर है। वह सह-आरोपी है, लेकिन मुख्य आरोपी तो विनायक ताम्रकर ही है। लेकिन आपने तो उसको सहायक आरोपी बना दिया है। इसका अर्थ तो कोई भी समझता है। इतना बड़ा मामला आ गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई, लेकिन वह मुख्य आरोपी नहीं है। यह तो दुर्भाग्यजनक बात है, गृह मंत्री जी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सदन में घोषणा करिए कि मुख्य आरोपी वही है और यह लोग सहायक हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पुनः यही कहना चाहता हूँ कि एफ.आई.आर. में नाम आगे-पीछे होने से कुछ नहीं होता है। जब आपने उस दिन कहा था, उसके बाद मैंने भी पता किया कि उसमें क्या हुआ। उसमें जो जमीन है, वह उस व्यक्ति का नहीं है। वह जमीन एक माताजी का है, जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके जो भी होंगे। मेरा इसमें यह कहना है कि First Class Judicial Magistrate के सामने सारी कार्यवाहियां हुई हैं। उसके बाद भी अगर हमको न्याय तंत्र पर विश्वास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ये सारे लोग ही मुख्य आरोपी हैं। इसमें कोई एक ऐसा नहीं है, जो आगे और पीछे हो। सब पर पूरी कार्यवाही होगी, उसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। हाँ, इन सारे ही विषयों के साथ एक बात और है। यह बात जरूर ध्यान में आ रही है, यह बात जरूर समझ में आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर इस बात को चेक करनी चाहिए, जो आपने भी कहा और अन्य लोगों ने कहा। इसलिए इसको जरूर चेक करवाया जाएगा। और कहाँ-कहाँ यह हो सकता है, चाहे उसका हम किसी भी technology based कोई input लें, Human Based Input लें, ऐसे सारे ही Input के माध्यम से सारे ही जगहों को Scan करके हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में ये सब बिल्कुल नई हो सकय। ओला हर हाल मा दुरुस्त करबो, हर हाल मा ठीक करबो। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, अब बातें तो बहुत सारी हैं। मैं विभिन्न विषयों पर न जाकर एक विषय में बोलना चाहूंगा। जो सेवा सदन है, उसको कह देना चाहता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, शायद गृह मंत्री जी त्रिपुरी के बारे में उल्लेख नहीं किये हैं, यह आपको जानकारी है कि नहीं है ? कुसुमी, त्रिपुरी...।

श्री विजय शर्मा :- शायद मुझे ध्यान है ।

श्री भूपेश बघेल :- जानकारी में आ गया है ना ।

श्री विजय शर्मा :- जानकारी में है ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं इसलिये कह रहा हूँ ।

श्री भूपेश बघेल :- शुरू में ही है, कोई बात ही नहीं है । आपने उल्लेख नहीं किया है, इसलिये आपको ध्यान दिलाया ।

श्री विजय शर्मा :- यह तो माननीय विष्णु देव जी की सरकार है, वह कठोरता से कार्यवाही कर रही है और इसलिये वहां के लोगों ने भी उत्साहित होकर पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने वहां पर भी कठोरता से कार्यवाही की है । इसमे कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है । यह तो पता करने की बात है कि कब से चल रहा था, जांच होगी तो समझ में आयेगा कि कब से चल रहा था ? अब यह बात जरूर है कि अब कार्यवाहियों के लिये सभी को बड़ी मुक्तता है और पुलिस पूरी ताकत के साथ इन विषयों पर कार्यवाही कर रही है । (मेजों की थपथपाहट)

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो विषय कहा था उसके संदर्भ में मैंने थोड़ी बात कही है । अब समय भी काफी हो गया है, अब सामान्य गृह विभाग के संदर्भ में थोड़ी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर लेता हूँ । हालांकि जेल के संदर्भ में कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, इसका 4000 का डिफरेंस अब भी है, हमारी कुछ सीटें बढ़ गई तो कुछ लोग बढ़ गये, यह दोनो ही हो गया । आने वाले समय में 6 महीने में ही हम 7-8 सौ स्ट्रेन्थ और बढ़ा लेंगे । इस टारगेट में हम लोग चल रहे हैं । बहरहाल यह है कि इस बीच में 4 ऐसे जेल है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर जिसका आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया गया है, यह सर्टिफिकेशन लेकर वह प्रोसेस में भी और स्ट्रक्चर में भी दोनो ही विषयों पर आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है। यह हमारे 4 जेलों ने अभी लिया है । आजीविका के संदर्भ में काफी काम किया गया है । इसमें जेल से छूटे हुये जो लोग हैं, अगर कौशल प्राप्त हैं, छोटे-छोटे अपराधों में है तो किया क्या जाये तो इनके साथ हम ओवरसीज बैंक से एमओयू किये हैं अन्यथा जेल से छूटने के बाद बैंक उनको लोन नहीं देता है । उनके साथ बातचीत करने से एक बैंक तैयार हुआ है कि ठीक है कि हम एमओयू करके छोटे लोन दे देंगे । ओवरसीज बैंक है, जिससे एमओयू किया गया है, ऐसे लोगों को छोटे लोन दें ताकि यह अपना जीवन-यापन कर सके और आगे बढ़ सकें । सभापति महोदय, रायपुर जेल से इस बात को प्रारंभ किया गया है कि आस्था ब्रांड बनाकर जितने भी हमारे जेल के प्रॉडक्ट हैं, उन सारे ही जेल के प्रॉडक्ट को लेकर हम इस पर काम कर रहे हैं । सभापति महोदय, फर्म का पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, पैन नंबर पहली बार लिया हुआ है, वहां पर जी.एस.टी.नंबर पहली बार लिया हुआ है, हम उसको व्यवसाय की भांति बना रहे हैं ताकि उसका लेखा-जोखा रख सकें और वहां पर काम करने वाले कैदी को इसका फायदा मिल सके । सभापति महोदय, निश्चय कार्यक्रम चलाया गया है, जो म्यूल एकाऊँट पर काम करते हैं या एनडीपीएस पर कन्ज्यूमर्स के नाते काम करते हैं,उसकी भी काऊंसलिंग करते हैं, उनको अपराध बोध कराकर और इस बात का ध्यान दिलाकर कि आपके एक म्यूल एकाऊँट के कारण फलां-फलां व्यक्ति का जीवन कितना बरबाद हुआ है । आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये, इस बात का ध्यान दिलाकर उसको भी मानसिक रूप से पुनर्वासित करने की जेलों में कोशिश हो रही है । छोटे-छोटे किट में काफी चीजें होती थी, अक्सर किट जेल से दिया जाता था, इस बार वह सारा झंझट खत्म करके वार्षिक यूनिफार्म और किट का पैसा खाते में दे दिया जाये । वह अपना यूनिफार्म और किट खुद खरीदें, इसके लिये भी कोशिश हुई है । हमारे यहां बजट में इसके लिये 1.5 करोड़ का प्रावधान हुआ है । हमारे सोलह जेल में प्रेजेंट कॉलिंग सिस्टम है, इन 16 अन्य जेलों में प्रेजेंट कॉलिंग सिस्टम के लिये 1.5 करोड़ का प्रावधान हुआ है । मैं उसके लिये भी बधाई देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं एफएसएल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे एफएसएल के यूनिट को अपग्रेड करने के लिये, फोरेंसिक साईंस के यूनिट को अपग्रेड करने के लिये, चूँकि जो तीन नये कानून आये हैं, उन तीन नये कानूनों में 7 वर्ष से अधिक की सजा जहां-जहां पर भी है, वहां एफएसएल का जांच कराना जरूरी है ।

नई सरकार बनने के बाद लगातार पिछले जुलाई 2024 से जो नये तीनों कानून लागू हुये हैं, तब से एफएसएल को अपग्रेड करने के लिये, स्ट्रेंथन करने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं । इसमें वर्ष 2025-2026 में पिछली बार 5 करोड़ 60 लाख का बजट दिया गया था । माननीय विष्णु देव सरकार जी के द्वारा इस बार 10 करोड़ का बजट दिया गया है, इसमें 78 परशेंट का ग्रोथ है और यह काफी हमारे लिये काम का है । दुर्ग में डीएनए टेस्ट करने के लिये 4 करोड़ का प्रावधान है, यह भी बहुत अच्छा है । माननीय सभापति महोदय, सीन ऑफ क्राइम, यह 33 जिलों में अभी डेपुटेशन पर काम चल रहा है, लेकिन इस पर 50 पदों की भर्ती हो जाए, इसके लिए 50 पदों का प्रावधान किया गया है। इस बजट में 65 पद इसके डायरेक्टरेट के लिए और प्रावधान किए गए हैं । इसी तरीके से नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेट्रीज, इसमें हमारा स्टेट FSL जो है, 07-10-2025 को इसका एफिलिएशन हुआ है। ऐसे ही डिजिटल एविडेंस एग्जामिनर के रूप में भी भारत सरकार ने हमारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री को नोटिफाई किया हुआ है। इसके बाद डिजिटल एविडेंस एग्जामिनर के रूप में कोर्ट में साक्ष्य की ग्राह्यता बढ़ जाती है, ये भी दिसंबर 2025 में बड़ी मुश्किल से बात आगे बढ़ी है। एडवांस्ड टेस्ट प्रोसेस में जितने लाई डिटेक्टर हैं, वह पहले नहीं हुआ करते थे, हम लोगों ने ये सारे लाई डिटेक्टर यहां शुरू किए। अब हमारे यहां स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज में पॉलीग्राफ टेस्ट यह अवेलेबल है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री में ब्रेन मैपिंग टेस्ट यह भी अवेलेबल है, एस.एफ.एस.एल. में मतलब स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री में नार्को टेस्ट भी अब अवेलेबल है । अभी जैसे जुलाई 2024 में नार्को टेस्ट शुरू हुआ, अप्रैल 2025 में ब्रेन मैपिंग शुरू हुआ, जनवरी 2025 में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। अभी ये सारे टेस्ट यहाँ प्रारंभ हुए हैं, इससे पहले नहीं हुआ करते थे, इसको लगभग 20 प्रकरणों में उपयोग भी किया गया है, इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलों के लिए एक अलग से मोबाइल वैन लेने की भी अभी तैयारी है, उस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। यहां एन.एफ.एस.यू. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू कराया गया है, उसमें 29 स्टूडेंट हैं जो एम.एस-सी फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें डिजिटल फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई भी शुरू होगी। ये जो एन.एफ.एस.यू. का कैंपस खुला है, इसके भवन का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है, उसके लिए 34 एकड़ की जमीन भी उपलब्ध हो गई है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस अब रायपुर में भी आने वाले समय में वह अपनी बिल्डिंग में शुरू हो पाएगा। कैंपस तो शुरू हो गया है । ऐसे ही स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिट में आठ एकड़ की जमीन हमारी भी तैयार हो गई है, इसमें जाकर हमको अपना भवन बनाना होगा, उसके लिए भी राशि उपलब्ध करा दी गई है। हमारा एक फायर डिपार्टमेंट है, सेक्शन है। इसमें छह नए जिले बने हैं। फिर से कहूंगा वही बात है, नए जिले बनने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, इन सभी छह नए जिलों में महिला और पुरुष बैरकों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे यहां भर्ती की प्रक्रियाओं के लिए

1715 महिला नगर सैनिकों की भर्ती पूर्ण कर ली गई है, 500 जनरल ड्यूटी वाले नगर सैनिकों की भर्ती पूर्ण कर ली गई है और अग्निशमन में भी 295 ऐसी भर्तियां जारी हैं। 2025 में एस.डी.आर.एफ. में काम करने वाले जवानों ने बहुत गजब का पराक्रम किया है। पानी में डूबे हुए शव को निकालना, गाय-बैल पानी में डूबे हुए हैं, उनको निकालना, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालना, इसकी पूरी श्रृंखला इनके पास है। मैं एक छोटी सी अपील के साथ जो हम सबके लिए चिंता का विषय है, मैं इस विषय को भी आगे बढ़ाता हूं और वह यह है, जैसे हमारे रायपुर का पंडरी मार्केट है, इस पंडरी मार्केट की तरह अनेक और मार्केट हैं, इन सारे ही मार्केट में जो फायर स्टैंडर्ड्स हैं, वह फॉलो कराना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम सबको इस बात की प्रेरणा देनी चाहिए, यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, आपकी बात सब सुनते हैं, सब मानते हैं तो इस बात पर जरूर कहें नहीं तो बिलासपुर में 20 साल पहले नरेश मार्केट करके एक जगह है, मैं देख रहा था, अभी राजधानी में कोरोना के समय में राजधानी हॉस्पिटल है, इन सारे स्थानों पर जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, ये बड़ी ही चिंता का विषय थी। अगर ऐसे स्थानों पर जहां पर पूरी व्यवस्था न हो और ऐसी घटना हो जाए तो ये बड़ा ही कष्ट का विषय हम सबके लिए होगा। इसके लिए हमको जरूर करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, भर्तियों के संदर्भ में बात आई। पिछले वर्ष हमारे बस्तर फाइटर के 1500 की भर्तियों की अनुमति वगैरह सब कुछ हो गई, हम उस भर्ती को प्रारंभ करने वाले हैं। इस बार फिर से हमारे बजट में 1500 बस्तर फाइटर की भर्ती का नया प्रावधान है। इसमें आईटी कैडर के लिए यहां एडवांस्ड आईटी सेंटर बन रहा है, यहां पर उसके लिए छह अलग पदों का प्रावधान किया गया है। माननीय सुनील सोनी जी, पुलिस आयुक्त कार्यालय के लिए चिंता कर रहे थे। इसमें 67 पद हैं जो पुलिस आयुक्त कार्यालय के लिए भी बजट में प्रावधान में लाया गया है। रायपुर पुलिस के लिए 251 पद बजट के प्रावधान में हैं और सारे ही नए जिलों के लिए है। नए जिलों में जब एसपी बैठते हैं तो उनके साथ डीसीबी और डीसीआरबी ये उनके ब्रांचेस होते हैं। इनमें व्यक्ति होने चाहिए ताकि वह उनको फीडबैक करें। इसमें भी डेपोटेशन में काम चल रहा था। 156 पद उन विषयों पर भी लाये गये हैं। 5 साइबर थाने फिर से नए शुरू किए गए हैं, पहले से हमारे पास 15 साइबर थाने हैं। ये पांच साइबर थाने बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, सक्ती और बलरामपुर जैसे स्थानों में हैं। 10 थाने नक्सल मुक्त क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बालोद का नाम आया तो मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूं। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुरूर थाना के अंतर्गत मिर्रीटोला गांव में एक व्यक्ति ने वसूली के मामले में आत्महत्या की थी, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीन आरक्षक थे, जो घर से उसको उठाकर गए और 30,000 रूपये की मांग की, लेकिन वह 25,000 रूपये जमा किया। मैं मांग करती हूं कि उन आरक्षकों को तुरंत के तुरंत निलंबित किया जाए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे व्यक्तिगत जानकारी लेकर इस पर जरूर कार्रवाई करूंगा। आगामी बस्तर क्षेत्र की चिंता सबको होती है। इसलिए इस बजट में बस्तर में जो नक्सल मुक्त क्षेत्र होते गए हैं, उन क्षेत्रों में 10 थानों का एकसाथ प्रावधान किया गया है। सामान्य क्षेत्रों में भी 5 थानों का प्रावधान है। इसमें 975 पद प्रावधानित हैं। 8 चौकियों का थानों में उन्नयन है। उसके लिए 337 पद प्रावधानित हैं। 21 थानों में बल की कमी है। बल की कमी की भी चिंता माननीय अनिला भेंडिया जी कर रही थीं कि बहुत पुराने थाने हैं और उनका सेटअप पुराना है। उस सेटअप को बढ़ाने के लिए ही 21 थानों में 870 नवीन पदों की भर्ती भी की जा रही है। रेंज ऑफिस में 41 पदों की भर्ती का प्रावधान है। एस.पी. ऑफिस में विभिन्न पदों पर 110 पदों की भर्ती का प्रावधान है। रेलवे पुलिस के लिए 150 नवीन पदों का प्रावधान है। जगदलपुर हवाई पट्टी के लिए 40 पद, रायपुर स्टेट हैंगर के लिए 40 पद, सी.एम. सिक्योरिटी, राज भवन की सुरक्षा के लिए 250 पद का प्रावधान है। ऐसी सारी ही बातें इसमें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के लिए 400 नए पदों का प्रावधान किया गया है। साथ ही एस.आई.बी. में हेड क्वार्टर के लिए 24 नए पदों का प्रावधान है। ए.टी.एस. (आतंकवाद निरोधक दस्ता), जिसकी चर्चा रामकुमार जी कर रहे थे, उसमें 325 नए पद हैं। सी.ए.एफ. में श्वान दल के लिए भी 83 पद हैं। आदि-आदि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जिनके लिए मैं इस पूरे ही बजट के लिए, गृह विभाग के लिए जो भी नई भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत आभार करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारे ही बजट के माध्यम से आने वाले समय में चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हो, इन सारे ही विषयों को हम द्रुत गति से आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे पास आई.आर. बटालियन के 1,007 पद हैं। एस.आई.एस.एफ. के 500 पद हैं। जिला स्तरीय (ए.एन.टी.एफ.) एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 पद हैं, एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के लिए 44 पद हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय गृह मंत्री जी, ये सब तो लिखा हुआ है, इसको आप क्यों पढ़ रहे हैं? भाई, हमें शादी में भी जाना है। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- अच्छा, ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, उनको आप बोल दीजिए। पद वगैरह स्वीकृत हैं, वह तो आपके बजट में आ ही गया है। क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला है?

श्री विजय शर्मा :- चूंकि मैं हर एक बिंदु पर आभार व्यक्त करना चाहता था, इसलिए बोल रहा था।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, आप विष्णु देव साय जी का आभार कर रहे हैं, यह समझ में आता है। आप वित्त मंत्री जी का बार-बार आभार कर रहे हैं, मतलब क्या वह पैसे नहीं देते हैं? (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक जो महत्वपूर्ण विषय है वह सबके ध्यान में आ जाए, इसलिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमको हमारे पूरे ही पुलिसिंग सिस्टम को अच्छा करना चाहिए। इस बात की चिंता माननीय सदस्यों की तरफ से आई थी। न्याय सेतु, मतलब विषय यह है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पूरे ही देश में ऐसी व्यवस्थाओं के लिए एक बात कही और यह बात कही कि एफ.आई.आर. से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल लगने चाहिए। इसके लिए यह देखा गया कि पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, एफ.एस.एल., जेल और हॉस्पिटल, ऐसे अभी 6 सेक्टर हैं, जिस पर काम होता है। मतलब एफ.आई.आर. करने के बाद अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो वह सारे दस्तावेज हॉस्पिटल जाते थे, फिर उन सारे दस्तावेजों को एफ.एस.एल. जाना है तो वह एफ.एस.एल. जाते थे, फिर वह अभियोजन के पास जाते थे और उसके बाद फिर न्यायालय जाते थे। वह सारे दस्तावेज घूमते थे। आज पुलिस के एफ.आई.आर. के साथ ही न्यायालय को यह पता चल जाता है कि एफ.आई.आर. हो गयी है और इस पूरी ही प्रक्रिया को जिसको हम इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कह रहे हैं, उसको हमने यहां छत्तीसगढ़ में लागू कर लिया है। दुर्ग और बिलासपुर ऐसे हमारे दो जिले हैं, जहां ई-प्रॉसिक्यूशन का काम भी प्रारंभ हो चुका है। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको प्रॉसिक्यूशन के पास व्यक्तिगत जाने की जरूरत नहीं है। वह प्रॉसिक्यूशन के पास उपलब्ध है और उसी के माध्यम से वह स्वीकृत किया जा सकेगा। ई-साक्ष्य भी है। ई-साक्ष्य में हम वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मतलब है कि यदि किसी का बयान लेना है तो वीडियो बनाकर बयान ले रहे हैं तो वह जो वीडियो बनाकर बयान ले रहे हैं। वह जो वीडियो बनाकर बयान ले रहे हैं, उस बयान के माध्यम से भी हम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट के पास यह उपलब्ध होता है। इस विषय पर काफी एडवांसमेंट किया गया है। हमारे लोकल क्राइम रिव्यु एप्लिकेशन्स हैं, कोर्ट केस मॉनिटरिंग है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे जो स्थानीय नवाचार किए हैं, वह भी है। अब समय का विषय है इसलिए बाद में उसकी बात कर लेंगे। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि झीरम के विषय में सभी की चिंता हो रही थी कि क्या हुआ है ? मैं पुनः बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी और कुल मिलाकर उस दिन जो घटना हुई थी, उसमें कुल 27 लोग झीरम हमले के पश्चात हम सबके बीच में नहीं रहे, वे शहीद हो गए। यह नक्सलियों का दरभा डिवीजन था, जिनके माध्यम से इस काम को किया गया था और इस डिवीजन में कांगेर घाटी एरिया कमेटी, कटे कल्याण एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी और मलांगीर एरिया कमेटी आती है। जिसमें जगदीश, रोशन, कमलू, जोहन, जोगी, भीमे, लिंगा, सल्वम, देवे, दसरी और सोमड़ी को मार्च, 2025 में झीरम के विषय को लेकर हमारे सशस्त्र बल के जवानों ने न्यूट्रलाइज किया। ये सारे लोग झीरम की घटना में वहां संलिप्त थे। यह पुलिस के रिकॉर्ड में था और ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज किए गए हैं। मैं आपसे और भी बात कहना चाहता हूं कि 9 जून, 2025 को हमारे

एडिशनल एस.पी., आकाश राव गिरिपुंजे जी का बलिदान हुआ था। उस बलिदान के बाद भी सशस्त्र बल के जवानों ने डी.वी.सी वेट्टी, ए.सी.एम हितेश, ए.सी.एम देवा, ए.सी.एम नंदे और पार्टी मेम्बर गंगे को एर्राबोर के समीप 18 नवंबर, 2025 को न्यूट्रलाइज किया गया। इसमें बड़ी ही स्पष्टता के साथ वहां पर यह काम किया गया है, यह मानते और यह समझते हुए कि हमारे पूरे ही बस्तर में नक्सलवाद का समापन पूर्णतः होना ही चाहिए। अनेक स्थान और अनेक सड़कें ऐसी हैं, समय की कमी के कारण मुझे इस बात को अभी आपको बताना मुश्किल है परन्तु अनेक सड़कें ऐसी हैं जिन सड़कों में हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए हैं। अनेक स्थान ऐसे हैं, जिन स्थानों में कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, कभी पानी नहीं हुआ करता था और वहां तक बिजली-पानी पहुंचाने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, एक पोलित ब्यूरो मेंबर के साथ-साथ पांच सी.सी मेंबर छत्तीसगढ़ में न्यूट्रलाइज हुए हैं। यह छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन का इतिहास है। विगत किसी समय में ऐसा नहीं हो पाया जो इस दो साल में होकर रहा कि पोलित ब्यूरो मेंबर और पांच सी.सी मेंबर छत्तीसगढ़ में न्यूट्रलाइज हुए और दो सी.सी मेंबर ने छत्तीसगढ़ में पुनर्वास किया। छत्तीसगढ़ में पुनर्वास करने वाले ये दोनों ही सी.सी मेंबर छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन इन्होंने यहां पुनर्वास किया। जैसे हमारे यहां के कुछ वहां चले जा रहे हैं, वहां के लोग यहां पर आ रहे हैं। मुझे एक दिन की बात याद है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इस विषय पर ध्यान कर रहे थे कि उसमें भरमार बन्दूकें कितनी थीं। मैंने इस पर कुछ जानकारी बनवाई है और बनवाकर आपके पास लाया हूं कि हम लोगों ने इस बार इन दो ही वर्षों में 73 ए.के.-47, 85 एस.एल.आर., 76 इंसास और ऐसे कुल 1135 हथियार बरामद किये गये हैं जिनमें भरमार हथियार सिर्फ 251 हैं । वह विषय मेरे ध्यान में था। अभी बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनेक स्थान हैं। जैसे हमको याद है कि रानी बोदली में हमारे 55 जवान शहीद हुए थे, चिंगावरम में नक्सलियों ने 15 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की थी, ताड़मेटला में हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। हमें ऐसे अनेक स्थान याद हैं। झीरम हमले में 27 लोग शहीद हुए थे, मिनपा हमले में अभी 2020 में 17 जवान शहीद हुए थे, एर्राबोर में 33 लोग शहीद हुए थे और सैकड़ों घर निर्ममतापूर्वक जला दिए गए थे, घोड़ागांव में 13 ग्रामीणों को नक्सलियों ने मार दिया था, दरभागुड़ा में नक्सलियों ने 28 आदिवासियों को आई.ई.डी ब्लास्ट से उड़ा दिया था और मणिकोंटा में नक्सलियों ने 15 आदिवासियों की निर्मम हत्या की थी। इन सारे ही विषयों के बाद आज हम सब लोग एक सुखद क्षण की तरफ बढ़ रहे हैं और वह यह है कि इन स्थानों पर बिजली भी है। मेरे पास एक-एक स्थान का पूरा डिटेल है, कहूंगा तो दिक्कत होगी। लेकिन वहां बिजली भी है, पंचायत के भवन भी हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था शुरू हो गई है, वहां कहीं पर हॉस्पिटल भी शुरू हो गया है, मोबाइल के टॉवर शुरू हुए हैं

और सी.एस.सी सेंटर्स भी शुरू हुए हैं। ऐसे जघन्य अपराध जहां पर हुए हैं, वहां ये सब काम हुआ है। चिंतावाकु नदी के किनारे फुन्डरी है या धर्मावरम है, ऐसे ही सारे स्थानों पर नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से और अन्य विशेष योजनाओं के माध्यम से भी काम आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, मैं फाईनली आपसे यह कहना चाहता हूं कि साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी डिपार्टमेंट है, उसके संदर्भ में भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि तीर्थ के दर्शन तो बहुत होते हैं परंतु हमारे देश के जो बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे होमी जहांगीर भाभा, सत्येन्द्र नाथ बोस, डॉ. अब्दुल कलाम आजाद जी हुए, इन सारे ही लोगों के लिये इनके घरो में इनके स्थानों के दर्शन के लिये जो रिसर्च स्कालर्स हैं, वह जा सकें, इसके लिये विज्ञान तीर्थ दर्शन अभियान साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी डिपार्टमेंट से प्रारंभ कर रहे हैं। इस बात की कोशिश में हैं कि जो हमारा साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी डिपार्टमेंट है, वह सेल्फ सस्टेनेबल हो जाये। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं इस वर्ष जो कुल काम अनेक विभागों के साथ मिलकर के उन्होंने किया है, वह कुल टर्नओवर साढ़े 3 करोड़ रुपये लगभग का है। हमने उनको पी.एम.जी.एस.वाई. से भी काम दिया है, शुगर फैक्टरी से भी काम दिये गये हैं, उनको अन्य खनिज विभाग से भी काम मिला है, उनको पटवारी के नक्शों के संदर्भ में भी काम मिला है। इन सारे ही कामों को लेकर के एक बड़ा प्लेटफार्म वहां पर तैयार हुआ है, वह यूनिट भी सेल्फ सस्टेनेबल हो जायेगी। माननीय सभापति माहेदय, मैं कुल मिलाकर जो आपसे बात कहना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों से भी इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि आज की इस चर्चा के बाद हम लोग मिल करके और विशेष रूप से इन दोनों विभागों के इन सारे ही अभियानों को आगे बढ़ाने के लिये पहले भी काम काफी आगे बढ़ा है और अभी उपलब्ध इस बजट के माध्यम से भी आगे बढ़ जायेगा। इतना आपसे आग्रह करते हुए और सारे ही सदस्यों से समर्थन की अपीत करते हुए बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - मांग संख्या 3, 4, 5, 30, 46 एवं 80 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगो पर मत लूंगा। आपने कुछ कहा न ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने डिवीजन मांगा है।

सभापति महोदय :- अनुदान मांगों पर डिवीजन की परंपरा नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपसे क्षमा चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में पहली जो सरकार थी, माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे और बजट सत्र में आसंदी में माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने, अजय चन्द्राकर जी नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल जी, ये

लोग डिवीजन मांगे थे। सरकार गिरते-गिरते बची थी। तो ये बजट सत्र में हर विभाग में डिवीजन मांगा जा सकता है। ये नियम है, आप देख लीजिए। मैंने उदाहरण भी दिया।

सभापति महोदय :- आपसे अनुरोध कर रहे हैं, बाकी एक बार आप पुनर्विचार कर लें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में एक बार ये हो चुका है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी मानने को तैयार नहीं है तो पूरी प्रक्रिया ही कर लेते हैं। अफीम की खेती बढ़ाने के लिये थोड़ी आपको पैसा देंगे।

सभापति महोदय :- अनुदान मांगों पर वैसे डिवीजन की परंपरा नहीं रही है, इसलिए मैंने कहा कि आप पुनर्विचार कर लें। आपसे अनुरोध है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, डिवीजन की परंपरा है और कानून भी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अभी तो उसमें चर्चा में दो विभाग और है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, डिवीजन तो इसी में मांगेंगे।

श्री केदार कश्यप :- उसमें भी डिवीजन की मांग कर लीजियेगा, तीनों विभागों में एक साथ हो जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, तीनों विभागो में एक साथ डिवीजन मांगों ये नई परंपरा हो जायेगी। भई, जिस मंत्री ने प्रस्तुत किया, खजाने से पैसा देना है, हम नहीं देना चाहते। इसलिए हम विरोध करते हैं।

श्री सुनील सोनी :- माननीय सभापति महोदय जी ने आपसे अनुरोध किया है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अभी पौने सात हो रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, हम तो डिवीजन मांग रहे हैं भई ।

श्री रामकुमार यादव :- ओमा के 8-10 ठन वोट हा तो इही में पड़ही ।

(मत विभाजन की मांग किये जाने पर)

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें । जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें ।

श्री भूपेश बघेल :- डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें । जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें ।

श्री भूपेश बघेल :- नवा सदस्य मन सीखहू तब तो, तुमन ला तो इहू पता नइ हे । जल्दी में हैं लेकिन अब प्रक्रिया में है तो प्रक्रिया है ।

श्री सुनील सोनी :- आपने कहा कि लेट हो रहा है ।

सभापति महोदय :- मत विभाजन के लिये घण्टी बजाये जाये और लॉबी को खाली कराया जाय ।

(मत विभाजन के लिये घण्टी बजायी गयी)

सभापति महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया ''हां'' कहें ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे कृपया ''ना'' कहें।

श्री भूपेश बघेल :- डिविजन, डिविजन, डिविजन।

सभापति महोदय :- अब मत विभाजन होगा। मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहें, वे मेरे दाईं ओर की लॉबी में तथा जो माननीय सदस्य इस कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना चाहें, वे मेरे बाईं ओर की लॉबी में चले जायें और वहां रखी मत विभाजन सूची पर अपने हस्ताक्षर कर सभा कक्ष में लौट आयें।

(मतदान के पश्चात्)

सभापति महोदय :- प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत तथा प्रस्ताव के विपक्ष में 37 मत प्राप्त हुए हैं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

(मेजों की थपथपाहट)

हां पक्ष	**ना पक्ष**
1.श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े	1. श्री श्याम बिहारी जायसवाल
2.श्री अटल श्रीवास्तव	2. श्री भूलन सिंह मराबी
3. श्री दिलीप लहरिया	3. श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
4. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	4. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
5.श्री ब्यास कश्यप	5. श्री राम विचार नेताम
6. डॉ. चरणदास महंत	6. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
7. श्री रामकुमार यादव	7. श्री राजेश अग्रवाल
8. श्री बालेश्वर साहू	8. श्रीमती रायमुनी भगत
9. श्रीमती शेषराज हरवंश	9. श्री विष्णु देव साय
10. श्री द्वारिकाधीश यादव	10. श्रीमती गोमती साय
11. श्री संदीप साहू	11. श्री ओ.पी. चौधरी
12. श्री इन्द्र साव	12. श्री लखनलाल देवांगन
13. श्री जनक ध्रुव	13. श्री प्रेमचन्द पटेल
14. श्रीमती अंबिका मरकाम	14. श्री प्रणव कुमार मरपची
15. श्रीमती संगीता सिन्हा	15.श्री अरूण साव
16. श्रीमती अनिला भेंडिया	16. श्री पुन्नूलाल मोहले
17. श्री कुंवर सिंह निषाद	17. श्री सुशान्त शुक्ला

18. श्री भूपेश बघेल	18. श्री टंक राम वर्मा
19. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	19. श्री अनुज शर्मा
20. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	20. श्री मोतीलाल साहू
21. श्री दलेश्वर साहू	21. श्री पुरन्दर मिश्रा
22. श्री बघेल लखेश्वर	22. श्री सुनील कुमार सोनी
23. श्री विक्रम मण्डावी	23. श्री खुशवंत साहेब
24. श्री कवासी लखमा	24. श्री इन्द्र कुमार साहू
25. श्री रोहित साहू	26. श्री अजय चन्द्राकर
	27. श्री ललित चन्द्राकर
	28. श्री गजेन्द्र यादव
	29. श्री रिकेश सेन
	30. श्री ईश्वर साहू
	31. श्री दीपेश साहू
	32. श्री दयालदास बघेल
	33. श्रीमती भावना बोहरा
	34. श्री विजय शर्मा
	35. श्री आशाराम नेताम
	36. सुश्री लता उसेण्डी
	37. श्री केदार कश्यप

सभापति महोदय :- कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को:-

मांग संख्या	-	3	पुलिस के लिये - आठ हजार एक सौ नवासी करोड़, नौ लाख,चौंसठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	4	गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक सौ नवासी करोड़, चौवालीस लाख, छत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	5	जेल के लिये - दो सौ छियासठ करोड़, निन्यानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिये-आठ हजार चार सौ बीस करोड़, चार लाख, तीस हजार रूपये,

मांग संख्या	-	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये - दो सौ पच्चीस करोड़ रूपये तथा
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- तीन हजार एक सौ बयालीस करोड़, इकतालीस लाख, पन्चानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या-39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयाल दास बघेल):- सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये-छः हजार दो सौ सोलह करोड़, तिहत्तर लाख, बयासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

1. डॉ. चरण दास महंत	1
2. श्री भूपेश बघेल	3
3. श्रीमती अनिला भेंडिया	2
4. श्री द्वारिकाधीश यादव	1
5. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2
6. श्रीमती शेषराज हरवंश	2
7. श्री ब्यास कश्यप	1

8. श्री संदीप साहू 1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री ब्यास कश्यप जी।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति जी, मैं दयालदास जी को बधाई दे रहा हूं कि पहली बार इतने सदस्य आपके विभाग की चर्चा में भाग लेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अभी 5 मिनट रूक जाईएगा, फिर बधाई दीजिएगा । कितने लोग बचते हैं, पता चलेगा ।

(श्री भूपेश बघेल द्वारा सदन से प्रस्थान करने पर)

(हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, आज हम लोगों ने खाद्य मंत्री जी की ओर से भोजन ग्रहण किया है ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- दुखी होने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी-अपनी व्यवस्था है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बजट पर अपनी बात रखने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं । यह विभाग प्रदेश के गरीब, मजदूर, आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है । छत्तीसगढ़ में लगभग 82 लाख राशन कार्ड हैं और करीब 2 करोड़, 93 लाख लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 14102 दुकानें संचालित है । इनके माध्यम से यह वितरण हो रहा है । इतनी बड़ी आबादी की जिम्मेदारी इस विभाग पर है इसलिए इस विभाग की व्यवस्था पारदर्शी और मजबूत होना बहुत जरूरी है । माननीय सभापति महोदय, सरकार यह कहती है कि गरीबों को मुफ्त चांवल दिया जा रहा है । प्रदेश के लगभग 67 लाख, 92 हजार राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चांवल देने की योजना लागू की गई है, जिसमें अंत्योदय, प्राथमिकता और दिव्यांग वर्ग के लोग शामिल हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी प्रदेश के कई क्षेत्र में शिकायतें आती हैं कि राशन दुकानों में समय पर खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता । तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, कई पात्र परिवार अब भी राशन कार्ड से वंचित हैं और कई जगहों पर बायो मैट्रिक खराब होने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल पाता । इतना ही नहीं, हाल ही में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के 10 जिले में लगभग 128 करोड़ रूपए के पीडीएस के चांवल की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसमें बड़ी मात्रा में राशन का चांवल बाजार में बेचा गया है, यह गंभीर मामला है । यह गंभीर मामला है कि 128 करोड़ रूपए के चांवल बाजार में आ जाते हैं, गरीब लोगों तक

वह चांवल पहुंच नहीं पाता है । गरीबों के लिए यह आने वाला राशन जब बाजार में बिकेगा तो यह केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर यह डाका है । छत्तीसगढ़ में गरीबों के राशन के लिए इतना बड़ा डाका पड़ रहा है ।

माननीय मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, थोड़ा ध्यान इधर भी दें, गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस घोटाले में शामिल लोगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कितने राशन दुकान के लायसेंस निरस्त किए गए और गरीबों का राशन चोरी हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? जिम्मेदार लोगों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरा के रूप में है। यहां किसानों का लाखों टन धान खरीदा जाता है और उसे चावल बनाकर गरीबों को दिया जाता है। लेकिन अगर व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होगी तो यह पूरी प्लानिंग कमजोर हो जायेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राशन वितरण प्रणाली में सख्त निगरानी और पारदर्शिता लागू की जाये। सभी पात्र परिवारों को तुरन्त राशन कार्ड जारी किया जाये। पी.डी.एस. में होने वाले भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हो तथा राशन दुकानों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाये। गरीब के थाली का अन्न कोई योजना नहीं है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर इस अधिकार के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम इस सदन में उसकी आवाज मजबूती से उठायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने मेरे एक प्रश्न में माननीय मंत्री जी से कहा था कि पी.डी.एस. में राशन वितरण होता है, उस राशन वितरण दुकानों की संख्या बढ़ाई जाये। मैं उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना) के तहत ऐसे बहुत सारे राशन दुकान जो प्रायवेट में चल रहे थे, शासकीय निजीकरण नहीं हुए थे, उन सब दुकानों के लिए अभी मनरेगा के तहत दुकानें बनाई जा रही हैं। फिर भी ऐसे जितने भी राशन दुकानें हैं, जो स्वयं के मकान में चला रहे हैं या किराये के मकान में चला रहे हैं, उसकी सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे नगरीय क्षेत्र में हों चाहे पंचायत क्षेत्र में हो, उनके लिए यह आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। शहरी क्षेत्रों में खासकर एकल राशन दुकान, 5 राशन दुकानों, 6 राशन दुकानों को एक ही व्यक्ति चला रहा है। कृपा करके पूरे प्रदेश में राशन दुकानों की संख्या बढ़ाई जाये। क्योंकि जो मजदूर, मजदूरी करता है, मैं खुद उसको अनुभव करता हूं। मैं जब अपने मजदूर से पूछता हूं कि तै कहां गय रह ओ तो कहती है कि मै राशन दुकान मा चाउर लेहे गय रहेव। एक दिन नइ आइस। दूसरा दिन पूछथन तो कहती है कि का कारबे भईया, का चीज मा अंगूठा लगाथे, तेन नइ चलय, ये दुकान वाला हा दुकान बंद करके चल दे हे, इस व्यवस्था की आम शिकायत है। इसलिए प्रत्येक राशन कार्डधारियों की संख्या के हिसाब से राशन दुकानों की बढ़ाई जाये।

क्योंकि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस तरह से मैं अपनी बात राशन के विषय में कहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपका विभाग जो चावल लेता है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाने वाले, जिसको हम उत्पादित करते हैं, उस उत्पादित धान को आप चावल बनाते हैं और चावल बनाकर गरीब जन को बांटते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, वरन् छत्तीसगढ़ का धान छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों में भी पी.डी.एस. के माध्यम से वितरित होता है, उस वितरण की व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों में भी जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने इसी सदन पर यह कहा था कि वर्ष 2025-26 में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, परन्तु वास्तव में आप 20 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीद पाये। कहने के लिए बड़ी-बड़ी बात कहना अलग बात है। परन्तु सरकार की नीति धान खरीदने की नहीं थी, किसानों को परेशान करना था। किसान परेशान हुए, उसका ही कारण है कि पूर्व में आपने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था और इस बार मात्र 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी रह गया है। निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता, छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं रही है। आपको पी.डी.एस. चलाने के लिए चावल की पूर्ति भले इतने में हो जायेगी, परन्तु हमारे किसानों की जो जरूरत है, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाये। मैं इस बात के लिए यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रदेश के जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता द्वारा कठोर परिक्षम से उत्पादित धान को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 149 लाख 25 हजार 32 मीट्रिक टन में से अन्नकारित जिसका आपने प्रसंस्करण नहीं करा पाया, धान की कुल मात्रा आज भी 22 लाख 71 हजार क्विंटल विभाग के सिटीजन रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। वास्तव में इसमें एक दाना भी धान भौतिक रूप से फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं है। 22 लाख 71 हजार क्विंटल धान में से 16 लाख 3 हजार 158 क्विंटल धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में तथा 6 लाख 67 हजार 873 क्विंटल धान खरीदी केन्द्रों में कम है, जो कि मुसवा के नाम से, मुसवा को बदनाम कर दिए कि मुसवा खा गए। पर मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में खाए कौन हैं। मैं अपनी बात उस विषय में कहना चाहूंगा। महोदय, जिसके कारण 1 करोड़ 83 लाख 56 हजार 264 क्विंटल धान लागत से 50 प्रतिशत कम मूल्य में बेचना पड़ा है। आप हमारे धान को मिलिंग नहीं करा पाए। मिलिंग नहीं करा पाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो रबी फसल में धान लगता है, आपने उसी समय ठीक अपने उस धान को मार्केट में बेच दिया और मार्केट में बेचने के कारण हम किसान उस धान को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो गए। उसका एकमात्र कारण यह है कि आपका संकल्प कमजोर था, संकल्प की सिद्धि नहीं हो पाई, हम किसान परेशान हुए और हमें अपने धान की सही कीमत नहीं मिल पाई। एकमात्र कारण था कि आपका जितना चावल था, राइस मिल के माध्यम से धान को चावल में परिवर्तित हो जाना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य से इतनी भारी मात्रा में वह चावल जस का तस पड़ा रहा, सड़ गया, गल गया या कि मुसवा खा गया। उसकी भरपाई? इतनी भारी मात्रा में क्षति हुई है। इसमें हमारे वर्ष

2024-25 में कस्टम मिलिंग को 1,28,61,832 मीट्रिक टन धान दिया गया था। इसकी एवज में जमा चावल की मात्रा 79,69,000 मीट्रिक टन ही है। इस प्रकार 6,59,000 मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हुआ, जिससे धान की मात्रा 9,67,000 मीट्रिक टन है, जिसका लागत मूल्य 3,869 करोड़ है। आज किसी भी राइस मिल के पास वर्ष 2024-25 का धान शेष नहीं है। महोदय, राज्य को कम से कम 8,500 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। इस क्षति में से 4,600 करोड़ रुपये की पूर्ति खाद्य विभाग के बजट में प्रावधान करके की जाएगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब यह सरकार धान की सुरक्षा करने में असमर्थ है। इस सरकार से क्या ही अच्छे काम की उम्मीद की जाए। 8,500 करोड़ रुपये की क्षति असाधारण क्षति है। इसका पूरा भार राज्य की जनता पर जाएगा। माननीय महोदय, आपकी नीति आपने 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी की बात कही थी, हम 1,41,000 पर आकर रुक गए हैं। पर अभी देखने को मिल रहा है, अभी तो हम पुरानी बात कर रहे हैं। अभी जब हम अपनी बात पर आएंगे तो बात में हम इस बात को देखेंगे कि हमारा कितना धान उठ पाया और कितना धान उठ कर कितना चावल बन पाया, यह चिंता का विषय है। पूर्ववर्ती जो हमारा इतना घाटा हुआ है, इतने धान सड़ गए या मुसवा खा गए, उसके लिए आप पड़ताल कीजिये और पड़ताल लगा कर आप इस बात को देखिये कि कमी क्यों आई, उसके दोषी कौन हैं और दोषियों के ऊपर आप जरूर कार्रवाई कीजिये। मैं जांजगीर-चांपा से आता हूं। महोदय, अमरताल संग्रहण केंद्र है । अमरताल संग्रहण केंद्र में ही 15 करोड़ 15 लाख 71 हजार 400 रुपये का धान गायब पाया गया और वहां पर सरकारी जगह होने के बावजूद भी आपके विभाग ने प्राइवेट जगह को चिह्नांकित करके बिल्कुल दुरस्त अंचल पर जहां पर मुसवा भी खाएं और गलत काम करके उस चावल को हम अन्यत्र कर पाएं, ऐसा आपके द्वारा कराया गया है। निश्चित ही चिंता का विषय है ताकि आने वाले समय में भविष्य में छत्तीसगढ़ की जनता को इतनी भारी-भरकम राशि का नुकसान न हो, गरीब जनता के हक की लड़ाई के लिए हम इसलिए यहां पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं एक बात अभी कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो धान खरीदी हुई है और धान खरीदी में जो मात्रा कम पायी जा रही है, उन मात्राओं की पूर्ति करने के लिए पानी मिलाना, रेत मिलाना, गिट्टी मिलाना, मुरूम मिलाना, यह कार्रवाई की जा रही है। आप कृपा करके जांच कराइये और जांच करके अभी भी रोकिये ताकि दोषी लोग, और दोषी तो इसमें मैं मानता हूं। धान खरीदी केंद्र में जो आपके वहां पर धान खरीदी करने के लिए आपके जो प्रभारी हैं, उनके प्रभारी बनने के लिए ही खेल चालू होता है। माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, एक बात बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूं। जिस समय धान खरीदी प्रारंभ होती है, उसी धान खरीदी के प्रारंभ के समय जो धान खरीदी यानी कि प्रभारी बनते हैं, लाखों के मोलभाव करते हैं कि कितने लाख में कौन से धान खरीदी का मैं प्रभारी बनूंगा। इस बात के लिए आप रोक लगाइये, क्योंकि शुरू से नीयत खराब रहती है और नीयत खराब होती है तो उसकी पूर्ति के लिए ऐसे गलत काम प्रदेश में हो रहे हैं। बोली लगती है, बोली को रोकिये और इस बात को करिये।

में भा.ज.पा. सरकार के द्वारा खरीदी केंद्रों में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, अपनी जिम्मेदारी से भटक कर प्रभारियों से मिलकर जो अनियमितता की गई है और करोड़ों का नुकसान शासन को होता है कहीं न कहीं पर, आपके द्वारा बनाए गए जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी और प्रभारी भी अकेले कोई प्रभारी को आप शूली पर लटका दीजिये, निलंबित कर दीजिये, निष्कासित कर दीजिये या उसकी नौकरी ले लीजिये। उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वह बचेंगे नहीं। इसलिए उसकी जांच कराईये और पूरे प्रदेश में जो भारी अनियमितताएं हो रही हैं, उस अनियमितता को दूर करने के लिए आप काम कीजिये। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आज भी किसानों के ऊपर करोड़ रूपये का लोन है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- ए दारी कतका बोनस आइस हे, बता तो?

श्री ब्यास कश्यप :- मोर 1 लाख 15 हजार बोनस आय हे। आप दे हौ ता पाय हौ, भूपेश भैया देत रिहीस हे, तभो पात रहे हौ। आप 3100 रूपये देवत हौ, ओ हर चार किश्त मा देवत रिहीस हे।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- सुन न, भूपेश भैया देतिस न ता आखिरी किस्त के 25-25 प्रतिशत राशि कट जातिस।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, आप मन भूपेश के डर के मारे देत हौ। भूपेश जी कर्जा माफ करे रिहीस, आप मन कर्जा माफ नई करे हौ।

सभापति महोदय :- उनको बोलने दीजिए, प्लीज। समय नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- हमन हा कर्जा माफ करे रहे हन।

सभापति महोदय :- राजकुमार जी, बैठिये। आप विषय पर आ जाइए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूँ। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में आंकड़े देखते हैं तो बहुत सारे किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं। खासकर मुझे उन किसानों की चिंता है, जो को-ऑपरेटिव बैंक से ऋण लिये हैं और जिनका धान नहीं बिक पाया है। मार्च महीने में अभी भी समय है। जो ऋणी किसान हैं, आप उन किसानों का धान मार्च में ले लीजिये, ताकि वे ऋण मुक्त हो पायें। वे ऋण मुक्त नहीं हो पायेंगे तो आने वाले समय में वे किसान खेती-किसानी करने के लिए उनको न के.सी.सी. से नगद लोन मिलेगा, न ही उनको खाद मिल पायेगा। वे खेती-किसानी के लिए पिछड़ जायेंगे। जिस प्रकार से अभी माननीय ओ.पी. चौधरी जी किसानों के लिए 10,000 करोड़ रूपये देने की बात की है। पिछले बार आपने किसानों को 12,000 करोड़ रूपये दिया था। 12,000 करोड़ रूपये में आप 10,324 करोड़ रूपये ही दे पाये थे। आज आपने उस राशि को 10,000 करोड़ रूपये कर दिया है। मुझे उस 10,000 करोड़ रूपये की आपकी नीति भी ठीक नहीं लग रही है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- पिछली बार भी 10,000 करोड़ था, ब्यास भैया।

श्री ब्यास कश्यप :- 12,000 करोड़ था, भैया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 10,000 करोड़ था। मुख्य बजट में 10,000 करोड़ था, फिर अनुपूरक में और पैसा लगेगा करके लाये थे।

श्री ब्यास कश्यप :- अच्छा। आखिर 12,000 करोड़ हुआ ना और 12,000 करोड़ में आपने 10,324 करोड़ रूपये ही दिया था। आपने अभी-अभी 10,000 करोड़ रूपये का बजट रखा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार आप लोगों ने 141 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की है और जिस प्रकार की आपकी नीति शुरू से रही है। सभापति महोदय, मैं एक किसान के नाते आपको बता दूँ कि पूरे प्रदेश में ..।

श्री ओ.पी. चौधरी :- तुमन तो 90 मीट्रिक टन ला पार नई कर पात हौ।

श्री ब्यास कश्यप :- सुन तो लेवओ, भैया। नई कर पात रहे हन, एखर खातिर 15 क्विंटल लेत रहे हन। आप तो 21 क्विंटल लेवत हौ। हमन 15 क्विंटल लेत रहेन ता 90 मीट्रिक टन ल पार नहीं करत रहेन, लेकिन आप तो 21 क्विंटल लेवत हौ, फेर आप मन 140 मा काबर अटक गये हौ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सबला जोड़बे त ज्यादा होवत ना। 15 अउ 21 मा गुणा करबे त।

श्री ब्यास कश्यप :- महोदय, आप सुन तो लेवओ। आप मन जतका कहत जइहा, मैं अपन कति ले ओतका जवाब देत जाहूँ। मोर करा थोर थार त अनुभव हावय। मोला विधान सभा में सवा दू साल हो गे हे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- कोई तो है ही नहीं। तैं हर अकेला बचे हस। रामकुमार भी जावत हे।

श्री ब्यास कश्यप :- कोई नई जावत हे। सब अपन-अपन बारी के इंतजार करत हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, प्लीज बैठिये। उनको बोलने दीजिये। आपका भी नाम है। आप अपने समय में अपनी बात रख दीजियेगा।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं आज भी एक किसान के नाते सरकार से एवं माननीय मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी ऋणी किसान हैं, जिनका के.सी.सी. और खाद का ऋण बकाया है, कृपा करके उन किसानों का धान लीजिये, ताकि वे ऋण से मुक्त हो जायें और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ऋणमुक्त अनुभव करें। आपके ऊपर भी दबाव कम आयेगा, यह बात मैं कहना चाहूँगा। मैं एक विषय और कहना चाहूँगा।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अंतिम में एक विषय और है। यह विशेषकर गोदाम का विषय है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जब हम इतना सारा धान लेते हैं और उस धान संग्रहण केंद्रों में खुली जगह पर रखा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय ओ.पी. चौधरी जी से मेरी विशेष मांग है

कि बाप वित्त की व्यवस्था कीजिये और किसानों के उस धान के लिए गोदामों की व्यवस्था कीजिये। आपने मंडी खोला है, उन मंडियों का उपयोग कीजिये। बहुत सारी मंडियों में आज जो शेड बना है, गोदाम बना है, उसका उपयोग नहीं करते और आपके अधिकारी प्राइवेट जगह पर धान को रखते हैं, ताकि उसमें उसकी गड़बड़ी करते बने। जब आपके पास व्यवस्था है तो व्यवस्था पर आप धान रखिये ताकि मुसवा भी न खा पाये और न ही अधिकारी और कर्मचारी सी.सी.टी.वी. के देखरेख में रहें, कैमरे में रहें, कहीं एक अन्न का दाना भी जायेगा तो हमारे गरीबों के पेट में लात मारने जैसा है । ऐसे भ्रष्ट्र व्यक्तियों को चाहे कोई भी हो, उसको माफ नहीं करना चाहिये। हमारे छत्तीसगढ़ में गोदामों की संख्या में जो 50 परशेंट की कमी है, उसकी भी पूर्ति के लिये आप कहीं से भी बजट लाईये । आपने जिस तरह से पीडीएस के गोदामों के लिये माननीय मंत्री विजय शर्मा जी से अपनी मांग करके नरेगा से बनवाये हैं, उसी प्रकार से कोई योजना बनवाईये और जितने धान खरीदी केन्द्र हैं, जितने संग्रहण केन्द्र हैं, संग्रहण केन्द्रों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आपके पास धान खरीदी केन्द्र हैं, मण्डी के लिये इतने भारी जगह हैं, मैंने तो अपने विधान सभा में लगभग हर मंडी को अहाते से घेरवा दिया है । आप पूरे प्रदेश में यह बनवाईये ताकि हमारे धान का सही सदुपयोग हो, उसका चावल बढ़िया बनकर जाये और छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान न हो । यदि नुकसान नही होगा तो छत्तीसगढ़ के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होगा, यह बात कहना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय :- ब्यास जी समाप्त करें ।

श्री ब्यास कश्यप :- जो नुकसान हुआ है, उससे मुक्ति मिलेगी । मैंने अपनी बात यहां पर रखी है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेगी कि हम सब के लिये धान खरीदी और खाद्यान्न की योजना सबसे बड़ी योजना है और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आये, न किसी को नुकसान हो । छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का एक रूपया भी नुकसान न हो, मैं यह बात कहना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने के लिये समय दिया है, उसके लिये धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहिले जी ।

श्री पुन्नूलाल मोहिले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य विभाग के मांगों का समर्थन करते हुये अपने विचार रखना चाहता हूँ । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में छत्तीसगढ़ सरकार के पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर धान खरीदी किया गया है, जिसमें 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है । प्रदेश में 2740 खरीदी केन्द्र के माध्यम से धान खरीदी की गई है और किसानों के धान के लिये समुचित व्यवस्था की गई है । वर्ष 2025-2026 में किसान की खरीदी हेतु 27 लाख 53 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है तथा उनका 33 लाख हेक्टेअर रकबा का पंजीयन किया । धान की खरीदी की अवधि के पूर्व धान खरीदी के

लिये दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई तथा और धान बेचने वाले किसानों के लिये भी 5 एवं 6 फरवरी तक 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया और इस तरह से किसानों के धान खरीदी में समय की वृद्धि की गई । वर्ष 2025-2026 में 25.24 लाख राज्य के किसानों से 141 लाख टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर हुई । समर्थन मूल्य की राशि 35431.20 करोड़ रूपये पर किसानों को धान का बिक्रय किया गया । खरीफ वर्ष 2025-2026 हेतु भारत सरकार द्वारा कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2369 रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए-1 धान का समर्थन मूल्य 2389 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । किसानों के बेचे गये धान का मूल्य उनके बैंक खाते में ऑन लाईन के द्वारा जमा किया गया । खरीफ 2025-2026 के पहले 2015 के उपार्जन प्रोत्साहन के लिये 3780 करोड़ रूपये का बकाया राशि हमारी सरकार के द्वारा किसानों को देने का वादा जो किया गया था, प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपये में धान खरीदी स्वीकृत करने की योजना प्रारंभ की गई थी, उस राशि को दी गई है । खरीफ वर्ष 2025-2026 में 1 लाख 40 हजार मीट्रिक टन खरीदी की गई तथा तीन वर्षों में खरीदी का इतिहास बनाया और किसानों के खाते में 1 लाख 40 हजार करोड़ रूपये राशि का भुगतान हुआ है । कृषि में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास खरीदी हेतु 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया । मार्कफेड के धान उपार्जन हेतु 6000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। कृषकों के धान उपज उत्पादन को बढ़ाने के लिए विद्युत पंप के कनेक्शन हेतु 5500 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों को नि:शुल्क ब्याज कर्ज देने के लिए 300 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति जी, थोड़ा शेरो शायरी में सुनाइये न, जैसे पहले सुनाते थे, आप कहां पढ़ रहे है, उसको सुना दीजिये

श्री पुन्नूलाल मोहले :-

किसान का ले रहे धान, हो रहा भुगतान,
किसान नहीं है परेशान और खरीदी हो रही आसान। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, किसान भाइयों के लिए धान की खरीदी की गई। धान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया और जो किसान जहां अपना रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से करा सकते हैं, किसानों के लिए धान बेचने की व्यवस्था की गई है। अतः छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम 273 के पोषण सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत कार्डों की संख्या में जब किसान धान बेच लेता है तो धान के लिए मिलिंग की जाती है और मिलिंग के बाद राशन व्यवस्था किसानों के लिए सुरक्षा कानून में दी जाती है। शासन के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 14,085 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। इनमें 4,558 उचित मूल्य दुकान सहकारी समिति के द्वारा संचालित है, 3,600 उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित है, 5,802 उचित मूल्य दुकान महिला स्व-सहायता समिति के द्वारा

संचालित है, 103 दुकान सुरक्षा समिति के द्वारा संचालित है, 13 दुकान उचित मूल्य समूह द्वारा संचालित है और 103 उचित मूल्य दुकान वन सुरक्षा समिति द्वारा संचालित की जाती है। उचित मूल्य दुकानों में 60 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं, उस राशन कार्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 15.8 लाख अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड हैं, 58.4 लाख प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड हैं, 30,600 एकल निराश्रित राशन कार्ड हैं, 7,600 निःशक्तजन राशन कार्ड हैं, 8.49 लाख सामान्य श्रेणी के कार्ड हैं, इस तरह 42.60 लाख प्रचलित हैं। इन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता की दर से प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है। पहले हमारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह थे, उस समय 1 रुपये किलो में चावल दिया जाता था और मुफ्त में नमक देने की व्यवस्था थी। अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साय के द्वारा मुफ्त में चावल दिया जा रहा है, जिससे किसानों को एकमुश्त चावल मिलता है। वन नेशन वन कार्ड के द्वारा भी राशन दिया जा रहा है। उस राशन कार्ड के द्वारा राशन कार्डधारी अपनी स्वेच्छा के अनुसार राशन लेना चाहते हैं, वहां उनको राशन दी जा रही है। इस तरह पी.डी.एस. व्यवस्था में तीन वर्षों में 637 नई उचित मूल्य दुकान खोली गई हैं, हितग्राहियों की अधिक सुगमता के लिए राशन सामग्री प्राप्त हो रही है। राशन कार्ड विहीन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ दिलाने के लिए 3.32 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं तथा 6.57 लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं। इसके लिए अभी तक 89% लोगों को राशन का भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको और बताना चाहूँगा जैसा हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं? राशन खाद्यान्न सुरक्षा हेतु दुरुपयोग को रोकने के लिए शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री हितग्राही को प्रतिमाह निर्धारित मासिक पात्रता के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उचित मूल्य दुकानों का खाद्यान्न निरीक्षण किया जाता है। वर्तमान में 25 दिसंबर, 2025 को उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अंतर्गत 19,686 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर 1,159 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए, 251 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में 131 उचित मूल्य दुकान की एजेंसी को निरस्त की गई, 215 उचित मूल्य दुकानों की संचालन एजेंसी को निलंबित किया गया तथा 16 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। उचित मूल्य दुकानों को राशन सामग्री खोलने के लिए हितग्राहियों को प्रतिमाह पात्रता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने से ई-मशीन का भी आधार प्रमाणीकरण किया गया। इस तरह हमारी सरकार के द्वारा किसानों से धान खरीदी भी की गई और उपभोक्ताओं को राशन कार्ड मिला। हमारी सरकार ऐसी योजना चला रही थी, जिससे गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधर गई। जो किसान भाई इधर-उधर भटकते थे, यहां तक दिल्ली-भोपाल कमाने जाते थे, अब वह दिल्ली-भोपाल न जाकर अपनी स्वतः की खेती करते हैं। वह पंप भी लगा रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, कितने राशन कार्ड काटे गए हैं? मंत्री जी यह भी तो बता देते।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। उनको बोलने दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह मंत्री जी बताएंगे। मैं जो अपने वक्तव्य में बोल रहा हूं, उसको पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं। मेरे पास जानकारी है, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर मंत्री जी देंगे। मैं इतना ही कहते हुए खाद्य विभाग की मांग संख्या का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, खाद्य विभाग का कुल बजट 12,821 करोड़ रुपये का है। इस बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए रखा गया है। 5,000 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए प्रावधानित है और 2,000 करोड़ रुपये राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। कुल 12,821 करोड़ रुपये में से 11,000 करोड़ रुपये मात्र इन तीनों योजनाओं में ही समाप्त हो जा रहे हैं। इतने बड़े बजट को इसमें प्रावधानित करना, यह बजट का दुरूपयोग है। एक तरफ सरकार मितव्ययिता और संतुलन का राग अलापती है और दूसरी ओर इस प्रकार का बजट तैयार करती है। खाद्यान्न उपार्जन हानि में 4,000 करोड़ रूपये का बजट रखना सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता है। यदि सही व्यवस्था बनाई जाए तो इसमें लगभग 3,000 करोड़ रूपये तक बचाए जा सकते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में 5,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। आपके द्वारा यह कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से बी.पी.एल. कार्ड वालों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है तो इतने भारी-भरकम बजट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? केंद्र सरकार से मात्र ए.पी.एल. कार्ड का ही चावल नहीं आता है, जिसकी संख्या बहुत कम है। खाद्य का यह बजट पूर्णतः विफल है। केंद्रीय पूल में वर्ष 2024-25 में जो चावल जमा करना था, वह आज तक इसलिए जमा नहीं हो सका है क्योंकि एफ.सी.आई. की गोदामों में जगह नहीं है। जिसके कारण आज भी धान राइस मिलों में पड़ा हुआ है और उस धान की राशि पर ऋण राशि के ब्याज का भार विपणन संघ पर पड़ रहा है जो सैकड़ों-करोड़ों रूपये का है। प्रदेश के अन्नदाताओं के द्वारा कठोर परिश्रम से उत्पादित धान में से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान 149 लाख 25 हजार 32 मीट्रिक टन धान में अनाधिकृत धान की कुल मात्रा आज भी 22 लाख 71 हजार क्विंटल विभाग की सिटीजन रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। वास्तव में इसमें से एक दाना भी धान भौतिक रूप से फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं है। 22 लाख 71 हजार क्विंटल धान में से 16

लाख 3 हजार 158 क्विंटल धान विपणन संघ के संग्रहण केंद्रों में तथा 6 लाख 76 हजार 873 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में कम है। राज्य को कम से कम 8,500 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। इस क्षति में से 4,600 करोड़ रुपये की पूर्ति खाद्य विभाग के बजट में प्रावधान करके की जाएगी। धान खरीदे जाने के बाद उसकी सुरक्षा और रख-रखाव करने में यह सरकार असफल रही है। धान नहीं बेच पाने वाले किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 1,019 किसान केवल जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले में ही हैं, जिन्होंने अपना धान नहीं बेचा है। धान खरीदी के प्रारंभ से ही सरकार के द्वारा लिमिट को कम कर दिया गया था। जिसमें धान खरीदी की कुल समयावधि किसानों के लिए 55 दिनों की निर्धारित की गयी। शुरू के 15 दिनों तक 2 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जा रही थी जबकि 3 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जाती, तब आप कुल लक्ष्य को पूर्ण कर पाते। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा पामगढ़ में कुल 38,743 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें से 15,376 किसानों ने के.सी.सी. लोन लिया है, जिनमें से 15,858 किसानों ने कर्ज चुका दिया है शेष 518 किसान, जिन्होंने के.सी.सी. लोन लेने के बावजूद अपने धान का विक्रय नहीं कर पाये हैं। क्या सरकार इन 518 किसानों एवं हमारे जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले में जो 1,780 किसान तथा प्रदेश भर के ऐसे किसान जिन्होंने के.सी.सी. लोन तो लिया है, धान भी उगाया, टोकन भी कटवाया, भौतिक सत्यापन भी करवाया, उसके बाद भी धान नहीं बेच पाए, उनका लोन माफ करेगी? माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि अभी इन बचे हुए किसानों को विभाग के द्वारा लोन के पैसे को 31 मार्च के पहले जमा करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा उनको 1 अप्रैल से डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके पश्चात विभाग के द्वारा आर.सी.सी. जारी कर लोन की वसूली की जाएगी। मैं इस सदन के माध्यम से पामगढ़ विधान सभा के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसे बचे हुए संपूर्ण किसानों को पैसे पटाने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग कर रही हूं और उन किसानों को डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल न किया जाए क्योंकि यदि उनका धान शासन के द्वारा समय पर खरीदी कर लिया गया होता तो वे किसान पैसा पटा देते और यह नौबत नहीं आती।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रश्न के दौरान हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा एक भी किसान नहीं बचा है, जिसने धान नहीं बेचा है। मेरे विधान सभा में एक ग्राम पंचायत में मेहंदी समिति है, जिसमें तीन ऐसे किसान हैं जिनका नाम पेरिल गरीबराम, रमाकांत भागवत श्रीवास, मुन्नालाल पोथीराम है। यह अभी तक सत्यापन होने के बावजूद भी अपना धान नहीं बेच पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में चार ऐसे किसान हैं, जिनका आज पर्यंत तक धान नहीं बिका है। उनका किसान कोड भी मेरे पास है लेकिन सिर्फ टंकण त्रुटि के कारण उनका धान नहीं बिक पाया है, जिसमें भारत पिता ननकीराम, राजकुमार कौशिक, छतराम साहू और दीपक दास है। सिर्फ एक समिति के ऑपरेटर की गलती की वजह से किसान अभी तक इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वह गलती

यह थी कि आधार कार्ड में उनके नाम के सामने उनके बेटे का नंबर रजिस्टर्ड हो गया था। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमने तहसीलदार, एस.डी.एम. साहब, कलेक्टर साहब और यहां तक कि सामने मैडम बैठी हैं, उनको याद होगा तो मैं उनके पास भी स्वयं आई थी, लेकिन आज तक उनकी ये टंकण त्रुटि की गलती विभाग से नहीं सुधरी है और ये किसान अभी तक एक दाना धान नहीं बेच पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि यह तो सिर्फ मेरे विधान सभा का मामला है। पूरे प्रदेश में न जाने इस तरह के कितने किसान हैं, जिनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन किसान परेशान तो हैं। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग मोहले जी किसानों के लिए एक शायरी सुना रहे थे कि बहुत खुश हैं किसान। ऐसा नहीं है, आप धरातल पर जाकर देखिए, किसानों की यह हालत पहली बार हुई है। अन्नदाताओं का जो अपमान पहली बार हुआ है, इसको वे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस सदन से और सरकार से मांग करती हूं कि अभी-भी समय है, आप किसानों के साथ अन्याय न करें, उनकी मांगों को सुनें, उनकी जरूरत को देखें और उनको अपने धान को बेचने का पूरा अधिकार दें क्योंकि वे छिपकर अफीम की खेती नहीं कर रहे थे। उन्होंने धान उगाया है और धान उगाने के बाद इस बार सरकार ने अचानक भौतिक सत्यापन का आदेश किया, जो नियम में नहीं था। किसान को अपने ही खेत में उगाये हुए धान की फसल के लिए घर में रखे हुए धान का भौतिक सत्यापन देना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना हमारे प्रदेश में किसानों के लिए और कुछ नहीं हो सकती।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर बैठे हम सभी लोग किसान हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं और मैं माननीय मंत्री जी को उन किसानों की डिटेल्स दे दूंगी, जिनके कार्ड में टंकण त्रुटि है। एक ऑपरेटर की गलती की वजह से वे अभी तक धान अपने घरों में रखे हैं। कृपया इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे और इनकी टंकण त्रुटि को सुधरवाने के लिए कोई तो सिस्टम होगा ? क्योंकि माननीय मंत्री महोदय मैं तहसीलदार, एस.डी.एम. और कलेक्टर के पास जाकर आने के बाद आपके ओ.एस.डी., आपके सचिव और आपके डायरेक्टर तक पहुंच गई लेकिन उनकी टंकण त्रुटि आज दिनांक तक नहीं सुधरी है। मैं इसके लिए निवेदन करती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, वैसे सबो के भावना हे कि ज्यादा एमा नई करना हे, जल्दी समाप्त करना हे तो मोला एक कविता याद आथे। मोर कविता भी हे और भावना भी हे। छत्तीसगढ़ विधान सभा में आज महत्वपूर्ण विषय किसान और गरीब में चर्चा होत हे। आज से हजारों साल पहले ये देश में संत रविदास जी महापुरूष के जन्म होय रहिस हे। रविदास जी कहे रहिस हे-

ऐसे राज चाहूं मैं, जहां मिलै सबन को अन्न,

छोट-बड़ों सम बसै, रविदास रहै प्रसन्न।

ऐला हजारो साल पहले कहे रहिस हे। वही भावना ला छत्तीसगढ़ में एक ऐसे महापुरूष के जन्म होईस, जेला आज हमन संता शिरोमणि परमपूज्य गुरू घासीदास जी बाबा कहथन। परमपूज्य गुरू घासीदास बाबा जी कहे रहिस हे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनो हे सतलोक समान। सभापति महोदय जी, आज किसान की बात किया जाये तो ये छत्तीसगढ़ बने के बाद में किसान के साथ पहली बार ऐसे होईस हवय जहां किसान ला अपना धान ला बेचै के लिये ओ घर मा चिंन्तित रहिस हे मोर धान ला मैं कैसे बेचवं। ये डबल इंजन के सरकार में वो आज खून के आंसू रोए हे। भले आज ओमन के सरकार हे, ताकत हे, जनबल हे। ओमन कुछ भी कह लोवय। चूंकि एक ठे कहावत हे हर हमेशा ताकत और जन्म संख्या नई चलय। भले ही हमन कहीं पर कहत हन कि ओकर वोटिंग होना चाहिए, आप मन पास कर लेत हवय। लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता सब देखत हे। मैं तो बल्कि ये कहथवं आप मन हमन बात ला अपन खटिया में सुत के गुनिहा कि का सही मा धान अच्छा खरीदाये हा? तो आप मन अगर आत्मा ला पूछौ तो वोही ला हुदका मारही कि किसान हा दु:ख पाये हे। माननीय सभापति महोदय, किसान खून के आंसू रोय हवय। यहां तक कि किसान के घर में पुलिस गई हवय। छत्तीसगढ़ के किसान ऐसे हे साहब, उत्तरप्रदेश के वहां के रहने वाला मन अलग हे, बिहार के मन अलग हे। वहां पुलिस जात हे तो वहां के ओ घर में मान-सम्मान बढथय कि ये बड़े दादा हे, बड़े क्रिमिनल हे, ओला आदमी मान-सम्मान करथे। छत्तीसगढ़ में उलटा हे। काकरो कोई किसान के घर में पुलिस चल दिहिस तो पारा गांव भर में हल्ला हो जात हे कि एकर घर में कैसे पुलिस आये रहिस हे। लेकिन पहली बार निर्दोष और नागर जोतने वाला किसान के धरती ला, ये किसान महतारी के धरती के सीना ला चीर करके अन्न उपजाने वाले किसान के घर में पुलिस भेजे हव, एकर दोष जरूर लगही। आप मन ला दाग लग गये हे, ये बात याद रखिहा। आप मन का बात करथव। जैसे चंदा में दाग लगे हे, ओइसने ये विष्णु देव साय जी की सरकार में दाग लग चुके हे। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहत हवं कि ये सरकार के संपत्ति हर न तुम्हर हवय, न काकरो हवय, ये छत्तीसगढ़ के संपत्ति हे। ऐला तुमन ला जब किसान धान ला बेचिस, धान ला ले करके स्टोर करके ओला पानी से बचाना, ओला कहूं कोई अधिकारी या कर्मचारी बेच न खाये, ओकर अच्छे से रखरखाव करय के जवाबदारी आप ला मिले रहिस। लेकिन आप मन का करव। 8500 करोड़ रुपये के नुकसान होय हे, सरकारी आंकड़ा कहत हे। अउ जहां तक कतका न नुकसान होये होईस होही। अब ओमा जात हे, कोई पूछत हे। ये कतके बड़ा दुर्भाग्य के बात हे, जाके के पूछत हे कि ऐसे कईसे होईस तो बड़े-बड़े कई अधिकारी मन, कई झन नेता मत कहत हय कि ऐला मूसवा खा गये। ओ मूसवा भी कहव होही कि गणपति महाराज कि अरे भैया हो आप मन खात हो, हमन ला काबर बदनाम करव हव। ओ भगवान देखत हे, त्रिनेत्र खोल दिही ता तुंहर बबा नइ बाचओ । आज इस अवसर पर मैं

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, March 10, 2026

कहना चाहत हंओं कि आप मन कोई ला दोष देत हओ, ये आज छत्तीसगढ़ के जनता सब देखत हे । हमर नेता मन के कहना हे कि ज्यादा मत बोलओ, मैं नइ बोलओं लेकिन थोड़े से एक शब्द अऊ बोलहूं । ये जरूरी हे तेखर खातिर ऐला आप मन सुधार करिहा । जब तुमन किसान के धान ला संग्रहण केंद्र में अच्छा नइ राखओ ओखर भुगतना कौन भुगथथे, जानथओ गरीब आदमी । काबर उही धान ला तुमन मिल में भेजथओ, पानी पाया धान ला काबर महूं घर के रहने वाला हंओं । महूं राशन कॉर्ड में चउंर खाने वाला हंओं ता मैं ये बात ला जानथओं । जब उही धान ला तुमन रइस मिल मा भेजथओ, पानी पाया ला तो पानी पाया चउंर ला हमर गरीब आदमी मन राशन कॉर्ड में झोकाथे या पानी पा जाये रहिथे तेला अऊ गरीब आदमी अऊ हमन तुंहर का हन ? बड़े-बड़े मंत्री विधायक बन गे हन, बड़े-बड़े अधिकारी हन । ढ़ाई सौ रूपया किलो के चउंर खात हन, रंग-रंग के चउंर खात हन, इंहां रांधत हे तो एक कोस ला कहरत हे ते चउंर ला खात हन अऊ गरीब आदमी कौन चउंर ला खात हे । जेला तुमन धान ला ढ़ंकें नइ सकओ, पानी पर गे, ओमा गोटी-माटी सनाय हे । कोनो डोकरा-ढ़ाकरा मन चाबत हे ता ओमा गोटी-माटी भराय हे ति धान ला तुमन बेचकर के उंहां बेहरत हओ । मैं कहना चाहत हंओं कि जब हमर छत्तीसगढ़ में कबीर साहब जी कहे रहिस हे, गरीब के चिंता करे रहिस हे, रवि दास जी, हमर गुरू घासीदास जी गरीब के चिंता करे रहिस हे, आज आप मन के कलम मा पावर मिले हे, ये प्रदेश ला गरीब के सेवा करे के मौका मिले हे ता तुमन किसानों के धान ला नइ ले सकत हओ अऊ लेई डारत हओ, पानी पिरो डारत हओ अउ ओला भेजत हावओ तो आज ओ गरीब आदमी पानी पाया चउंर ला खात हे तो कौन ला दोष दिही ? ओ तो कथे हे मालिक तंईच हस । गरीब आदमी कहां जाये ? हमर जइसे व्यक्ति कहत हन तो आप मन के संख्या बल हे, वो दे करिन डारे हन, अब तुमन फिर जीत गे हा ता ये सब हमर अंतर्रात्मा के बात ला झांकना हे । ओ गरीब आदमी के दुआ में अगर ताकत रहिथे तो बद्दुआ में भी ताकत रहिथे । हम सब यहां पर 90 विधायक बनकर आये हन, ठीक है आप मन सरकार चलात हओ ता हमू मन इंहां बइठे हन । हमू मन ला कहिथे, क्षेत्र में जाथन तो तुमन ला कम कथे, हमन ला कथे, ओ गरीब आदमी कौन जानय सरकार मा कौन हे तेला ऐखर खातिर आप ला चिंता करना है, बाकी हमर संसदीय कार्यमंत्री बार-बार मोला देखत है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मोर क्षेत्र के कुछ मांग हे । आप हां कह दिहा मतलब पास हो जही अऊ अधिकारी मन भी सुनत हें । मोर एक-दू ठन ओ क्षेत्र में खोलना हे, सोसायटी बड़ दूर-दूरिहा ले जाथे अऊ मोर एरिया हर...।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, तो मैं आपके ला घोषणा समझ लेथओं, हमर संसदीय मंत्री कहत हें । 2-3 ठन हे, मैं ओला लिखकर दे दिहां, ओला खोल दिहा । माननीय सभापति

महोदय, आप मोला बोले के मौका दे हओ, गरीब मन बर तुमन अच्छा चऊंर दिहा, धान दिहा ता मैं तुंहर समर्थन में हंओं नहीं तो मैं तुंहर घोर विरोध करत हावओं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे केवल बधाई और शुभकामना देना था ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी उठ गये न ।

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बधाई देनी थी और मेरी एक छोटी सी मांग थी । माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं और कोई विषय नहीं है । बधाई अउ शुभकामना ये पाये के कि बेमेतरा पूरा किसान के जिला हरय, बेमेतरा कृषक जिला हरय अउ अभी बधाई ये पाये के होइस हे कि होली के तुरंत जस्ट दू दिन पहिली किसान के जेन अंतर के राशि रहिस हे, ओला हमर सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अऊ माननीय दयालदास बघेल जी के माध्यम से अंतर के राशि मिलिस हे । अब पहली बार अइसे लगिस हे कि होली के मिलन में लगभग 15,000 से ज्यादा किसान विधायक कायार्लय में आकर के रंग में रंगे के काम करिस हे, ये पाये के मैं हमर माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी ला, माननीय विष्णुदेव जी ला बधाई अऊ शुभकामना देत हंओं अऊ साथ-साथ ।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद । मंत्री जी ।

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, अऊ साथ-साथ अभी बेमेतरा में पी.डी.एस. के जेन दुकान हे, बहुत सारा जेन दुकान हे, किराया से संचालित होत हे । ओखर लिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करत हंओं, सूची आप ला भेज दूहूं तो ओमा आप ला जइसे लगत हे, वइसे ढंग से ओ पी.डी.एस. के दुकान आप स्वीकृत करहू । अतका कहिके मैं माननीय मंत्री जी आप ला बधाई अऊ शुभकामना देवत हुए अपन बात ला समाप्त करत हंओं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बजट मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले माननीय श्री ब्यास कश्यप जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्री रामकुमार यादव, श्री दीपेश साहू जी को धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। जिन्होंने चर्चा के दौरान अमूल्य सुझाव दिये। निश्चित रूप से जो सुझाव दिये हैं, इसको गंभीरतापूर्वक लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सनातन धर्म में भोजन केवल शारीरिक भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि एक पवित्र यज्ञकर्म है जो शरीर, मन और आत्मा को पोषित करता है। इसे पूर्ण ब्रम्हा माना जाता है। जिसका सेवन सात्विक भाव, निश्चित समय और पवित्रता के साथ करना चाहिए। यथा अन्न तथा मन। जैसा अन्न वैसा मन के सिद्धांत के अनुसार भोजन मानसिक शुद्धि और चेतना को

प्रभावित करता है। माननीय सभापति महोदय, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला होता है। भारत में यह मुख्य रूप से किसानों के लिए सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाता है क्योंकि वह अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। अन्नदाता से जुड़ी मुख्य बातें यहां दी गयी हैं अर्थ अन्न माने भोजन, दाता मतलब देने वाला, इसे पोषक या भरण पोषण करने वाला भी व्यक्ति के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, किसान को समाज का आधार और अन्नदाता माना जाता है उसके सम्मान में हर साल 23 दिसम्बर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी खरीफ वर्ष 2025-2026 में प्रदेश में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों ने 33 हजार 431 करोड़ रूपये मूल्य का 40 लाख 4365 टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की है। पिछले वर्ष 2024-2025 में कुल 25 लाख 49 हजार 592 किसानों से 149 लाख 24 हजार टन धान की खरीदी की गयी थी। इस खरीफ वर्ष में भी किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की गयी है तथा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया गया है। इस वर्ष वास्तविक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टेट पोर्टल में पंजीयन कराकर, धान की खरीदी की गयी है। राज्य में संचालित दो हजार सात सौ चालीस धान खरीदी केन्द्रों में बायो मैट्रिक उपकरण स्थापित कर, किसानों के बायो मैट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा धान की खरीदी की गयी है। इस वर्ष किसानों को धान के समर्थन मूल्य की राशि के भुगतान हेतु व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है एवं अधिकांश किसानों को धान बेचने के 72 घण्टे के भीतर उसके बैंक खाते में धान की राशि का भुगतान किया गया है। जो कि लगभग 33 हजार करोड़ से अधिक की राशि है। धान खरीदी केन्द्रों में दैनिक खरीदी सीमा को ध्यान में रखते हुए, किसानों को जारी टोकन व्यवस्था में सुधार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष वास्तविक किसान अपना धान सुगमता से बेचने में सफल रहे हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों को 29 लाख से अधिक टोकन जारी किया गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मत पढ़ना, कोनो नइ हे। अतक लम्ब हे। एक लाईन तो मोला बता। अभी टोकन के बात चलत हे। ते टोकन कटवा डरभे। कईसे टोकन कटथे, बता तो। ते बताना मैं मजाक नइ करत हौं। चलना अभी टोकन कटवाए बर चलबो।

श्री दयालदास बघेल :- चलना में बताहूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार वास्तविक किसानों से धान खरीदने में प्रतिबद्ध है, लेकिन किसानों की आड़ में यदि माफिया, बिचौलिया के धान को खपाने की कोशिश की जायेगी तो इस पर हम कार्यवाही करेंगे। पूर्व की कांग्रेस सरकार में 5 वर्षों में जितनी धान की खरीदी की गयी थी, वह हमने इन 3 वर्षों में की है और यह कहते हैं कि यहां धान खरीदी नहीं हो रही है। माननीय लखमा जी भी बोलते हैं कि यहां धान खरीदी

नहीं हो रही है। आपकी सरकार ने वर्ष 2018-2019 में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। हमने वर्ष 2023-2024 में 144 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है किसानों के लिए काम करने वाली सरकार में यही अंतर है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कस्टम मिलिंग के संबंध में बताना चाहूंगा कि वर्तमान खरीफ वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का कस्टम मिलिंग के माध्यम से त्वरित निराकरण की कार्यवाही की जा रही है । इस वर्ष खरीदे गए 140 लाख 4 हजार टन धान में से दिनांक 9 मार्च, 2026 तक 92 लाख, 72 हजार टन अर्थात् 66 प्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग हेतु उठाव हो चुका है । इस वर्ष 9 मार्च, 2026 तक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 5,51,000 टन चांवल का उपार्जन किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पुल में 73 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य दिया है, जिस पर भी त्वरित गति से काम किया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मतलब सभी लोगों को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तथा भौतिक सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो, यह केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनित पोषण सुरक्षा प्रदान करने पर भी केन्द्रित है । खाद्यान्न एवं पर्याप्त उत्पादन और भंडार होना प्रत्येक व्यक्ति के पास भोजन खरीदने या प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का सही अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता और विविध आहार का होना, स्थिरता भोजन की उपलब्धता और पहुंच हर समय आपदा या संकट के दौरान भी बनी रहती है ।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना । माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी गरीब 73 लाख, 97 हजार अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्ड धारियों को दिसम्बर, 2028 तक नि:शुल्क चांवल वितरण करने का निर्णय लिया गया है । राज्य के गरीब परिवारों को दिसम्बर, 2028 तक इसका लाभ मिलेगा । राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चांवल वितरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11300 करोड़ का पुनरीक्षित बजट का प्रावधान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चांवल वितरण योजना के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 5 हजार करोड़ रूपए का बजट प्रावधान अनुमानित है ।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य के साथ-साथ पोषण सुरक्षा । छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है । वर्तमान में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाईज्ड नमक, चना एवं गुड प्राथमिकता अनुसार प्रदाय किया जा रहा है । नमक के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवार में आयोडीन की कमी दूर करने के लिए अनुसूचित

क्षेत्रों में दो किलो प्रति एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में एक किलो प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह नि:शुल्क नमक वितरण किया जा रहा है । वर्तमान में 73.62 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है । इसके लिए रिफाईंड आयोडाईज्ड नमक वितरण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 150 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त योजना के लिए 150 करोड़ रूपए का बजट अनुमानित है । हमारे विभाग में चना भी देते हैं । अनुसूचित विकासखण्ड एवं मानक क्षेत्रों के अंत्योदय प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों के परिवार में भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 85 अनुसूचित विकासखण्ड एवं 9 माडा क्षेत्र के 31.32 लाख प्राथमिकता एवं अंत्योदय कार्डधारियों को मात्र 5 रूपए किलो की दर पर दो किलो चना का वितरण किया जा रहा है । चना वितरण योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 400 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है । आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त योजना के लिए 450 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं गुड़ के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। बस्तर संभाग के निवासियों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए संभाग के 7.75 लाख अन्त्योदय प्राथमिकता, एकल, निराश्रित एवं नि:शक्तजन राशन कार्डधारियों को प्रति माह रियायती दर पर 2 किलो गुड़ वितरण किया जा रहा है। गुड़ योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त योजना के लिए 75 करोड़ रूपये का बजट अनुमानित है।

माननीय सभापति महोदय, उचित मूल्य की दुकान, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अधोसरंचना के विस्तार हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 181 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। जिसके कारण हितग्राहियों को अधिक सुलभता से राशन सामग्री प्राप्त हो रहा है। नये राशनकार्ड के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान फरवरी, 2026 तक 3 लाख 32 हजार नये राशन कार्ड जारी किए गए हैं तथा 6 लाख 57 हजार नये सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गये हैं। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण ..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी आखिर पढ़ ही तो रहे हैं। उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये और समाप्त कर दें। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री दयाल दास बघेल :- वर्तमान में प्रदेश में संचालित सभी 14,085 उचित मूल्य की दुकानों में 5 मशीन स्थापित की गई है। थोड़ा सा बचा हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- ओतका ला पढ़त पुन्नू लाल मोहले जी इहां ले चले जाही।

श्री दयाल दास बघेल :- तथा प्रत्येक माह औसत 96 प्रतिशत हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ताकि वास्तविक एवं सही हितग्राहियों को राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, one nation one ration card yojna के अन्तर्गत दुकान चुनने की सुविधा में राज्य में one nation one ration card yojna के अन्तर्गत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण प्रारंभ करने के उपरांत प्रदेश में सभी जिलों के हितग्राहियों को अपनी पसंद की राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलबध हो गई है। माह फरवरी, 2026 में प्रदेश के 10 लाख 83 हजार राशन कार्डधारी परिवारों द्वारा अपनी मूल दुकान के बजाय अपनी पसंद एवं सुविधा अनुसार अन्य दुकान से राशन सामग्री उठाव किया जा रहा है। भण्डारण और गोदाम के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा। खाद्यान्न भण्डार गोदाम अनाज की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और फसलों के खराब होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री दयाल दास बघेल :- यह गोदाम नमी और कीट नियंत्रण के साथ वैज्ञानिक भण्डारण के साथ उचित मूल्य, एम.एस.पी. और बफर स्टॉक का प्रबंध करते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमने गोदाम बनाने का भी निर्णय लिया है, ताकि उसमें सुरक्षित अनाज रखा जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज यही कहना चाहूंगा कि राज्य की उपभोक्ता की सुविधा के लिए राज्य आयोग और जिला आयोग में ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल का शुभारंभ 24 दिसम्बर, 2020 से किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग में राज्य गठन से लेकर जनवरी, 2026 तक दर्ज 70,694 प्रकरणों में से 5,924 प्रकरण को छोड़कर शेष प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता आयोग में जनवरी, 2026 तक कुल 18,850 प्रकरण दर्ज एवं 18,427 अर्थात् 99 प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विभाग में नापतौल विभाग भी है। मैं उसके सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग में नाप तौल भी है। हम लोग इसमें भी शिविर लगाकर नापतौल की जांच करते हैं। हम लोग इसका भी निराकरण कराते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज की चर्चा में विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के हमारे साथियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर अवश्य विचार किया जायेगा। अत: मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लें। साथ ही सदन से आग्रह करता हूं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता सरंक्षण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित राशि 6,216 करोड़ 76 लाख 82 हजार रूपये की मांगों को सर्वसम्मति से पारित

किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- छः हजार दो सौ सोलह करोड़, तिहत्तर लाख, बयासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3)	**मांग संख्या**	**26**	**संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**37**	**पर्यटन**
	मांग संख्या	**51**	**धार्मिक न्यास और धर्मस्व**

संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये-अन्ठानबे करोड़, बीस लाख रूपये
मांग संख्या	-	37	पर्यटन के लिये-तीन सौ चवालीस करोड़ रूपये तथा
मांग संख्या	-	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये-पचास करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री बघेल लखेश्वर	2
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या- 37

पर्यटन

1.	श्री कुंवर सिंह निषाद	3

मांग संख्या-51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

निरंक

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अटल श्रीवास्तव।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, संस्कृति और पर्यटन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में एवं अनुदान मांग संख्या 26, 37 एवं 51 के विरोध में बोलने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आज जो स्थिति सदन की है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में संस्कृति एवं पर्यटन की है। सबसे दोयम दर्जे पर हम छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की Silver Jubilee मना रहे हैं। किसी भी प्रदेश की पहचान वहां की संस्कृति, वहां के पर्यटन से होती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन इन 25 सालों के गुजर जाने के बाद हमने संस्कृति एवं पर्यटन को दोयम दर्जे पर रखा है। छत्तीसगढ़ Land-locked state है। हमारा प्रदेश सात राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी यह बात है कि पर्यटन को जानने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए, पर्यटन को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, हर जगह की, हर स्टेट की, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। पंजाब की dance sequence को देखेंगे तो वहां की संस्कृति है कि वहां पर भांगड़ा नृत्य होता है। गुजरात को गरबा नृत्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पूरे विश्व मानचित्र में या भारत के मानचित्र पर जो पहचान बननी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं बन पाई है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो पहले एक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होता था, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी। बाहर के प्रदेश वाले, नये देशों के आए हुए लोग यह जानने लगे थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी समृद्ध है। हमारा कर्मा नृत्य, हमारा सुवा नृत्य, हमारा पंथी नृत्य, हमारा राउत नृत्य, यह सभी नृत्य एक तरह से रंगों से भरा हुआ नृत्य है, लेकिन हम उसको बाकी लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन क्षेत्र की बात करूं तो आप देखेंगे कि पर्यटन के लिए क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान क्या है? हमारा राज्य 44% वनाच्छादित है। हमारे यहां सात बड़ी-बड़ी नदियां हैं। हमारे यहां बहुत बड़े-बड़े डैम हैं। इसलिए हमारा पर्यटन का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को चुनना होगा। हमको कोई आर्टिफिशियल कुंभ नहीं गढ़ना है। हमारे पास जो प्रकृति के द्वारा दी गई प्राकृतिक चीजें हैं, हमको उसको ही आगे बढ़ाना है। यही बात हो रही है। अभी भी हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग को इतना कम बजट मिला है, इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। जो आंकड़े आ रहे हैं, वह तो बहुत अधिक हैं कि हमारे यहां इस बार 3 करोड़ 18 लाख लोग पर्यटन करने आए हैं, जिसमें से केवल 1514 लोग विदेशी हैं। आखिर पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे मूलभूत चीज क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की क्या पहचान है? हमारे यहां 11 अभ्यारण्य हैं, हमारे यहां 4 नेशनल पार्क हैं, हमारे यहां एक क्रोकोडाइल पार्क है। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि हम किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेव्हलप करें, वहां की चीजों को कैसे बढ़ाएं। उसके विज्ञापन के लिए मंत्री जी ने सिर्फ 30 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। जब मैं पर्यटन में था तो हमारे अधिकारी लोग प्लेन में एक विज्ञापन कर रहे थे। हम जिस प्लेन पर जाते थे, वहां छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लिखा था। हमारे यहां के जो पर्यटन स्थल हैं, वहां पर हम Basic Infrastructure Develop नहीं कर पा रहे हैं तो हवाई जहाज में चलने वाले जो पर्यटक हैं, उसको छत्तीसगढ़ लाकर क्या करेंगे? इसमें 30 करोड़ बजट है, उसको आप 10 करोड़ और करके 20 करोड़ केवल पर्यटन क्षेत्रों में पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा और कुछ दुकानें खोल दीजिए ताकि पर्यटक आएं तो उनको सुविधा मिल सके। इसलिए मैं सबसे ज्यादा यही कहना चाहता हूं कि हमको यह समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन किस तरीके से बढ़ सकता है। माननीय मंत्री जी, वन मंत्री जी चले गए हैं। अगर हम Wildlife Tourism की बात करें तो हमारे पास 11 अभ्यारण्य हैं, 4 नेशनल पार्क हैं। अचानकमार नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज तक वहां पर 19 गांव शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन हम केवल अचानकमार नेशनल पार्क को Develop कर लेंगे तो

हम कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना नेशनल पार्क से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट यहां ला सकते हैं। उसके लिए भी कोई बजट प्रावधान नहीं है। वन विभाग ने उन 19 गांवों में से केवल 3 गांवों का अभी नोटिफिकेशन किया है, उन 3 गांवों को भी अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। पर्यटन को लेकर हमारी पहचान बन सकती है, हमारी संस्कृति बन सकती है। आज अच्छी बात है कि नक्सलाईट समस्या बस्तर से खत्म हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 tourism destinations को माना जाता है। एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, जहां पर मैनपाट जैसा, सरगुजा जैसा पहाड़ी इलाका है, जहां पर हम टूरिज्म को Develop कर सकते हैं। एक साउथ छत्तीसगढ़ है, जहां हमारी आदिवासी संस्कृति है, हमारी आदिवासी संस्कृति के साथ वहां पर हमारे पास बहुत बड़ा जलप्रपात है और वह जलप्रपात इंडिया में तो फेमस है, वह विश्व में भी फेमस है। लेकिन समय-सीमा पर है। वह जलप्रपात 3 से 4 महीने पूरे अपने flow में बहता है, उसके बाद धीरे-धीरे उसका flow कम हो जाता है। इसलिए हमको समझना होगा कि इस पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको पर्यटन पर कैसे लाया जाए। इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि इन 25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत विकास हो चुका है, लेकिन अब हमको हमारी संस्कृति, हमारे पर्यटन पर ध्यान देना होगा। अगर हम धार्मिक टूरिज्म की बात करें तो अभी भोरमदेव में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी प्रसाद योजना के तहत वहां पर 149 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्र सरकार को रतनपुर का भी प्रपोजल गया हुआ है, चंपारण का भी प्रपोजल गया हुआ है। आखिर हमारे पास पांच डेस्टिनेशन दंतेश्वरी माता है, कुदरगढ़ में देवी माता है, उन पांचों डेस्टिनेशन को किस तरह से विकास किया जा सकता है। आप जो 3 करोड़ 18 लाख टूरिस्ट आप बोल रहे हैं, उसमें से 50 परशेंट से ज्यादा तो इन मंदिरों पर आते हैं । हमको धार्मिक टूरिज्म पर भी ध्यान देना होगा आखिर हम धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या काम कर सकते हैं । सभापति महोदय, अभी ट्राईवल कल्चर एण्ड सेंटर की बात हुई, फिल्म सिटी की बात हुई, अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद ट्राईवल्स कहां है, बस्तर में है । ट्राईवल्स कहां है, सरगुजा में है, ट्राईवल्स कहां है कवर्धा और कोटा क्षेत्र में है, आप हर चीज को नया रायपुर में कहां लाना चाहते हैं ? अभी आपने 51 करोड़ रूपया का प्रपोजल दिया है कि ट्राईवल कल्चर सेंटर डेवलप करेंगे । आपके नया रायपुर में देखने के लिये कौन आयेगा, बसाहट तो नहीं है, वहां टूरिस्ट कहां से आयेगा ? इन पूरी चीजों को डिसेंट्रलाईज करना चाहिये । आप या तो इसको बस्तर में बनाईये या तो कवर्धा में बनाईये या तो गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में बनवाईये, जहां अमरकंटक में इतने सारे टूरिस्ट आते हैं । अधिकारी रहते हैं उनका पूरा ध्यान रहता है कि हम नये रायपुर में इन चीजों को बसाये, जहां एक भी टूरिज्म नहीं आता है । हमको कहीं न कहीं अपने सोचने का तरीका बदलना होगा । जब तक हम पर्यटन को डिसेंट्रलाईज नहीं करेंगे, डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाईज नहीं करेंगे, अभी पूरे रायपुर में फिल्म सिटी आ रही है । हर चीज का सेंटर रायपुर क्यों हो रहा है, क्या सरगुजा में नहीं हो सकता, बस्तर में

नही हो सकता है, माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे कि आप खुद सरगुजा से आते हैं, आपके पास इतनी सुंदर जगह है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कोटा में सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी ।

श्री अटल श्रीवास्तव :-आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और वह यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है । चंपारण प्रसाद योजना में महामाया के लिये 149 करोड़ का प्रपोजल गया हुआ है । हम वाटर टूरिज्म की बात करेंगे, हमारे पास इतना बड़ा डैम है, जो देखने में समुद्र जैसा लगता है, वह है बांगों डैम । वहां पर सतरेंगा और बुका दो जगह है । वहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में 11 कमरे बनाये हुये हैं । आप वहां सटरडे और संडे चले जायेंगे तो वहां लगभग 1000 से 1500 लोग जाते हैं । वहां उनके रहने की, उनके टायलेट की, उनके खाने की कोई सुविधा वहां पर नहीं है । जो लोग 14-15 कमरे में केवल केवल रिसार्ट पर रूकने आते हैं उनके लिये सब सुविधायें हैं । जो मध्यमवर्गीय टूरिस्ट आते हैं, जो दूसरे दिन जाना चाहते हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर इतनी अच्छी बोटिंग की व्यवस्था की गई थी, वहां पर पिछले 6-8 महीनों से वहां का बोट खराब पड़ा हुआ है । हमारा ध्यान कहीं न कहीं टूरिज्म पर है ही नही । इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शून्य है, बजट के नाम पर शून्य है । पहले बोलते थे कि आपके रायपुर में उतरेंगे तो कितनी दूर में नक्सलाईट मिलेंगे । अब तो कम से कम नक्सल समस्या से निजात पा रहे हैं । हमको अपने टूरिज्म और कल्चर की ओर ध्यान देना होगा । अच्छी बात है कि हमारी पहली एक पहचान बनी कि हमने अपना एक राज्य गीत अरपा पैरी की धार दिया । हमारे समय में एक और परम्परा शुरू हुई थी, जब हम लोग आसाम चुनाव में गये थे तो पता लगा कि वहां पर एक गमछा बड़ा फेमस है । छत्तीसगढ़ की एक गमछे की बात हुई कि छत्तीसगढ़ियों की पहचान हो कि छत्तीसगढ़ का गमछा है । हमको उसको भी प्रमोट करना चाहिये । यह भी एक संस्कृति और पर्यटन का माध्यम हो सकता है । माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पर्यटन को एकदम दोयम दर्जे में रखकर बात की जा रही है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है । हमारे पर्यटन विभाग के जितने सेंटर बने हुये हैं, आप देखियेगा कि मंदिर के एरिया को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट चित्रकोट में आते हेा । चित्रकोट की संख्या लगभग 1 करोड़ 25 लाख है । हम किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म पर काम कर सकते हैं, इसको फोकस में लेना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं है, माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, आप किस तरीके से बजट बढ़ायेंगे । केवल हम सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्रसाद योजना में इतना पैसा आ जायेगा तो कुछ विकास हो जायेगा, डोंगरगढ़ में पैसा आया और वहां विकास हुआ । हम उस विकास को किस तरह से गति दें, हम सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ायें, हमें इस पर कार्य करने की जरूरत है । अभी संस्कृति विभाग में हमारी सरकार थी तो हमारे यहां गांवों में जितने बड़े छोटे-बड़े कलाकार थे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको ग्रेडिंग

दी गई, ए ग्रेड कलाकार, बी ग्रेड कलाकार, सी ग्रेड कलाकार, उनको पैसा मिलता था । जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यक्रम करते थे ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितने कलाकारों का रजिस्ट्रेशन है जरा बताओ तो ? आपने कितने का किया था ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- संस्कृति विभाग का मामला है, माननीय मंत्री जी बता सकते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- आपके सरकार रहिसे त करीना कपूर लाय रेहेव, कनिहा ला मटकाय रहिसे ना त सवा करोड़ रूपया दे रहिसे । सवा करोड़ रूपया लेके भाग गे ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो लोकल कलाकार हैं, उनको मंच देना, उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी सरकार का काम है। जब से ये सरकार बनी है, हमारे पास जो कलाकार लोग आते हैं, वे कहते हैं कि भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा है, संस्कृति विभाग के पास हमारा आवेदन लगा हुआ है, संस्कृति विभाग के पास फंड की कमी है तो कहीं ना कहीं इस फंड को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि हमारे लोकल कलाकारों को प्रॉपर फंड मिल सके और उन्हें अपनी संस्कृति को, अपनी प्रतिभा को आगे निखारने का मौका मिल सके, और भी बहुत सारी बातें हैं, समय कम है। जो हालात पर्यटन और संस्कृति विभाग की है, वही अभी अंतिम में यहां की है। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर चाहूंगा कि इस विभाग को बहुत मजबूती दिया जाना चाहिए, इसमें फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ को लोग जान सकें कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ का पर्यटन बहुत मजबूत है। सभापति महोदय, मैं यहां कटौती मांगों के पक्ष में और अनुदान मांगों के विरोध में खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय :- श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं मांग संख्या 26, 37, 51 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष हो गए। हमने रजत जयंती वर्ष मनाया और छत्तीसगढ़ की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक तौर पर बहुत संपन्न प्रदेश है। मुझे एक कलाकार होने के नाते इसको नजदीक से अनुभव करने का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अलग-अलग रंग सांस्कृतिक तौर पर हमें दिखाई देते हैं, वह अपने आप में अद्भुत हैं। मैं समय को ध्यान में रखते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर पण्डुम का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक तौर पर हमारे बस्तर के कलाकारों को एक मंच मिला। यहां पर छत्तीसगढ़ के अन्य कलाकारों को अलग-अलग कार्यक्रमों में अवसर मिलता रहा है, बहुत सारे महोत्सव भी होते हैं। अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों के लिए स्कॉलरशिप 45,000 रूपये तक देने का प्रावधान किया गया है और ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे कलाकारों को अपनी कला को निखारने का, आगे सीखने का अवसर

मिलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात कलाकारों का पंजीयन हुआ है। कलाकारों का पंजीयन हुआ ताकि कलाकारों की श्रेणी उनके अनुभव के आधार पर, उनकी टीम के आधार पर निर्धारित की जा सके । लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा एक आग्रह है, पंजीयन करने के बाद उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन उनका ग्रेड सही नहीं है, बहुत सारे उच्च स्तरीय कलाकार हैं, उनको सही ग्रेड नहीं मिलता है। आप इसके मीटिंग की समय को निर्धारित करें, उसको निश्चित रूप से क्रियान्वित करें। क्योंकि ये लंबे समय से कलाकारों की मांग रही है कि उनकी ग्रेडिंग सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। इसके लिए मेरा आपको सुझाव है कि समय-समय पर उसकी बैठक हो और कलाकारों की ग्रेडिंग सही समय पर हो सके। हमारे वरिष्ठ कलाकारों को जो अभावग्रस्त होते थे, ख्याति प्राप्त साहित्यकार कलाकार होते थे, उनको पेंशन की एक बड़ी समस्या होती थी, उनकी जो पेंशन की राशि है वह 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है और ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में निर्णय लिया गया, उसमें भी बजट का प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत हमारे जो अलग-अलग कलाकार हैं, उनको कुल वार्षिक राशि देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ चीजें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है तो जो बाहर के कलाकार आते हैं वे पूरा पैसा एडवांस में ले लेते हैं और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भुगतान के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप मंत्री बने हैं तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आपके शासनकाल में आ जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि हमारे स्थानीय कलाकारों को भुगतान के लिए बहुत दिक्कत होती है। उसमें मैं चाहता हूं कि ये नियम बने कि स्थानीय कलाकारों को भी तुरंत या एडवांस में भुगतान हो, जैसा बाहर के कलाकारों के साथ होता है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को यह बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। ये अभी आना चाहिए क्योंकि यहां के कलाकार हमेशा भुगतान के लिए तरसते रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे बाहर के कलाकारों को ट्रीट किया जाता है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अनुज भाई, तोर भी तो पिछले समय के नहीं रुके हे न?

श्री अनुज शर्मा :- भैया, मोरो रूके हे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज जी, तुहरे बर कहात हो। सभापति महोदय, निश्चित तौर पे जब अनुज शर्मा जी ला हमन देखथन तो बचपन के याद आथे कि हमन धान ला सिला के कोसा हेर के तुंहर फिलीम ला देख रहे हन अउ आज हम देखथन कि जब ले भारतीय जनता पार्टी के गमछा ला पहिने हस, तब ले बदले हस। ते मोला ओ फिल्म देखे के पइसा ला फिलोहूं। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- ते मोर फिलीम ला देखे हस, तेन ला कइसे लहुटाबे, तेन ला ते बता?

श्री रामकुमार यादव :- ओ तो गए। अब ओहा गुंडो-गोल होगे। (हंसी) लेकिन एक बात हे कि आप बहुत अच्छा बोलत हो। काबर कि छत्तीसगढ़ मा छत्तीसगढ़िया के सम्मान होना चाहिए। एमे मैं आपसे छोटे से यही निवेदन करत हो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अनुज जी बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- चलिए, ठीक है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को कम्पलीट करूं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर एक पॉलिसी आनी चाहिए और कलाकारों के भुगतान का नियम निश्चित होना चाहिए। हमारे बहुत से वरिष्ठ कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और आगे प्रस्तुति देने वाले कलाकार नहीं बच रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और वह सहज व सरल तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? ऐसी हमारी परंपराएं, ऐसे गीत, संगीत, नृत्य की जो विधाएं हैं, जो समाप्ति के कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए ध्यान देना भी जरूरी है और उसके लिए प्रावधान होना जरूरी है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस विषय पर भी जरूर विचार करें और ऐसी विधाएं जो लुप्तप्राय हो गई हैं। पहले रायपुर में तो एक नाचा महोत्सव भी होता था, अब वह नाचा महोत्सव बंद हो गया है। इस तरह का आयोजन भी होना चाहिए। जो हमारे लुप्तप्राय परफॉरमेंस हैं, जो फॉर्म्स हैं, उसके लिए भी जरूर कोई महोत्सव होना चाहिए। जहां लोग आकर देख सकें कि जो छत्तीसगढ़ की लुप्तप्राय प्रस्तुतियां हैं, जो फॉर्म्स हैं, उसको एक मंच मिल सके। उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है। जो रिसर्च करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। उनको ऐसे विषयों पर डॉक्यूमेंट संस्कृति विभाग उपलब्ध करा सकेगा और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने का काम आप कर सकेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। फिल्म विकास निगम बनाने का जो श्रेय है वह निश्चित तौर पर डॉ. रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने फिल्म विकास निगम बनाई और अभी फिल्म सिटी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के सिनेमा की आवश्यकताएं क्या हैं? इसके लिए सही विचार-विमर्श की भी जरूरत है। छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में सब्सिडी का प्रोविजन है। लेकिन वह प्रोविजन अभी जमीनी स्तर पर शुरू नहीं हो पाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जमीनी स्तर पर भी छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माताओं या छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण करने वाले निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान की जाए ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोकेशन्स दुनिया में शोकेस किए जा सकें और छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा हो। हम सभी रामो जी फिल्म स्टूडियो व फिल्म सिटी की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में खूबसूरती की कमी नहीं है, नैसर्गिक सौंदर्य की कमी नहीं है। लेकिन उसे शोकेस करने के लिए प्रयास करना होगा। यहां बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में बनी हैं, जो फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। ऐसी फिल्में भी छत्तीसगढ़ में शूट हुई हैं। एक समय था जब भोजपुरी

फिल्में सिर्फ छत्तीसगढ़ में शूट होती थीं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उनको वातावरण नहीं मिल पाया और वे फिल्में बाहर चली गईं? इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। उनको फिर से आमंत्रित करने की जरूरत है। जब बिना फिल्म सिटी के वह यहां काम करते थे तो अब क्यों चले गए? इस विषय में विचार करने की जरूरत है और यहां के निर्माताओं को सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हम सिनेमा घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम यहां के निर्माताओं को किस तरह से खड़ा करेंगे? छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की सबसे छोटी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। हम सबसे कम थिएटर्स के लिए फिल्म बनाते हैं। लेकिन उनके सहयोग के लिए हमारी सब्सिडी की पॉलिसी को जल्द से जल्द जमीनी हकीकत में उतारने की आवश्यकता है। हमारे अटल श्रीवास्तव जी पर्यटन की बात कर रहे थे। आपको बहुत सारी अच्छी योजनाओं का श्रेय जाता है, जैसे रामलला दर्शन योजना पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। शक्तिपीठ योजना की शुरूआत हो रही है। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग शक्तिपीठ हैं, जिनके दर्शन कराने का पुण्य भी आपके भाग में आयेगा, उसके लिए भी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बार एक ऐसी योजना प्रारंभ की गयी है, जिसे बंद कर दिया गया था। युवाओं के लिए युवा दर्शन योजना, जिसे पिछली सरकार ने बंद करने का काम किया था। अभी पिछले दिनों अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी आये थे तो हमारे पी.एम.श्री स्कूल के बच्चे, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बच्चे उस कार्यक्रम में आये थे। वह इसरो भी गये थे और जब मैंने उनसे बात की तो उनका अनुभव ही गजब था। यह बच्चों को एक्पोजर देने वाला काम होगा। यह ऐसी योजना होगी जो बच्चों को दुनिया से रू-ब-रू करायेगी, अलग-अलग अनुभव देगी। यह बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके लिये पर्याप्त पैसों का इंतजाम किया गया है, लगभग 1000 बच्चे इस योजना का लाभ हर साल लेंगे, इसके लिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी, मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखते जा रहा हूं। इसके अलावा जन पर्यटन योजना के लिए भी आपका आभारी हूं, जिसमें 25 राशि प्रतिशत पर्यटक देगा और बाकी राशि सरकार की ओर से प्राप्त होगी, जो लोग छत्तीसगढ़ देखना चाहेंगे, उनके लिये यह एक बहुत अच्छी योजना है। मैं छोटा कर देता हूं। सभापति महोदय, कुछ विषय और है जिन पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मेरे कुछ सुझाव है कि प्राचीन स्थलों के उत्खनन का क्या शेड्यूल बना है ? क्या नए स्थल ढूंढे जा रहे हैं और जो स्थल ढूंढे जा चुके हैं, जो चिन्हांकित किये जा चुके हैं, उनके उत्खनन की क्या योजना है ? इसका उल्लेख मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के जो पुरातात्विक धरोहर हैं, उसे संरक्षित करने का और नए धरोहरों को खोजने का काम है। अभी तक हमारे यहां राज्य अभिलेखागार का निर्माण नहीं हो पाया है, इसका निर्माण होना चाहिए। 11 लाख दस्तावेजी प्रमाण इंतजार कर रहे हैं, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए आपको जरूर कोई कदम उठाना चाहिए।

हमारा इतना पुराना महंत घासीदास संग्रहालय है, उसे 150 साल हो गये होंगे। माननीय मंत्री जी उसे 150 साल हो गये हैं ना ? उसे 150 साल हो गये लेकिन वह राज्य संग्रहालय नहीं बन पाया है। इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय बनाने की जरूरत है क्योंकि वह इतना बढ़िया संग्रहालय है। अभी कुछ दिनों पहले आपके साथ मैंने भी निरीक्षण किया था । वह इतना सुंदर संग्रहालय है, उसे वह सम्मान देने की, राज्य संग्रहालय बनाने की आवश्यकता है। सिरपुर में खुदाई तो हुई और साडा का निर्माण हुए 10 साल हो गये लेकिन साडा ने ऐसी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो, यह दिखाई नहीं देता। शैव, जैन और बौद्ध तीन धर्मों का संगम है। वहां व्हेन सांग आया और वहां की समृद्धि के विषय में दुनिया को बताया। लेकिन हम उसे बताने में और अभी तक उस ऊंचाई में स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं। मुझे ऐसी आशा है कि आप इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और इसके लिए जरूर आगे कदम बढ़ायेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि सिरपुर में वह बात होनी चाहिए और साडा को भी आपको एक्टिव्ह करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है।

सभापति महोदय :- अनुज जी, संक्षेप करेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, जी, मैं संक्षेप कर देता हूं। यहां हम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की बात करें। आपने इसके अंतर्गत बहुत सारे आयोजन किये हैं और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस्तर के मांझी चालकियों की सम्मान निधि को क्रमश: 2,000 रूपये और 1,500 रूपये किया गया है तो हमारी जो पुरातन विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको संरक्षित करने के लिए आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने अभी दो दिन पहले ही पंचांग का विमोचन किया है। पंचांग का अर्थ है पंच यानि पांच और अंग यानि भाग, उसके 05 भाग होने चाहिए। तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण उस पंचांग में पांचों नहीं है। जब भी संस्कृति विभाग ऐसा कोई कदम उठाता है जो जिम्मेदार विभाग है तो ये बात खड़ी होती है। तो मेरा ये आग्रह है कि संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो इनमें ध्यान देकर करें क्योंकि बाद में लोग इसी का अनुसरण करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सिरपुर में बहुत सारे खुदाई के अवशेष मिले हैं, उनको संरक्षित करने का काम अभी तक समुचित रूप से नहीं हो पाया है, उसके लिये भी एक अच्छे संग्रहालय की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- अनुज जी, कृपया समाप्त करेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, दिल में बहुत कुछ है, मगर..।

सभापति महोदय :- आपको समय का भी अभाव है।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, समय का अभाव है। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस मांग का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय सभापति जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, आप फिल्म बनाइहा तो विलियन के रोल ला, गुंडा के रोल ला चन्द्राकर जी ला ले लीहा।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या 26, 37 और 51 के विरोध में और कटौती प्रस्तावों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मेरे काबिल दोस्त और मेरे साथ कला क्षेत्र में लगभग दशक तक काम किये भाई अनुज शर्मा जी ने कलाकारों की पीड़ा और व्यथा के बारे में बहुत अच्छी बात की। निश्चित ही उनका सुझाव स्वागत योग्य है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, राजेश भैया ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन कुछ-कुछ सुझाव मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूं। लगभग 1990-94 से आकाशवाणी और दूरदर्शन से केजुअल आर्टिस्ट के रूप में मैं काम किया हूं और आज भी वहां अधिकृत रूप से हूं। अगर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें, निश्चित ही अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और आदिवासी संस्कृति की विरासत के लिये पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस बारे में अनुज शर्मा जी ने बात की है कि अभी तक हम छत्तीसगढ़ में कितने कलाकारों का पंजीयन कर चुके हैं और अजय भैया ने ये बात कही है। केवल और केवल अभी आपके वेबसाइट में 300 कलाकरों का पंजीयन है। कहीं न कहीं हम यहां पर पीछे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से जिस हिसाब से पंजीयन का कार्य चल रहा है तो कम से कम उसकी प्रगति 3 हजार कलाकारों का पंजीयन होना था, लेकिन केवल आपकी वेबसाइट में 300 कलाकारों का पंजीयन है। कहीं न कहीं हम इसमें बहुत पीछे चल रहे हैं। इसे प्रभावी रूप में काम करने की जरूरत है ताकि उन कलाकारों को सम्मान मिल सके और वह जो प्रस्तुति देते हैं और जिसके लिये वह बाट जोह रहे हैं, ऐसे बहुत से सीनियर, सिद्धहस्त कलाकार हैं जो यहां तक नहीं पहुंच पाते, अगर हम उन्हें पंजीयन कराने के लिये कहीं-कहीं पर भेजते हैं तो वह कलाकार 80-85 साल की उम्र के हो चुके हैं। उनके पास न डॉक्यूमेंट मिल पाते हैं, न कुछ मिल पाते हैं। लेकिन उनकी संपूर्ण जानकारी उस सुविधा के माध्यम से एकत्रित करके हम जरूर विभाग के माध्यम से ऐसी कोई कार्य प्रणाली तैयार करें या उनको यहां तक लाकर कुछ सुविधा दे सकें, ये कार्ययोजना बननी चाहिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, फिल्मसिटी की बात माननीय अनुज शर्मा जी ने कही है। निश्चित ही आपने करोड़ों रुपये की राशि का प्रावधान बजट में रखा है, पर छत्तीसगढ़ फिल्म विविधताओं के बारे में या सब्सिडी के बारे में जिस हिसाब से अनुज भाई ने बात कही है, निश्चित रूप से वह बात होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर अपार संभावनायें हैं। यहां पर ऐसी-ऐसी लोकेशन है, जहां हम लोग पहले जाते थे, जहां गाड़ियां नहीं चलती थीं, वहां पर पहुंचने के लिये संसाधन नहीं हुआ करते थे। तब हम लोग उन बीहड़ जंगलों में घुसकर टेलीफिल्म का या अन्य चीजों का, एल्बम का हम लोग वहां पर शूटिंग करते थे।

आज तो डिजिटल का प्रभाव है। जब वह फिल्म बनी, परदेशी के मया, मया दे दे, मया ले ले तो निश्चित रूप से उस समय प्रसाद स्टूडियो से एक कैमरा आता था, कैसे अनुज भाई । वह रील हम लोग देखते थे, कल्पना करते थे कि बीच में हमारी भी फोटो, अब तो डिजिटल का प्रभाव हो गया है तो यू.एफ.ओ. सिस्टम हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गयी हैं लेकिन एक-बार जो चल जाता था फिर रिटेक नहीं होता था, वह रील चल गया तो चल गया। अब तो आपके पास डिजिटल का रिफॉर्म हैं, वापस आ गया फिर उसको करके अब कर सकते हैं लेकिन यदि आप यहां के जितने लोकेशन हैं, जितनी भी जगह हैं । निश्चित ही पीड़ादायक यह बात है कि यहां पहले बहुत से अन्य राज्य के लोग फिल्म निर्माण के लिये आते थे, अब वह क्यों नहीं आ रहे हैं ? कहीं न कहीं हमारी पॉलिसी उनको यहां तक नहीं ला पा रही है तो यह पॉलिसी तो बनी है तो उसका इम्प्लीमेंट कब होगा ? उसको किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहां लोकल छत्तीसगढ़ के जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं । बहुत से ऐसे हैं जो कला के बारे में बारीकी से जानकारी रखते हैं लेकिन अर्थाभाव में, पैसे के अभाव में वह पूरी तरीके से फिल्म का निर्माण नहीं कर पाते, स्कीम तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि यदि आपकी फिल्म निर्माण की पॉलिसी बनती है तो उसमें उन निर्माता और निर्देशक के लिये सब्सिडी का प्रावधान हो ताकि अच्छी फिल्म यहां के लोग देख सकें और उन कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिल सके और उन निर्माता-निर्देशक को भी हम लोग अपनी तरफ से सहयोग कर पायें । यह ऐसी एक पॉलिसी यहां से बननी चाहिए और कलाकारों का ग्रेडेशन अब सवा 2 साल हो गये लेकिन अभी तक उसी मानदेय पर यह कलाकार काम कर रहे हैं और दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उतने में कलाकारों को पारितोषिक भी देना है, आने-जाने का व्यय करना है, स्वयं का खर्चा भी देखना है तो यह संभव नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो ग्रेडेशन रूके हुए हैं, उसमें तत्काल प्रभावी रूप से काम करके सबसे पहले वह ग्रेडेशन का काम करें क्योंकि बहुत से कलाकार ग्रेडेशन के कारण अभी शासकीय जितने भी आयोजन होते हैं उसमें नहीं जाते और सीधा मना कर देते हैं कि भैया हमारा पारितोषिक कम है, हम लोग वहां पर नहीं जा पायेंगे । भई, कलाकारों को उसका सम्मान मिले क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जिसकी बदौलत हम लोग गरजते हैं । वह कलाकार किसी पार्टी के नहीं हैं, न वह भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, जरूरत पड़ती है तो हम बुलाते हैं और जरूरत पड़ती है तो आप लोग बुलाते हैं तो कम से कम ऐसे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए । जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम करते हैं और छत्तीसगढ़ की विधा को लेकर काम करते हैं । अगर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर बात करें तो वैभवशाली विरासत है, सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी, पण्डवानी, रहस, रैला, सैला, हुलकी, भरथरी, राऊत नाच ऐसे बहुत से हैं । अगर हम पर्टिकूलर पंजाब का देखें तो भांगड़ा और गिद्दा होगा, असम का देखें तो बिहू होगा । लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी विधाएं हैं और उन विधाओं का सम्मान होना चाहिए । जिसकी एक अलग

से भोपाल में एन.एच.डी. की तर्ज पर वहां थियेटर बने हुए हैं, मुझे कई बार वहां जाने का सौभाग्य मिला, अपने बीच के कलाकारों के साथ काम करने का । छत्तीसगढ़ में भी वैसे एक प्रशिक्षण केंद्र बनना चाहिए जिसमें यहां के जो सिद्धश्त कलाकार हैं, नाचा के मूर्धन्य कलाकार हैं क्योंकि नाचा से ही यह पूरे सांस्कृतिक मंच का उद्भव हुआ है, वही नाचा है जिसको हम लोग बोरा बिछाकर देखने जाते थे और उस समय इतनी सांस्कृतिक विधायें नहीं हुआ करती थीं । लेकिन उसी नाचा से आज हम यह जितने सांस्कृतिक मंच देखते हैं वहीं से उनका उद्भव हुआ है तो उसको संरक्षण करने की जरूरत है और नाचा महोत्सव निश्चित पीड़ादायक बात है, अनुज भाई ने जो बात कही है । नाचा महोत्व, मुझे याद है कि मैं दुर्ग में वर्ष 1998 में रविशंकर स्टेडियम में उस नाचा महोत्सव में भाग लिया था । मैं स्वयं वहां पर कलाकार था तो वह नाचा की विधा को हम कैसे संरक्षित करें ? हम याद करते हैं स्वर्गीय मदन दाऊ को, मंदराजी गौर, नाईकदास जी को, झुमुक दास जी को ऐसे बहुत से नाचा के और उसके बाद माननीय हबीब साहब के साथ माननीय अजय भैया बैठे हैं, हबीब तनवीर जिन्होंने नाचा के कलाकारों को ले जाकर देश-विदेश तक अपनी पहचान बनायी चाहे वह फिदा बाई हो, चाहे माला बाई हो, चाहे किश्मत बाई हो, चाहे वह मदनमां हो, चाहे भुलवा हो, चाहे पद्मश्री गोविंद निर्मलकर जी, ऐसे सिद्धहस्त कलाकार हों जिन्होंने छत्तीसगढ़ को विदेशों में नाम दिलाया है और मैं इसमें एक बताना चाहूंगा कि एक बहुत सिद्धहस्त कलाकार हुआ करते थे, मदन निषाद । उस समय अविभाजित मध्यप्रदेश के समय उसे तुलसी सम्मान से अलंकृत किया गया था और स्मिता पाटिल जी के साथ नामी चोर चरण दास फिल्म का निर्माण किया था। वह सबसे पहली फिल्म बनी थी, उस समय स्मिता पाटिल जी के साथ काम किया था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में जो 12 अलंकरण दिये जाते हैं उसमें कहीं पर भी मदन जी का नाम नहीं है जो सबसे पहले मध्यप्रदेश सरकार ने तुलसी सम्मान से अलंकृत किया था। उनके नाम से होना चाहिए। यह नाटक के सिद्धस्थ कलाकार थे। उन्होंने स्मिता पाटिल जी के साथ सबसे पहले काम किया था। उनके नाम से होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ और ऐसे ही हमारे स्वर्गीय मिथलेश साहू जी जिनके साथ मुझे 10 से 15 साल करीब से काम करने का अनुभव मिला। एक शिक्षक होते हुए भी उन्होंने आदिवासी संस्कृति और गरियाबंद जिले में ट्रिपिकल है, कमार और भुंजिया जनजाति की जो संस्कृति है उसे दिल्ली तक ले जाने का काम और देश के मानस पटल पर रखने का काम माननीय मिथलेश साहू जी ने किया। कमार, भुंजिया की जो संस्कृति है, वह एक अलग संस्कृति है। मैं चाहूंगा कि स्वर्गीय मिथलेश साहू जी ने जिस गीत के हिसाब से संकलन किया है उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्मों में निर्देशन किया है और बहुत सी फिल्मों में गायकी का काम किया है, उनके नाम से भी एक अलंकरण होना चाहिए। ताकि हम चाहे इस महान सिद्धस्थ कलाकार को सम्मान मिले और साथ ही..।

सभापति महोदय :- आप थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- शिवकुमार दीपक जी, सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी घर द्वार अउ कहीं देबे संदेश। उसमें सबसे पहले शुरूआती दौर के उस समय के नायक हुआ करते थे और उन्होंने बहुत फिल्में हिन्दी, भोजपुरी ऐसे बहुत सी फिल्मों में काम किया है। तो ऐसे शिवकुमार दीपक जी के नाम से भी एक अलंकरण होना चाहिए। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। क्योंकि आपके बगल में गजेन्द्र यादव जी बैठे हैं और मैं यह चाहता हूँ कि स्वर्गीय शिव कुमार दीपक जी के नाम से भी एक अंलकरण हो ताकि उनको सम्मान मिल सके। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ और साथ ही मैं मैंने भोपाल की तर्ज पर थियेटर की बात की है उसमें जरूर करें, ताकि हमारे जो हमारे सिद्धस्थ कलाकार हैं उनको भी सम्मान मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा । इस विधान सभा में हम 4 सदस्य ऐसे हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं। मैं स्वयं हूँ, माननीय अनुज भाई हैं दिलीप लहरिया जी हैं और माननीय दलेश्वर साहू जी हैं जब फिल्म सिटी की यह पॉलिसी बनी तो उसमें कम से कम उन कलाकारों और उन विधायकों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि मैंने करीब से उन चीजों को देखा है। उन चीजों को जाना और समझा है। अनुज भाई वहां बैठे हैं क्योंकि जिस हिसाब से एन.एस.जी. के जो कलाकार थे, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। शीर्ष का हो, मेकअप का हो, डिजाईन्स का हो, कास्टयूम्स का हो, मैंने यह सब काम किया है। तो कम से कम उसका भी प्रतिसाद मिले। अजय भईया, मुझे मुम्बई से ऑफर आया था कि कम से कम छत्तीसगढ़ के जितने ट्रेडिशनल आर्ट हैं वहां पर आ जाईये। कम से कम एकाध दो महीने रहकर, इन सारी चीजों को कीजिए। तो मैंने बोला कि मैं छत्तीसगढ़ छोड़कर नहीं जाऊंगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो तो माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय :- आप बोल चुके हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अगर विधान सभा में ऐसी विधा से जुड़े लोग सदस्य हैं तो जब भी संस्कृति विभाग इस तरह की कोई योजना बनाता है या कुछ करता है तो कम से कम ऐसे विधायकों को जरूर पूछें अगर उस विधा से जुड़े हुए लोग यहां हैं तो यह मेरा आग्रह है कि कम से कम हमेशा कंपल्शन रहे। आज फिल्म सिटी बना तो हम लोगों से पूछा ही नहीं गया। हमसे कोई चर्चा ही नहीं हुई। जबकि हम विधान सभा के सदस्य हैं। इस क्षेत्र में हमारा इतना लम्बा अनुभव है। मैं यह चाहता हूँ कि जो भी विधायक रहें, उनको सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई पॉलिसी आने वाली है और कोई बड़ा निर्णय आने वाला है तो कम से कम उन विधायकों को शामिल किया जाये। इस बात को माननीय मंत्री जी तय करें।

सभापति महोदय :- माननीय कुंवर सिंह निषाद समाप्त करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, कला की बात तो हो गयी। यहां बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के नाम को रौशन किया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का सिर ऊंचा किया है उनके बराबर उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने तीन अंलकरण के बारे में निवेदन भी किया है कि उनके नाम से जरूर आने वाले सत्र में चाहे वह शिवकुमार दीपक जी हो, स्वर्गीय मदन निषाद जी हों और स्वर्गीय मिथलेश साहू जी के नाम से अलंकरण हो जाये तो निश्चित ही उन कलाकारों का एक सम्मान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं धर्मस्व में आता हूँ जिसकी गहराई से नॉलेज होगा तो मैं समझता हूँ कि माननीय अजय चन्द्राकर जी हमेशा धर्मस्व की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं तो उस समय की बात करते हैं तो निश्चित ही मैं अपनी बातों को संक्षेप में कर रहा हूँ। मानीय राजेश भईया, माननीय मंत्री जी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि 24 अवतार शिवरीनारायण जो भगवान है जहां हमारी एक आस्था है निषाद समाज की बहुत पहले से शिवरीनारायण में एक बड़ा मंदिर है और माता शबरी हमारी समाज की हैं और हम उनको कुल देवता मानते हैं, आराध्य मानते हैं । वहां पर हर साल मेला लगता है, लेकिन एक महोत्सव के रूप में नहीं मिल पाता है मैं आपके माध्यम से शिवरीनारायण और एक डिंडेश्वरी माता मंदिर मल्लहार वहां आयोजन होता है, उसे निषाद समाज के द्वारा ट्रस्ट बनाकर, संचालित किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं कि कम से कम दो दिन उनके लिए संरक्षित किया जाये कि मल्हार महोत्सव और शिवरीनारायण महोत्सव के लिए एक अलग राशि शासन की तरफ से जारी हो । मैं शुरूआत में आपसे केवल 10-10 लाख रूपये की मांग करता हूं, ताकि दो दिन छत्तीसगढ़ के मछुआरे समाज के सारे लोग वहां पर जाते हैं । एक हमारे आराध्य है-डिंडेश्वरी माता के मंदिर में हमारे समाज के द्वारा ट्रस्ट बनाकर संचालन करते हैं । आपने देखा होगा कि वहां पर ऐतिहासिक मंदिर है, उसका भी अगर मल्हार महोत्सव और शिवरीनारायण महोत्सव के नाम से दो दिन महोत्सव करें और दोनों जगह के लिए आपसे केवल 10-10 लाख रूपए की शुरूआती दौर में राशि की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारी भी आस्था उन जगहों पर है । उस आस्था के लिए हम आपसे संरक्षण भी चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जरूर आप हमारी आस्थाओं पर ध्यान देंगे और वहां पर एक महोत्सव के रूप में शुरूआत करेंगे, यह मैं आपसे मांग करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं एक चीज मांग करता हूं कि अपने क्षेत्र में एक जगह पर्यटन के रूप में शामिल है । मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था, पर आप नहीं जा पाये । इस बार आपने वादा किया है कि मैं जाऊंगा । देव दशहरा होता है, हरदेवलाल बाबा डेंगरापार में मोहंदीपाट बाबा है, जोगीमठ बाबा है और गौरैयाधाम जिसमें कल्चुरी वर्ष की आप देखेंगे, उस समय संचालक जी दौरे में गए थे और संग्रहालय की बात मैंने की थी तो आप सिरपुर भूल जाएंगे । मल्हार में जो संस्कृति है, वहां पर निकली हुई मूर्तियां देखेंगे तो उस समय के 7वीं-8वीं सदी की मूर्तियां वहां पर खुदाई में निकली हुई हैं । उसको

संरक्षित करने के लिए हम आपसे चाह रहे हैं कि आप एक बार जाईए । मैंने आपसे निवेदन भी किया था, आपने आश्वस्त भी किया था कि मैं जाऊंगा । नर्मदाधाम, सुलसुली एक माघी पुन्नी मेला होता है, दो माघी पुन्नी मेला होता है । गौरेया का जो बता रहा हूं वह और नर्मदा का । तो वहां पर सरकार बनने के बाद अभी एक भी पैसा वहां पर उनके उन्नयन के लिए, विकास के लिए नहीं मिला है तो आपसे निवेदन चाहता हूं कि पिछले सरकार में मेला आयोजन के लिए उनको दो-दो लाख रूपए दिए जाते थे, उसके बाद से अभी तक नहीं मिल पाया है तो आपसे चाहूंगा कि अब नहीं मिला है तो थोड़ी सी और राशि बढ़ा दें। दो लाख से तीन या पांच लाख कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, ताकि वहां जो मेले का आयोजन करते हैं, उसके लिए भी बढ़िया हो जाएगा, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं । मैंने एक निवेदन भी किया था और माननीय डायरेक्टर साहब के माध्यम से आपके पास से एक पत्र भी आया था कि वहां पर हरदेव लाल बाबा, जिसकी बात मैंने की, वहां पर एक बड़ा डेम हरघांज जलाशय, उसके लिए मुझे पूर्व की सरकार में 5 करोड़ रूपए का आवंटन मिला था, उसमें से साढ़े तीन करोड़ खर्च हो चुके हैं । 1 करोड़, 55 लाख रूपए की राशि बची है तो मैं उसको पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहता हूं । पैसा है, मुझे केवल और केवल उस राशि का उपयोग करने का आदेश कर दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वह पर्यटन के रूप में हो जाये तो वहां जो सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, उसके लिए बोटिंग और स्वीमिंग की सुविधा हो जाएगी, ताकि बढ़िया सी जगह हो जाएगी तो हरदेवलाल बाबा के प्रांगण पर है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांग में संस्कृति विभाग, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी की मांग संख्या-26, 37 और 51 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के निर्माण के 25 वर्ष हो चुके हैं और हम सब रजत जयंती वर्ष उत्सव मना रहे हैं । हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ पर्यटन की असीम संभावनाओं की ओर बढ़ रही है । बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मनिर्भर पहचान पर गौरव करने का स्वर्णिम अवसर भी है। यहां चित्रकूट, तीरथगढ़, अमृतधारा जैसे जल प्रपात प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं, वहीं सिरपुर, भोरमदेव, तातापानी और राजिम जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल राज्य की गौरवशाली विरासत के साक्षी हैं । भोरमदेव कारीडोर निर्माण से कबीरधाम जिले को नई पहचान मिलेगा । सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन एवं विशेष प्रयासों से भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए

146 रूपये की स्वीकृति मिलना महत्वपूर्ण है। इस राशि से भोरमदेव मन्दिर, मड़वा महल, छिरकी महल, भोरमदेव मन्दिर, मड़वा महल, छिरकी महल, रामचुआ मन्दिर और सरोदा बांध जैसे स्थलों का समग्र विकास किया जायेगा।

सभापति महोदय :- प्रेमचंद जी, आपके सुझाव होंगे तो दे दीजिये। आपकी मांग होगी तो मांग रख लीजिये।

श्री प्रेमचन्द पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यदि हमारे मरार समाज का प्रमुख धार्मिक आस्था का केन्द्र कहे तो वह भोरमदेव मन्दिर है। हमारे मरार समाज की कहीं न कहीं यहीं से उत्पति हुई थी। यहां मड़वा महल है। जब हम मरार समाज के लोग अपने लड़के का शादी-ब्याह करते हैं, तो मड़वा महल में जो 12 खंम्भे लगे हैं तो उसी तरह से 12 खम्भे का निर्माण करके सब पितरों का पूजन करते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे सब माननीय विधायकगण लोग कलाकार भी हैं और अभिनेता भी हैं। उन लोग फिल्म सिटी की बात कर रहे थे। उनसे सुझाव भी लिए गए। आने वाले समय में 350 करोड़ रूपये की लागत से चित्रोत्पुला फिल्म सिटी, ट्राइबल कल्चर फिल्म सिटी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए भी माननीय हमारे प्रदेश के धर्मस्व मंत्री को बधाई दूंगा।

सभापति महोदय, शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ भ्रमण करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारे प्रदेश के कोपरा जलाशय में रामसर साइट की मान्यता मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। यह राज्य का पहला रामसर साइट है। इस मान्यता से जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हममें जागरूकता बढ़ेगी तथा प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीव के संरक्षण के लिए इसे टूरिज्म के रूप में विकसित किया जायेगा। हमारे क्षेत्र और सक्ती क्षेत्र से जुड़े हुए देवधारा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मैनपाट, बस्तर सर्किट श्री भवन डोंगरगढ़, मां कुदरगढ़ी के दरबार में पहुंचने के रोपवे तथा अन्य परियोजनाओं के नवीन मद में 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के निवास स्थल देवभवन को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कर इसके संरक्षण के लिए भी 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए, चारधाम परियोजना के तर्ज पर कुदरगढ़ी मन्दिर, महामाया मन्दिर, बम्लेश्वरी मन्दिर, चन्द्रहासिनी मन्दिर और दन्तेश्वरी मंदिर को जोड़ने के लिए हमारे इस बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हम सबके अराध्य देव प्रभु श्रीराम जी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार को नहीं भेज पाते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने

रामलला दर्शन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। लगभग 42,500 लोगों को रामलला के दर्शन करवा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं विशेष कर संस्कृति विभाग में हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी के लिए और स्थानीय लोगों को कलाकारों को जो भी हमारे उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें भागीदारी दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे क्षेत्र के साहित्य एवं कला के विकास के लिए सांस्कृतिक एवं परंपरा का संरक्षण ललित कला एवं लोक कला को प्रोत्साहन, छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति परंपरा और जन भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन करने के लिए प्रसार-प्रचार करने के लिए अभावग्रस्त कलाकारों, साहित्यकारों को मासिक वित्तीय सहायता निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें बजट रखे हुए हैं। पारंपरिक लोक कला का उत्सव अभी बस्तर पंडुम और हमारे अभी राज्य स्थापना दिवस पर 5 नवंबर के दिन हमारे देश के वायु सेना द्वारा रोमांचक एयर शो का सूर्य किरण के माध्यम से सेंध जलाशय के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे देश के उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में जो प्रदर्शन हुआ, उसमें भी हम सब देखे हैं, निश्चित रूप से आप सब इसकी भागीदारी भी रहे हैं। हमारे धर्मस्व मंत्री जो मांग रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और सभापति महोदय, आपने जो बोलने के समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है दिखाई दे रहा है, है न? बेचारे हमारे राम कुमार जी अकेले बचे हैं तो यह तो सर्वसम्मति से ही होना चाहिए। एक मात्र सदस्य विपक्ष के बैठे हैं।

सभापति महोदय :- अनुज जी, अनुज जी बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- सौ सुनार के तो एक लोहार के।

सभापति महोदय :- राम कुमार जी, बैठिए।

श्री अनुज शर्मा :- ते तो यादव हस जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आपसे एक आग्रह है।

सभापति महोदय :- अब एक मिनट में आप अपना जो भी सुझाव हो रख दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि खूंटाघाट जलाशय, जिसको संजय गांधी जलाशय भी कहते हैं, वहां पर ग्लास हाउस के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। जल संसाधन विभाग द्वारा पर्यटन के द्वारा दी गई राशि के अनुसार निविदा भी आमंत्रित की गई, परंतु वह राशि जारी नहीं की गई है, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वह राशि जारी कर दें तो कम से कम उस जगह पर ग्लास हाउस के रूप में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ जाएं, मैं आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- बोलिए।

श्री दीपेश साहू :- मैं माननीय मंत्री राजेश अग्रवाल जी के अनुदान मांग का समर्थन करता हूं और साथ ही मेरे क्षेत्र का विषय है ।

सभापति महोदय :- कुछ मांग होगा तो रख लीजिए, बता दीजिए।

श्री दीपेश साहू :- जी, बेमेतरा एक तो मैदानी क्षेत्र है न कोई जंगल है, न पर्वत है, न पठार है। न ही कोई पर्यटन का स्थल है। वहां एक प्राचीन मंदिर है मां भद्रकाली और जो हजारों-हजारों लाखों लोगों का आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है।

हजारों-लाखों की संख्या में मां भद्रकाली के दर्शन के लिए लोग आते हैं और बेमेतरा की पहचान भी मां भद्रकाली के रूप में होती है और बेमेतरा में जिला मुख्यालय होने के बावजूद कोई प्रकार का सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन महोत्सव नहीं होता। विगत कई वर्षों से क्षेत्रवासियों की मांग रही है कि मां भद्रकाली के रूप में एक महोत्सव होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि मां भद्रकाली महोत्सव शुरू किया जाए और साथ ही भद्रकाली मंदिर के कॉरिडोर परिसर के विकास के लिए भी राशि स्वीकृत की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय। क्षेत्र के मोर मांग रईसे बस। थोड़ा से बस।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री, राजेश अग्रवाल जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक मांग रहिसे।

सभापति महोदय :- चूंकि समय काफी हो गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय।

श्री रामकुमार यादव :- बस मांग छोटे से हे। क्षेत्र के मांग है। मंत्री जी, मंत्री जी मोर एरिया में अड़भार में एक ठोक अष्टभुजी मां के मंदिर है मंत्री जी, वहां पर आप पर्यटन स्थल में ओला कहीं भी जोड़ कर और दूसरा हे रऊत नाचा सक्ती में होथे बहुत ही शानदार ओला कुछ राशि दे देइहौ और चन्द्रपुर में.....।

संस्कृति मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- बइठ, सब कर दूहूं।

श्री रामकुमार यादव :- ठीक है, आप कह दिहौ, मैं मान गेव चन्द्रपुर में कुछ व्यवस्था कर दिहौ।

सभापति महोदय :- हो गया, राम कुमार जी बैठिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष एवं विपक्ष के साथी सर्वश्री अटल श्रीवास्तव जी, अनुज शर्मा जी, कुंवर सिंह निषाद जी, प्रेमचंद पटेल जी, सुशांत जी, दीपेश जी, रामकुमार यादव, मैं इन सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने प्रदेश के पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। इस बजट में लोक कलाकारों, लोक नृत्यों, जनजातीय संस्कृतियों एवं पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। चूंकि सुनने का मन किसी का नहीं है। इसलिए सीधे जो कुछ है, उसको कह देता हूं। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

सभापति :- मंत्री जी, आप बोलिए।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- आपका भाषण सुनने के लिए रामकुमार जी इतने टाइम तक बैठे हैं।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, सुनने का मन सभी का है। इसलिए किसी का मन नहीं है, इसको रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए। कितनी सुंदर वाणी आ रही है, उसको हम लोग क्यों नहीं सुनेंगे? हमारा मन करता है कि आपको देखते रहे। (हंसी)

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अटल श्रीवास्तव जी ने आदिवासी नृत्य के लिए कुछ चर्चा की थी। उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी गौरव दिवस एवं बस्तर पंडुम शुरू किया गया है। Basic Infrastructure के लिए बजट में 50 करोड़ प्रावधानित है। यह पर्यटन के मूलभूत विकास के लिए है। शक्तिपीठ परियोजना हेतु बजट में प्रावधान है। आस्था पथ से धार्मिक पर्यटन का विकास होगा, यह नवीन योजना है। ग्रेडिंग में राज्य अलंकरण प्राप्त artist का नवीन ग्रेड बनाया गया है। हमारे निषाद जी चिन्हारी पोर्टल के बारे में बोल रहे थे कि उसमें मात्र 300 कलाकार पंजीकृत हैं, जबकि लोक कलाकार 4000 हैं और मानस मंडली 7000 कलाकार हैं, इस प्रकार उसमें कुल 11,000 कलाकार पंजीकृत हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अनुज भाई ग्रेडिंग की चर्चा कर रहे थे। वह 3 साल में होती है। अभी मार्च के बाद अप्रैल में दोबारा ग्रेडिंग कराई जाएगी। भुगतान की भी चर्चा हुई है। हमारी सरकार से पहले 9 करोड़ 30 लाख का भुगतान बाकी था, जिसको हमने भुगतान किया है। अभी भी लगातार भुगतान हो रहा है और भुगतान की व्यवस्था ऑनलाइन कराई जा रही है। (मेजों की थपथपाहट) लुप्तप्राय गीत-संगीत के लिए अनुज शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, उसके लिए बजट में 50 लाख रूपये प्रावधानित है। फिल्म विकास निगम में सब्सिडी हेतु समिति का गठन किया जा चुका है तथा बहुत जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम रीवा, आरंग में उत्खनन जारी है तथा राज्य संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ के निर्माता-निर्देशकों के लिए फिल्म निर्माण के लिए

35% सब्सिडी की पॉलिसी बन गई है, जो बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। 'भारत भवन' के निर्माण हेतु 32 करोड़ का डी.पी.आर. बजट प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष संस्कृति विभाग में 85.65 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि इस वर्ष 98 करोड़ 20 लाख का बजटीय प्रावधान है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। इसमें राज्योत्सव के कार्यक्रम, बस्तर पंडुम, लोक कलाकारों का पंजीयन एवं भुगतान नियम का सरलीकरण किया गया है। जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजित होने वाले कुल 89 उत्सव, महोत्सव, मेला-मड़ई के द्वारा लोक संस्कृति का व्यापक विस्तार एवं प्रचार-प्रसार हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोक कलाकारों को कला-संस्कृति का आदान-प्रदान एवं मंचीय प्रस्तुति हेतु अलग-अलग राज्यों में मंचीय प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें 430 कलाकार लाभांवित हुए हैं। अभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों और कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजना के तहत पूर्व में 2000 रूपये दिये जा रहे थे, जिसको वृद्धि कर 5000 रूपये किये गये हैं। कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता से 135 लाभांवित पेंशन ग्राह्यताओं को 32 लाख 40 हजार प्रदान किया गया एवं नवीन आवेदन 237 प्राप्त हुए हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं। छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष का भी गठन किया गया है और लाभांवित कलाकार एवं साहित्यकारों को 10 लाख 87 हजार रूपये पेमेंट किया जा चुका है और इस वर्ष 30 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना इसमें 43 कलाकारों को कुल वार्षिक राशि 9 लाख 42 हजार प्रदान किया गया है, शेष 21 लाभार्थियों को 5 लाख रूपये दिये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है । विभिन्न निजी अशासकीय संस्थाओं हेतु आर्थिक अनुदान तथा शासकीय निजी संस्थाओं को 322 सांस्कृतिक आयोजन हेतु आर्थिक अनुदान राशि 3 करोड़ 60 लाख रूपये प्रदान किया गया है । राजकीय भवन संग्रहालय की स्थापना इसके लिये डीपीआर तैयार किया गया है, जिसकी कुल लागत 8 करोड़ 65 लाख अनुमानित है । प्राचीन धरोहर के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों एवं राज्य संचालित संग्रहालयों के नियमित रखरखाव, अनुरक्षण, जीर्णोद्धार, रासायनिक संरक्षण एवं परिसर के विकास के लिये, 4 करोड़ की राशि इस बजट में रखी गई है । विभाग द्वारा राज्य के प्राचीन वैभव और राज्य के गौरवशाली अतीत को उजागर करने वाले आंचलिक इतिहास को सुरक्षित एवं संरक्षित करने प्राचीन सभ्यता के केन्द्रों को खोज हेतु खनन एवं सर्वेक्षण करवाये जायेंगे । वर्तमान में रायपुर जिला अंतर्गत आरंग तहसील में रीवागढ़ के उत्खनन से उत्तर वैदिक लौह युगीन बस्ती प्रकाश में आया है, जिसकी कार्बन 14 तिथि निर्धारण से ईसा पूर्व नवीं सदी होने का पता चला है । बजट में इसके लिये 1 करोड़ 30 लाख रूपये प्रावधानित है ।

पर्यटन विभाग, बस्तर की संस्कृति सरगुजा की वादियों का संदेश है । महानदी की पावन धारा, राजिम, भोरमदेव का परिवेश है, अटल संस्कृति और आस्था को नई उड़ान देने का संकल्प लिये यह बजट हमारे प्रदेश के गौरव और विकास का संदेश है। पिछले वर्ष 222 करोड़ का बजट प्रावधानित था, इस वर्ष 344 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है । इस प्रकार कुल पर्यटन के क्षेत्र में 54.95 परशेंट

की वृद्धि की गई है । (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन चालू किया गया है, जिसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है । पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, सदन से आग्रह करता हूँ कि संस्कृति, धर्मस्य, पर्यटन विभाग के व्यय हेतु प्रस्तावित राशि कुल रूपये 452.20 करोड़ सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की कृपा करें ।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूँगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26, 37 एवं 51 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूँगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये-अन्ठानबे करोड़, बीस लाख रूपये
मांग संख्या	-	37	पर्यटन के लिये-तीन सौ चवालीस करोड़ रूपये तथा
मांग संख्या	-	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये-पचास करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 मार्च 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(रात्रि 9.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11, फरवरी 2026 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक : 10 मार्च, 2026 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**